CURRENCY NOTE KE MASAIL (HINDI)

उ़लमाए मक्कए मुकर्रमा के काग़ज़ी नोट से मुतअ़ल्लिक़ सुवालात और सय्यिदी आ'ला ह़ज़रत رحمۃ اللہ تعالٰی علیہ के तह़क़ीक़ी जवाबात पर मुश्तमिल रिसाला

كِفلُ الفَقِيهِ الفَاهِمِ فِي أَحكَامِ قِرطَاسِ الدَّرَاهِمِ

बनाम

करन्सी नोट के मसाइल

- उ़लमाए मक्कए मुकर्रमा के काग़ज़ी नोट से मुतअ़ल्लिक़ बारह सुवालात ।
- और सय्यिदी आ'ला ह़ज़रत رحمۃ اللہ تعالٰی علیہ के तह़क़ीक़ी जवाबात ।
- नोट की ह़क़ीक़त का बयान ।
- माल की ता'रीफ़ ।
- बा'ज़ आदाबे मुफ़्ती ।
- भीक मांगना ज़िल्लत व ह़राम है ।
- नोट क़र्ज़ देना जाइज़ है ।
- बैए़ सलम और बैए़ सर्फ़ की ता'रीफ़ ।
- सूद से बचने की तदाबीर ।
- क्या मकरूहे तन्ज़ीही भी गुनाह है ?

المدینۃ العلمیۃ
(دعوتِ اسلامی)
शो'बा कुतुबे आ'ला ह़ज़रत

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

किताब पढ़ने की दुआ़

अज़ : *शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुह़म्मद इल्यास अ़त़्त़ार क़ादिरी रज़वी* دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

दीनी किताब या **इस्लामी सबक़** पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई **दुआ़** पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَاللّٰہ عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे **याद रहेगा**। दुआ़ येह है :

اَللّٰھُمَّ افْتَحْ عَلَیْنَا حِکْمَتَکَ وَانْشُرْ عَلَیْنَا رَحْمَتَکَ یَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِکْرَام

तर्जमा : *ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़ज़मत और बुज़ुर्गी वाले।*

(اَلْمُسْتَطْرَف ج ۱ ص ۴۰ دارالفکر بیروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक-एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये।

तालिबे ग़मे मदीना
बक़ीअ़
व मग़फ़िरत

13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

क़ियामत के रोज़ ह़सरत

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم : सब से ज़ियादा **ह़सरत** क़ियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में **इ़ल्म ह़ासिल** करने का मौक़अ़ मिला मगर उस ने ह़ासिल न किया और उस शख़्स को होगी जिस ने **इ़ल्म ह़ासिल किया** और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़्अ़ उठाया लेकिन उस ने न उठाया (या'नी उस **इ़ल्म** पर अ़मल न किया)

(تاریخِ دمشق لابن عساکر، ج ۵۱ ص ۱۳۸ دار الفکر بیروت)

किताब के ख़रीदार मुतवज्जेह हों

*किताब की त़बाअ़त में नुमायां ख़राबी हो या सफ़ह़ात कम हों या बाइन्डिंग में आगे पीछे हो गए हों तो **मक्तबतुल मदीना** से रुजूअ़ फ़रमाइये।*

www.dawateislami.net

"करन्सी नोट के शरई अह़कामात" का हिन्दी रस्मुल ख़त़

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ **दा'वते इस्लामी** की मजलिस **"अल मदीनतुल इल्मिय्या"** ने येह किताब '**उर्दू**' ज़बान में पेश की है और **मजलिसे तराजिम** ने इस किताब का '**हिन्दी**' **रस्मुल ख़त़** (लीपियांतर) करने की सआ़दत ह़ासिल की है [**भाषांतर** (**Translation**) नहीं बल्कि सिर्फ़ **लीपियांतर** (**Transliteration**) या'नी बोली तो **उर्दू** ही है जब कि लीपि (लिखाई) **हिन्दी** की गई है] और **मक्तबतुल मदीना** से **शाएअ़** करवाया है।

इस किताब में अगर किसी जगह **कमी-बेशी** या **ग़लत़ी** पाएं तो **मजलिसे तराजिम** को (ब ज़रीअ़ए **Sms**, **E-mail** या **Whats App** ब शुमूल सफ़ह़ा व सत़र नम्बर) **मुत्त़लअ़** फ़रमा कर सवाब कमाइये।

उर्दू से हिन्दी रस्मुल ख़त़ का लीपियांतर ख़ाका

थ = تھ	त = ت	फ = پھ	प = پ	भ = بھ	ब = ب	अ = ا
छ = چھ	च = چ	झ = جھ	ज = ج	स = ث	ठ = ٹھ	ट = ٹ
ज़ = ذ	ढ = ڈھ	ड = ڈ	ध = دھ	द = د	ख़ = خ	ह़ = ح
श = ش	स = س	ज़ = ژ	ज़ = ز	ढ़ = ڑھ	ड़ = ڑ	र = ر
फ़ = ف	ग़ = غ	अ़ = ع	ज़ = ظ	त़ = ط	ज़ = ض	स = ص
म = م	ल = ل	घ = گھ	ग = گ	ख = کھ	क = ک	क़ = ق
ा = ئ	ृ = ؤ	आ = آ	य = ی	ह = ھ	व = و	न = ن

-: राबित़ा :-

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)

मदनी मर्कज़, क़ासिम हाला मस्जिद, सेकन्ड फ़्लोर, नागर वाड़ा मेन रोड, बरोडा, गुजरात, अल हिन्द, ☎ 09327776311

E-mail : translation.baroda@dawateislami.net

www.dawateislami.net

उ़लमाए मक्कए मुकर्रमा के काग़ज़ी नोट से मुतअ़ल्लिक़ सुवालात

और सय्यिदी आ'ला ह़ज़रत عَلَيْهِ رَحمَةُ الرَّحْمٰن के तह़क़ीक़ी

जवाबात पर मुश्तमिल रिसाला

"كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم"

की तस्हील बनाम

करन्सी नोट के शरई अह़कामात

तसनीफ़ : आ'ला ह़ज़रत, इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحمَةُ الرَّحْمٰن

तस्हील : मौलाना मुह़म्मद शाहिद क़ादिरी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه

– : पेशकश :–

मजलिस : अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या (**दा'वते इस्लामी**)

शो'बा कुतुबे आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه

– : नाशिर :–

मक्तबतुल मदीना, देहली-6

www.dawateislami.net

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ الله

(((जुम्ला हुक़ूक़ ब हक़्क़े नाशिर मह़फ़ूज़ हैं)))

नाम किताब : كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم

मुसन्निफ़ : आ'ला ह़ज़रत, इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحمَةُ الرَّحْمٰن

तख़रीज व तस्हील बनाम : करन्सी नोट के शरई अह़कामात

मुस्हिल व मुतर्जिम : मौलाना मुह़म्मद शाहिद क़ादिरी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه

सिने त़बाअ़ते अव्वल : रजबुल मुरज्जब, सिने 1438 हिजरी

नाशिर : मक्तबतुल मदीना, देहली – 6

-: मक्तबतुल मदीना (हिन्द) की मुख़्तलिफ़ शाख़ें :-

- ❁..... **अजमेर** : **मक्तबतुल मदीना**, 19 / 216 फ़लाहे दारैन मस्जिद, नला बाज़ार, स्टेशन रोड, दरगाह अजमेर शरीफ़, राजस्थान, फ़ोन : 0145-2629385
- ❁..... **बरेली** : **मक्तबतुल मदीना**, दरगाह आ'ला ह़ज़रत, मह़ल्ला सौदागरान, रज़ा नगर, बरेली शरीफ़, यु.पी. फ़ोन : 09313895994
- ❁..... **गुलबर्गा** : **मक्तबतुल मदीना**, फ़ैज़ाने मदीना मस्जिद, तिम्मापुरी चौक, गुलबर्गा शरीफ़, कर्नाटक फ़ोन : 09241277503
- ❁..... **बनारस** : **मक्तबतुल मदीना**, अल्लू की मस्जिद के पास, अम्बाशाह की तकिया, मदनपुरा, बनारस, यु.पी. फ़ोन : 09369023101
- ❁..... **कानपुर** : **मक्तबतुल मदीना**, मस्जिद मख़्दूमे सिमनानी, नज़्द गुर्बत पार्क, डिपटी पडाव चौराहा, कानपुर, यु.पी. फ़ोन : 09616214045
- ❁..... **कलकत्ता** : **मक्तबतुल मदीना**, 35A/H/2 मोमिन पुर रोड, दो तल्ला मस्जिद के पास, कलकत्ता, बंगाल, फ़ोन : 033-32615212
- ❁..... **नागपुर** : **मक्तबतुल मदीना**, ग़रीब नवाज़ मस्जिद के सामने, सैफ़ीनगर रोड, मोमिन पुरा, नागपुर (ताजपुर) महाराष्ट्र, फ़ोन : 09326310099
- ❁..... **अनंतनाग** : **मक्तबतुल मदीना**, मदनी तरबिय्यत गाह, टाउन होल के सामने, अनंतनाग, (इस्लामाबाद), कश्मीर, फ़ोन : 09797977438
- ❁..... **सुरत** : **मक्तबतुल मदीना**, वलिया भाई मस्जिद के सामने, ख़्वाजा दाना दरगाह के पास, सुरत, गुजरात, फ़ोन : 09601267861
- ❁..... **इन्दोर** : **मक्तबतुल मदीना**, शोप नम्बर 13, बोम्बे बाज़ार, उदा पुरा, इन्दोर, एम. पी. (मध्य प्रदेश) फ़ोन : 09303230692
- ❁..... **बेंग्लोर** : **मक्तबतुल मदीना**, शोप 13, ह़ज़रत बिलाल मस्जिद कोम्प्लेक्स, नवां मेन पिल्लाना गार्डन, अरेबिक कोलेज, बेंग्लोर, कर्नाटक : 09343268414
- ❁..... **हुबली** : **मक्तबतुल मदीना**, ए. जे. मुढोल कोम्पलेक्स, ए. जे. मुढोल रोड, ओल्ड हुबली, कर्नाटक, फ़ोन : 08363244860

Web : www.dawateislami.net / E.mail : ilmiapak@dawateislami.net

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

कुतुबे आ'ला ह़ज़्रत رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْه
और
अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या

अज़ : *बानिये दा'वते इस्लामी, आ़शिक़े आ'ला ह़ज़्रत, शैख़े त़रीक़त अमीरे अहले सुन्नत, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल* ***मुह़म्मद इल्यास*** *अ़त्त़ार क़ादिरी रज़वी ज़ियाई* دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَلٰی اِحْسَا نِهٖ وَ بِفَضْلِ رَسُوْلِهٖ صلَّى الله تعالٰى عليه واٰله وسلَّم

तब्लीग़े क़ुरआनो सुन्नत की आ़लमगीर ग़ैर सियासी तह़रीक "**दा'वते इस्लामी**" नेकी की दा'वत, एह़याए सुन्नत और इशाअ़ते इ़ल्मे शरीअ़त को दुन्या भर में आ़म करने का अ़ज़्मे मुसम्मम रखती है, इन तमाम उमूर को ब ह़ुस्ने ख़ूबी सर अन्जाम देने के लिये मुतअ़द्दिद मजालिस का क़ियाम अ़मल में लाया गया है जिन में से एक मजलिस "**अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या**" भी है जो दा'वते इस्लामी के उ़लमा व मुफ़्तियाने किराम كَثَّرَهُمُ اللهُ تَعَالٰى पर मुश्तमिल है, जिस ने ख़ालिस इ़ल्मी, तह़क़ीक़ी और इशाअ़ती काम का बीड़ा उठाया है। इस के मुन्दरिजए ज़ैल छे शो'बे हैं :

﴾1﴿ शो'बा कुतुबे आ'ला ह़ज़्रत ﴾2﴿ शो'बए दर्सी कुतुब
﴾3﴿ शो'बए इस्लाही कुतुब ﴾4﴿ शो'बा तफ़्तीशे कुतुब
﴾5﴿ शो'बए तख़्रीज ﴾6﴿ शो'बा तराजिमे कुतुब

www.dawateislami.net

"**अल मदीनतुल इल्मिय्या**" की अव्वलीन तरजीह़ **सरकारे आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, अ़ज़ीमुल बरकत, अ़ज़ीमुल मर्तबत, परवानए शम्ए रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, ह़ामिये सुन्नत, माह़िये बिदअ़त, आ़लिमे शरीअ़त, पीरे त़रीक़त, बाइसे ख़ैरो बरकत, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अलह़ाज अल ह़ाफ़िज़ अल क़ारी अश्शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान** عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن की गिरां मायह तसानीफ़ को अ़स्रे ह़ाज़िर के तक़ाज़ों के मुत़ाबिक़ ह़त्तल वस्अ़ सह्ल उस्लूब में पेश करना है। तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस इ़ल्मी, तह़क़ीक़ी और इशाअ़ती मदनी काम में हर मुमकिन तआ़वुन फ़रमाएं और मजलिस की त़रफ़ से शाएअ़ होने वाली कुतुब का ख़ुद भी मुत़ालआ़ फ़रमाएं और दूसरों को भी इस की तरग़ीब दिलाएं।

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ "**दा'वते इस्लामी**" की तमाम मजालिस ब शुमूल "**अल मदीनतुल इल्मिय्या**" को दिन ग्यारहवीं और रात बारहवीं तरक़्क़ी अ़त़ा फ़रमाए और हमारे हर अ़मले ख़ैर को ज़ेवरे इख़्लास से आरास्ता फ़रमा कर दोनों जहां की भलाई का सबब बनाए। हमें ज़ेरे गुम्बदे ख़ज़रा शहादत, जन्नतुल बक़ीअ़ में मदफ़न और जन्नतुल फ़िरदौस में अपने मदनी ह़बीब صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का पड़ोस नसीब फ़रमाए।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تعالٰى عليه واٰله وسلَّم

रमज़ानुल मुबारक 1425 हिजरी

www.dawateislami.net

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

पेशे लफ़्ज़

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ हमारी येही कोशिश रही है कि अपने बुज़ुर्गों की किताबें आसान से आसान अन्दाज़ में पेश करने की सआ़दत ह़ासिल करते रहें चुनान्चे, इस सिलसिले में सय्यिदी आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, रहबरे शरीअ़त, इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَیْہِ رَحْمَۃُ الرَّحْمٰن के कई अ़रबी, उर्दू और फ़ारसी रसाइल त़ब्अ़ हो कर अ़वामो ख़वास से ख़िराजे तह़सीन पा चुके हैं इसी सिलसिले की एक और कड़ी सय्यिदी आ'ला ह़ज़रत عَلَیْہِ رَحْمَۃُ رَبِّ الْعِزَّت का अ़रबो अ़जम में निहायत ही मश्हूरो मा'रूफ़ रिसाला **كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم** बनाम **"करन्सी नोट के शरई अह़कामात"**, पेशे ख़िदमत है, जिस में आप عَلَیْہِ رَحْمَۃُ الرَّحْمٰن से ऐसे बारह सुवालात किये गए हैं जिन का तअ़ल्लुक़ करन्सी नोट के मसाइल से था चुनान्चे, आप عَلَیْہِ رَحْمَۃُ الرَّحْمٰن ने इन सुवालात के जवाबात क़ुरआनो ह़दीस और कसीर कुतुबे फ़िक़्हिय्या की रोशनी में मुह़क़्क़िक़ाना अन्दाज़ में अ़त़ा फ़रमा कर ह़क़्क़े तह़क़ीक़ अदा कर दिया जब कि इसी करन्सी नोट की शरई ह़ैसिय्यत जानने में अहले इ़ल्म ह़ज़रात अ़र्सए दराज़ से मुतज़बज़िब व मुतरद्दिद थे, सय्यिदी आ'ला ह़ज़रत عَلَیْہِ رَحْمَۃُ الرَّحْمٰن के इन तह़क़ीक़ी जवाबात की रोशनी में वोह इश्कालात भी रफ़्अ़ हो गए।

बहर ह़ाल चन्द हम अ़स्र उ़लमा ने भी करन्सी नोट से मुतअ़ल्लिक़ सुवालात के जवाबात दिये लेकिन उन की तह़क़ीक़ क़वानीने शरइ़य्या के पेशे नज़र नाक़िस व कमज़ोर थी।

www.dawateislami.net

चुनान्चे, सय्यिदी आ'ला ह़ज़रत عَلَيْهِ الرَّحْمَة ने इस "**रिसाले**" में उन के बयान कर्दा ज़ईफ़ दलाइल का तआ़कुब फ़रमा कर हुक्मे शरई ख़ूब अच्छे अन्दाज़ में वाज़ेह़ फ़रमा दिया।

मज़ीद येह कि इस "**रिसाले**" में सूद की ह़दबन्दी कर के जाइज़ त़रीक़ों पर नफ़्अ़ ह़ासिल करने की मुख़्तलिफ़ सूरतें भी तह़रीर फ़रमाई हैं,

अल ग़रज़ ! सय्यिदी आ'ला ह़ज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن का येह "**रिसाला**" दलाइल व बराहीन से मुज़य्यन व आरास्ता है। और इस "**रिसाले**" की अहम्मिय्यत और इफ़ादिय्यत का अन्दाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि येह "**रिसाला**" कराची "**यूनीवर्सिटी**" के एम, ए, के निसाब में भी शामिल है। बहर ह़ाल आ़म क़ारिईन की आसानी के लिये "**मुक़द्दमा**" में इस "**रिसाले**" का ख़ुलासा भी पेश कर दिया गया है।

इस "**रिसाले**" को जदीद त़र्ज़ और अच्छे अन्दाज़ में पेश करने के लिये तब्लीग़े क़ुरआनो सुन्नत की आ़लमगीर ग़ैर सियासी तह़रीक दा'वते इस्लामी की मजलिस "**अल मदीनतुल इल्मिय्या**" के मदनी उ़लमा ने ख़ूब कोशिशें की हैं, जिस का अन्दाज़ा ज़ैल में दी गई काम की तफ़्सील से लगाया जा सकता है :

(1) आयात व अह़ादीस और दीगर इ़बारात के ह़वालाजात की मक़्दूर भर तख़्रीज की गई है।

(2) मुश्किल अल्फ़ाज़ और फ़िक़्ही इस्त़िलाह़ात के पेशे नज़र तर्जमे को आसान उर्दू ज़बान में करने की कोशिश की गई है ताकि आ़म क़ारी को भी येह "**रिसाला**" पढ़ने में दुश्वारी न हो।

www.dawateislami.net

(3) जगह जगह अ़रबी अल्फ़ाज़ और मुश्किल फ़िक़ही इस्तिलाहात का इंग्लिश में तर्जमा कर दिया गया है और "**रिसाले**" की इब्तिदा ही में इन तमाम इस्तिलाहात को चन्द फ़ाइदों के साथ जम्अ़ कर दिया गया है जिन्हें याद रख कर येह "**रिसाला**" ब आसानी समझा जा सकता है।

(4) नई गुफ़्तगू नई सतर में दर्ज की गई है ताकि पढ़ने वालों को ब आसानी मसाइल समझ आ सकें।

(5) आयाते क़ुरआनिय्या को मुनक़्क़श ब्रेकेट ﴿﴾, मतने अहादीस को डबल ब्रेकेट ((( ))), किताबों के नाम और दीगर अहम इबारात को Inverted commas "" से वाज़ेह किया गया है।

(6) आख़िर में माख़ज़ो मराजेअ़ की फ़ेहरिस्त, मुसन्निफ़ीन व मुअल्लिफ़ीन के नामों, इन की सिने वफ़ात और मताबेअ़ के साथ ज़िक्र कर दी गई है।

इसी त़रह इस "**रिसाले**" को आप तक पहुंचाने से पहले कई मरतबा प्रुफ़ रीड किया गया है और साथ ही एह्तियात के साथ फ़िक़्ही मसाइल भी देख लिये गए हैं ताकि येह "**रिसाला**" हत्तल मक़दूर फ़िक़्ही मसाइल में ग़लतियों, फ़न्नी क़ुसूर और दीगर नक़ाइस से महफ़ूज़ रहे चुनान्चे, इस "**रिसाले**" में आप हज़रात को जो ख़ूबियां दिखाई दें वोह **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की अ़ता, उस के प्यारे हबीब नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रहीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की नज़रे करम, उ़लमाए किराम رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام और शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत हज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه के फ़ैज़ से हैं और जो ख़ामियां नज़र आएं उन में यक़ीनन हमारी कोताही है।

www.dawateislami.net

इस रिसाले की इशाअ़ते अव्वल की तस्हील मौलाना मुह़म्मद शाहिद अल अ़त्तारियुल मदनी बिन ह़बीब आ़लम رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने की थी। मौसूफ़ सानेह़ए निश्तर पार्क (1427 हिजरी) में शहीद हो गए थे। **अल्लाह** तआ़ला उन के दरजात को बुलन्द फ़रमाए और उन पर अपनी रह़मतों का नुज़ूल फ़रमाए। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تعالٰى عليه واٰله وسلَّم

मौसूफ़ ने दर्से निज़ामी (आ़लिम कोर्स) की ता'लीम दा'वते इस्लामी के इदारे **"जामिअ़तुल मदीना"** में मुकम्मल की, और सिने 2004 ईसवी में सनदे फ़राग़त ह़ासिल की। इस के बा'द दा'वते इस्लामी के इल्मी व तह़क़ीक़ी इदारे **"अल मदीनतुल इल्मिय्या"** में अपनी ख़िदमात अन्जाम देते रहे और कई किताबों के तराजुम के बुन्यादी मराह़िल तै़ किये जिन में المتجر الرابح فی ثواب العمل الصالح बनाम **"जन्नत में ले जाने वाले आ'माल"**, "بحر الدموع" बनाम **"आंसूओं का दरया"** और "الزواجر عن اقتراف الكبائر" बनाम **"जहन्नम में ले जाने वाले आ'माल"** का कुछ तर्जमा शामिल है।

क़ारेईन ख़ुसूसन उ़लमाए किराम دامت فيوضهم से गुज़ारिश है कि इस **"रिसाले"** के मे'यार को मज़ीद बेहतर बनाने के बारे में हमें अपनी क़ीमती आरा और तजावीज़ से तह़रीरी तौ़र पर मुत्त़लअ़ फ़रमाएं।

दुआ़ है कि **अल्लाह** तआ़ला इस **"रिसाले"** को अ़वामो ख़वास के लिये नफ़्अ़ बख़्श बनाए ! اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تعالٰى عليه واٰله وسلَّم

शो'बए कुतुबे आ'ला ह़ज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن

(अल मदीनतुल इल्मिय्या)

www.dawateislami.net

फ़ेहरिस्त

नम्बर	फ़ेहरिस्ते मज़ामीन	सफ़हा
1	चन्द ज़रूरी इस्तिलाहात	19
2	मुख़्तलिफ़ बुयूअ़ की ता'रीफ़ात	20
3	फ़ाइदा	21
4	तक़्दीम	23
5	काग़ज़ी नोट के बारे में उ़लमाए मक्कए मुकर्रमा के सुवालात	46
6	तम्हीद	48
7	नोट की ह़क़ीक़त	50
8	माल की ता'रीफ़	51
9	नोट का जुज़इय्या	51
10	नोट के रसीद होने का मत़लब	52
11	करन्सी नोट की आ'ला क़ीमतों का बयान	55
12	किताबत माल नहीं	57
13	माल की चार अक़्साम और इन में फ़िक़्ही बह़स	59
14	माल की पहली क़िस्म	59
15	माल की दूसरी क़िस्म	60

www.dawateislami.net

16	शामी पर मा'रूज़ा	60
17	माल की तीसरी क़िस्म	61
18	तन्वीरुल अबसार पर तत़फ़्फ़ुल (मा'रूज़ा)	61
19	माल की चौथी क़िस्म	64
20	नोट इस्ति़लाह़ में समन है क्यूंकि इस के साथ समन जैसा मुआ़मला किया जाता है	65
21	सुवाल नम्बर 1	65
22	सुवाल नम्बर 2	66
23	ज़कात की शराइत़ पाई जाएं तो नोट पर ज़कात है	66
24	सुवाल नम्बर 3	67
25	नोट मेह्र हो सकता है	67
26	सुवाल नम्बर 4	67
27	नोट चोरी करने पर ह़ाकिमे इस्लाम हाथ काटेगा	67
28	सुवाल नम्बर 5	68
29	नोट ज़ाएअ़ कर देने पर नोट ही देना होगा	68
30	सुवाल नम्बर 6	69
31	नोट को चांदी के रुपों और सोने की अशरफ़ियों से बेचना जाइज़ है	69

www.dawateislami.net

32	तम्बीह	69
33	मुसन्निफ़ की तह्क़ीक़ कि ख़रीदो फ़रोख़्त के सहीह़ होने के लिये कम से कम एक पैसे की क़ीमत होना कुछ ज़रूरी नहीं	70
34	उसूल येह है कि शै की मौजूदा ह़ालत का ए'तिबार किया जाता है, येह नहीं देखा जाता कि अस्ल में क्या थी ?	70
35	मालिय्यत के लिये ज़रूरी नहीं कि वोह चीज़ हर जगह माल समझी जाए	72
36	तन्वीरुल अबसार पर तत़फ़्फ़ुल	74
37	चन्द आदाबे इफ़्ता	75
38	क़ुनिया की रिवायात ज़ईफ़ हुवा करती हैं	75
39	क़ुनिया जब मश्हूर किताबों की मुख़ालफ़त करे तो उस का क़ौल मक़्बूल नहीं	75
40	क़ुनिया अगर क़वाइद के ख़िलाफ़ मस्अला बयान करे तो क़ाबिले क़बूल नहीं जब तक कि उस की ताईद में कोई और क़ाबिले ए'तिमाद नक़्ल न पाई जाए	75
41	नक़्ल में नाक़िल का नहीं बल्कि जिस के ह़वाले से नक़्ल किया जाए उस का ए'तिबार होता है	75
42	क़ुनिया के मस्अले का दलीले नक़्ली से जवाब	76
43	इबाराते फ़ुक़हा में लफ़्ज़े काग़ज़तन में ताए वह्दत लाने का फ़ाइदा	76

www.dawateislami.net

44	कुनिया के मस्अले का दलीले अ़क़्ली से जवाब	78
45	मुल्के हिन्द की वुस्अ़त और इस के तूल व अ़र्ज़ की ह़दें	80
46	आ़दत का छोड़ना ख़ुद अपने साथ अ़दावत करना है	80
47	भीक मांगना ज़िल्लत व ह़राम है	81
48	दूसरों का माल छीनने में सख़्त सज़ा है	81
49	बैअ़ को जाइज़ क़रार देने में ग़रीब मुसलमानों की बक़ा और अह़सन त़रीक़े से उन की ह़ाजतों को पूरा करना है	82
50	किसी शै को माल बनाने से भी मालिय्यत साबित हो जाती है	83
51	मस्अलए कुनिया की एक नफ़ीस तौजीह	84
52	सुवाल नम्बर 7	86
53	नोट को कपड़ों के इ़वज़ बेचना बैए़ मुत़लक़ है	86
54	सुवाल नम्बर 8	87
55	नोट को बत़ौरे क़र्ज़ देना जाइज़ है	87
56	सुवाल नम्बर 9	88
57	रूपे के बदले में करन्सी नोट को बत़ौरे क़र्ज़ बेचना जाइज़ है	88
58	रूपों के बदले में नोट बेचना बैए़ सर्फ़ नहीं कि इस में दोनों त़रफ़ से क़ब्ज़ा करना शर्त़ हो	88
59	बैए़ सर्फ़ की ता'रीफ़	88

www.dawateislami.net

60	नोट और पैसों का समन होना लोगों की इस्तिलाह़ की वज्ह से है	89
61	दैन को दैन से बेचना ममनूअ़ है	89
62	इस अम्र की तह़क़ीक़ कि फ़ुलूस (पैसों) को सोने या चांदी से बदलना जब कि एक त़रफ़ से क़ब्ज़ा हो गया हो तो जाइज़ है	93
63	क़ारियुल हिदाया رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْه के मस्अले की तज़ईफ़	95
64	उस मा'ना की तज़ईफ़ जो उ़लमा ने जामेए़ सग़ीर की इबारत से समझा और अ़ल्लामा शामी ने क़ारियुल हिदाया की उस से ताईद की और ज़ख़ीरा व बह़र वग़ैरा पर तत़फ़्फ़ुलात	95
65	यदम बियदिन (क़ब्ज़े) की तह़क़ीक़	97
66	सुवाल नम्बर 10	108
67	नोट में **बैए़ सलम** जाइज़ है	108
68	पैसों में **बैए़ सलम** के जवाज़ की तह़क़ीक़	108
69	फ़त्हुल क़दीर पर तत़फ़्फ़ुल	110
70	सुवाल नम्बर 11	113
71	नोट को उस की मालिय्यत से ज़ाइद क़ीमत के बदले बेचना जाइज़ है	113
72	मौलवी अ़ब्दुल ह़य्य लखनवी साह़िब की आ़दत	114
73	नोट को उस की मालिय्यत से ज़ियादा क़ीमत पर बेचने के जवाज़ (जाइज़ होने) की पहली दलील	114

www.dawateislami.net

74	एक आ़म और अहम क़ाइदा जिस पर सूद (Usury) के तमाम मसाइल का दारो मदार है	114
75	जवाज़ की दूसरी दलील	115
76	जवाज़ की तीसरी दलील	116
77	जवाज़ की चौथी दलील	116
78	लखनवी साहिब की त़रफ़ से एक शुबा	117
79	इस शुबे का पहला जवाब	117
80	दूसरा जवाब	118
81	तीसरा जवाब	119
82	एक ए'तिराज़ की तक़रीर	120
83	पहला जवाब	122
84	दूसरा जवाब	123
85	सूद की ता'रीफ़	124
86	तीसरा जवाब	124
87	फ़तवा मुत़लक़न इमाम के क़ौल पर है	126
88	चौथा जवाब	126
89	इस अम्र के दलाइल कि मालिय्यत में तफ़ाज़ुल (ज़ियादती) मकरूहे तह़रीमी नहीं है	126

www.dawateislami.net

90	कराहत के मुख़्तलिफ़ इत़्लाक़ात	126
91	सूद से बचने की तदबीर : 1	132
92	सूद से बचने की तदबीर : 2	133
93	सूद से बचने की तदबीर : 3	134
94	सूद से बचने की तदबीर : 4	135
95	बैए़ ईना का बयान	136
96	सूद से बचने की तदबीर : 5	136
97	सूद से बचने की तदबीर : 6	137
98	बैए़ ईना सिर्फ़ मकरूहे तन्ज़ीही है	138
99	इल्मे उसूले फ़िक़्ह और इल्मे ह़दीस में मुर्सल की ता'रीफ़ में फ़र्क़ है	139
100	ह़दीसे ईना की परख	139
101	मुज्तहिद का किसी ह़दीस से इस्तिद्लाल करना ही उस ह़दीस के सह़ीह़ होने की दलील है	141
102	सब से अफ़्ज़ल कसब कौन सा है ?	142
103	ख़रीदते वक़्त कमी कराना सुन्नत है	144
104	मालिय्यत में तफ़ाज़ुल (ज़ियादती) के मकरूहे तह़रीमी न होने की दूसरी दलील	145

www.dawateislami.net

105	मिक़दार में कमी बेशी की चार सूरतें हैं और जिन्स मुख़्तलिफ़ हो तो चारों जाइज़ हैं	145
106	मालिय्यत में तफ़ाज़ुल के मकरूहे तह़रीमी न होने की तीसरी दलील	146
107	मालिय्यत में तफ़ाज़ुल के मकरूहे तह़रीमी न होने की चौथी दलील	147
108	मालिय्यत में तफ़ाज़ुल के मकरूहे तह़रीमी न होने की पांचवीं दलील	147
109	मकरूहे तह़रीमी गुनाहे सग़ीरा है और तन्ज़ीही मुबाह़ है	148
110	फ़ाज़िले लखनवी की लग़्ज़िश की त़रफ़ इशारा	148
111	मालिय्यत में तफ़ाज़ुल मकरूहे तह़रीमी न होने की छटी दलील	149
112	एक पैसा सौ मुअ़य्यन पैसों के बदले में बेचना ह़लाल है	149
113	मालिय्यत में तफ़ाज़ुल के मकरूहे तह़रीमी न होने की सातवीं दलील	150
114	फ़त्हुल क़दीर पर तत़फ़्फ़ुल (मा'रूज़ा)	150
115	मालिय्यत में तफ़ाज़ुल के मकरूह न होने की आठवीं दलील	151
116	मालिय्यत में तफ़ाज़ुल के मकरूह न होने की नवीं दलील	152
117	मालिय्यत में तफ़ाज़ुल के मकरूह न होने की दसवीं दलील	153
118	शैख़ अ़ब्दुल ह़लीम के कलाम का पहला जवाब	154
119	दूसरा जवाब	154
120	कभी मुस्तह़ब को भी वाजिब कहते हैं	154

www.dawateislami.net

121	ह़दीस (मुसलमानों के मुसलमान पर छे हुक़ूक़ वाजिब हैं) में वाजिब से क्या मुराद है ?	155
122	शैख़ अ़ब्दुल ह़लीम के कलाम का तीसरा जवाब	156
123	दौलते उ़स्मानिया के वाक़िए़ का ज़िक्र	156
124	फ़ाज़िले लखनवी पर पांचवां रद	159
125	फ़ाज़िले लखनवी पर छटा रद	160
126	फ़ाज़िले लखनवी पर सातवां रद	161
127	फ़ाज़िले लखनवी पर आठवां रद	161
128	फ़ाज़िले लखनवी पर नवां रद	161
129	फ़ाज़िले लखनवी पर दसवां रद	161
130	फ़ाज़िले लखनवी पर ग्यारहवां रद	162
131	फ़ाज़िले लखनवी पर बारहवां रद	162
132	फ़ाज़िले लखनवी पर तेरहवां रद	162
133	उस अम्र का बयान कि मुख़्तलिफ़ नक़्द जब मालिय्यत और चलन में बराबर हों तो इख़्तियार है जिस में से चाहे क़ीमत अदा करे	166
134	फ़ाज़िले लखनवी पर चौदहवां रद उस अम्र के बयान में कि फ़ाज़िले लखनवी के क़ौल पर लाज़िम आता है कि सूद ह़लाल हो	168
135	फ़ाज़िले लखनवी पर पन्दरहवां रद	169

www.dawateislami.net

136	सुवाल नम्बर 12	170
137	दस रूपे का नोट बारह के बदले साल भर के वा'दे पर क़िस्त़बन्दी से बेचना जाइज़ है सूद नहीं है	171
138	क़र्ज़ अदा करते वक़्त अपनी त़रफ़ से ज़ाइद देने का बयान	172
139	क़र्ज़ लेने वाले का क़र्ज़ ख़्वाह से क़र्ज़ ख़रीद लेना कैसा ?	173
140	सूद से बचने की तरकीबें	175
141	सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُم ने बैए ईना की	177
142	बैए ईना के जवाज़ पर इजमाअ़ क़ाइम है	177
143	बैअ़ और क़र्ज़ जम्अ़ हो जाएं तो क्या हुक्म है ?	177
144	इस क़िस्म के ह़ीले का क़ुरआनो ह़दीस से सुबूत	178
145	बैअ़ और सूद में क्या फ़र्क़ है ?	181
146	ह़ज़रते मौलाना इरशाद हुसैन साह़िब رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ का फ़तवा	184
147	अगर कोई काग़ज़ का एक टुकड़ा एक हज़ार के इ़वज़ बेचे तो येह बिला कराहत जाइज़ है	185
148	तस्दीक़ाते उ़लमाए किराम	186
149	माख़ज़ो मराजेअ़	187

www.dawateislami.net

इस किताब में मौजूद ज़रूरी इस्तिलाहात की ता'रीफ़ात

(DEFINATIONS OF ESSENTIAL TERMINOLOGIES)

(1) **बैअ़ :** दो शख़्सों का बाहम रिज़ामन्दी से एक मख़्सूस सूरत के साथ माल का माल से तबादला करना। (SALE)

(2) **मबीअ़ :** वोह चीज़ जिस को बेचा जाए। (SOLD THING)

(3) **बाएअ़ :** किसी भी चीज़ के बेचने वाले को "**बाएअ़**" कहते हैं। (SELLER)

(4) **मुश्तरी :** किसी चीज़ के ख़रीदने वाले को "मुश्तरी" कहते हैं। (PURCHASER)

(5) **दैन :** ऐसी चीज़ जो किसी के ज़िम्मे किसी अ़क़्द या फ़े'ल के सबब लाज़िम हो जाए "**दैन**" है। (FINANCIAL CLAIM)

मसलन : उधार ख़रीदो फ़रोख़्त की वज्ह से जो चीज़ ज़िम्मे पर लाज़िम हो, उसे "**दैन**" कहते हैं। ऐसे ही किसी की चीज़ को हलाक करने पर जो ज़मान (तावान) लाज़िम आता है, उसे भी "**दैन**" कहते हैं। और इसी त़रह़ किसी से कोई चीज़ क़र्ज़ लेने की सूरत में जो चीज़ ज़िम्मे पर वापस देना लाज़िम ठहरे, उसे भी "**दैन**" कहते हैं।

(6) **दाइन :** दैन देने वाला, क़र्ज़ देने वाला, क़र्ज़ ख़्वाह। (CREDITOR)

(7) **मदयून :** जिस शख़्स पर दैन हो, मक़रूज़, क़र्ज़दार। (DEBTOR)

www.dawateislami.net

(8) **क़र्ज़ :** मिस्ली चीज़ों में से कोई चीज़ किसी को देना इस ग़रज़ से कि बा'द में उसी के मिस्ल चीज़ वुसूल करे "**क़र्ज़**" कहलाता है। (LOAN)

फ़ाइदा : "**क़र्ज़**" और "**दैन**" में उ़मूम ख़ुसूस मुत़लक़ की निस्बत है या'नी हर क़र्ज़ दैन है लेकिन हर दैन क़र्ज़ नहीं।

(9) **माल :** हर वोह चीज़ जिस की त़रफ़ त़बीअ़त माइल हो और उस का जम्अ़ कर के रखना मुमकिन हो "**माल**" कहलाती है। (PROPERTY)

(10) **माले मुतक़व्विम :** उस माल को कहते हैं जिस से नफ़्अ़ उठाया जाना मुमकिन हो। (THINGS WITH COMMERCIAL VALUE)

(11) **समन :** वोह माल है जो ख़रीदने और बेचने वाले के दरमियान मबीअ़ के बदले में त़ै पाए। (PRICE)

(12) **समने इस्त़िलाही :** वोह समन है जो दर ह़क़ीक़त मताअ़ (सामान) है लेकिन लोगों की इस्त़िलाह़ ने उसे समन बना दिया हो जैसे करन्सी नोट और तांबे या पीतल के सिक्के। (TERMINOLOGICAL CURRENCY)

(13) **समने ख़ल्क़ी :** वोह समन है जो पैदाइशी त़ौर पर समन हो और वोह हर ह़ाल में समन ही रहते हों या'नी उन की समनिय्यत को कोई बात़िल ही न कर सके जैसे : सोना चांदी। (REAL MONEY)

(14) **क़ीमत :** किसी चीज़ का भाव जो बाज़ार में राइज हो क़ीमत कहलाता है। (VALUE)

(15) **अशरफ़ी :** सोने के सिक्के को कहते हैं। (GOLD COIN)

www.dawateislami.net

(16) **दीनार :** सोने के सिक्के को कहते हैं। (GOLD COIN)

(17) **दिरहम :** चांदी के सिक्के को कहते हैं। (SILVER COIN)

(18) **नोट :** काग़ज़ी करन्सी को नोट से ता'बीर किया जाता है।

(NOTE/PAPER MONEY)

(19) **रूपिया :** रूपिया से मुराद चांदी का बना हुवा सिक्का है :

(SILVER COIN)

फ़ाइदा : इस किताब में जहां कहीं लफ़्ज़ "**रूपिया**" आया है उस से मुराद "**चांदी का रूपिया**" है क्यूंकि जिस ज़माने में येह किताब तस्नीफ़ की गई थी उस वक़्त "**रूपिया**" बोल कर "**चांदी का रूपिया**" मुराद लिया जाता था बहर हाल किताब में जहां कहीं लफ़्ज़ "**रूपिया**" आया है वहां "चांदी का रूपिया" लिखने की कोशिश की गई है ताकि किताब आसान से आसान हो जाए।

(20) **फ़ुलूस :** फ़ल्स की जम्अ़ है किसी भी क़िस्म के सिक्के को कहते हैं।

(COIN)

(21) **पैसा :** तांबे या पीतल वग़ैरा से बनाए हुवे सिक्के को कहते हैं।

(COIN)

(22) **नक़्दैन :** सोना और चांदी को कहते हैं। (GOLD & SILVER)

(23) **बैए मुत़लक़ :** उस बैअ़ को कहते हैं जिस में रूपे के बदले कोई सामान वग़ैरा ख़रीदा या बेचा जाता है।

(UNCONDITIONAL SALE/ABSOLUTE SALE)

www.dawateislami.net

(24) **बैए सर्फ़ :** ऐसी बैअ़ को कहते हैं जिस में समने ख़ल्क़ी के बदले समने ख़ल्क़ी को ख़रीदा या बेचा जाता है जैसे नक़्दैन (सोने और चांदी) के बदले नक़्दैन की बैअ़ । (MONEY EXCHANGE)

(25) **बैए मक़ायज़ा :** उस बैअ़ को कहते हैं जिस में रूपे अशरफ़ी नहीं बल्कि एक सामान के इ़वज़ दूसरा सामान ख़रीदा बेचा जाता है ।

(BARTER SALE)

(26) **बैए सलम :** उस बैअ़ को कहते हैं जिस में समन पहले दिया जाता है और मबीअ़ कुछ मुद्दत बा'द दी जाती है । (V. ALIVRER)

फ़ाइदा : बैए सलम को लफ़्ज़ "**बदली**" से भी ता'बीर किया जाता है ।

(27) **बैए ईना :** कोई शख़्स एक चीज़ उधार बेचे और ख़रीदने वाले के क़ब्ज़े में दे और फिर समन वुसूल करने से पहले बेचने वाला ख़ुद उस चीज़ को पिछले समन से कम पर नक़्द ख़रीद ले ।

(SALE ON CREDIT)

(28) **क़ब्ज़ए त़रफ़ैन :** बाएअ़ और मुश्तरी में से हर एक का समन और मबीअ़ पर क़ब्ज़ा कर लेना क़ब्ज़ए त़रफ़ैन कहलाता है और क़ब्ज़ए त़रफ़ैन सिर्फ़ "**बैए सर्फ़**" में शर्त़ है ।

(CUSTODY FROM BOTH SIDES)

(29) **यदम बियदिन** (दस्त ब दस्त) से फ़ुक़हाए किराम की मुराद येह है कि मबीअ़ और समन दोनों चीज़ें मुअ़य्यन हो जाएं या'नी बाएअ़ और मुश्तरी पर किसी त़रह़ का दैन (क़र्ज़) न रहे ।

www.dawateislami.net

मुक़द्दमा

नोट की फ़िक़्ही हैसिय्यत

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

नोट जो कि दर हक़ीक़त काग़ज़ का एक टुकड़ा है काफ़ी अ़र्से से बतौ़रे माल इस्ति'माल किया जा रहा है लोग इस के ज़रीए़ से अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, ख़रीदो फ़रोख़्त करते हैं, इस की हिफ़ाज़त करते हैं। अल ग़रज़ माल होने की हैसिय्यत से इसे हर जगह इस्ति'माल किया जाता है लेकिन इस की फ़िक़्ही हैसिय्यत के बारे में उ़लमाए किराम رَحِمَهُمُ اللّٰه के दरमियान काफ़ी इख़्तिलाफ़ रहा कोई इसे सोने की रसीद (Receipt) कहता और कोई समने इस्तिलाही (समने इस्तिलाही (Terminological currency) वोह समन है जो दर हक़ीक़त मताअ़ (सामान) होता है लेकिन लोगों की इस्तिलाह़ (Terminology) ने उसे समन बना दिया हो जैसे करन्सी नोट और तांबे या पीतल के सिक्के)। उ़लमा के दरमियान इस इख़्तिलाफ़ (Conflict) की अस्ल वज्ह ब ज़ाते ख़ुद नोट था क्यूंकि नोट इब्तिदाअ़न सोने की रसीद थे और इन्हें बेंक के सिपुर्द कर के सोना भी वुसूल किया जा सकता था।

जब कि बदलते हुवे इक़्तिसादी व मआ़शी ह़ालात के पेशे नज़र हुकूमतों ने इस बात की ज़रूरत महसूस की, कि अपनी ज़रूरतें और ह़ाजतें पूरी करने के लिये ज़ियादा से ज़ियादा नोट जारी किये जाएं चुनान्चे, ऐसा ही किया गया। और आहिस्ता आहिस्ता इन नोटों की ता'दाद बढ़ती गई, यहां तक कि इन नोटों के मुक़ाबले में सोने की मिक़्दार हुकूमत के पास इन्तिहाई कम हो गई।

www.dawateislami.net

और अब हुकूमतों को येह फ़िक्र लाहिक़ हो गई कि अगर लोगों ने इन नोटों के बदले सोने का मुत़ालबा किया तो उन के मुत़ालबे कैसे पूरे किये जाएंगे ? क्यूंकि नोट ज़ियादा ता'दाद में हैं और इन के मुक़ाबले में सोना कम मिक़्दार में ।

चुनान्चे, हुकूमतों ने इस ख़त़रे के पेशे नज़र नोट अपने क़ब्ज़े व तसर्रुफ़ में ले कर एक मख़्सूस और मे'यारी सूरत दे दी और बाक़ी तमाम बेंकों पर इस क़िस्म के नोटों के छापने पर पाबन्दी आ़इद कर दी ।

इसी त़रह़ हुकूमतों की जानिब से नोट की सोने से तब्दीली को रोकने के लिये मुख़्तलिफ़ क़िस्म के इक़्दामात किये गए । आख़िरे कार नोट की सोने से तब्दीली को मुकम्मल त़ौर पर रोक दिया गया । चुनान्चे, अब नोट के बदले में नोट ही मिल सकता है न कि सोना, चांदी । और अब हुकूमतों के नज़्दीक नोट सोने या चांदी की रसीद नहीं बल्कि अलग से एक माल या'नी समने इस्त़िलाह़ी (Terminological currency) है ।

चुनान्चे, इस वज़ाह़त के बा वुजूद बा'ज़ उ़लमा के नज़्दीक नोट क़र्ज़ की रसीद थी जिन उ़लमा ने इसे क़र्ज़ की रसीद क़रार दिया था उन के नज़्दीक इस नोट को जारी करने वाले बेंक की ह़ैसिय्यत मक़्रूज़ (Debtor) की सी थी, और जिस के पास नोट थे वोह दाइन (Creditor) की ह़ैसिय्यत रखता था ।

बा'ज़ उ़लमा के नज़्दीक नोट समने इस्त़िलाह़ी ही था और येही नोट की ह़क़ीक़त है चुनान्चे, नोट की फ़िक़्ही ह़ैसिय्यत के मुतअ़य्यन न होने की वज्ह से उ़लमा के दरमियान नोट के ज़रीए ख़रीदो फ़रोख़्त, ज़कात की अदाएगी, और दीगर मुआ़मलात में इख़्तिलाफ़ात रू नुमा हुवे ।

www.dawateislami.net

नोट और ख़रीदो फ़रोख़्त और ज़कात के अह्कम

चुनान्चे, जिन उ़लमा ने नोट को रसीद समझा उन के नज़्दीक नोट के बदले अश्या की ख़रीदो फ़रोख़्त में नोट का अदा किया जाना "**ह़वाला**" की हैसिय्यत रखता था। या'नी नोट की अदाएगी करने वाला क़ीमत का "**ह़वाला**" बेंक या हुकूमत के किसी ऐसे इदारे पर कर देता था जहां से नोट शाएअ़ होते थे। चुनान्चे, उन ह़ज़रात के नज़्दीक नोट पर "**ह़वाला**" के अह्कामात आ़इद होते थे। इसी लिये उन के नज़्दीक नोट के ज़रीए़ से किये जाने वाले तमाम सौदे उधार हुवा करते थे, और उन उ़लमा के नज़्दीक नोट के ज़रीए़ से सोने चांदी की ख़रीदो फ़रोख़्त नाजाइज़ थी, क्यूंकि नोट के ज़रीए़ से सोना चांदी की ख़रीदो फ़रोख़्त करना दर ह़क़ीक़त इस सोने चांदी की ख़रीदो फ़रोख़्त थी जिस की येह नोट रसीद थे।

चुनान्चे, येह "**बैए़ सर्फ़**" (या'नी ऐसी बैअ़ जिस में समने ख़ल्क़ी के बदले समने ख़ल्क़ी को ख़रीदा या बेचा जाता है जैसे नक़्दैन (या'नी सोने और चांदी) के बदले सोने और चांदी की बैअ़) थी, और "**बैए़ सर्फ़**" में येह ज़रूरी है कि "**बदलैन**" या'नी ख़रीदी और बेची जाने वाली दोनों चीज़ों पर उसी मजलिस में ख़रीदने और बेचने वाले का क़ब्ज़ा हो जाए और नोट के ज़रीए़ से सोना चांदी की बैअ़ (Sale) में येह शर्त़ मफ़्क़ूद (Lost) थी।

इसी त़रह़ उन ह़ज़रात के नज़्दीक नोट की मौजूदगी में ज़कात की अदाएगी भी वाजिब न थी, अगर्चे लाखों रूपों के नोट मौजूद हों। और इसी त़रह़ अगर कोई नोट के ज़रीए़ से ज़कात की अदाएगी करता था तो उस की ज़कात उस वक़्त तक अदा नहीं होती थी जब तक कि फ़क़ीर उन नोटों के बदले में कोई चीज़ ख़रीद न लेता और अगर फ़क़ीर के

www.dawateislami.net

इस्ति'माल से पहले येह नोट गुम हो जाते या ज़ाएअ़ हो जाते तो भी उस की ज़कात अदा नहीं होती ।

और जिन उ़लमा की राए में नोट समने इस्तिलाही है उन के नज़दीक नोट के ज़रीए़ से समने ख़ल्क़ी या'नी सोना चांदी की बैअ़ बिला शुबा जाइज़ है । इस पर ज़कात वाजिब होती है और नोट की अदाएगी से ज़कात भी अदा हो जाती है ।

इसी त़रह़ और बहुत सारे ऐसे फ़िक़ही मसाइल थे जो सिर्फ़ नोट की फ़िक़ही हैसिय्यत के मुतअ़य्यन न होने की वज्ह से उ़लमा के दरमियान मुख़्तलिफ़ रहे ।

चुनान्चे, नोट की फ़िक़ही हैसिय्यत के मुतअ़य्यन न होने की वज्ह से अ़रबो अ़जम के उ़लमा हैरानो परेशान थे, जब कभी मुफ़्तियाने इ़ज़ाम से नोट की शरई हैसिय्यत के बारे में दरयाफ़्त किया जाता तो कोई ख़ातिर ख़्वाह जवाब नहीं मिलता था यहां तक कि मक्कए मुकर्रमा زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا के मुफ़्तिये अह्नाफ़, जमाल बिन अ़ब्दुल्लाह رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने इस का शरई हुक्म बयान करने से अपना उ़ज़्र येह कह कर पेश कर दिया कि العلم أمانة في أعناق العلماء **''या'नी इल्म उ़लमा की गर्दनों में अमानत है ।''**

बहर ह़ाल सिने 1323 हिजरी में सय्यिदी आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, रहबरे शरीअ़त, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, अश्शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن दूसरी मरतबा ह़ज्जे बैतुल्लाह शरीफ़ के लिये मक्कए मुकर्रमा ह़ाज़िर हुवे तो वहां के उ़लमाए किराम رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام ने इस मौक़अ़ को ग़नीमत जान कर आप عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن की ख़िदमत में नोट से मुतअ़ल्लिक़ बारह[12] सुवालात पेश कर दिये ।

चुनान्चे, सय्यिदी आ'ला ह़ज़रत इमामे अहले सुन्नत عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ने अपनी आ़दते करीमा के मुत़ाबिक़ इस मौज़ूअ़ पर भी क़लम उठाया और इन सुवालात के जवाबात को दलाइल व बराहीन से मुज़य्यन व आरास्ता कर के एह़क़ाक़े ह़क़ फ़रमा दिया ।

www.dawateislami.net

और जब आप عَلَيْهِ رَحمَةُ الرَّحْمٰن के तहरीर कर्दा जवाबात आलमे इस्लाम के मुक्तदिर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام के सामने आए तो सब हज़रात ने आप عَلَيْهِ رَحمَةُ الرَّحْمٰن की इस ज़बरदस्त तहक़ीक़ को ना सिर्फ़ क़बूल किया बल्कि आप عَلَيْهِ رَحمَةُ الرَّحْمٰن को ज़बरदस्त फ़क़ीह और मुत्तबह्हिर आलिमे दीन गर्दाना और साथ ही आप عَلَيْهِ رَحمَةُ الرَّحْمٰن की इस तस्नीफ़ को आलमे इस्लाम के लिये एहसाने अज़ीम क़रार दिया। और उसी तहक़ीक़ को जिसे सय्यिदी आ'ला हज़रत عَلَيْهِ الرَّحْمَة ने आज से तक़रीबन सौ साल पहले ही पेश फ़रमा चुके थे आज की जदीद इकॉनोमिक्स (Modern Economics) भी तस्लीम कर रही है। इसी तरह सय्यिदी आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, रहबरे शरीअत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, अश्शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحمَةُ الرَّحْمٰن के इस फ़तवा से फ़ी ज़माना नोट की नोट के ज़रीए की जाने वाली बैअ (Exchange of Money) का हुक्म भी वाज़ेह हो जाता है।

नोट की नोट से बैअ का शरई हुक्म

फ़ी ज़माना करन्सी नोट अपनी अस्ल के ए'तिबार से तो काग़ज़ का एक टुकड़ा ही है, लेकिन हर मुल्क की करन्सी मक़्सूद के मुख़्तलिफ़ होने की वज्ह से एक अलाहिदा जिन्स है, क्यूंकि करन्सी से मक़्सूद काग़ज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि उस से कुव्वते ख़रीद का एक मख़्सूस मे'यार मुराद होता है। और शरअन येही बात या'नी मक़्सूद या अस्ल का मुख़्तलिफ़ होना ही अजनास के मुख़्तलिफ़ होने का मदार है जैसा कि आटा, रोटी और गन्दुम हर एक अलाहिदा अलाहिदा जिन्स शुमार किये जाते हैं अगर्चे अस्ल के ए'तिबार से येह सब एक ही चीज़ या'नी गन्दुम हैं। चुनान्चे, मुख़्तलिफ़ मुमालिक की करन्सी मुख़्तलिफ़ नामों के साथ साथ कुव्वते ख़रीद का एक

www.dawateislami.net

अ़लाहिदा और मख़्सूस मे'यार रखती हैं और येही वज्ह है कि जो चीज़ पाकिस्तानी एक रूपिये के बदले में एक मिलती है, वोही चीज़ एक अमेरीकन डॉलर के बदले में तक़रीबन साठ की ता'दाद में मिल जाती है, और एक सऊ़दी रियाल के बदले में तक़रीबन पन्दरह या सोलह तक मिल सकती है। इसी त़रह़ वोह चीज़ मुख़्तलिफ़ मुमालिक की करन्सी के ए'तिबार से मुख़्तलिफ़ ता'दाद में ख़रीदी जा सकती है और येह ता'दाद क़ुव्वते ख़रीद की तब्दीली के साथ तब्दील भी हो जाती है।

चुनान्चे, क़वानीने शरइ़य्या की रोशनी में जब किसी चीज़ के मक़्सूद या अस्ल या बनावट में ऐसी तब्दीली आ जाए कि जिस की वज्ह से उस का नाम और काम बदल जाए तो उस की जिन्स के बदलने का हुक्म लगा दिया जाता है, जैसा कि अ़ल्लामा शामी رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْه फ़रमाते हैं :

"إن الاختلاف باختلاف الأصل أو المقصود أو بتبدل الصفة"۔

तर्जमा : "जिन्स में इख़्तिलाफ़ अस्ल या मक़्सूद या सिफ़त के बदलने से होता है।" ("الدرالمختار"مع" رد المحتار"،كتاب البيوع، باب الربا، ج ٧ ،ص ٤٣٧)

इसी त़रह़ सदरुश्शरीआ़ बदरुत्त़रीक़ा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحِمَهُمُاللهُ تَعَالٰى इस मस्अले को तफ़्सील से इरशाद फ़रमाते हैं :

"मक़्सद येह है कि जिन्स के इख़्तिलाफ़ व इत्तिह़ाद में अस्ल का इत्तिह़ाद व इख़्तिलाफ़ मो'तबर नहीं बल्कि मक़्सूद का इख़्तिलाफ़ जिन्स को मुख़्तलिफ़ कर देता है, अगर्चे अस्ल एक हो, और येह बात ज़ाहिर है कि रूई और सूत और कपड़े के मक़ासिद मुख़्तलिफ़ हैं, यूंही गेहूं और इस के आटे को रोटी से बैअ़ कर सकते हैं कि उन की भी जिन्स मुख़्तलिफ़ है।"

(बहारे शरीअ़त, जि. 2, ह़िस्सा 11, स. 98)

www.dawateislami.net

चुनान्चे, किसी भी दो अश्या की अस्लिय्यत अगर्चे एक ही क्यूं न हो अगर उन के मक़्सूद या सिफ़त में तब्दीली हो जाए तो उन की जिन्सें मुख़्तलिफ़ हो जाएंगी । जैसा कि सदरुश्शरीआ़ बदरुत्तरीक़ा मौलाना अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه की इबारत से ज़ाहिर है कि रोटी की बैअ़ गन्दुम के साथ उधार और कमी बेशी के साथ जाइज़ है, ह़ालांकि इन की अस्ल एक है सिर्फ़ बनावट में तब्दीली होने की वज्ह से इन के नाम और काम में तब्दीली पैदा हो गई ।

चुनान्चे, इन दोनों को अ़लाह़िदा अ़लाह़िदा जिन्स शुमार किया गया, इसी मस्अले को मज़ीद तफ़्सील से बयान करते हुवे इमाम सिराजुद्दीन उ़मर इब्ने नजीम ह़नफ़ी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه फ़रमाते हैं :

"يصح أيضاً بيع الخبز بالبر وبالدقيق متفاضلاً في أصح الروايتين عن الإمام، قيل: هو ظاهر المذهب لعلمائنا الثلاثة، وعليه الفتوى عدداً و وزناً، كيف ما اصطلحوا عليه؛ لأنه صار بالصنعة جنساً آخر"۔

("النهر الفائق"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٣، ص ٤٧٨)

तर्जमा : "इमामे आ'ज़म رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه से मन्क़ूल दो रिवायतों में से असह़ रिवायत के मुत़ाबिक़ रोटी की बैअ़ गन्दुम और आटे के साथ कमी बेशी के साथ जाइज़ है, लोगों में जिस त़रह़ राइज हो ख़्वाह अज़ रूए अ़दद बैअ़ की जाए या अज़ रूए वज़्न, और कहा गया है कि हमारे उ़लमाए सलासा (या'नी इमामे आ'ज़म अबू ह़नीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़, इमाम मुह़म्मद رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُم) का येही ज़ाहिर मज़हब है, और इसी पर फ़तवा है : क्यूंकि रोटी बनावट की तब्दीली की वज्ह से मुख़्तलिफ़ जिन्स हो गई ।

इसी त़रह़ अगर कोई दो अश्या कि जिन की अस्ल एक हो मगर उन के मक़्सूद में तब्दीली आ जाए तो मुख़्तलिफ़ जिन्स शुमार की जाती हैं, मसलन दुम्बे का गोश्त और चकती और पेट की चर्बी कि इन में हर एक अ़लाह़िदा जिन्स है ।

www.dawateislami.net

जैसा कि इमाम सिराजुद्दीन उ़मर इब्ने नजीम ह़नफ़ी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه फ़रमाते हैं :

"صح أيضاً بيع (شحم البطن بالألية)مخففة(أو باللحم)
متفاضلاً؛لأنها وإن كانت كلها من الضأن إلّا أنها أجناس مختلفة
لاختلاف الأسماء والمقاصد"

("النهر الفائق"،كتاب البيوع، باب الربا،ج٣ ،ص ٤٧٨)

तर्जमा : "पेट की चर्बी को चकती की चर्बी और गोश्त के बदले में कमी बेशी के साथ बेचना भी जाइज़ है, क्यूंकि येह सब अश्या अगर्चे दुम्बे ही से हैं मगर नाम और मक़्सूद के मुख़्तलिफ़ होने की वज्ह से मुख़्तलिफ़ जिन्स हैं।"

चुनान्चे, इसी त़रह़ हर मुल्क की करन्सी की अस्ल तो काग़ज़ ही है मगर इन के नाम, सिफ़त और मक़ासिद के मुख़्तलिफ़ होने की वज्ह से मुख़्तलिफ़ अजनास हैं।

एक अहम मस्अला

चुनान्चे, जब येह बात वाज़ेह़ हो चुकी कि हर मुल्क की करन्सी एक अ़लाहिदा जिन्स है तो येह भी याद रहे कि फ़ी ज़माना राइज नोट फ़ुलूस (या'नी तांबे और पीतल के सिक्कों) के हुक्म में हैं। और क़वानीने शरइ़य्या की रोशनी में एक ही मुल्क के सिक्कों की आपस में कमी बेशी के साथ ख़रीदो फ़रोख़्त जाइज़ है, अलबत्ता ! उधार नाजाइज़ है। जैसा कि फ़िक़्हे ह़नफ़ी की मश्हूरो मा'रूफ़ किताब "**हिदाया शरीफ़**" में है :

"يجوز بيع الفلس بفلسَين بأعيانهما" ("الهداية"،كتاب البيوع ، باب الربا،الجزء الثالث ،ص ٦٣)

तर्जमा : "एक मुतअ़य्यन सिक्के की बैअ़ दो मुतअ़य्यन सिक्कों के साथ जाइज़ है।"

इसी त़रह़ "**कन्ज़ुद्दक़ाइक़**", **फ़त्हुल क़दीर**", "**इनाया**" "**किफ़ाया**", "**अल बह़रुर्राइक़**", **अन्नहरुल फ़ाइक़**", **अद्दुर्रुल मुख़्तार**", **त़ह़त़ावी अ़लद्दर**" और "**रद्दुल मुह़्तार**" में है।

www.dawateislami.net

बहर ह़ाल मज़्कूरए बाला इबारत में "मुतअ़य्यन" की क़ैद इस लिये लगाई है, कि हर मुल्क की करन्सी एक अ़लाह़िदा जिन्स (Species) है, चुनान्चे, जब एक ही मुल्क के नोटों का आपस में तबादला किया जाएगा तो क़दर (Dimension/Weight And Measurement) के न पाए जाने की वज्ह से कमी बेशी जाइज़, और जिन्स के पाए जाने की वज्ह से उधार नाजाइज़ होगा, क्यूंकि जब सूद की दो इ़ल्लतों या'नी जिन्स और क़दर में से कोई एक इ़ल्लत पाई जाए तो कमी बेशी ह़लाल और उधार नाजाइज़ होता है। जैसा कि शैख़ुल इस्लाम बुरहानुद्दीन इमाम अबुल ह़सन अ़ली बिन अबी बक्र मर्ग़ीनानी رَحْمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ फ़रमाते हैं :

"إذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النسأ مثل أن يسلم هروياًفي هروي أو حنطة في شعير"

("الهداية"،كتاب البيوع، باب الربا، الجزء الثالث، ص ٦٢)

तर्जमा : "अगर सूद की दोनों इ़ल्लतों में से कोई एक पाई जाए और दूसरी न पाई जाए तो ज़ियादती (कमी बेशी) जाइज़ है और उधार ह़राम है, जैसे कि हरात के बने हुवे कपड़े को हरात ही के कपड़े के इ़वज़ बेचे या गन्दुम को जव के बदले में।"

चुनान्चे, एक ही मुल्क के नोटों के आपस में तबादले के वक़्त क़दर के मफ़्क़ूद होने की वज्ह से कमी बेशी जाइज़ होगी, और जिन्स के पाए जाने की वज्ह से उधार नाजाइज़, मसलन दस रूपे के नोट को बीस रूपे या इस से कम या ज़ाइद में हाथों हाथ बेचना जाइज़ होगा। और अगर दो मुख़्तलिफ़ ममालिक की करन्सीज़ का आपस में तबादला किया जाए तो कमी बेशी भी जाइज़ है और उधार भी जाइज़ है, सिर्फ़ एक जानिब से क़ब्ज़ा काफ़ी है।

चुनान्चे, साह़िबे **"दुर्रे मुख़्तार"** इमाम अ़लाउद्दीन ह़स्कफ़ी رَحْمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ इस मस्अले की तफ़्सील बयान करते हुवे इरशाद फ़रमाते हैं :

"(باع فلوساً بمثلها أو بدراهم أو بدنانير،فإن نقد أحدهما جاز) و إن تفرقا بلا قبض أحدهما لم يجز"

("الدر المختار"،كتاب البيوع،باب الربا، ج ٧ ، ص ٤٣٣)

www.dawateislami.net

तर्जमा : ''अगर किसी ने फुलूस को फुलूस के इ़वज़ या दिरहमों या दीनारों के इ़वज़ बेचा पस इन में से किसी एक पर क़ब्ज़ा हो गया तो जाइज़ है, और अगर जानिबैन में से किसी एक पर भी क़ब्ज़ा न हुवा तो जाइज़ नहीं है।''

क्यूंकि नोट अ़ददी (गिन कर ख़रीदी और बेची जाने वाली चीज़) है और अ़ददी में कमी बेशी जाइज़ है كماقالوا ساداتنا الحنفية رحمهم الله تعالى

"لا ربا في معدودات" ("بدائع الصنائع"،كتاب البيوع،ربا النسيئة، ج٤،ص٤٠٤، ٤٠٦،ملخصاً)

या'नी ''शुमार कर के बेची जाने वाली अश्या में सूद नहीं होता।''

नीज़ मुख़्तलिफ़ मुमालिक के करन्सी नोट की जिन्सें मुख़्तलिफ़ होने की वज्ह से उन में उधार भी जाइज़ है, जैसा कि साहिबे **''हिदाया''** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه मज़ीद फ़रमाते हैं :

"وإذا عدم الوصفان الجنس و المعنى المضموم إليه حلّ التفاضل و النسأ"

("الهداية"،كتاب البيوع ، باب الربا ، الجزء الثالث ،ص ٦٢)

तर्जमा : ''और जब सूद की दोनों ही इ़ल्लतें या'नी जिन्स और क़दर न पाई जाएं तो कमी बेशी और उधार ह़लाल है।''

सुवालात मअ़ ख़ुलासए जवाबात

अब ज़ैल में सय्यिदी आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن से किये गए सुवालात और इन के जवाबात ख़ुलासे के त़ौर पर पेशे ख़िदमत हैं :

सुवाल नम्बर 1 : क्या येह नोट माल (Property) है या तह़रीरी इक़रार नामा (Stamp Paper) की त़रह़ कोई सनद (Cheque) है ?

जवाब : सय्यिदी आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه ने इस सुवाल के जवाब में किसी एन्साइक्लो पीडिया (Encyclopedia) या इकॉनोमिक्स की किताब का ह़वाला देने के बजाए ब ह़ैसिय्यते फ़क़ीह व

www.dawateislami.net

इमाम शैख़ुल इस्लाम फ़िक़्ही उसूल व क़वानीन की रोशनी में इरशाद फ़रमाया कि : "नोट की ह़क़ीक़त काग़ज़ का एक टुकड़ा है जो माले मुतक़व्विम (Valuable Property) है, और सिक्का (Currency)होने की वज्ह से लोगों की रग़बत इस की त़रफ़ बढ़ गई और येह ह़ाजत व ज़रूरत के वक़्त काम आने वाली और ज़रूरत के लिये संभाल कर रखी जाने वाली चीज़ हो गई । "**रद्दुल मुह़्तार**", "**बह़रुर्राइक़**" और "**तलवीह़**" में "**माल**" की येही ता'रीफ़ की गई है लिहाज़ा **नोट शरअ़न, अ़क़्लन और उ़र्फ़न "माल" है, न कि तमस्सुक या रसीद (Receipt) वग़ैरा ।**

चुनान्चे, अ़ल्लामा कमालुद्दीन अ़ब्दुल वाह़िद इब्ने हुमाम "**फ़त्ह़ुल क़दीर**" में फ़रमाते हैं : "لو باع كاغذة بألف يجوز و لا يكره"

(فتح القدير ، كتاب الكفالة ، ج ٦، ص ٣٢٤)

तर्जमा : "अगर कोई शख़्स अपने काग़ज़ का एक टुकड़ा हज़ार रूपे के बदले में बेचे तो येह ख़रीदो फ़रोख़्त बिला कराहत जाइज़ है ।"

बहर ह़ाल इस काग़ज़ के टुकड़े पर लिखाई वग़ैरा की वज्ह से इस की इतनी क़ीमत हो गई है और शरअ़न इस की मुमानअ़त भी नहीं, बल्कि "**क़ुरआने करीम**" में वाज़ेह़ दलील मौजूद है ।

﴿اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ (پ٥،النسآء: ٢٩)

तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : "मगर येह कि कोई सौदा तुम्हारी बाहमी रिज़ामन्दी का हो ।"

फिर आप عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ने वज़ाह़त फ़रमाई कि माल चार क़िस्म का होता है ।

1.....वोह अश्या जो हर ह़ाल में समन (Money) रहें, जैसे सोना, चांदी वग़ैरा ।

2.....वोह अश्या जो हर ह़ाल में मबीअ़ (Sold Thing) रहें, जैसे कपड़े और चोपाए वग़ैरा ।

www.dawateislami.net

3.....वोह अश्या जिन की ज़ात में (Infocus) कोई ऐसा वस्फ़ (Description) हो जिस की वज्ह से वोह चीज़ कभी समन कहलाती हो और कभी मबीअ़।

4.....वोह अश्या जो ह़क़ीक़तन मताअ़ (Chattel) हों और इस्तिलाह़न समन (Currency), जैसे पैसे कि जब तक इन का रवाज रहे समन हैं वरना अपनी अस्ल की त़रफ़ लौट जाएंगे।

और नोट इसी चौथी क़िस्म से है : क्यूंकि अस्ल में तो येह एक मताअ़ (Chattle) है और आ़म बोल चाल में समन है इसी लिये नोट के साथ तमस्सुक (Receipt) या वसीक़ा (Written Agreement) जैसा मुआ़मला नहीं, बल्कि समन का सा मुआ़मला किया जाता है।

बहर ह़ाल मौक़अ़ की मुनासबत से हम यहां "**फ़त्हुल क़दीर**" की मज़कूरए बाला इ़बारत से मुतअ़ल्लिक़ एक दिलचस्प वाक़िआ़ पेश करते हैं, मुलाह़ज़ा हो :-

4 सफ़र सिने 1324 हिजरी को सय्यिदी आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْه "किफ़्लुल फ़क़ीह" के मुबय्यज़ा (पहली मरतबा लिखी गई तह़रीर को तरतीब दिये जाने के बा'द) की प्रुफ़ रीडिंग के लिये कुतुब ख़ानए ह़रम में पहुंचे, देखा कि एक जय्यद आ़लिम मौलाना अ़ब्दुल्लाह बिन सिद्दीक़ मुफ़्तिये ह़नफ़िय्या बैठे "**किफ़्लुल फ़क़ीह**" के मुसव्वदे (First Copy) का मुत़ालआ़ कर रहे हैं।

जब वोह उस मक़ाम पर पहुंचे जहां आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ने "**फ़त्हुल क़दीर**" से येह इ़बारत नक़्ल फ़रमाई कि

"لو باع كاغذة بألف يجوز ولا يكره"(فتح القدير ، كتاب الكفالة ، ج ٦، ص ٣٢٤)

www.dawateislami.net

या'नी "अगर कोई शख़्स अपने काग़ज़ का टुकड़ा हज़ार रूपे में बेचे तो बिला कराहत जाइज़ है" तो फड़क उठे और अपनी रान पर हाथ मार कर बोले : "اَیْن جَمَالُ ابْنُ عَبْدِاللّٰہِ مِنْ ھٰذَا النَّصِّ الصَّرِیْح"

तर्जमा : "जमाल बिन अ़ब्दुल्लाह इस वाज़ेह़ दलील से कहां ग़ाफ़िल रह गया".....!

क्यूंकि जब गुज़श्ता ज़माने में ह़ज़रते मौलाना जमाल बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर मक्की عَلَیْہِ الرَّحْمَۃ मुफ़्तिये ह़नफ़िय्या थे तो उन से भी नोट के बारे में सुवाल हुवा था। उन्हों ने जवाब में लिखा कि "इ़ल्म उ़लमा की गर्दनों में अमानत है, मुझे इस के जुज़्इये (Detail) का कुछ पता नहीं चलता कि क्या हुक्म दूं।" मौजूदा मुफ़्तिये ह़नफ़िय्या मौलाना अ़ब्दुल्लाह बिन सिद्दीक़ का इशारा इन्हीं की जानिब था। (सवानहे़ इमाम अह़मद रज़ा, स. 314)

बहर ह़ाल अ़रब के उ़लमाए किराम رَحْمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ ने तो नोट की ह़क़ीक़त बयान करने से मा'ज़िरत कर के दियानत दारी का सुबूत दिया और ब क़ौले ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ली मुर्तज़ा کَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْھَہُ الْکَرِیْم कि "**ला अदरी**" या'नी मैं नहीं जानता कहना निस्फ़ इ़ल्म है कह कर लाइ़क़े तह़सीन हुवे। लेकिन मुख़ालिफ़ीन में से बा'ज को सय्यिदी आ'ला ह़ज़रत عَلَیْہِ الرَّحْمَۃ की दलाइल से मुज़य्यन व मुबर्रहन येह तह़क़ीक़े अनीक़ हज़्म नहीं हुई बल्कि नोट से मुतअ़ल्लिक़ पूछे गए सुवालात के जवाबात में तसरीह़ाते अइम्मा की मुख़ालफ़त कर के हुक्मे शरअ़ कुछ का कुछ कर दिया जिस का रोशन सुबूत देवबन्दी उ़लमा का सरख़ील मौलवी रशीद अह़मद गंगोही है, जो देवबन्दी ह़ज़रात के नज़दीक तमाम उ़लूमे दीनिय्या में मन्सबे इमामत पर फ़ाइज़, नीज़ फ़िक़्ह में अ़ल्लामा शामी رَحْمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ से भी ज़ियादा मुतबह़्ह़िर आ़लिम और साह़िबे "**बह़रुर्राइक़**" के हम पल्ला व फ़क़ीहुन्नफ़्स था। (येह सब दा'वे

www.dawateislami.net

"**फ़तावा रशीदिय्या**" के दीबाचे में तहरीर किये गए हैं) गंगोही मौसूफ़ से नोट के बारे में पूछे गए सुवालात में से दो के जवाबात मुलाहज़ा हों।

1.....नोट की ख़रीदो फ़रोख़्त बराबर क़ीमत पर भी दुरुस्त नहीं मगर इस में हीला हवाला हो सकता है और ब हीलए अक़्दे हवाला के जाइज़ है मगर कम ज़ियादा पर बैअ करना रिबा या'नी सूद और नाजाइज़ है।

("फ़तावा रशीदिय्या", स. 476)

2.....रूपिया भेजने की आसान तरकीब नोट की रजिस्ट्री या बीमा करा देना है। ("फ़तावा रशीदिय्या", स. 489)

मज़कूरए बाला किताब में गंगोही मौसूफ़ ने इसी तरह के मज़ीद और जवाबात भी दिये हैं जिन को शरीअते मुतहहरा से कुछ पास नहीं। الامان الحفیظ

सिने 1329 हिजरी में आ'ला हज़रत رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने "الذیل المنوط لرسالة النوط" के तारीख़ी नाम से एक मुस्तक़िल रिसाला जो "**किफ़लुल फ़क़ीह**" का ततिम्मा है लिखा, इस में गंगोही मौसूफ़ के मज़कूरा फ़तावा का जो कि तसरीहाते अइम्मा के ख़िलाफ़ हैं। कुतुबे हदीसिय्या व फ़िक़हिय्या मसलन "**तिर्मिज़ी**", "**निसाई**", "**अहमद**", "**हिदाया**", "**फ़त्हुल क़दीर**", "**इनाया**", "**आलमगीरी**", "**दुर्रे मुख़्तार**", "**बहरुर्राइक़**", नहरुल फ़ाइक़", "**शामी**", "**फ़तावा क़ाज़ी ख़ान**" वग़ैरा की रोशनी में वोह अठ्ठारह मुहक़्क़िक़ाना रद फ़रमाए कि अहले इल्म हज़रात की आंखें ठन्डी हो गईं और वोह **अल्लाह** तबारक व तआला का शुक्र बजा लाए कि उन्हें ऐसे ज़बरदस्त, मायानाज़, मुहक़्क़िक़ व फ़क़ीहे आ'ज़म के फ़ुयूज़ो बरकात से मुस्तफ़ीद होने का शरफ़ मिला।

www.dawateislami.net

अ़ल्लामा अ़ब्दुल ह़य्य साहि़ब लखनवी ने भी इस बारे में एक त़वील फ़तवा जारी किया था जो इन के फ़तावा की जिल्द दुवुम में छब्बीसवां फ़तवा है । मौसूफ़ एक मुतबह़्ह़िर आ़लिम थे लेकिन इन की तह़क़ीक़ (Research) इस बारे में अइम्मए किराम की तसरीह़ात के ख़िलाफ़ वाक़ेअ़ हुई, चुनान्चे, इल्मी ग़लति़यों से चश्म पोशी कर जाना एक मुजद्दिद की शान से बई़द है : क्यूंकि **अल्लाह** तबारक व तआ़ला शानहू मुजद्दिदे दीन को पैदा ही इस लिये करता है कि दीन में जब ग़लत़ बातें शामिल की जा रही हों तो मुजद्दिद **अल्लाह** रब्बुल इ़ज़्ज़त की मदद व नुस्रत से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाए ।

आ'ला ह़ज़रत قدس سره ने अ़ल्लामा अ़ब्दुल ह़य्य के फ़तवा पर दलाइल की रोशनी में मुह़क्क़िक़ाना अन्दाज़ से एक सौ बीस ए'तिराज़ात (Objections) पेश किये इन बुलन्द पाया इ़ल्मी को देख कर मुसन्निफ़ पर मुज्तहिद होने का गुमान गुज़रता है, लेकिन आप عَلَيْهِ الرَّحْمَة ने इस इन्आ़मे ख़ुदावन्दी का इज़हार यूं फ़रमाया : "وللہ الحمد बई़ हमा ह़ाशा न फ़क़ीर मुज्तहिद है न अइम्मए मुज्तहिदीन के अदना ग़ुलामों का पा संग, इन की ख़ाके ना'ल के बराबर भी मुंह नहीं रखता, न مَعَاذَالله शरए़ इलाही में अपनी अ़क़्ले क़ासिर के भरोसे पर कुछ बढ़ा सकता है । इस फ़तवा और इन दोनों रिसालों में जो कुछ है जहदुल मक़्ल है या'नी एक बे नवा मोह़ताज की अपनी ताक़त भर कोशिश ।"

सुवाल नम्बर 2 : जब नोट की मालिय्यत निसाबे ज़कात (Minimum Amount of Property Liable for paying Zakat) तक पहुंच जाए और इस पर साल भी गुज़र जाए तो नोट पर ज़कात फ़र्ज़ होगी या नहीं ?

जवाब : चूंकि बा'ज़ ह़ज़रात के नज़दीक नोट की हैसिय्यत रसीद की सी थी, लिहाज़ा इन के नज़दीक नोट पर ज़कात की अदाएगी भी वाजिब न थी :

www.dawateislami.net

क्यूंकि क़वानीने शरइय्या की रू से माल अगर किसी को क़र्ज़ दिया गया हो तो उस पर उस वक़्त तक ज़कात की अदाएगी वाजिब नहीं होती कि जब तक इस माल के पांचवें हिस्से पर क़ब्ज़ा न कर ले। चुनान्चे, इस मस्अले को ज़ेहन में रखते हुवे जवाब इरशाद फ़रमाया कि नोट में ज़कात अपनी शर्तों के साथ वाजिब है कि वोह ख़ुद क़ीमती माल (Valuable Property) है दस्तावेज़ या क़र्ज़ की रसीद नहीं कि जब तक निसाब का पांचवां हिस्सा क़ब्ज़े में न आए ज़कात देना वाजिब न हो, और नोट में निय्यते तिजारत की भी हाजत नहीं इस लिये कि फ़तवा इस पर है कि समने इस्तिलाही (Terminological Currency) जब तक राइज है ज़कात इस में वाजिब है। इस सुवाल से उस वहम का इज़ाला भी मक़्सूद था जो कि बा'ज़ लोगों के ग़लत फ़तवा की वज्ह से पैदा हो गया था वोह येह कि चूंकि नोट सोने चांदी की रसीद है इस लिये फ़क़ीर जब तक इन नोट को ख़र्च न कर ले ज़कात अदा न होगी और अगर बिल इत्तिफ़ाक़ फ़क़ीर के इस्ति'माल से पहले येह नोट फ़क़ीर से ज़ाएअ हो गए तो भी ज़कात अदा न होगी। लिहाज़ा इमामे अहले सुन्नत رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने वाज़ेह लफ़्ज़ों में फ़रमा दिया कि **नोट ख़ुद क़ीमती माल है, मुतलक़न फ़क़ीर को अज़ रूए तमलीक हवाले करना ज़कात की अदाएगी के लिये काफ़ी है।**

सुवाल नम्बर 3 : क्या इसे महर (Dower) में देना दुरुस्त है ?

जवाब : येह सुवाल इस लिये किया गया ताकि यक़ीनी तौर पर वाज़ेह हो जाए कि नोट माल है क्यूंकि शरई क़वानीन के मुताबिक़ महर में वोही चीज़ दी जा सकती है जो कि बैअ में समन बनने की सलाहिय्यत रखती हो, और बैअ में समन वोही चीज़ बन सकती है जो कि "**माल**" हो।

चुनान्चे, आप عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ने जवाबन इरशाद फ़रमाया कि "**नोट महर में दिया जा सकता है।**"

www.dawateislami.net

सुवाल नम्बर 4 : अगर कोई इसे महफ़ूज़ मक़ाम से चोरी करे तो उस का हाथ काटना वाजिब होगा या नहीं ?

जवाब : नोट की चोरी में हाथ काटा जाएगा जब कि हद जारी होने की दीगर शराइत भी पाई जाएं : क्यूंकि नोट "**माल**" है। येह सुवाल भी इसी लिये किया गया था कि नोट का "**माल**" होना मुतयक़्क़न हो जाए।

सुवाल नम्बर 5 : अगर कोई शख़्स किसी का नोट ज़ाएअ कर दे तो उस के बदले में नोट ही देना होगा या चांदी के रूपे भी दिये जा सकते हैं ?

जवाब : इस सुवाल से भी इस बात की वज़ाहत तलब करना मक़्सूद थी कि नोट रसीद है या समने इस्तिलाही ? क्यूंकि क़वानीने शरइय्या की रू से सिर्फ़ माल ही के ज़ाएअ करने पर तावान लाज़िम आता है, चुनान्चे, अगर नोट माल हुवा तो तावान होगा और सिर्फ़ रसीद या तमस्सुक हुवा तो तावान लाज़िम न होगा, नीज़ येह कि नोट की समनिय्यत चांदी की समनिय्यत की तरह है या इस से दरजे में कम है ? तो आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ने जवाबन इरशाद फ़रमाया कि "**कोई किसी का नोट ज़ाएअ (Destruction) कर दे तो उस के तावान (Penalty) में नोट ही देना लाज़िम आएगा, और ज़ाएअ करने वाले को ख़ास चांदी का रूपिया अदा करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा।**"

आ'ला हज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن के इस जवाब से येह बात वाज़ेह हुई कि "नोट के बदले नोट ही दिया जाएगा : क्यूंकि तावान की अदाएगी में येह बात तस्लीम शुदा है कि जब किसी चीज़ का मिस्ल (Similar Thing) दिया जाना मुमकिन हो तो उस की क़ीमत की तरफ़ फिरना जाइज़ नहीं, हां ! अगर मिस्ली चीज़ देने पर क़ादिर न हो तो उस का बदल भी दिया जाना जाइज़ है। चुनान्चे, मा'लूम हुवा कि चांदी नोट का बदल हो सकती है।"

सुवाल नम्बर 6 : क्या इस नोट को चांदी के रूपों या सोने की अशरफ़ियों या तांबे के पैसों के बदले में बेचना जाइज़ है ?

www.dawateislami.net

जवाब : चूंकि बा'ज़ लोगों के नज़दीक नोट माल न था, बल्कि येह तो सोने चांदी की रसीद थी, लिहाज़ा इस के ज़रीए से सोने चांदी की ख़रीदो फ़रोख़्त करना जाइज़ नहीं थी, जैसा कि हम ने इब्तिदाई सुतूर में इस बात को ज़िक्र किया है। लिहाज़ा इस सुवाल से लोगों के ग़लत फ़तवे की वज्ह से पैदा होने वाले वहम का इज़ाला मक़्सूद था, चुनान्चे, इमामे अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने न सिर्फ़ इस वहम का इज़ाला फ़रमाया बल्कि इस के इलावा वारिद होने वाले एक ए'तिराज़ का जवाब भी पेशगी दे दिया। वोह ए'तिराज़ कुछ इस तरह से है कि बेची जाने वाली शै के लिये ज़रूरी है कि वोह माल मुतक़व्विम हो और उस की कम अज़ कम क़ीमत एक पैसा हो, जब कि नोट में जो काग़ज़ इस्ति'माल होता है इस की क़ीमत एक पैसे के बराबर भी नहीं होती, लिहाज़ा नोट की ख़रीदो फ़रोख़्त दुरुस्त नहीं होनी चाहिये।

आप رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने इरशाद फ़रमाया कि **नोट से सोने की अशरफ़ियां और चांदी के सिक्के या 'नी दराहिम ख़रीदना जाइज़ है,** जैसा कि तमाम शहरों में इस पर अमल दर आमद है। और दूसरे ए'तिराज़ को चार तरीक़ों से रफ़्अ फ़रमाया।

अव्वल : इस के जवाब में इरशाद फ़रमाया कि शै की अस्ल मालिय्यत का ए'तिबार नहीं, बल्कि आज कल इस की जो क़ीमत है उस का ए'तिबार किया जाएगा। चुनान्चे, फ़रमाते हैं : अस्ल के लिहाज़ से अगर्चे वोह काग़ज़ का टुकड़ा वाक़ेई एक पैसे का भी नहीं, लेकिन इस्तिलाही तौर पर तो आज इस की मालिय्यत सौ या हज़ार रूपे की है, लिहाज़ा मौजूदा मालिय्यत को देखा जाएगा न येह कि अस्ल में क्या है ?

दुवुम : मिट्टी के बरतन मुसलमानों में बिकते और ख़रीदे जाते हैं इन की अस्ल मिट्टी है और मिट्टी माल नहीं।

www.dawateislami.net

सिवुम : ख़ुद धात के बने हुवे पैसे की जो मुरवज्जा क़ीमत है वोह इस की अस्ल के लिहाज़ से नहीं, यूं तो पैसे की ख़रीदो फ़रोख़्त भी जाइज़ नहीं रहती कि अस्ल के लिहाज़ से ख़ुद पैसे की क़ीमत भी एक पैसा नहीं है। **चहारुम :** आलिमे दीन की शरअन अक़्लन उर्फ़न ता'ज़ीम की जाती है हालांकि अस्ल में वोह भी दूसरे आदमियों की तरह बे ख़बर पैदा हुवा था।

मज़ीद बर आं "किफ़ाया", "**फ़त्हुल क़दीर**", "**रद्दुल मुहतार**", "**बहरुर्राइक़**", "क़शफ़े कबीर", "**तन्वीरुल अबसार**", "**कुनिया**", "ज़हीरिय्या", दुरर व ग़ुरर", "ग़ुनिय्या", "शुरुम्बुलाली", तहतावी" और "**दुर्रे मुख़्तार**" वग़ैरहा कुतुब से इस मस्अले का तसल्ली बख़्श और मुदल्लल जवाब दिया।

सुवाल नम्बर 7 : अगर नोट के इवज़ कपड़े ख़रीदे जाएं तो येह ख़रीदो फ़रोख़्त बैए मुतलक़ (Absolute sale) कहलाएगी या मुक़ायज़ा (Barter Sale) ?

जवाब : नोट समने इस्तिलाही है, तो कपड़े से इस का बदलना मुक़ायज़ा न होगा, **बल्कि बैए मुतलक़ होगा,** और ख़ास वोही नोट देना लाज़िम न आएगा, बल्कि पैसों की तरह ज़िम्मे पर लाज़िम होगा।

सुवाल नम्बर 8 : क्या इस नोट को बतौरे क़र्ज़ देना जाइज़ है ? अगर जाइज़ है तो अदाएगिये क़र्ज़ के वक़्त नोट ही वापस किये जाएंगे या चांदी के रूपे भी दिये जा सकते हैं ?

जवाब : नोट क़र्ज़ देना जाइज़ है, क्यूंकि नोट मिस्ली शै (Similar Thing) है, और इस की अदाएगी मिस्ली अश्या ही से की जाएगी, बल्कि हर क़र्ज़ अपनी मिस्ल ही से अदा किया जाता है। हां अलबत्ता ! अगर क़र्ज़ देते वक़्त शर्त न की गई थी, बल्कि **अदाएगी के वक़्त अदा करने वाले ने किसी और सूरत में अदाएगी करना चाही और लेने वाला भी राज़ी हो गया तो जाइज़ है।**

www.dawateislami.net

सुवाल नम्बर 9 : क्या करन्सी नोट को चांदी के रूपों के बदले में एक मुअ़य्यन मुद्दत तक के लिये उधार बेचना जाइज़ है ?

जवाब : नोट को चांदी के दराहिम के बदले में उधार बेचना जाइज़ है जब कि उसी मजलिस में नोट पर क़ब्ज़ा कर लिया जाए ताकि त़रफ़ैन दैन के बदले दैन बेच कर जुदा न हों

चुनान्चे, इस मौक़िफ़ पर सय्यिदी आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحمَةُ الرَّحْمٰن ने कुतुबे फ़िक़्हिय्या की रोशनी में ज़बरदस्त दलाइल दिये और इस मस्अले के मुतअ़ल्लिक़ पूरी फ़िक़्हे ह़नफ़ी का निचोड़ बयान कर के रख दिया, बहर ह़ाल इस सुवाल के जवाब में आप عَلَيْهِ رَحمَةُ الرَّحْمٰن ने जिस अन्दाज़ में दलाइल के अम्बार लगाए हैं वोह आप की फ़िक़्ही महारते ताम्मा का मुंह बोलता सुबूत हैं।

सुवाल नम्बर 10 : क्या इस नोट में **बैए़ सलम** (V. alivrer) जाइज़ है ?

जवाब : शरई उसूल व क़वानीन की रोशनी में समन में **बैए़ सलम** जाइज़ नहीं, क्यूंकि येह मुतअ़य्यन नहीं होते, और इसी वज्ह से सोना चांदी में भी **बैए़ सलम** जाइज़ नहीं है, और नोट भी समने इस्ति़लाह़ी हैं, लिहाज़ा इस ए'तिबार से इन में **बैए़ सलम** जाइज़ नहीं होनी चाहिये मगर सय्यिदी आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحمَةُ الرَّحْمٰن ने फ़रमाया कि **''नोट में बैए़ सलम जाइज़ है क्यूंकि जब इन की समनिय्यत बाति़ल कर दी जाए तो येह काग़ज़ के टुकड़े होने की वज्ह से मुतअ़य्यन हो जाएंगे,** हां अलबत्ता ! इमाम मुह़म्मद رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه से एक रिवायते नादिरा **''बह़र''** में इस के ख़िलाफ़ आई है।'' फिर आप عَلَيْهِ رَحمَةُ الرَّحْمٰن ने इस मौक़िफ़ पर भी **''हिदाया शरीफ़''**, **''फ़त्ह़ुल क़दीर''**, **''दुर्रे मुख़्तार''** और दीगर कुतुबे फ़िक़्हिय्या की रोशनी में बह़स की, नीज़ दलाइले अ़क़्लिय्या व नक़्लिय्या से इमामे आ'ज़म अबू ह़नीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا के इस्बात को इमाम मुह़म्मद رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه के इन्कार पर तरजीह़ दी, और साबित किया कि इस बाब में फ़तवा शैख़ैन رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا के क़ौल पर देना चाहिये।

www.dawateislami.net

सुवाल नम्बर 11 : क्या नोट को इस की मालिय्यत से कम या ज़ियादा क़ीमत के बदले बेचना जाइज़ है ? मसलन बारह का नोट दस या बीस के नोट के इवज़ बेचना ?

जवाब : नोट पर जितनी रक़म लिखी है इस से कम या ज़ियादा जितने पर भी ख़रीदने और बेचने वाले राज़ी हो जाएं, इस का बेचना जाइज़ है, इस लिये कि येह बात ब ख़ूबी वाज़ेह हो चुकी है कि नोटों का मख़्सूस क़ीमत से अन्दाज़ा करना सिर्फ़ लोगों की इस्तिलाह (Terminology) की वज्ह से पैदा हुवा है, या'नी सौ रूपे का नोट सिर्फ़ इस लिये सौ रूपे का कहलाता है कि उर्फ़े आम में इसे सौ रूपे के बराबर समझा जाता है और ख़रीदने और बेचने वाले पर कोई तीसरा ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, क्यूंकि उस तीसरे को इन दोनों पर कोई विलायत (Guardian Ship) हासिल नहीं, जैसा कि "**हिदाया**" और "**फ़त्हुल क़दीर**" के हवाले से गुज़र चुका कि बाएअ व मुश्तरी (Seller & Purchaser) को इख़्तियार है कि कम या ज़ियादा जितनी क़ीमत चाहें मुक़र्रर कर लें।

सय्यिदी आ'ला हज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن के बयान कर्दा मस्अले से बा'ज़ को सूद (Usury) का इश्तिबा हो सकता था चुनान्चे, आप عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ने इस मस्अले की भी वज़ाहत फ़रमा दी कि सूद की दो इल्लतें (Causes) हैं, एक जिन्स और दूसरी क़दर (या'नी किसी चीज़ का मकीली या'नी नाप कर बिकना या मौज़ूनी या'नी वज़्न से बिकना), अगर किसी चीज़ के किसी दूसरी चीज़ से तबादले में क़दर (Dimension) और जिन्स (Species) दोनों यक्सां हों तो कमी बेशी और उधार दोनों हराम। और अगर जिन्स व क़दर में से कोई एक इल्लत पाई जाए तो कमी बेशी हलाल और उधार हराम, और नोट की नोट से ख़रीदो फ़रोख़्त में सूद की दो इल्लतों में से सिर्फ़ एक इल्लत या'नी जिन्स पाई जाती है, लिहाज़ा कमी बेशी जाइज़ और उधार नाजाइज़ है।

चुनान्चे, आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने कसीर कुतुबे फ़िक़्हिय्या की रोशनी में नोट का कम और ज़ियादा पर बेचना जाइज़ साबित किया और मौलाना

www.dawateislami.net

अ़ब्दुल ह़य्य साहिब लखनवी का फ़तवा जो इस के ख़िलाफ़ था उस की इस्लाह़ फ़रमाई। और आगे चल कर क़वानीने शरइ़य्या की रोशनी में ऐसे छे शरई ह़ीले (Stratagems) बयान किये कि जिन पर अ़मल कर के कसीर मनाफ़ेअ़ ह़ासिल किये जा सकते हैं और सूद से भी बचा जा सकता है। चुनान्चे, अगर फ़ुक़हाए किराम के बयान कर्दा उन त़रीक़ों पर हमारे अरबाबे ह़ल व अ़क़्द तवज्जोह फ़रमा लें तो आज निहायत आसानी से बेंकिंग के निज़ाम को शरीअ़ते मुत़ह्हरा के ऐन मुत़ाबिक़ ज़ियादा मनाफ़ेअ़ बख़्श बनाया जा सकता है।

सुवाल नम्बर 12 : क्या येह सूरत कि ज़ैद जब अ़म्र से क़र्ज़ लेना चाहे तो अ़म्र कहे कि चांदी के रूपे तो मेरे पास नहीं अलबत्ता दस का नोट चांदी के बारह रूपों के इ़वज़ तुझे एक साल तक क़िस्तों (Instalment) पर बेचता हूं इस शर्त पर कि तुम हर महीने मुझे एक रूपिया बत़ौरे क़िस्त अदा करोगे जाइज़ है ? या फिर येह सूरत सूद का ह़ीला होने की वज्ह से मन्अ़ है, और अगर येह सूरत जाइज़ है तो इस में और सूद में क्या फ़र्क़ है कि येह ह़लाल और वोह ह़राम है, ह़ालांकि दोनों से मक़्सूद (Intended) ज़ाइद माल का ह़ुसूल है।

जवाब : मज़्कूरा सुवाल का जवाब देते हुवे सय्यिदी आ'ला ह़ज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن इरशाद फ़रमाते हैं : **''अगर दोनों ह़क़ीक़तन बैअ़ ही की निय्यत से लैन दैन करें और क़र्ज़ की निय्यत न करें तो येह सूरत जाइज़ है, नीज़ इस सूरत में कमी बेशी और मुद्दते मुअ़य्यना (Term) तक उधार भी जाइज़ है।''** क्यूंकि नोट काग़ज़ की जिन्स से है और रूपे चांदी की जिन्स से, चुनान्चे, दोनों की जिन्सें मुख़्तलिफ़ हुईं और इन में क़दर भी मुश्तरक नहीं, क्यूंकि दोनों ही गिन कर बिकने वाली चीज़ें हैं, और गिन कर बिकने वाली अश्या में सूद नहीं होता, जैसा कि शुरूअ़ में तफ़्सील से बयान किया जा चुका है लिहाज़ा इन दोनों के तबादले में कमी

www.dawateislami.net

बेशी और उधार दोनों ही जाइज़ हैं । जैसा कि हम इन सब बातों की तह़क़ीक़ बयान कर आए और क़िस्त़बन्दी भी एक क़िस्म की मुद्दते मुअ़य्यन करना ही है येह भी जाइज़ है ।

हां.....! **अगर दस का नोट क़र्ज़ दिया और शर्त़ कर ली कि क़र्ज़ लेने वाला बारह या ग्यारह रूपे अब या कुछ मुद्दत बा'द क़िस्त़बन्दी से या बिला क़िस्त़ वापस दे तो येह ज़रूर ह़राम और सूद है ।** क्यूंकि येह एक क़र्ज़ है जिस से नफ़्अ़ ह़ासिल किया गया । और बेशक हमारे रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि :

((كل قرض جر منفعة فهو ربا))

तर्जमा : "जो क़र्ज़ कोई नफ़्अ़ खींच कर लाए वोह सूद है ।"

(كنز العمال ، كتاب الدين والسلم ،رقم الحديث:١٥٥١٢، ج٦ ،ص ٩٩)

गोया इस सूरत में तिजारत जाइज़ और क़र्ज़ नाजाइज़ है ।

इस के बा'द कुतुबे ह़दीसिय्या व फ़िक़्हिय्या की रोशनी में इमामे आ'ज़म अबू ह़नीफ़ा और साह़िबैन رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُم के नज़रियात वाज़ेह़ फ़रमाए और हर पहलू से मस्अले की ह़क़ीक़त को रोशन कर दिखाया । सूद की ह़दबन्दी कर के जाइज़ त़रीक़ों पर नफ़्अ़ ह़ासिल करने की सूरतें भी तह़रीर फ़रमा दीं और इस ए'तिराज़ "तो इस में और सूद में क्या फ़र्क़ है कि येह ह़लाल और वोह ह़राम है ?" का जवाब भी इरशाद फ़रमा दिया ।

अब आइये ! **सय्यिदी आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, इमाम अह़मद रज़ा ख़ान** عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن के इस **मुबारक रिसाले "كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم"** का तर्जमा बनाम **"करन्सी नोट के शरई अह़कामात"** मुलाह़ज़ा फ़रमाएं ।

शो'बा कुतुबे आ'ला ह़ज़रत

अल मदीनतुल इल्मिय्या

www.dawateislami.net

كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم

सुवाल : "**अल्लाह** तआ़ला आप की उ़म्र दराज़ फ़रमाए" करन्सी नोट के बारे में आप क्या फ़रमाते हैं ? इस से मुतअ़ल्लिक़ चन्द बातें दरयाफ़्त करनी हैं ।

1. क्या येह नोट माल (Property/ Money) है या तह़रीरी इक़रार नामे की त़रह़ कोई सनद ?

2. जब नोट की मालिय्यत निसाबे ज़कात (Minimum Amount of Property Liable for paying Zakat) तक पहुंच जाए और इस पर साल भी गुज़र जाए तो नोट पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं ?

3. क्या इसे महर में देना दुरुस्त है ?

4. अगर कोई इसे महफ़ूज़ जगह से चोरी करे तो उस का हाथ काटना[1] वाजिब होगा या नहीं ?

5. अगर कोई शख़्स किसी का नोट ज़ाएअ़ कर दे तो इस के बदले में नोट ही देना होगा या चांदी के रूपे[2] भी दिये जा सकते हैं ?

6. क्या इस नोट को चांदी के रूपों या सोने की अशरफ़ियों या तांबे के पैसों के बदले में बेचना जाइज़ है ?

7. अगर नोट के इवज़ कपड़े ख़रीदे जाएं तो येह ख़रीदो फ़रोख़्त बैए मुत़लक़[3] होगी या मुक़ायज़ा[4] ?

---

1 .....अगर कोई शख़्स दस दिरहम के बराबर या इस से ज़ाइद क़ीमत की शै किसी महफ़ूज़ मक़ाम से चोरी करे तो शरीअ़त में उस का हाथ काटने का हुक्म है । इस की तफ़्सील कुतुबे फ़िक़्ह में मुलाह़ज़ा फ़रमाएं ।

2 .....उस ज़माने में रूपे चांदी से, अशरफ़ियां सोने और पैसे उ़मूमन तांबे वग़ैरा से बनाए जाते थे ।

3 ...."बैए मुत़लक़" उस बैअ़ को कहते हैं जिस में रूपे पैसे के बदले कोई सामान वग़ैरा ख़रीदा या बेचा जाता है ।

4 ...."मुक़ायज़ा" उस बैअ़ को कहते हैं जिस में रूपे अशरफ़ी नहीं बल्कि एक सामान के इवज़ दूसरा सामान ख़रीदा या बेचा जाता है ।

www.dawateislami.net

8. क्या इस नोट को बतौ़रे क़र्ज़ देना जाइज़ है ? अगर जाइज़ है तो अदाएगिये क़र्ज़ के वक़्त नोट ही वापस किये जाएंगे या चांदी के रूपे भी दिये जा सकते हैं ?

9. क्या करन्सी नोट को चांदी के रूपों के बदले में एक मुअ़य्यन मुद्दत तक के लिये बतौ़रे क़र्ज़ बेचना जाइज़ है ?

10. क्या इस नोट में **बैए़ सलम**[1] जाइज़ है ?

11. क्या नोट को इस की मालिय्यत से कम या ज़ियादा क़ीमत के बदले बेचना जाइज़ है, मसलन बारह का नोट दस या बीस के नोट के इ़वज़ बेचना ?

12. जब एक शख़्स ज़ैद दूसरे शख़्स अ़म्र से क़र्ज़ लेना चाहे तो अ़म्र कहे कि चांदी के रूपे तो मेरे पास नहीं अलबत्ता ! दस का नोट चांदी के बारह रूपों के इ़वज़ तुझे एक साल तक के लिये क़िस्तों (Instalment) पर बेचता हूं, इस शर्त पर कि तुम हर महीने मुझे चांदी का एक रूपिया बतौ़रे क़िस्त़ अदा करोगे तो क्या येह सूरत जाइज़ है ? या फिर येह सूरत सूद का ह़ीला होने की वज्ह से मन्अ़ है ? और अगर येह सूरत जाइज़ है तो इस में और सूद में क्या फ़र्क़ है कि येह ह़लाल और सूद ह़राम ? ह़ालांकि दोनों से मक़्सूद ज़ाइद माल का हुसूल है । हमें जवाब अ़त़ा फ़रमा कर बरोज़े क़ियामत अज्र ह़ासिल कीजिये ।

1....ख़रीदो फ़रोख़्त में अगर क़ीमत पहले अदा कर दी जाए और सामान कुछ मुद्दत बा'द दिया जाए उसे "**बैए़ सलम**" कहते हैं ।

www.dawateislami.net

अल जवाब

اللھم لک الحمد یا و ھاب

इलाही हमारे सरदार صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم जो तेरी त़रफ़ बहुत ही रुजूअ़ करने वाले हैं उन पर और उन की आल व अज़्वाजे मुत़ह्हरात और तमाम सह़ाबए किराम पर रह़मत और सलामती नाज़िल फ़रमा, मैं तुझ से ह़क़ और दुरुस्ती की रहनुमाई का सुवाल करता हूं।

ऐ सुवाल करने वाले (अल्लाह तआ़ला हम दोनों को तौफ़ीक़ अ़त़ा फ़रमाए और हमारी रहनुमाई फ़रमाए) येह जान लो कि नोट निहायत जदीद और नई चीज़ (New Invention) है, तुम्हें उ़लमाए किराम की कुतुब में इस का ज़िक्र भी नहीं मिलेगा, यहां तक कि माज़ी क़रीब के फ़क़ीह अ़ल्लामा (The Religious Lawyer of Islam) इब्ने आ़बिदीन शामी رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه और इन के हम अ़स्र उ़लमा की कुतुब भी नोट के ज़िक्र से ख़ाली हैं मगर अल्लाह तआ़ला हमारे उन अइम्मए किराम رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُم की मह़नत क़बूल फ़रमा कर हमें उन की बरकतों से फ़ैज़याब फ़रमाए जिन्हों ने इस दीने इस्लाम के मसाइल काफ़ी तफ़्सील से बयान फ़रमा दिये हैं, और अब येह शरीअ़त इस क़दर रोशन हो चुकी है कि इस की रात भी दिन की त़रह़ रोशन है। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ उ़लमाए किराम ने ऐसे क़वाइ़द (Rules) तरतीब दिये हैं जिन के ज़रीए़ से बे शुमार मुख़्तलिफ़ नोइय्यतों के मसाइल के शरई अह़काम मा'लूम किये जा सकते हैं, अगर्चे नई ईजादात का सिलसिला

www.dawateislami.net

जारी रहेगा, मगर इन के शरई अह्काम उन अह्कामात के दाइरे से बाहर न निकलेंगे जो हमें अइम्मए किराम से ह़ासिल हुवे, और अगर **अल्लाह** ने चाहा तो हर दौर में ऐसे उ़लमा मौजूद होंगे जिन्हें **अल्लाह** तआ़ला किताब व सुन्नत और अइम्मा के बनाए हुवे क़वाइ़द से नई पैदा शुदा चीज़ों के शरई अह्कामात निकालने (Extraction) की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाएगा।

बा'ज़ लोग ज़ेह्न के तेज़ होते हैं और बा'ज़ कुन्द ज़ेह्न होते हैं और इन्सान कभी ग़लती करता है कभी दुरुस्ती (Accuracy) तक पहुंचता है और इ़ल्म तो उसी नूर का नाम है जिसे **अल्लाह** तआ़ला अपने जिस बन्दे के दिल में चाहे डाल दे, इस लिये **अल्लाह** तआ़ला से तौफ़ीक़ और हिदायत त़लब करना निहायत ज़रूरी है और हमें **अल्लाह** काफ़ी है और वोह क्या ही अच्छा कारसाज़ है, हमें उस पर और फिर उस के रसूल صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم पर भरोसा है।

और बेशक **अल्लाह** तबारक व तआ़ला बुज़ुर्ग व बरतर और ख़ूब करम फ़रमाने वाला है, **अल्लाह** तआ़ला अपने ह़बीब صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم पर रह़मत नाज़िल फ़रमाए....!

मैं **अल्लाह** तआ़ला की तौफ़ीक़ से कहता हूं : क्यूंकि उसी की तौफ़ीक़ से तह़क़ीक़ की बुलन्दियों तक पहुंचना मुमकिन है कि आप का पहला सुवाल आप के तमाम सुवालात की अस्ल व बुन्याद (Base) है : क्यूंकि जब नोट की ह़क़ीक़त आश्कार हो जाएगी तो इस से मुतअ़ल्लिक़ तमाम अह्काम भी वाज़ेह़ हो जाएंगे।

www.dawateislami.net

नोट की ह़क़ीक़त का बयान

करन्सी नोट की ह़क़ीक़त तो येह है कि येह काग़ज़ का एक टुकड़ा है, और काग़ज़ एक क़ीमत वाला माल है, और इस पर मोहर लगने की वज्ह से लोग इस की त़रफ़ माइल हो गए, और इसे ज़रूरत के वक़्त के लिये जम्अ़ कर के रखने लगे।

और माल की ता'रीफ़ (Defination) भी येही है कि "लोग इस की त़रफ़ माइल हों और इसे ज़रूरत के वक़्त के लिये जम्अ़ कर के रखना मुमकिन हो," जैसा कि फ़िक़्ह की मो'तबर कुतुब "**बह़रुर्राइक़**" और "**फ़तावा शामी**"[1] वग़ैरहुमा में है।

("ردّ المحتار"، كتاب البيوع، مطلب: في تعريف المال والملك المتقوم، ج٧، ص٨،)

नीज़ येह बात तो सब को मा'लूम है कि शरीअ़ते मुत़ह्हरा ने जिस त़रह़ मुसलमानों को शराब और ख़िन्ज़ीर से नफ़्अ़ उठाने से मन्अ़ किया है इस त़रह़ से काग़ज़ के टुकड़ों से अपनी मरज़ी के मुत़ाबिक़ नफ़्अ़ उठाने से मन्अ़ नहीं किया, और किसी चीज़ के क़ीमत वाले माल होने का दारो मदार इसी बात पर है कि शरीअ़ते मुत़ह्हरा ने उस से नफ़्अ़ उठाने से मन्अ़ न किया हो, जैसा कि "**फ़तावा शामी**" में है।

---

1 ...."**फ़तावा शामी**" अ़ल्लामा इब्ने आ़बिदीन शामी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه की गिरां क़दर तस्नीफ़ है जो कि "**रद्दुल मुह़्तार**" के नाम से मौसूम है।

www.dawateislami.net

माल की ता'रीफ़

इसी "**फ़तावा शामी**" में उसूले फ़िक़्ह की मो'तबर किताब "तल्वीह़" के ह़वाले से लिखा है कि "माल वोह चीज़ है जिसे वक़्ते ह़ाजत के लिये जम्अ़ किया जाए और माल के लिये इस का क़ीमत वाला होना ज़रूरी है ।"

("ردّ المحتار"، كتاب البيوع، مطلب: في تعريف المال والملك المتقوم، ج٧، ص٨،)

और इसी "**फ़तावा शामी**" में "**बह्रुर्राइक़**" और "**अल ह़ावियुल कुदसी**" के ह़वाले से मन्क़ूल है कि "आदमी के इ़लावा हर वोह चीज़ माल कहलाती है जिसे आदमी के फ़ाइदे के लिये पैदा किया गया हो और उसे ह़िफ़ाज़त से रखा जाना मुमकिन हो और आदमी उसे अपनी मरज़ी से इस्ति'माल कर सके ।"

("ردّ المحتار"،كتاب البيوع، مطلب: في تعريف المال والملك المتقوم، ج٧،ص٨،)

नोट का जुज़्इय्या

मुह़क़्क़िक़् अ़लल इत़्लाक़् अ़ल्लामा इब्नुल हुमाम "**फ़त्हुल क़दीर**"[1] में फ़रमाते हैं कि "अगर कोई अपने काग़ज़ का एक टुकड़ा हज़ार रूपे में बेचे तो येह बैअ़ बिला कराहत जाइज़ है ।"

("فتح القدير"، كتاب الكفالة، قبيل فصل في الضمان، ج٦، ص٣٢٤)

1....फ़िक़्हे ह़नफ़ी की मश्हूर किताब "**हिदाया**" की शर्ह़ ।

www.dawateislami.net

और अगर तह़क़ीक़ी नज़र से देखा जाए तो बज़ाते ख़ुद येही क़ौल करन्सी नोट की अस्ल है[1] जिसे इमाम इब्ने हुमाम رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ ने नोट ईजाद होने से 500 साल पहले ही पेश फ़रमा दिया था, और नोट भी तो काग़ज़ का वोही टुकड़ा है जो हज़ार रूपे में बिकता है और येह कोई ह़ैरत की बात नहीं, ऐसी करामात (Miracles) तो हमारे उ़लमाए किराम رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام से सादिर होती ही रहती हैं, अल्लाह तआ़ला हमें दुन्या व आख़िरत में उन की बरकात से फ़ैज़याब फ़रमाए.....! आमीन.....!

इस में तो कोई शक नहीं कि नोट ब ज़ाते ख़ुद एक क़ीमत वाला माल है इस की ख़रीदो फ़रोख़्त होती है, और इसे हिबा (Donate/Gift) किया जाता है, और नोट में विरासत (Inheritance) भी जारी होती है, नीज़ माल के तमाम अह़कामात भी इस पर जारी होते हैं।

नोट के रसीद होने का मत़लब

मैं कहता हूं कि येह गुमान बिल्कुल ग़लत़ है कि नोट तह़रीरी इक़रार नामे की त़रह़ कोई **रसीद** है। **रसीद** का मत़लब येह है कि जो गवर्नमेन्ट इसे राइज करती है वोह नोट लेने वालों से (सोना या चांदी) के रूपे क़र्ज़ लेती है, और उन्हें सुबूत के त़ौर पर क़र्ज़ की मालिय्यत के नोट दे देती है और जब वोह लोग गवर्नमेन्ट को नोट वापस कर दें तो गवर्नमेन्ट उन का क़र्ज़ वापस अदा कर देती है, और अगर येह लोग अ़वाम में से

1....या'नी इसी इरशाद से करन्सी नोट के शरई हुक्म का पता चल जाता है।

www.dawateislami.net

किसी को येह नोट दे दें तो गवर्नमेन्ट इन दूसरों से क़र्ज़ ले कर इन पहले लोगों का क़र्ज़ अदा कर देती है, तो वोह लोग उन दूसरों को बत़ौरे सुबूत येह नोट दे देते हैं ताकि वोह इन नोटों के ज़रीए से मक़रूज़ गवर्नमेन्ट से अपना क़र्ज़ वुसूल कर सकें। इसी त़रह़ से क़र्ज़ जितने लोगों के हाथों में जाएगा क़र्ज़ और रसीद का तकरार (Repetition) होता रहेगा, नोट के रसीद होने के तो येही मा'ना हैं।

ह़ालांकि एक समझदार बच्चा भी येह बात जानता है कि जो लोग नोट का लैन दैन करते हैं उन में से किसी के दिल में इन बातों का ख़याल तक नहीं आता, और न ही कभी इस लैन दैन से क़र्ज़ या तह़रीरी इक़रार नामे का इरादा करते हैं, नीज़ आप ने किसी भी ऐसे शख़्स को नहीं देखा होगा जो लोगों को क़र्ज़ देता हो और अपने क़र्ज़ के रजिस्टर में उस शख़्स का नाम लिखे जिस ने नोट दे कर उस से चांदी के रूपे वुसूल किये हों, और अपनी ज़िन्दगी भर में उस से येह कहा हो कि तुम मेरा क़र्ज़ अदा कर के अपनी रसीद मुझ से वुसूल कर लो, और न ही किसी ऐसे शख़्स को देखा होगा जो लोगों का मक़रूज़ हो और अपने रजिस्टर में उस शख़्स का नाम लिखता हो जिसे नोट दे कर उस ने रूपे वुसूल किये हों, और मरते वक़्त कहता हो कि फुलां का मुझ पर इतना क़र्ज़ है, उसे अदा कर के मेरी रसीद उस से वापस ले लेना।

वोह ज़ालिम व बे बाक लोग जो ए'लानिय्या सूद खाते हैं और क़र्ज़ वुसूल होने तक सूद की माहवार शरह़ मुक़र्रर किये बिग़ैर किसी को एक

www.dawateislami.net

रूपिया भी क़र्ज़ नहीं देते, वोह लोग भी नोट ले कर चांदी का रूपिया देते हैं और इस पर एक पैसा भी ज़ाइद नहीं मांगते, न महीने के बा'द और न ही साल के बा'द। अगर वोह इसे क़र्ज़ समझते तो ज़ाइद रक़म वुसूल करना हरगिज़ न छोड़ते।

पस ह़क़ येह है कि सब लोग नोट से लैन दैन और ख़रीदो फ़रोख़्त ही का क़स्द करते हैं, नोट देने वाला यक़ीनन जानता है कि मैं रूपे ले कर नोट अपनी मिल्क (Ownership) से ख़ारिज कर चुका हूं, और नोट लेने वाला यक़ीनन जानता है कि मैं रूपे दे कर नोट का मालिक (Owner) हो गया, और वोह शख़्स नोट को रूपों, अशरफ़ियों और पैसों की त़रह़ अपना माल और पूंजी (Wealth) समझता है, और इसे जम्अ़ कर के रखता है, और हिबा करता है, और इस के बारे में वसिय्यत (Will) करता है, और इसे सदक़ा करता है, और लोग इसे ख़रीदो फ़रोख़्त ही समझते हैं, और तिजारत ही का क़स्द करते हैं।

येह एक त़ै शुदा उसूल है कि लोगों के मुआ़मलात में उन की निय्यतों का ए'तिबार होता है क्यूंकि आ'माल का दारो मदार निय्यतों ही पर है, और हर शख़्स के लिये वोही है जिस की वोह निय्यत करे।

("صحيح البخاري"، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ،رقم الحديث: ١، ج١، ص٦)

लिहाज़ा साबित हुवा कि लोगों के नज़दीक नोट एक क़ीमत वाला माल है, इसे ह़िफ़ाज़त से रखा और जम्अ़ किया जाता है, और लोग इस की त़रफ़ माइल होते हैं, इस की ख़रीदो फ़रोख़्त होती है, और इस पर क़ीमत वाले माल के तमाम अह़काम नाफ़िज़ होते हैं।

www.dawateislami.net

करन्सी नोट की आ'ला क़ीमतों का बयान

जहां तक नोट की आ'ला क़ीमतों का तअ़ल्लुक़ है, मसलन एक काग़ज़ का टुकड़ा दस रूपे का, दूसरा सौ रूपे और तीसरा हज़ार का, तो मैं इस के बारे में येह कहूंगा कि हम "**फ़त्हुल क़दीर**" के ह़वाले से बयान कर चुके हैं कि "काग़ज़ का एक टुकड़ा हज़ार रूपे में बेचा जा सकता है और इस के जाइज़ होने के लिये फ़क़त ख़रीदार और फ़रोख़्त कुनिन्दा का राज़ी होना ही काफ़ी है" फिर नोट के तो क्या कहने के जिस के त़रीक़ए इस्ति'माल पर तमाम लोग राज़ी हों, और काग़ज़ के इन टुकड़ों की येह क़ीमत अपनी इस्ति़लाह़ में मुक़र्रर कर लें, नीज़ गवर्नमेन्ट स्टेम्प शरए़ मुत़ह्हर के नज़दीक भी क़ाबिले क़द्र है, क्या आप नहीं देखते कि अगर किसी शख़्स ने मोहर वाले चांदी के दस रूपे (Old Currency) चुराए तो उस का हाथ काटा जाएगा, ह़ालांकि अगर कोई शख़्स दस दिरहम के वज़्न के बराबर चांदी जिस पर मोहर न लगी हो और उस की क़ीमत दस दिरहम से कम हो चोरी करे तो उस का हाथ नहीं काटा जाएगा[1] जैसा कि "**हिदाया**" और आ़म्मह कुतुब में इस पर दलील मज़कूर है।

("الهداية" شرح في "بداية المبتدي"، كتاب السرقة، ج٢، ص٣٦٢)

1....गोया दिरहमों में मौजूद चांदी जो दर अस्ल 10 दिरहम से कम की है लेकिन मोहर लगने से उस कम क़ीमत चांदी की क़ीमत दस दिरहम मान ली गई, इसी त़रह़ काग़ज़ के एक टुकड़े की क़ीमत बिलफ़र्ज़ एक रूपिया है लेकिन इस पर मोहर लगने से इस की क़ीमत 1000 रूपे मान ली जाए तो येह दुरुस्त है और अब शरअ़ के नज़दीक भी इस की क़ीमत 1000 रूपे होगी, या'नी चांदी की क़ीमत तो दस दराहिम से कम है लेकिन उस का वज़्न दस दिरहमों के बराबर है। तो अगर इस पर मोहर (Stamp) न लगी हो तो इसे चुराने वाले का हाथ नहीं काटा जाएगा और अगर मोहर हो तो चूंकि मोहर की वज्ह से इस की क़ीमत दस दिरहमों के बराबर हो जाएगी, लिहाज़ा इसे चुराने वाले का हाथ काटा जाएगा : क्यूंकि शरए़ मुत़ह्हर में कम अज़ कम दस दिरहम या इस की मालिय्यत के बराबर शै चुराने पर हाथ काटा जाता है।

www.dawateislami.net

इसी त़रह़ से एक रूपे (One Rupee of Silver) में मोहर वाले जितने पैसे (Stamped Coins) होते हैं अगर तुम उन के वज़्न के बराबर तांबा तोलो, तो वोह हरगिज़ एक रूपे की क़ीमत का नहीं होगा, बल्कि बा'ज़ अवक़ात तो वोह तांबा अठन्नी (Coin of 50 paisa) की क़ीमत का भी नहीं होता, और तुम चांदी के सिक्कों में भी ऐसा तजरिबा कर सकते हो। कुछ अ़र्से पहले हमारे मुल्क में चांदी के दो रूपे की हम वज़्न चांदी एक रूपे में बिकती थी और जाहिल लोग उस में पाए जाने वाले सूद के वबाल को फ़रामोश कर के चांदी ख़रीदते थे,[1] जब मोहर लगने से चांदी की क़ीमत दुगनी हो गई तो अब दुगनी और चार गुना ज़ियादती सब बराबर है, और येह बात भी हर अ़क़्ले सलीम रखने वाले पर ज़ाहिर है कि बा'ज़ अवक़ात कोई ह़क़ीर शै किसी वस्फ़ या इज़ाफ़ी ख़ूबी की बिना पर अपने जैसी हज़ारों चीज़ों से महंगी और ज़ियादा क़ीमती हो जाती है, जैसा कि बारहा ऐसा हुवा कि किसी कनीज़ को दो लाख से ज़ाइद क़ीमत में ख़रीदा गया और दूसरी कनीज़ को कोई चांदी के 30 रूपों में भी ख़रीदने को तय्यार नहीं, ह़ालांकि शरअ़ में औसाफ़ की क़ीमत नहीं होती बल्कि ज़ात (Infocus) की होती है, यहां तक कि अगर कनीज़ के हाथ पाउं जान बूझ कर हलाक न किये जाएं तो वोह समन (Cost) ज़ात ही का है जिस समन को रग़बतें बढ़ने के सबब औसाफ़ ने बढ़ा दिया है।

---

1 ....अगर चांदी को चांदी के बदले और सोने को सोने के बदले बेचा जाए तो ज़रूरी है कि दोनों वज़्न में बराबर हों अगर वज़्न में कमी बेशी होगी तो शरीअ़त में सूद (Usury) शुमार होगी।

www.dawateislami.net

किताबत (Writting) माल नहीं

(अब मुसन्निफ़ عَلَيْهِ الرَّحْمَة अपने इस दा'वा पर दलील बयान कर रहे हैं दा'वा येह है कि किसी शै में अगर कोई ख़ूबी पैदा हो जाए तो अस्ल शै की क़ीमत बढ़ जाती है, चुनान्चे, काग़ज़ के टुकड़े पर जब (Stamp) लग गई तो इस की क़ीमत कभी सौ, कभी हज़ार रूपे तक होगी) चलिये येह बताइये कि अगर किसी काग़ज़ पर एक नादिर व नायाब इल्म (Rare Knowledge) लिखा हो और कोई इस इल्म का क़द्रदान, इस का तलबगार हो, वोह उस काग़ज़ को दस हज़ार रूपे में ख़रीदे, तो क्या उस ने कोई ख़िलाफ़े शरअ़ काम किया ? हरगिज़ नहीं, बल्कि जाइज़ व हलाल तरीक़े के मुताबिक़ अ़मल किया, और येह बात क़ुरआने अ़ज़ीम और उम्मते मुस्लिमा के इजमाअ़ से भी साबित है,

अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाता है कि :

﴿إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ (پ٥،النسآء: ٢٩)

तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : "मगर येह कि कोई सौदा तुम्हारी बाहमी रिज़ामन्दी का हो ।"

www.dawateislami.net

और येह दस हज़ार जो उस शख़्स ने अदा किये वोह इस लिखे हुवे इल्म की क़ीमत नहीं, क्यूंकि वोह तो माल ही नहीं[1] जैसा कि "**हिदाया**" और उन दीगर कुतुब में भी इस की तसरीह मौजूद है जिन में मसाइल को दलाइल के साथ बयान किया गया है, और "**हिदाया**" की इबारत येह है कि "कुरआने पाक चुराने पर हाथ नहीं काटा जाएगा, अगर्चे उस पर सोना चढ़ा हुवा हो क्यूंकि लिखाई के ए'तिबार से तो वोह माल नहीं, और इस की हिफ़ाज़त तो अल्फ़ाज़े कुरआनिय्या की वज्ह से की जाती है न कि जिल्द, वरक़ों और सोने के नुक़ूश की वज्ह से, क्यूंकि येह चीज़ें तो अल्फ़ाज़ के ताबेअ हैं, और किसी क़िस्म के रजिस्टर में भी हाथ नहीं काटा जाएगा : क्यूंकि रजिस्टर से मक़्सूद उस में लिखी जाने वाली तहरीरें होती हैं और वोह माल नहीं होतीं, मगर हिसाबो किताब का रजिस्टर चुराने की सूरत में हाथ काटा जाएगा, क्यूंकि उस में जो लिखा होता है वोह दूसरे के काम का नहीं होता, लिहाज़ा इस चोरी से मक़्सूद काग़ज़ ही होते हैं "और काग़ज़ माल है जिस के चुराने पर चोरी की हद्द का निसाब पूरा होने की सूरत में हाथ काटा जाएगा।

("الهداية"، كتاب السرقة، باب مايقطع فيه ومالا يقطع، ج٢، ص٣٦٤، ٣٦٥، ملتقطاً)

1....तो जिस तरह कनीज़ की क़ीमत में ख़ूब सूरती वग़ैरा से इज़ाफ़ा हो जाता है इसी तरह काग़ज़ की क़ीमत में "इल्म" की किताबत की वज्ह से इज़ाफ़ा हो जाता है, हालांकि "ख़ूब सूरती" और "इल्म" शरीअत में "**माल**" नहीं, इसी तरह मोहर लगने से काग़ज़ की क़ीमत में इज़ाफ़ा हो गया, मोहर शरीअत के नज़दीक माल नहीं बल्कि एक वस्फ़ है जो क़ीमत में इज़ाफ़े का सबब है।

www.dawateislami.net

लिहाज़ा जब काग़ज़ के एक वरक़ की क़ीमत इस तह़रीर की वज्ह से दस हज़ार तक पहुंच गई तो इस में तअ़ज्जुब की कौन सी बात है कि नोट पर लिखाई के सबब इस की क़ीमत दस रूपे या ज़ाइद हो गई, और इस वज्ह से लोग इस की त़रफ़ माइल हुवे, शरअ़ ने भला इस से कब रोका है.....!

माल (Property) की चार अक़्साम और इन की फ़िक़्ही बह़स

ख़ुलासए कलाम येह है कि मस्अला वाज़ेह़ व रोशन है, बात दर अस्ल येह है कि "**बह़रुर्राइक़**" वग़ैरा कुतुब में है कि माल की चार क़िस्में हैं ।

1. वोह माल जो हर सूरत में समन ही रहे, जैसे सोना और चांदी येह हमेशा समन ही रहेंगे चाहे इन को किसी शै के इ़वज़ बेचा जाए या इन के इ़वज़ किसी चीज़ को बेचा जाए, अपनी जिन्स के बदले लैन दैन हो या ग़ैर जिन्स के बदले, अहले उ़र्फ़ इन्हें समन कहें या नहीं, जैसे सोने चांदी के बरतन वग़ैरा, कि येह इस में होने वाली बनावट (Designing) की वज्ह से ख़ालिस समन (Pure Money) न रहे, इसी लिये येह अ़क़्दे बैअ़ में मुतअ़य्यन (Fixed) हो जाएंगे, और इन की बैअ़ शरअ़न बैए़ सर्फ़[1] ठहरेगी ।

("البحر الرائق"، كتاب الصرف، قوله (هو بيع بعض الأثمان ببعض) ج٦، ص٣٢١)

1....."बैए़ सर्फ़" उस बैअ़ को कहते हैं जिस में समने ख़ल्क़ी (Real Money) के इ़वज़ समने ख़ल्क़ी को बेचा जाता है जैसे सोने के इ़वज़ सोना या चांदी के इ़वज़ चांदी बेचना ।

www.dawateislami.net

और इस में बैए सर्फ़ की तमाम शराइत़ जारी होंगी : क्यूंकि सोना और चांदी को समनिय्यत ही के लिये पैदा किया गया है, और **अल्लाह** की पैदा की हुई चीज़ में तब्दीली नहीं आती ।

2. वोह माल जो हर ह़ाल में मबीअ़ (Selling Good or Merchandise) रहे, जैसे कपड़े और चौपाए : क्यूंकि अगर येह कहा जाए कि फ़ुलां चीज़ इन के बदले में बेची या इन को किसी भी चीज़ के बदले बेचा जाए, वोह चीज़ कभी भी ज़िम्मे पर दैन (क़र्ज़) हो कर लाज़िम नहीं होगी, और समनिय्यत के मा'ना भी येही हैं कि वोह शै ज़िम्मे पर दैन हो कर लाज़िम हो, लिहाज़ा यहां येह ए'तिराज़ नहीं हो सकता कि बैए मुक़ायज़ा में दोनों मताअ़ (Goods) एक लिह़ाज़ से समन होते हैं ।

("رد المحتار"، كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب في بيان مايكون مبيعا ...إلخ، ج٧، ص٥٧٤، ملخصاً)

अ़ल्लामा शामी عَلَيْهِ الرَّحْمَة ने अ़ल्लामा त़ह़त़ावी के ए'तिराज़ का जवाब देते हुवे इसी त़रह़ की तौजीह फ़रमाई है ।

मेरे ख़याल में यहां एक ए'तिराज़ हो सकता है वोह येह कि सोने से बनाई गई अश्या मसलन बरतन या कंगन भी ज़िम्मे पर दैन नहीं होते, बल्कि अ़क़्द (Contract) में मुतअ़य्यन (Fixed) हो जाते हैं (या'नी जिन बरतनों या कंगनों के इ़वज़ बैअ़ हुई है वोही देना होंगे) जैसे कि "**बह़रुर्राइक़**" के ह़वाले से गुज़रा, लिहाज़ा अगर येह बात तस्लीम कर ली जाए तो इस पर ए'तिराज़ वारिद होगा, मेरे नज़दीक इस का साफ़ जवाब येह है कि बैए

www.dawateislami.net

मुक़ायज़ा में हर शै मबीअ़ होती है, समने ख़ालिस नहीं हो सकती, अगर्चे एक लिहाज़ से समन भी होती है : क्यूंकि बैअ़ (Sale) के लिये मबीअ़ और समन दोनों का होना ज़रूरी है, ब ख़िलाफ़ आइन्दा आने वाली क़िस्म के, क्यूंकि वोह कभी ख़ालिस समन होती है और कभी ख़ालिस मबीअ़, इन दोनों क़िस्मों के मा'ना येही हैं कि इन से इन का समन या मबीअ़ होना किसी ह़ालत में भी जुदा न हो सके, अगर्चे बा'ज़ अवक़ात इसे दूसरा रुख़ भी आ़रिज़ हो जाता है, मुसन्निफ़ ने कपड़ों की गुज़श्ता मिसाल को मुत़लक़ रखा और शर्ह़ व ह़वाशी में भी इस के इत़लाक़ को बर क़रार रखा है, ह़ालांकि इस से मुराद वोह कपड़े हैं जो मालिय्यत में बराबर न हों, वरना वोह कपड़े तीसरी क़िस्म से होंगे जब कि इन कपड़ों का ज़ब्त़ (तअ़य्युन) हो सके और येह ज़ब्त़ या तो जिन्स ज़िक्र करने से होगा मसलन रूई, कत्तान या कारख़ाने के ज़िक्र से होगा, मसलन शाम व मिस्र का काम, या बारीक या मोटा होने से, या त़ूल व अ़र्ज़ (लम्बाई और चौड़ाई) की पैमाइश से, या वज़्न से जब कि वोह कपड़े तोल कर बेचे जाते हों (Quality) और इसी तअ़य्युन की वज्ह से इस में **बैए सलम** जाइज़ है।

3. वोह माल जिस की ज़ात में ऐसा वस्फ़ पाया जाए जिस के सबब वोह कभी मबीअ़ हो और कभी समन बन जाए, मेरा येह कहना "**तन्वीरुल अबसार**" के इस क़ौल की त़रह़ नहीं कि एक जिहत से समन हो और एक जिहत से मबीअ़ (Sold), ("الدّر المختار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٥٧٥،)

www.dawateislami.net

ताकि मुक़ायज़ा वाली बात का इआ़दा न हो जाए (क्यूंकि येह बात तो दूसरी क़िस्म में मौजूद है) बल्कि मैं ने इस क़ैद (Restriction) "उस की ज़ात में कोई ऐसा वस्फ़ हो जिस के सबब वोह कभी मबीअ़ हो और कभी समन" का इज़ाफ़ा इस लिये किया है ताकि येह माल की चौथी क़िस्म से ख़ारिज हो जाए, क्यूंकि वोह अपने अन्दर पाए जाने वाले वस्फ़ की बिना पर नहीं बल्कि इस्तिलाह़ और अ़द्मे इस्तिलाह़ की बिना पर कभी समन होती है और कभी मबीअ़।

इस तीसरी क़िस्म के माल से मुराद वोह चीज़ें हैं जिन को मिस्ली (Similar Things) कहते हैं (मिस्ली से मुराद वोह अश्या हैं जिन्हें नाप या तोल कर बेचा जाता है। मसलन गन्दुम, खजूर, सोना, चांदी, और मिस्ली के मुक़ाबिल क़ीमती अश्या हैं, इस से मुराद वोह अश्या हैं जो नाप या तोल कर नहीं बेची जातीं। मसलन कपड़ा, जानवर वग़ैरा) इन के ख़रीदो फ़रोख़्त की दो सूरतें हैं :

पहली येह कि इन की बैअ़ सोने या चांदी के इ़वज़ की जाए इस सूरत में येह मिस्ली चीज़ें मुत़लक़न मबीअ़ होंगी, ख़्वाह बैअ़ में इ़वज़ उन्हें ठहराया गया हो या सोने, चांदी को, और येह चीज़े मुअ़य्यन हों या ग़ैर मुअ़य्यन, मसलन अगर तू यूं कहे कि मैं ने येह सोना इतने मन गेहूं के इ़वज़ बेचा या इस त़रह़ कहे कि इस गेहूं के इ़वज़ बेचा (या'नी या तो मिक़्दार का ज़िक्र कर दे या बेची जाने वाली शै को इशारा कर के मुतअ़य्यन कर दे) तो गेहूं दोनों सूरतों में मबीअ़ है, अगर गेहूं मुअ़य्यन (मौजूद) हों तो बैए़ मुत़लक़ होगी और अगर ग़ैर मुअ़य्यन (या'नी ख़रीदो फ़रोख़्त के वक़्त ग़ैर मौजूद) हों तो **बैए़ सलम** होगी, और इस में सलम की शराइत़ का पाया जाना ज़रूरी होगा।

www.dawateislami.net

दूसरी सूरत येह है कि मिस्ली चीज़ों को सोने और चांदी के इ़वज़ बेचा जाए इस सूरत में अगर मिस्ली चीज़ों के इ़वज़ किसी चीज़ को बेचना कहा जाए तो येह मिस्ली चीज़ें हर ह़ाल में समन ही रहेंगी, चाहे मुअ़य्यन हों या ग़ैर मुअ़य्यन, मसलन किसी ने कहा कि मैं ने येह कपड़ा इतने गेहूं या इस गेहूं के बदले में बेचा, गेहूं मुअ़य्यन हों या ग़ैर मुअ़य्यन दोनों सूरतों में बैए़ मुत़लक़ होगी, और वोह गेहूं ज़िम्मे पर लाज़िम हो जाएगा, और अगर येह कहा जाए कि मैं ने मिस्ली चीज़ को किसी शै के इ़वज़ बेचा तो अगर येह चीज़ मुअ़य्यन हो तो समन है, मसलन यूं कहा कि मैं ने येह गेहूं इस कपड़े के इ़वज़ बेचे (तो गेहूं समन हैं) और अगर मुअ़य्यन न हो तो मिस्ली चीज़ें मबीअ़ हैं, मसलन येह कहा कि मैं ने इतने मन गेहूं इस ग़ुलाम के इ़वज़ बेचे (तो गेहूं मबीअ़ हैं) ह़ालांकि येह सूरत सलम की शराइत़ पाए जाने की वज्ह से **बैए़ सलम** है।

इस **बह़स का ख़ुलासा** येह है कि मिस्ली चीज़ों को अगर सोने और चांदी के इ़वज़ बेचा जाए तो येह मिस्ली चीज़ें मुत़लक़न मबीअ़ होंगी और अगर सोने चांदी के इ़लावा किसी और शै के इ़वज़ बेचीं तो इस की तीन सूरतें होंगी।

(1) अगर मिस्ली चीज़ों के इ़वज़ कोई चीज़ बेचना कहा तो येह मिस्ली चीज़ें मुत़लक़न समन होंगी।

(2) और अगर मिस्ली चीज़ों को किसी शै के इ़वज़ बेचना कहा जाए तो अगर येह मुअ़य्यन हों तो समन हैं।

(3) और ग़ैर मुअ़य्यन हों तो मबीअ़। और येह अ़ल्लामा शामी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه के कलाम की वज़ाह़त है, इस अन्दाज़ की वज़ाह़त "**फ़तावा शामी**" में भी नहीं।

www.dawateislami.net

(4) माल की चौथी क़िस्म वोह है कि ह़क़ीक़त में तो मताअ़ (Chattels) हो मगर रवाज के ए'तिबार से समन हों, जैसा कि पैसे कि जब तक चलते रहेंगे समन की त़रह़ हैं, और जब इन का चलन (Current) ख़त्म हो जाएगा तो येह अपनी अस्ल की त़रफ़ लौट जाएंगे (और इन की ह़ैसिय्यत मह़ज़ धात के टुकड़ों की सी रह जाएगी) और बिला शुबा अहले इस्तिलाह़ जब किसी चीज़ को समन क़रार देना चाहें तो उन के लिये ज़रूरी है कि वोह इस चीज़ की समनिय्यत की मिक़्दार (Quantity) मुक़र्रर करने में समने ख़ल्क़ी (Real Money) की त़रफ़ रुजूअ़ करें : क्यूंकि आ़रिज़ी चीज़ का क़ियाम तो ज़ाती ही के सबब से होता है, इसी लिये अहले इस्तिलाह़ चौसठ[64] हिन्दी पैसे या इक्कीस[21] अ़रबी हिलले (सिक्के) एक चांदी के रुपे के बराबर क़रार देते हैं, और उन्हें येह इख़्तियार है कि जो इस्तिलाह़ चाहें मुक़र्रर कर लें : क्यूंकि इस्तिलाह़ मुक़र्रर करने में कोई रोक टोक नहीं।

20 साल पहले हिन्दुस्तान में दो त़रह़ के सिक्के राइज थे (1) मोहर वाला सिक्का (2) तांबे के तिकोनी शक्ल वाले लम्बे टुकड़े जो कि वज़्न में मोहर वाले सिक्के से डबल होते थे। मोहर वाले पूरे 64 सिक्के चांदी के एक रूपे के बराबर होते थे जब कि तांबे के टुकड़ों वाले सिक्के की क़ीमत में कमी बेशी होती रहती थी, और बा'ज़ अवक़ात तो एक रूपिया इस क़िस्म के 80 सिक्कों के बराबर हो जाता था, यहां तक कि इन सिक्कों का रवाज ख़त्म हुवा और इन की समनिय्यत (करन्सी होने) की ह़ैसिय्यत भी ख़त्म हो गई और येह सब इस्तिलाह़ ही के सबब हुवा और शरए़ मुत़ह्हरा की त़रफ़ से (इस्तिलाह़ मुक़र्रर करने) में कोई रोक टोक नहीं।

www.dawateislami.net

इतनी तफ़्सील के बा'द येह मस्अला वाज़ेह़ हो गया कि नोट माल की उस चौथी क़िस्म में से है : क्यूंकि ह़क़ीक़तन येह काग़ज़ का टुकड़ा होने की वज्ह से मताअ़ (मह़ज़ सामान) है और इस्तिलाह़ में इस के साथ समन की त़रह़ का मुआ़मला किया जाता है, लिहाज़ा येह इस्तिलाही समन है और जो रक़म नोट पर लिखी होती है वोह समने ख़ल्क़ी (Real Money) या'नी सोना, चांदी के मुक़ाबले में नोट की समनिय्यत की मिक्दार होती है और नोट का समन (Currency) होना चूंकि एक इस्तिलाह़ (Terminology) है, लिहाज़ा इस में कोई मुज़ाइक़ा नहीं और न ही इस की तौजीह का सबब दरयाफ़्त किया जाएगा।

بحمداللہ الفتاح القدیر इस तक़रीर से नोट की ह़क़ीक़त वाज़ेह़ हो गई, और चूंकि नोट के तमाम अह़काम इसी ह़क़ीक़त पर मब्नी हैं, लिहाज़ा अब اِنْ شَآءَاللہ عزوجل किसी हुक्म के इज़्हार में कोई दुश्वारी रुकावट नहीं बनेगी।

और बेशक तमाम ख़ूबियां उस अल्लाह तआ़ला के लिये हैं जो हर चीज़ का निगहबान और अ़ज़्मतों वाला है।

सुवाल 1 : नोट माल है या तह़रीरी इक़रार नामे की त़रह़ कोई सनद ?

अल जवाब

आप के सुवाल का जवाब तफ़्सील से दिया जा चुका है मज़ीद इज़ाफ़े की ज़रूरत नहीं। (या'नी नोट माल है और गुज़श्ता चार अक़्साम में से चौथी क़िस्म का माल)

www.dawateislami.net

सुवाल 2 : जब येह नोट ज़कात के निसाब (Minimum Amount of Property Liable for Paying Zakat) तक पहुंच जाएं और इन पर साल गुज़र जाए तो इन पर ज़कात फ़र्ज़ होगी या नहीं ?

अल जवाब

जी हां.....! ज़कात की शराइत़ पाई जाएं तो नोट पर ज़कात वाजिब है। क्यूंकि आप जान चुके हैं कि नोट ब ज़ाते ख़ुद एक क़ीमत वाला माल है। दस्तावेज़ या क़र्ज़ की रसीद नहीं कि जब तक निसाब का पांचवां हिस्सा क़ब्ज़े में न आए, ज़कात वाजिब न हो, क्यूंकि क़र्ज़ वग़ैरा की सूरत में जब तक निसाब का पांचवां हिस्सा क़ब्ज़े में न आए ज़कात वाजिब नहीं होती, और नोट में तिजारत की निय्यत की भी ह़ाजत नहीं, क्यूंकि फ़तवा इस बात पर है कि समने इस्तिलाही जब तक राइज रहेंगे इन पर ज़कात वाजिब है, बल्कि नोट से तिजारत की निय्यत जुदा हो ही नहीं सकती, क्यूंकि लैन दैन के बिग़ैर समने इस्तिलाही से नफ़्अ़ लिया ही नहीं जा सकता और येह बात बिल्कुल ज़ाहिर है।

"**फ़तावा अ़ल्लामा क़ारियुल हिदाया**" में है कि फ़तवा इस बात पर है कि "पैसे जब तक राइज रहेंगे इन पर ज़कात वाजिब है बशर्ते कि वोह दो सौ दिरहम (साढ़े बावन तोले) चांदी या बीस मिस्क़ाल (साढ़े सात तोले) सोने की क़ीमत को पहुंचे हों।" ("فتاوى قارئ الهداية"، مسألة في زكاة النقود، ص ٢٩)

और जो नोट ज़कात का साल मुकम्मल होने से पहले मिले उसे अपनी जिन्स के निसाब या क़ीमत लगा कर सोने चांदी से मिला दिया जाए जैसा कि तिजारती सामान का हुक्म है।

www.dawateislami.net

सुवाल 3 : क्या नोट को मेह्र में देना दुरुस्त है ?

अल जवाब

मैं कहता हूं कि अगर अ़क़्दे निकाह़ के वक़्त इस की क़ीमत सात मिस्क़ाल (दस दिरहम चांदी) के बराबर हो तो इसे मेह्र में देना दुरुस्त है, क्यूंकि मेह्र में दी जाने वाली शै की मालिय्यत कम अज़ कम दस दिरहम होना ज़रूरी है, और इस की वज्ह आप गुज़श्ता बयान में जान चुके हैं, और अगर नोट की क़ीमत कम हो तो मज़ीद नोट मिला कर चांदी की मज़कूरा मिक़्दार को पूरा किया जाएगा, जैसे सामान को मेह्र रखने की सूरत में किया जाता है।

सुवाल 4 : अगर कोई इसे मह़फ़ूज़ मक़ाम से चोरी करे तो उस का हाथ काटना वाजिब होगा या नहीं ?

अल जवाब

जब चोरी में हाथ काटे जाने की दीगर शराइत़ पाई जाएं तो नोट चुराने पर हाथ काटना वाजिब है, मेरा मत़लब है कि जब चोर आ़क़िल बालिग़ हो, गूंगा या अन्धा न हो, और नोट पूरी ह़िफ़ाज़त की जगह रखा हो, नीज़ चोरी के दिन और हाथ काटने के दिन नोट की क़ीमत मेह्र वाले दस खरे दिरहमों (Silver Coins) के बराबर हो तो चोर का हाथ काटा जाएगा, क्यूंकि हम बयान कर चुके हैं कि नोट बज़ाते ख़ुद एक क़ीमत वाला माल है, लिहाज़ा इस में माल के तमाम अह़काम नाफ़िज़ होंगे।

www.dawateislami.net

सुवाल 5 : अगर कोई शख़्स किसी का नोट ज़ाएअ़ (Destruct/Lose) कर दे तो बदले में नोट ही देना होगा या चांदी के रूपे भी दिये जा सकते हैं ?

अल जवाब

अगर कोई शख़्स किसी का नोट ज़ाएअ़ कर दे तो उसे इस के बदले में नोट ही देना होगा और ज़ाएअ़ करने वाले को चांदी का रूपिया देने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, क्यूंकि नोट का लैन दैन गिन कर होता है और एक ही करन्सी के ऐसे दो नोट जिन की मालिय्यत भी बराबर हो, इन दोनों में कोई फ़र्क़ नहीं समझा जाता, (मसलन दस रूपे की पांच नोट वोही मालिय्यत रखते हैं जो पांच रूपे के दस और एक रूपे के पचास नोट) हां अलबत्ता ! जब करन्सी मुख़्तलिफ़ अ़लाक़ों की हो अगर्चे हुकूमत एक ही हो तो अक्सर अवक़ात मालिय्यत में फ़र्क़ आ जाता है क्यूंकि "**इलाहाबाद**" और "**कलकत्ता**" का नोट "**हिन्दुस्तान**" के शिमाले मशरिक़ अ़लाक़ों में "**बम्बई**" के नोट से ज़ियादा चलता है, और अक्सर अवक़ात एक जगह का नोट दूसरे अ़लाक़े में कुछ आनों की कमी से लिया जाता है, लिहाज़ा इन दो क़िस्म के दो नोटों को बराबर नहीं समझा जाता जब तक दोनों का चलन बराबर न हो जाए ।

www.dawateislami.net

सुवाल 6 : क्या इस नोट को चांदी के रूपों, सोने की अशरफ़ियों और तांबे के पैसों के बदले बेचना जाइज़ है ?

अल जवाब

जी हां.....! जाइज़ है और तमाम मुल्कों में इस का रवाज भी है और तुम इस की तह्क़ीक़ (Research) जान चुके हो ।

पिछले कलाम में जवाब वाज़ेह़ हो जाने की बिना पर मैं इसी जवाब को काफ़ी समझा था मगर जब मैं येह रिसाला मुकम्मल कर चुका तो मुझे बा'ज़ ड़लमा या'नी फ़ाज़िल ह़ामिद अह़मद मुह़म्मद जद्दादी سلمهم الله की त़रफ़ से येह मा'लूम हुवा इन्हों ने याद देहानी के लिये फ़रमाया कि अ़ल्लामा इब्ने आ़बिदीन رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه ने "**रद्दुल मुह़तार**" में इस उसूल "बैअ़ मुन्अ़क़िद होने के लिये मबीअ़ का माले मुतक़व्विम (Things with commercial value) होना शर्त़ है" से येह मस्अला निकाला है कि रोटी के एक टुकड़े की बैअ़ बात़िल है, क्यूंकि बैअ़ के जाइज़ होने के लिये मबीअ़ की कम अज़ कम क़ीमत एक पैसा होना ज़रूरी है ।

("رد المحتار"، كتاب البيوع، مطلب: شرائط البيع أنواع أربعة، ج٧، ص١٣، ملتقطاً)

और येह बात बिल्कुल ज़ाहिर है कि कागज़ के इतने से टुकड़े की क़ीमत एक पैसा भी नहीं लिहाज़ा नोट की बैअ़ बात़िल (Null) होनी चाहिये । बात़िल होने से मुराद येह है कि बैअ़ अस्लन हुई ही नहीं चे जाए कि हम उसे ह़राम या मकरूह क़रार दें ।

www.dawateislami.net

ख़रीदो फ़रोख़्त के सहीह होने के लिये मबीअ़ की क़ीमत कम अज़ कम एक पैसा होना ज़रूरी नहीं

तो मैं **अल्लाह** तआ़ला की तौफ़ीक़ से येह जवाब देता हूं कि उन आ़लिम साहिब ने येह बात मेरे रिसाले का मुत़ालआ़ करने से पहले कही थी, काश ! वोह मेरे रिसाले का मुत़ालआ़ कर लेते और उस के मज़ामिन पर मुत्त़लअ़ हो जाते तो उन पर आश्कार हो जाता कि उन के ए'तिराज़ (Objection) का जवाब तो ख़ुद उन के इस क़ौल कि "येह काग़ज़ का टुकड़ा एक पैसे का नहीं" से ही ज़ाहिर है, क्यूंकि इन दोनों मस्अलों में बहुत फ़र्क़ है, एक येह कि काग़ज़ का टुकड़ा एक पैसे का नहीं, दूसरी येह कि एक पैसे का न था (मोहर वग़ैरा लगने से पहले) इस लिये कि येह काग़ज़ का टुकड़ा उ़लूम लिखे जाने के बा'द या मोहर लग जाने के बा'द अब सौ रूपे और हज़ार रूपे की क़ीमत का है, और उसूल येह है कि "शै की मौजूदा ह़ालत का ए'तिबार किया जाता है येह नहीं देखा जाता कि अस्ल में क्या थी।"

मसलन आप को मा'लूम है कि कच्ची पक्की मिट्टी के छोटे बड़े बरतनों की ख़रीदो फ़रोख़्त का रवाज मुसलमानों में आ़म है और कोई इस का इन्कार नहीं करता, ह़ालांकि इन बरतनों की अस्ल (Reality) मिट्टी है और मिट्टी माल नहीं, बल्कि

अगर अस्ल का ए'तिबार किया जाए तो ख़ुद पैसे पर भी ए'तिराज़ वारिद होगा, क्यूंकि आप जान चुके हैं कि पैसा तांबे की जिस पतरी से बनाया जाता है उस पतरी की क़ीमत हरगिज़ एक पैसा के बराबर नहीं होती

www.dawateislami.net

बल्कि एक धेले (निस्फ़ पैसा) के बराबर भी नहीं होती, इसी लिये कुछ बेबाक क़िस्म के लोगों को जा'ली पैसा बनाने की आ़दत होती है, और वोह टिकसाल की त़रह़ का सांचा (Die/Mould) बना कर तांबे को पिघलाते हैं और फिर इस पिघले हुवे तांबे को सांचे में डाल कर पैसा बना लेते हैं, इस काम में उन की जितनी रक़म ख़र्च होती है इस से दुगना नफ़्अ़ उन्हें ह़ासिल हो जाता है, और वोह कहते हैं कि येह काम चांदी के रूपे बनाने से ज़ियादा नफ़्अ़ बख़्श है, लिहाज़ा साबित हुवा कि अस्ल पर नज़र करने से ख़ुद पैसा भी एक पैसे का नहीं लिहाज़ा पैसा माले मुतक़व्विम (Things with commercial value) न हुवा तो फिर येह क़ीमत (Cost) और समन कैसे हो सकता है ?

गुज़श्ता कलाम में हम ने एक **अ़जीबो ग़रीब** नायाब इल्म (Rare knowledge) से मुनक़्क़श काग़ज़ की मिसाल पेश की थी, इस पर ग़ौर करने से भी येह बात वाज़ेह़ हो जाती है कि अश्या की मौजूदा ह़ालत देखी जाती है और उन की साबिक़ा ह़ालत का ए'तिबार नहीं किया जाता।

क्या आप नहीं जानते कि उ़लमाए किराम की ता'ज़ीम शरअ़न, अ़क़्लन और उ़र्फ़न लाज़िमी है ! ह़ालांकि अस्ल के लिहाज़ से उ़लमा भी उन्ही लोगों में से हैं जिन के बारे में **अल्लाह** तआ़ला ने क़ुरआने पाक में इरशाद फ़रमाया :

﴿ وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ﴾ (پ ١٤، النحل: ٧٨)

www.dawateislami.net

तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : "और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट से पैदा किया कि कुछ न जानते थे।"

लिहाज़ा उ़लमा की ता'ज़ीम उन में पैदा होने वाले उस इ़ल्म के वस्फ़ (Description) की वज्ह से की जाती है जिस की वज्ह से उन्हें ख़ालिक़ عَزَّوَجَلَّ और मख़्लूक़ दोनों के नज़्दीक वोह इ़ज़्ज़त ह़ासिल हो गई जो पहले ह़ासिल न थी, जब वोह कुछ न जानते थे तो जिस त़रह़ इस इ़ल्म से मन्कूश काग़ज़ की क़ीमत इस में लिखे गए इ़ल्म की वज्ह से इतनी ज़ियादा हो गई बिल्कुल इसी त़रह़ नोट में लिखाई और स्टेम्प की वज्ह से ऐसी बात पैदा हो गई कि लोग नफ़्अ़ की ग़रज़ से इस की त़रफ़ माइल हो गए और इस का लैन दैन करने लगे।

मालिय्यत के लिये ज़रूरी नहीं कि वोह चीज़ हर जगह माल समझी जाए

नीज़ इस ए'तिराज़ की कुछ ह़ैसिय्यत नहीं कि :

"नोट तमाम शहरों में नहीं चलता", क्यूंकि नोट के क़ीमत वाला माल होने के लिये इस का तमाम शहरों में चलना किसी के नज़्दीक भी ज़रूरी नहीं, बल्कि मोहर वाली अक्सर चीज़ों का येही ह़ाल है।

क्या आप नहीं देखते कि यहां "अ़रब शरीफ़" में चलने वाले सिक्के ख़ुम्से, अ़शरे और हिलले "**हिन्दुस्तान**" में बिल्कुल नहीं चलते ! इसी त़रह़ "**हिन्दुस्तान**" में चलने वाले पैसे यहां "**अ़रब शरीफ़**" में नहीं

www.dawateislami.net

चलते, ब ख़िलाफ़ नोट के, क्यूंकि हिन्दुस्तान का नोट ''अ़रब'' में भी चलता है, हिन्दुस्तानी नोट का ''अ़रब'' की करन्सी के मुक़ाबले में कम क़ीमत में बिकना, चलने की नफ़ी नहीं करता, और दूसरे शहरों में नोट का न चलना, उन शहरों में नोट के चलन (Use) पर असर अन्दाज़ नहीं होता जहां नोट चलता है, बल्कि इसी ज़ुल ह़िज्जा सिने 1323 हिजरी में इस अमान वाले शहर ''मक्कए मुकर्रमा'' में पांच सौ के अंग्रेज़ी नोट को मैं ने ख़ुद 33 अशरफ़ियों और पांच रूपे में तब्दील (Exchange) करवाया, और येह रक़म पांच सौ के नोट की पूरी क़ीमत है, क्यूंकि 33 अशरफ़ियों की क़ीमत चार सौ पचानवे 495 रूपे बनती थी, और येह चार सौ पचानवे 495 रूपे इन पांच रूपों से मिलकर पूरे पांच सौ रूपे हो गए।

नीज़ फ़िक़्ह की मश्हूर किताब ''किफ़ाया'' के बाब बैउ़ल फ़ासिद में येह मज़मून मौजूद है कि कोई चीज़ माल उस वक़्त होती है जब तमाम या बा'ज़ लोग उसे माल क़रार दें।

(" الكفاية "مع "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٦، ص٤٣)

इसी त़रह़ (फ़िक़्ह की दीगर मुस्तनद किताबों) ''**फ़त्हुल क़दीर**'' और ''**रद्दुल मुह़्तार**'' में ''**बह़रुर्राइक़**'' और ''**कशफ़े कबीर**'' के ह़वाले से मज़कूर है कि ''माल वोह होता है जिस की त़रफ़ त़बीअ़त माइल होती हो और उसे ज़रूरत के वक़्त के लिये जम्अ़ कर के रखना मुमकिन हो, और मालिय्यत के सुबूत के लिये तमाम या बा'ज़ लोगों का इसे माल क़रार देना ज़रूरी है।'' ("رد المحتار"، كتاب البيوع،مطلب في تعريف المال والملك المتقوّم،ج٧،ص٨)

www.dawateislami.net

लिहाज़ा वाज़ेह़ हो गया कि एक पैसे से कम क़ीमत के माल की बैअ़ वाला मस्अला जो उन आ़लिम साहिब ने बतौ़रे दलील पेश किया है वोह हमारे नोट वाले मस्अले से कुछ तअ़ल्लुक़ नहीं रखता, मगर येह कमज़ोर बन्दा (इमामे अहले सुन्नत عَلَيْهِ الرَّحْمَة) पसन्द करता है कि इस मस्अले को मज़ीद वाज़ेह़ कर दे ताकि कोई दूसरा शख़्स इस मस्अले से किसी और जगह धोका न खा जाए, क्यूंकि इस में ऐसी तंगी है जिस ने शरीअ़त की वसीअ़ की हुई चीज़ों को भी तंग कर दिया है।

लिहाज़ा मैं **अल्लाह** तआ़ला की तौफ़ीक़ से कहता हूं, इस मस्अले का माख़ज़ (Source) (फ़िक़्ह की एक किताब) "**कुनिया**" है "**रद्दुल मुह़्तार**" ने इसे "**बह़र**" और "**बह़र**" ने इसे "**कुनिया**" के ह़वाले से नक़्ल किया है और इन के शागिर्द अ़ल्लामा ग़ज़ी ने इन की पैरवी की, और यहां तक मुबालग़ा किया कि इस मस्अले को अपने मतन "**तन्वीरुल अबसार**" की फ़स्ल मुतफ़र्रिक़ातुल बुयूअ़ में किताबुस्सर्फ़ से कुछ पहले दाख़िल फ़रमा लिया, ह़ालांकि "**तन्वीरुल अबसार**" के माख़ज़ "**दुरर**" व "**ग़ुरर**" में इस का ज़िक्र नहीं है और इस के शारेह़ अ़ल्लामा अ़लाई ने इसे कुनिया ही की त़रफ़ मन्सूब किया है बल्कि ख़ुद मुसन्निफ़ ने इस की शर्ह "**मिन्ह़ुल ग़फ़्फ़ार**" में इस बात का ए'तिराफ़ किया है और मतन की इस इ़बारत के बा'द फ़रमाया कि येह भी "**कुनिया**" में मन्क़ूल है। ("منح الغفار" شرح "الدّر المختار")

या'नी जैसा कि इस से पहले भी "**कुनिया**" में एक मस्अला मज़्कूर है कि कबूतर की बीट अगर कसीर हो तो इसे बेचना और हिबा करना जाइज़ है।

www.dawateislami.net

चन्द आदाबे इफ़्ता

याद रहे कि "**कुनिया**" के बारे में येह बात मश्हूर है कि इस की रिवायात ज़ईफ़ होती हैं, और उ़लमा ने वज़ाह़त फ़रमाई है कि "**कुनिया**" जब मश्हूर किताबों की मुख़ालफ़त करे तो इस का क़ौल क़ाबिले क़बूल (Acceptable) न होगा, बल्कि यहां तक कहा कि "**कुनिया**" अगर क़वाइद के ख़िलाफ़ मस्अला बयान करे तो क़ाबिले क़बूल नहीं जब तक इस की ताईद में कोई क़ाबिले ए'तिमाद (Reliable) नक़्ल (Reference) न पाई जाए, और नक़्ल में नाक़िल (Reporter) का नहीं बल्कि जिस के ह़वाले से नक़्ल किया जाए उस का ए'तिबार होता है, और एक मस्अला अगर मुतअ़द्दद उ़लमा किसी एक ही ह़वाले से लिखें तो इस से मस्अला का ग़रीब होना (Strangeness) ख़त्म नहीं होता, जैसा कि येह तमाम बातें मैं ने आदाबे मुफ़्ती (Rules of Muslim jurist) के मौज़ूअ़ पर लिखी जाने वाली अपनी किताब "**फ़स्लुल क़ज़ा फ़ी रस्मुल इफ़्ता**" में ज़िक्र कर दी हैं।

इसी त़रह़ से "**फ़तावा ज़हीरिय्या**" में एक मस्अला लिखा है कि सजदए तिलावत के बा'द क़ियाम करना भी इसी त़रह़ मुस्तह़ब है, जैसे सजदे से पहले मुस्तह़ब है, इस मस्अले को "**ज़हीरिय्या**" के ह़वाले से "**तातार ख़ानिय्या**" "**कुनिया**" और "**मुज़मरात**" ने भी नक़्ल किया है और इन कुतुब के ह़वाले से येह मस्अला "**बह़र**" और "**दुरर**" में भी मज़कूर है नीज़ "**बह़र**" में येह वज़ाह़त भी मौजूद है कि येह मस्अला

www.dawateislami.net

ग़रीब (Stranger) है, अ़ल्लामा शामी عَلَيْهِ الرَّحْمَة फ़रमाते हैं कि इस मस्अले के ग़रीब होने की वज्ह येह है कि सिर्फ़ "**ज़हीरिय्या**" ही ने इस मस्अले को ज़िक्र किया है, इसी लिये उ़लमाए मुतअख़्ख़रीन ने इस मस्अले को "**ज़हीरिय्या**" ही की त़रफ़ मन्सूब किया है।

("رد المحتار"، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج٢، ص٧٠٠)

"कुनिया" के मस्अले का दलीले नक़्ली से जवाब

और आप जानते हैं कि "**कुनिया**" के पैसे वाले मस्अले को इतने उ़लमा ने भी नक़्ल नहीं किया जितने उ़लमा ने "ज़हीरिय्या" के मस्अले को नक़्ल किया है और "**कुनिया**", "फ़तावा ज़हीरिय्या" के मुक़ाबले की किताब भी तो नहीं है, फिर इस से ग़राबत कैसे दूर हो सकती है। काश ! येह मस्अला सिर्फ़ ग़रीब ही होता तो ह़दीसे शाज़ (Irregular Tradition) की त़रह़ होता मगर येह तो कुतुबे मश्हूरा और क़वाइ़दे शरअ़ के ख़िलाफ़ होने की वज्ह से ह़दीसे मुन्कर (Denied Hadith) की त़रह़ है, पहली वज्हए ग़राबत या'नी कुतुबे मश्हूरा की मुख़ालफ़त के लिये तो इतना ही काफ़ी है कि "**फ़त्हुल क़दीर**", "**शुरुम्बुलाली**", "**त़ह़त़ावी**" और "**रद्दुल मुह़तार**" वग़ैरा क़ाबिले ए'तिमाद किताबों में है कि "अगर कोई शख़्स काग़ज़ का एक टुकड़ा हज़ार रूपे में बेचे तो जाइ़ज़ है।"

("فتح القدير"، كتاب الكفالة، قبيل فصل في الضمان، ج٦، ص٣٢٤)

(जब कि "**कुनिया**" में ख़्वाह म ख़्वाह येह शर्त़ लगा दी है कि वोह माल कम अज़ कम एक पैसे का हो) और **अल्लाह** तआ़ला उन्हें जज़ाए ख़ैर अ़त़ा फ़रमाए कि मज़ीद येह किया कि काग़ज़ पर आख़िर

www.dawateislami.net

में "**ताए वह़दत**" का इज़ाफ़ा फ़रमा दिया (या'नी काग़ज़तन फ़रमाया) जिस से मुराद एक ही काग़ज़ होता है, नीज़ यहां एक अ़ज़ीम और नाक़ाबिले तरदीद (Irrefutable) बात भी बयान करता चलूं कि हमारे जमहूर अइम्मए मतून व शुरूह़ और हमारे मज़हब के फ़तावा का इस बात पर इजमाअ़ व इत्तिफ़ाक़ (Consensus) है कि एक छूहारे को दो छूहारों के इ़वज़ और एक अख़रोट को दो अख़रोट के इ़वज़ बेचना जाइज़ है, नीज़ "**फ़त्हुल क़दीर**", "**दुर्रे मुख़्तार**" में येह इज़ाफ़ा (Addition) भी है कि दो सूइयों के बदले एक सूई बेचना जाइज़ है। ("الدّر المختار"، كتاب البيوع، باب الرّبا، ج٧، ص٤٢٧)

ह़ालांकि हर शख़्स जानता है कि इन चीज़ों में से कोई चीज़ भी एक पैसे की नहीं होती।

हमारे "हिन्दुस्तान" में एक पैसे में बहुत से छूहारे मिल जाते हैं, जब कि यहां "अ़रब शरीफ़" में तो छूहारे मज़ीद सस्ते हैं इसी त़रह़ से अख़रोट भी, और वोह हमारे "हिन्दुस्तान" में अ़रब से ज़ियादा सस्ते हैं। नीज़ "हिन्दुस्तान" में एक पैसे की 8 से 25 सूइयां मिल जाती हैं।

लिहाज़ा साबित हुवा कि "**कुनिया**" का येह मस्अला जिस में मबीअ़ की कम अज़ कम क़ीमत एक पैसा होना शर्त़ ठहराया गया है तमाम कुतुबे मश्हूरा और अइम्मए मज़हब की राए के ख़िलाफ़ है।

इमाम मुह़क़्क़िक़ साह़िब "**फ़त्हुल क़दीर**" ने अगर्चे इमाम मुह़म्मद से मरवी इमाम मा'ला की इस रिवायत को राजेह़ क़रार दिया है जिस में दो छूहारों के इ़वज़ एक छूहारा बेचने को मकरूह कहा गया है, मगर येह कराहत

www.dawateislami.net

इस वज्ह से नहीं कि छूहारे की क़ीमत एक पैसे से कम है बल्कि एक त़रफ़ से ज़ियादती की बिना पर है, लिहाज़ा अगर बरनी खजूर का एक छूहारा जनीब के छूहारे के इ़वज़ बेचा जाए तो इस का तअ़ल्लुक़ इमाम मा'ला की रिवायत और इमाम मुह़क़्क़िक़ की तरजीह़ से हरगिज़ न होगा, क्यूंकि किसी जानिब भी ज़ियादती नहीं, बल्कि दोनों जानिब छूहारे बराबर हैं, और वैसे भी इमाम मा'ला की रिवायत में तो इस बैअ़ को मकरूह (ना पसन्दीदा) फ़रमाया गया है, जब कि तुम्हारा दा'वा तो येह है कि बैअ़ बात़िल हुई, या'नी बिल्कुल ही मुन्अ़क़िद न हुई, तो अब तुम्हारा दा'वा कहां गया ?

"क़ुनिया" के मस्अले का दलीले अ़क़्ली से जवाब

जहां तक दूसरी वज्हए ग़राबत या'नी क़वाइ़दे शरअ़ से मुख़ालफ़त का तअ़ल्लुक़ है तो मैं येह कहूंगा कि हिन्दुस्तान जो कि इतना वसीअ़ है कि इस का अ़र्ज़ ख़ित्तए उस्तूवा से शुमाल की जानिब 8 दरजे से 35 दरजे तक है, और त़ूल ग्रीन विच लंडन (Green Vitch London) से मशरिक़ की जानिब 66 दरजे से 92 दरजे तक है, इस में अक्सर फ़ुक़रा की मईशत पैसे के ह़िस्सों धेला (निस्फ़ पैसा) छदाम (चौथाई पैसा) दमड़ी (निस्फ़ छदाम) वग़ैरा से ख़रीदो फ़रोख़्त करने पर क़ाइम है, बहुत से लोग सालन पकाने के लिये धेले (निस्फ़ पैसे) की सब्ज़ी ख़रीदते हैं इस में निस्फ़ पैसे का तिलों का तेल डाल लेते हैं छदाम (चौथाई पैसे) के तीनों मसालह़े और छदाम ही से लह़सन और प्याज़ नीज़ छदाम का नमक ले कर सालन तय्यार करते हैं इस त़रह़ से पौने दो पैसे में इन का सालन तय्यार हो जाता है, और इसी सालन से दो वक़्त का गुज़ारा करते हैं ।

www.dawateislami.net

इसी त़रह़ चराग़ में एक धेला (निस्फ़ पैसा) का तेल शाम से आधी रात तक के लिये काफ़ी होता है, इसी त़रह़ से मीठे पानी का बड़ा मश्कीज़ा एक धेले (निस्फ़ पैसा) में मिल जाता है जब कि कुछ ही अ़र्से पहले एक धेले में तीन मश्कीज़े मिला करते थे, माचिस की डिबिया भी निस्फ़ पैसे में मिल जाती है, नीज़ हिन्दुस्तान का सब से लज़ीज़ फल जिसे अ़रबी में "**अ़म्ब**" (ऐ़न के फ़त्ह़ और नून साकिन) फ़ारसी में "**अम्बा**" और उर्दू में "**आम**" कहते हैं निस्फ़ पैसे में बहुत से मिल जाते हैं।

इसी त़रह़ से जामुन और इम्लियां एक छदाम (चौथाई पैसा) में बहुत सी मिल जाती हैं, और तम्बाकू वाले पान के आ़दी (Habitual) के लिये एक धेले के पान एक छदाम का कत्था, छदाम का तम्बाकू और एक छदाम की छालिया एक दिन और रात के लिये काफ़ी होता है।

इस त़रह़ से फ़क़त़ सवा पैसे में पान के आ़दी की ह़ाजत पूरी हो जाएगी, और हुक़्क़े के आ़दी के लिये एक धेले का तम्बाकू काफ़ी है। और बहुत सी चीज़ें भी पैसों के ह़िस्सों ही से मिलती हैं ह़त्ता कि बा'ज़ चीज़ें दमड़ी (पैसे का आठवां ह़िस्सा) और निस्फ़ दमड़ी (पैसे के सोलहवें ह़िस्से) में भी बिकती हैं।

लिहाज़ा अगर येह ख़रीदो फ़रोख़्त जाइज़ न हो तो मुआ़मला निहायत पेचीदा हो जाए और ग़रीब लोगों को ना क़ाबिले बरदाश्त (Intolerable)

www.dawateislami.net

मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, और येह ख़रीदो फ़रोख़्त जो कि हज़ारहा मुसलमानों में जारी है अगर हम इसे बातिल क़रार दे दें और इन पर येह बात लाज़िम कर दें कि कोई चीज़ भी एक पैसे से कम क़ीमत में हरगिज़ न ख़रीदें जब कि इन की ज़रूरत छदाम, और दमड़ी वग़ैरा से पूरी हो जाती है तो येह गोया उन लोगों पर भारी बोझ डालने के मुतरादिफ़ (Synonymous) होगा, ह़ालांकि शरीअ़ते मुत़ह्हरा बोझ डालने के लिये नहीं बल्कि बोझ उठाने के लिये आई है, बल्कि अक्सर अवक़ात इन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं हो सकेंगे, क्यूंकि जो सालन पहले पोने दो पैसों में तय्यार हो जाता था अब दो आनों से कम में न होगा, और वोह पान जो पहले सवा पैसे में दिन भर के लिये काफ़ी थे अब एक आने में मिलेंगे, मज़ीद इसी पर क़ियास (Estimate) करते जाएं।

आप ख़ुद सोचें अगर किसी के पास दो पैसों से ज़ाइद रक़म न हो और आप सालन पकाने के लिये उस पर दो आने ख़र्च करना लाज़िम कर दें तो वोह क्या करेगा ? रूखा आटा फांकेगा या जव की ख़ुश्क रोटी चबाएगा, और ऐसा सालन न खा सकेगा जो इस रोटी को निगलने के क़ाबिल बना कर इसे हज़्म करने में मदद दे, और सालन के आ़दी लोग अगर सालन खाना छोड़ दें तो सूखी रोटी उन्हें हरगिज़ रास न आएगी और वोह लोग त़रह़ त़रह़ की बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे, क्यूंकि आ़दत का छोड़ना गोया अपने आप से दुश्मनी मोल लेना है।

www.dawateislami.net

या आप येह कहेंगे कि वोह भीक मांगे ह़ालांकि भीक मांगना ज़िल्लत का काम और शरीअ़त में ह़राम है, या डाका मारे मगर इस पर भी शरीअ़त में सख़्त सज़ा है, या सब्ज़ी फ़रोश ताजिरों और पानी बेचने वाले बिहिश्तियों को हुक्म देंगे कि इन फ़ुक़रा की तमाम ज़रूरियात की अश्या इन्हें मुफ़्त दे दिया करे, क्यूंकि इन अश्या की क़ीमत एक पैसा से कम है और जिस चीज़ की क़ीमत एक पैसे से कम हो वोह माल नहीं होता और उस की कोई क़ीमत नहीं होती है, लिहाज़ा उन्हें मुफ़्त दे दिया करें, इस बात पर तो ताजिर बिल्कुल राज़ी न होंगे और अगर राज़ी हो भी जाएं तो एक फ़क़ीर को दूसरे पर तरजीह़ ह़ासिल नहीं ।

लिहाज़ा अगर ताजिर हर फ़क़ीर को उस की ज़रूरत की चीज़ें मुफ़्त दे दिया करें तो उन की तिजारत तो बे फ़ाइदा हो जाएगी, लिहाज़ा साबित हुवा कि हमारे पास इस बैअ़ (एक पैसे से कम की ख़रीदो फ़रोख़्त) को जाइज़ क़रार देने के सिवा कोई चारा नहीं, और बेशक क़ुरआने पाक ने इसे जाइज़ क़रार देते हुवे मुत़लक़ इरशाद फ़रमाया कि :

﴿أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ﴾ (پ٣، البقرة: ٢٧٥)

तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : "अल्लाह तआ़ला ने ह़लाल किया बैअ़ को ।"

और दूसरी जगह फ़रमाया कि

﴿إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ (پ٥،النسآء: ٢٩)

तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : "मगर येह कि कोई सौदा तुम्हारी बाहमी रिज़ामन्दी का हो ।"

www.dawateislami.net

और बैअ़ को जाइज़ क़रार देने से इन बुराइयों का ख़ातिमा ही तो मक़्सूद था, लिहाज़ा इस हुक्म को मुक़य्यद (Limited) करने से वोही साबिक़ा बुराइयां लौट आएंगी, ह़ालांकि **अल्लाह** तआ़ला ने इसे मुत़्लक़ (Unlimited) फ़रमाया है । मुह़क़्क़िक़ अ़लल इत़्लाक़ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने "**फ़त्हुल क़दीर**" में फ़रमाया : "अगर बैअ़ को मबीअ़ और समन (Estimated Cost) दोनों की तम्लीक (Ownership) का सबब बना कर जाइज़ क़रार न दिया जाता तो इन्सान इस बात का मोह़ताज हो जाता कि या तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें छीन लेता या भीक मांगता, वरना सब्र करता यहां तक कि मर जाता, मगर चूंकि इन सब बातों में खुला फ़साद (Incorrectness) है, और भीक मांगने में जो रुस्वाई व ख़्वारी है वोह हर आदमी बरदाश्त नहीं कर सकता : क्यूंकि येह अ़मल बन्दे को रुस्वा (Disgrace) कर देता है, लिहाज़ा इस बैअ़ को जाइज़ क़रार देने में ग़रीब मुसलमानों की बक़ा और अह़सन त़रीक़े से इन की ह़ाजात की तक्मील है ।"

("فتح القدير"، كتاب البيوع، ج٥، ص٤٥٥،)

येह तो मा'लूम ही है कि शरए़ मुत़ह्हर ने बैअ़ के सिलसिले में कोई ह़द मुक़र्रर नहीं फ़रमाई, बल्कि मुत़्लक़ ख़रीदो फ़रोख़्त को ह़लाल फ़रमाया है, और बैअ़ का मत़्लब एक माल को दूसरे माल से बदलना (Exchange) है, और माल की ता'रीफ़ तो आप पढ़ चुके हैं कि "माल वोह चीज़ है जिस की त़रफ़ त़बीअ़त माइल हो और वक़्ते ज़रूरत के लिये इसे जम्अ़ करना मुमकिन हो", और येह ता'रीफ़ यक़ीनन उन चीज़ों पर पूरी उतरती है जो हम ने तुम्हें बताईं या'नी जिन की ख़रीदो फ़रोख़्त धेले और छदाम वग़ैरा के बदले में होती है ।

www.dawateislami.net

लिहाज़ा अगर एक पैसे से कम में ख़रीदो फ़रोख़्त न करने को वाजिब कर दिया जाए तो येह शरीअ़त पर ज़ियादती होगी जो क़ाबिले क़बूल कैसे हो सकती है ? फिर शायद कोई येह कहे कि शरीअ़त ने पैसे की मालिय्यत की मिक़्दार (Quantity) मुक़र्रर नहीं फ़रमाई और पैसा वक़्त व जगह के बदलने से बदल जाता है लिहाज़ा ज़रूरी है कि हर जगह उसी अ़लाक़े का पैसा मो'तबर हो, जैसा कि ऊपर गुज़र चुका है कि बा'ज़ लोगों के किसी शै को माल बनाने से भी मालिय्यत साबित हो जाती है, लिहाज़ा दुन्या के सब से छोटे पैसे को तलाश करना वाजिब हुवा, ह़ालांकि इस में ह़रजे अ़ज़ीम है और शरीअ़त ह़रज को दूर फ़रमा देती है और येही बात ग़ौर त़लब है।

बेशक "किफ़ाया" के बाबुल बैउ़ल फ़ासिद की इब्तिदा में लिखा है कि बा'ज़ अवक़ात किसी शै का क़ीमत वाला होना बिग़ैर मालिय्यत के भी साबित हो जाता है : क्यूंकि गेहूं का एक दाना (Grain) माल नहीं है लिहाज़ा इस की बैअ़ सह़ीह़ नहीं, अगर्चे इस से नफ़्अ़ ह़ासिल करना शरअ़न जाइज़ है : क्यूंकि लोग इसे माल नहीं समझते।

("الكفاية" مع "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٦، ص٤٣)

इसी त़रह़ "क़सफ़े कबीर" व "**बह़रुर्राइक़**" व "**रद्दुल मुह़्तार**" में है और "**फ़त्ह़ुल क़दीर**" में एक दाने की जगह चन्द दाने फ़रमाया और हम ने क़ाबिले ए'तिमाद उ़लमा से किसी के बारे में नहीं सुना कि वोह फ़रमाते हों कि एक पैसे से कम की चीज़ माल नहीं है।

www.dawateislami.net

मस्अलए "क़ुनिया" की एक नफ़ीस तौजीह

शायद "**क़ुनिया**" ने येह मस्अला इस बिना पर बयान किया हो कि उन के ज़माने में पैसे से कम क़ीमत कोई समन (Currency) न थी या साहिबे "**क़ुनिया**" ने शरए मुतह्हर के मुक़र्रर कर्दा अन्दाज़े में से पैसे से कम किसी और करन्सी को न पाया तो येह हुक्म लगा दिया कि जो चीज़ पैसे से कम की है वोह कुछ नहीं, जैसे "**फ़त्हुल क़दीर**" में "असरार" के ह़वाले से मन्क़ूल है कि जो सोना और चांदी रत्ती भर से कम हो उस की कोई क़ीमत नहीं।

("رد المحتار"، كتاب البيوع، باب الرّبا، مطلب في الإبراء عن الرّبا، ج٧،ص٤٢٦)

क्यूंकि उन उ़लमा ने चांदी और सोने के लिये रत्ती से कम किसी पैमाने को नहीं देखा था, जब कि हमारे अ़लाक़े में इस का पैमाना (Measure) रत्ती के आठवें ह़िस्से (एक चावल) तक मा'रूफ़ है और हमारे अ़लाक़े में आज कल चावल के बराबर सोने की क़ीमत दो पैसे (अ़रब में राइज सिक्का हिल्ले के बराबर) है और बिला शुबा येह सोना जो चावल के बराबर है क़ीमत वाला माल (Valuable Property) है चे जाए कि इस से ज़ियादा जो चौथाई रत्ती या निस्फ़ रत्ती और इस से ज़ाइद सोना हो।

नीज़ बहुत से उ़लमाए किराम फ़रमाते हैं कि जो चीज़ निस्फ़ साअ़ से कम हो वोह अन्दाज़े (Measurement) से बाहर है, लिहाज़ा इस सूरत

www.dawateislami.net

में एक चीज़ अपनी ही जिन्स के इ़वज़ कमी बेशी से बेचना जाइज़ है, और वोह मस्अला कि "एक मुठ्ठी (Hand Ful) गेहूं दो मुठ्ठी गेहूं के बदले बेचना जाइज़ है" इसी उसूल के तह़त निकाला गया है।

जब कि मुह़क़्क़िक़ ने "**फ़त्हुल क़दीर**" में इस मस्अले का रद करते हुवे फ़रमाया है कि "इस पर दिल मुत़मइन नहीं होता। बल्कि जब सूद की ह़ुरमत लोगों के माल की ह़िफ़ाज़त के लिये है तो वाजिब है कि दो सेब के बदले एक सेब और दो मुठ्ठी के बदले एक मुठ्ठी गेहूं बेचना ह़राम हो, और अगर किसी अ़लाक़े में निस्फ़ साअ़ से छोटे पैमाने पाए जाते हों (जैसा कि हमारे हिन्दुस्तान में साअ़ का चौथाई और आठवां ह़िस्सा भी मुक़र्रर है) फिर तो इस ज़ियादती के ह़राम होने में कोई शक नहीं, और येह कहना कि "शरीअ़ते मुत़ह्हरा ने माली वाजिबात मसलन कफ़्फ़ारा और सदक़ए फ़ित्र में जो पैमाने मुक़र्रर फ़रमाए हैं इन में निस्फ़ साअ़ से कम कोई पैमाना (Measure) मुक़र्रर नहीं किया", इस से येह लाज़िम नहीं आता कि एक मुठ्ठी के बदले दो मुठ्ठी बेचने में जो वाज़ेह़ फ़र्क़ है इसे यकसर बे असर कर दिया जाए।" ("فتح القدير"، كتاب البيوع، باب الربوا، ج٦، ص١٥٢، ١٥٣،)

मुह़क़्क़िक़ साह़िब के इस कलाम को "बहरुर्राइक़", "**नहरुल फ़ाइक़**", शुरुम्बुलाली", "**दुर्रे मुख़्तार**" और ह़वाशी वग़ैरा में इसी त़रह़ मुक़र्रर रखा गया, और येह बहुत अच्छा कलाम है।

इसी त़रह़ हम भी येही कहते हैं कि जिन चीज़ों पर भी माल की ता'रीफ़ सादिक़ आती है अगर्चे उन की क़ीमत एक पैसे से कम हो वोह सब

www.dawateislami.net

क़ीमत वाले माल होंगे, लिहाज़ा उन के ज़रीए ख़रीदो फ़रोख़्त के जाइज़ होने में कोई शक नहीं, जैसा कि गुज़श्ता कलाम में चन्द चीज़ों का ज़िक्र हुवा, लिहाज़ा अगर किसी अ़लाक़े में पैसे से छोटी करन्सी राइज हो, जैसा कि हमारे हिन्दुस्तान में छदाम (चौथाई पैसा) और दमड़ी (पैसे का आठवां हिस्सा) राइज हैं, नीज़ शरए मुत़हहर में पैसे से कम क़ीमत करन्सी का ज़िक्र न होने से येह बात लाज़िम नहीं आती कि जो मालिय्यत यक़ीनन ज़ाहिरो बय्यिन (Certainly Apparent And Well Exposed) है उसे बात़िल कर दिया जाए, येह मेरे नज़दीक तह़क़ीक़ है, और ह़क़ीक़त का इ़ल्म तो मेरे रब سبحانہ وتعالیٰ के पास है और वोही सब से ज़ियादा इ़ल्म वाला है।

सुवाल 7 : अगर नोट के बदले कपड़े ख़रीदे जाएं तो येह बैए़ मुत़लक़ होगी या मुक़ायज़ा ?

अल जवाब

हम बयान कर चुके हैं कि नोट एक समने इस्त़िलाही है, लिहाज़ा इसे कपड़ों के इ़वज़ बेचना बैए़ मुक़ायज़ा (Barter Sale) (ऐसी ख़रीदो फ़रोख़्त जिस में मताअ़ (Chattel) के बदले मताअ़ बेचा जाए) नहीं, बल्कि बैए़ मुत़लक़ होगी और इस सूरत में कोई मुअ़य्यन नोट देना ज़रूरी नहीं, बल्कि मुअ़य्यना मालियत का कोई भी नोट दिया जा सकता है, जैसा कि पैसों के लैन दैन में होता है।

www.dawateislami.net

सुवाल 8 : क्या इस नोट को बतौरे क़र्ज़ देना जाइज़ है ? अगर जाइज़ है तो क़र्ज़ वापस करते वक़्त येही नोट वापस किये जाएंगे या चांदी के रूपे भी दिये जा सकते हैं ?

अल जवाब

जी हां ! नोट को बतौरे क़र्ज़ देना जाइज़ है, क्यूंकि येह मिस्ली (Similar) चीज़ है और क़र्ज़ वापस करते वक़्त मिस्ली चीज़ ही दी जाती है, बल्कि हर क़िस्म के दैन में मिस्ली चीज़ ही दी जाती है, मगर जब लैन दैन करने वाले किसी दूसरी चीज़ के लेने देने पर राज़ी हो जाएं (किसी दूसरी चीज़ के लेने देने पर राज़ी होने से मुराद येह है कि क़र्ज़ देते वक़्त इस की शर्त न लगाई गई हो । अगर नोट क़र्ज़ देते वक़्त येह शर्त लगाई हो कि अदाएगी किसी और जिन्स में की जाएगी तो नाजाइज़ है । मसलन सौ का नोट क़र्ज़ दिया और शर्त लगा ली कि वापसी में इतनी चांदी या कपड़ा दे देना जितना सौ रूपे में मिलता है तो ऐसी शर्त नाजाइज़ है, जैसा कि इस की तसरीह इमामे अहले सुन्नत ने "**फ़तावा रज़विय्या**", जिल्द 8, सफ़हा 93 में फ़रमाई है, बल्कि इस इबारत से येह मुराद है कि अदाएगी के वक़्त क़र्ज़ अदा करने वाले ने कहा कि मैं सौ का नोट नहीं दे सकता बल्कि इस क़ीमत की चांदी या डॉलर्ज़ या पाउन्डज़ देना चाहता हूं, पस अगर क़र्ज़ वुसूल करने वाला राज़ी हो जाए तो जाइज़ है) तो दूसरी चीज़ भी दी जा सकती है ।

www.dawateislami.net

सुवाल 9 : क्या करन्सी नोट को चांदी के रूपों के बदले में एक मुअ़य्यन मुद्दत (Fixed Term) तक बतौ़रे क़र्ज़ बेचना जाइज़ है ?

अल जवाब

हां ! जाइज़ है बशर्ते कि नोट पर उसी मजलिस में क़ब्ज़ा कर लिया जाए ताकि दोनों इस ह़ालत में जुदा न हों कि दोनों पर एक दूसरे का दैन (Debt/Credit) हो और इस मस्अले में तह़क़ीक़ येह है कि अगर नोट को चांदी के रूपों के बदले बेचा जाए तो येह ख़रीदो फ़रोख़्त पैसों को चांदी के रूपों के बदले बेचने की त़रह़ है, बैए़ सर्फ़ नहीं, कि इस में दोनों त़रफ़ से क़ब्ज़ा करना शर्त़ हो, क्यूंकि बैए़ सर्फ़ ऐसी बैअ़ को कहते हैं जिस में समने ख़ल्क़ी (या'नी सोना और चांदी, ख़याल रहे कि सोना और चांदी किसी भी शक्ल में हों समने ख़ल्क़ी हैं, नोट और मुरव्वजा सिक्के समने इस्ति़लाह़ी हैं) को समने ख़ल्क़ी (Real Money) के बदले में बेचा जाए, बैए़ सर्फ़ (Money Exchange) की येह ता'रीफ़ "**बह़रुर्राइक़**" व "**दुर्रे मुख़्तार**" वग़ैरहुमा में मज़कूर है ।

("الدر المختار" في شرح "تنوير الأبصار"، كتاب الصرف، ج٧، ص٥٥٢، ملخصًا،)

और येह बात तो ज़ाहिर है कि नोट और पैसे को समनिय्यत के लिये पैदा नहीं किया गया, बल्कि इन का समन होना तो इस बिना पर है कि लोगों ने इन्हें अपने लिये इस्ति़लाह़ी समन बना लिया है ।

www.dawateislami.net

लिहाज़ा येह जब तक चलते रहेंगे समन हैं, और जब इन का चलन ख़त्म हो जाएगा तो येह मताअ़ (Chattel) की त़रह़ का माल हो जाएंगे "**रद्दुल मुह़्तार**" बाबे रिबा में "**बह़्र**" से, "**बह़्र**" में "**ज़ख़ीरा**" और "**ज़ख़ीरा**" में मशाइख़ से इस के बैए़ सर्फ़ न होने की तसरीह़ मन्क़ूल है, अलबत्ता नोट के समने इस्ति़लाह़ी होने की बिना पर दोनों जानिब में से एक का क़ब्ज़ा ज़रूरी है, वरना येह बैअ़ ह़राम हो जाएगी, क्यूंकि नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने दैन को दैन से बेचना ममनूअ़ क़रार दिया है, इमाम मुह़म्मद ने "**मबसूत़**" में इस बात की तसरीह़ फ़रमाई है और "**मुह़ीत़ इमाम सरख़सी**", "**ह़ावी**", "**बज़ाज़िया**", "**बह़्र**", "**नहर**", "**फ़तावा ह़ानूती**", "**तन्वीर**", "**दुर्रे मुख़्तार**" और "**हिन्दिय्या**" वग़ैरहा में इसी पर ए'तिमाद किया गया है, और इमाम इस्बीजाबी के कलाम का भी येही मफ़ाद (Gain) है, जैसा कि अ़ल्लामा शामी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने इन से ब ह़वाला "**बह़्र**" नक़्ल फ़रमाया, "**हिन्दिय्या**" में "मबसूत़" से मन्क़ूल है कि "**किसी ने चांदी के रूपों के बदले रेज़गारी ख़रीदी, ख़रीदार ने चांदी के रूपे अदा कर दिये मगर बाएअ़ ने पैसे अदा न किये तो येह बैअ़ जाइज़ है।**"

("الفتاوى الهندية"، كتاب الصرف، الباب الثاني في أحكام العقد بالنظر ...إلخ، الفصل الثالث في بيع الفلوس، ج٣، ص٢٢٤)

इसी "**आ़लमगीरी**" में "**ह़ावी**" वग़ैरा से मन्क़ूल है कि "अगर किसी ने एक चांदी का रूपिया सौ पैसे में ख़रीदा और रूपे पर बाएअ़ ने क़ब्ज़ा कर लिया लेकिन ख़रीदार का पैसों पर क़ब्ज़ा न हुवा यहां तक कि पैसों का चलन जाता रहा तो क़ियास (Analogy) येह है कि बैअ़ बात़िल न

www.dawateislami.net

हुई, और अगर पचास पैसों पर क़ब्ज़ा कर चुका था इस के बा'द उन पैसों का चलन जाता रहा तो बाक़ी पचास पैसों में बैअ़ बातिल (Null) हो जाएगी, और अगर पैसों का चलन बाक़ी रहे तो बैअ़ फ़ासिद न होगी और ख़रीदार बाक़ी पैसे लेने का ह़क़दार भी रहेगा।"

("الفتاوى الهندية"، كتاب الصرف، الباب الثاني في أحكام العقد بالنظر...إلخ، الفصل الثالث في بيع الفلوس، ج٣، ص٢٢٥، ملتقطاً)

नीज़ इसी "**आ़लमगीरी**" में "**मुह़ीत़ सरख़सी**" से भी इसी त़रह़ मन्क़ूल है, और येह कि "**ज़ख़ीरा**" में है अगर चांदी के रूपे के बदले में पैसे या खाना ख़रीदा ताकि वोह अ़क़्दे सर्फ़ न हो और बाएअ़ व मुश्तरी (Seller and Purchaser) में से एक ने ह़क़ीक़तन क़ब्ज़ा कर लिया फिर दोनों जुदा हो गए तो येह सूरत जाइज़ है, और अगर किसी जानिब से भी ह़क़ीक़तन क़ब्ज़ा न हुवा बल्कि सिर्फ़ हुक्मन क़ब्ज़ा हुवा तो येह नाजाइज़ है, चाहे वोह अ़क़्दे सर्फ़ हो या इस के इ़लावा कोई दूसरा अ़क़्द हो, इस की वज़ाह़त कुछ यूं है कि ज़ैद का बकर पर कुछ पैसा या ग़ल्ला क़र्ज़ था, बकर ने इन्ही पैसों या ग़ल्ले को चांदी के रूपों के बदले ख़रीद लिया और चांदी के रूपे देने से पहले दोनों जुदा हो गए, तो येह बैअ़ बातिल हो गई, येह मस्अला याद रखना निहायत ज़रूरी है अक्सर लोग इस मस्अले से ग़ाफ़िल हैं।"

("الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يجوز...إلخ، الفصل الأول في بيع الدين بالدين، ج٣، ص١٠٢)

www.dawateislami.net

इसी ''आ़लमगीरी'' में ''**ज़ख़ीरा**'' से मन्क़ूल है कि ''एक शख़्स ने किसी को चांदी का रूपिया देते हुवे कहा कि निस्फ़ रूपे के इतने पैसे दे दो बक़िय्या निस्फ़ रूपे की अठन्नी (चांदी का आधा रूपिया) दे दो तो येह जाइज़ है, फिर अगर पैसों और अठन्नी पर क़ब्ज़ा किये बिग़ैर दोनों जुदा हो गए तो पैसों में बैअ़ बर क़रार है अठन्नी के हिस्से में बातिल हो गई और अगर रूपिया भी नहीं दिया था वैसे ही दोनों जुदा हो गए, तो अठन्नी और पैसे दोनों में बैअ़ बातिल हो जाएगी।

("الفتاوى الهندية"، كتاب الصرف،الفصل الثالث في بيع الفلوس، ج٣، ص٢٢٥)

नीज़ ''आ़लमगीरी'' में ''**ज़ख़ीरा**'' के ह़वाले से येह भी मन्क़ूल है कि पैसों के बदले कोई चीज़ ख़रीदी और पैसे देने के बा'द दोनों जुदा हो गए फिर बाएअ़ ने इन पैसों में एक पैसा खोटा पाया उसे वापस कर दिया और दूसरा पैसा ले लिया, तो इस सूरत में येह पैसे अगर किसी मताअ़ की तै़ शुदा क़ीमत (Estimated Cost) थे तो अ़क़्द (Contract) बातिल न हुवा, ख़्वाह उस ने थोड़े पैसे वापस किये हों या ज़ियादा, और उन खोटे पैसों के बदले में दूसरे पैसे ले लिये हों या न लिये हों, और अगर वोह पैसे रूपों की तै़ शुदा क़ीमत (Estimated Cost) थे तो अगर ख़रीदार ने रूपों पर क़ब्ज़ा कर लिया था फिर खोटा पैसा वापस किया गया और इस के बदले बाएअ़ ने खरा पैसा लिया या न लिया दोनों सूरतों में अ़क़्द ब दस्तूर सह़ीह़ है, इसी त़रह़ अगर बाएअ़ ने तमाम पैसे खोटे पाए और वापस लौटा दिये

www.dawateislami.net

और इन के बदले में खरे पैसे ले लिये या अभी नहीं लिये तो इस सूरत में भी बैअ़ दुरुस्त ही रहेगी और रूपों पर क़ब्ज़ा करने से पहले सब रूपे खोटे पाए और वापस दे दिये तो इमामे आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ के नज़दीक बैअ़ बातिल हो गई, ख़्वाह उसी मजलिस में बदल कर खरे पैसे ले लिये हों या न लिये हों, दोनों सूरतों में बैअ़ बातिल है। जब कि साहिबैन[1] رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا फ़रमाते हैं : अगर इसी मजलिस में खोटों के बदले खरे पैसे ले लिये हों तो बैअ़ दुरुस्त रहेगी, और अगर न लिये तो बैअ़ बातिल हो जाएगी, और अगर सिर्फ़ कुछ पैसे खोटे पा कर वापस दिये हों तो क़ियास (Conjecture) येही है कि फ़क़त़ इतने पैसों ही में बैअ़ बातिल हो, मगर इमामे आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ बत़ौरे इस्तिह़सान (इस्तिह़सान, ऐसे क़ियासे ख़फ़ी (Secret Conjecture) का नाम है जो ज़ाहिरी क़ियास के मुक़ाबले में होता है, मसलन चील का गोश्त ह़राम है, चुनान्चे, उस के लुआ़ब का भी येही हुक्म है। पस अगर चील दह दर दह से कम पानी में से पिये तो उस पानी पर नापाकी का हुक्म होना चाहिये, क्यूंकि जब चील पानी पियेगी उस की ज़बान पानी से मस होगी, और पानी नापाक हो जाएगा, मगर इस में इस्तिह़सान येह है कि चील पानी अपनी चोंच में लेती और फिर ह़ल्क़ से नीचे उतारती है। चुनान्चे, उस के लुआ़ब के पानी में शामिल होने का एह़तिमाल कमज़ोर है, जब कि

---

1 .....फ़िक़्हे ह़नफ़ी में इमामे अबू ह़नीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुह़म्मद (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُم) को **अइम्मए सलासा** कहते हैं, इमामे आ'ज़म और इमाम अबू यूसुफ़ (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) को **शैख़ैन** कहते हैं, इमामे आ'ज़म और इमाम मुह़म्मद (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) को **त़रफ़ैन** जब कि इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुह़म्मद को **साह़िबैन** कहते हैं।

www.dawateislami.net

उस की चोंच हड्डी की होती है और सिवाए ख़िन्ज़ीर के तमाम ह़ैवानात की हड्डियां पाक हैं, चुनान्चे, पानी की नापाकी का हुक्म नहीं दिया जाएगा) फ़रमाते हैं कि अगर वापस दिये हुवे पैसे थोड़े हों और उसी मजलिस में बदल लिये जाएं तो अ़क़्द अस्लन बात़िल न होगा और इस थोड़े से कितने पैसे मुराद हैं इस से मुतअ़ल्लिक़ इमाम साहि़ब से मुख़्तलिफ़ अक़्वाल मरवी हैं, एक क़ौल में है कि निस्फ़ से ज़ाइद कसीर हैं और इस से कम क़लील, दूसरी रिवायत में है कि निस्फ़ भी कसीर हैं, तीसरी रिवायत में है कि तिहाई से ज़ाइद हों तो कसीर हैं।

("الفتاوى الهندية"، كتاب الصرف، الباب الثاني، الفصل الثالث في بيع الفلوس، ج٣، ص٢٢٥، ٢٢٦، ملتقطاً)

हम ने "**ज़ख़ीरा**" के ह़वाले से ब कसरत नुक़ूल इस लिये ज़िक्र कीं, कि अ़न क़रीब एक नक़्ल एक पैसे को दो पैसों के बदले में बेचने के ख़िलाफ़ आएगी, लिहाज़ा येह बात याद रहे कि साहि़बे "**ज़ख़ीरा**" ने हमारे इस मस्अले या'नी (पैसों को रूपे के बदले बेचने) के बारे में बहुत सी जगह जाइज़ होने का फ़ैसला फ़रमाया है और यहां इस मस्अले के ख़िलाफ़ कोई बात भी ज़िक्र न फ़रमाई नीज़ "**तन्वीरुल अबसार**" और "**दुर्रे मुख़्तार**" में है कि "अगर किसी ने पैसों को पैसों या रूपों या फिर अशरफ़ियों के बदले में बेचा तो अगर एक त़रफ़ से क़ब्ज़ा हो गया तो येह बैअ़ जाइज़ है और अगर किसी एक के भी क़ब्ज़ा करने से पहले दोनों जुदा हो गए तो बैअ़ जाइज़ नहीं।"

("الدر المختار" شرح "تنوير الأبصار"، كتاب البيوع، باب الرّبا، ج٧، ص٤٣٣)

www.dawateislami.net

अल ग़रज़ मस्अला ज़ाहिर है और इस के बारे में नक़्लें वाफ़िर हैं, अगर्चे अ़ल्लामा क़ारियुल हिदाया ने अपने "फ़तावा" में इस की मुख़ालफ़त फ़रमाई, और दोनों जानिब का क़ब्ज़ा (Custody from both sides) शर्त फ़रमाया, और किसी त़रफ़ से भी उधार (Credit) होने को ह़राम ठहराया है, इस की इ़बारत येह है कि "**सुवाल :** एक मिस्क़ाल सोना पैसों की ढेरी के बदले उधार बेचना जाइज़ है या नहीं ? **जवाब :** पैसों को सोने या चांदी के बदले उधार बेचना नाजाइज़ है, क्यूंकि हमारे उ़लमा ने तसरीह़ फ़रमाई है कि ऐसी दो चीज़ें जो तोल कर बेची जाती हों (जैसे सोना, चांदी, तांबा) इन में से एक की दूसरे के बदले **बैए़ सलम** जाइज़ नहीं, मगर जब कि तोल कर दी जाने वाली उधार चीज़ जो ब ज़रीअ़ए सलम वा'दे पर लेनी ठहरी है मबीअ़ हो, समन की क़िस्म से न हो जैसे ज़ा'फ़रान, और पैसे जिन्से मबीअ़ से नहीं हैं बल्कि इन्हें समन बना लिया गया है।"

("فتاوى قارئ الهداية"، مسألة في الرّبا، ص٢٨)

जब अ़ल्लामा ह़ानूती से पैसे को सोने के बदले में उधार बेचने के बारे में सुवाल हुवा तो उन्हों ने इस का रद (Repulse) फ़रमाया और जवाब दिया कि "**येह जाइज़ है।**" जब कि दोनों में से एक पर क़ब्ज़ा हो गया हो, क्यूंकि "**बज़ाज़िया**" में है कि "**अगर एक रूपे के बदले में सौ पैसे ख़रीदे तो एक त़रफ़ से क़ब्ज़ा हो जाना काफ़ी है**" फिर फ़रमाया : "**इसी त़रह़ सोने और चांदी को पैसों के बदले बेचना जाइज़ है**" जैसा

www.dawateislami.net

कि "**बहर**" में "**मुहीत़**" से है, फिर फ़रमाया कि "**फ़तावा क़ारियुल हिदाया**" के क़ौल से धोका न खाया जाए।

("رد المحتار"، كتاب البيوع، باب الرّبا، مطلب: في استقراض الدراهم عدداً، ج٧، ص٤٣٣)

"**नहरुल फ़ाइक़**" में इसी ए'तिराज़ का येह जवाब दिया गया कि "**फ़तावा क़ारियुल हिदाया**" की यहां बैअ़ से मुराद बदली या'नी **बैए़ सलम** (V. alivrer) है, क्यूंकि पैसे समन से मुशाबहत रखते हैं, और समन की समन से **बैए़ सलम** दुरुस्त नहीं है और इस हैसिय्यत से कि पैसे अस्ल में मताअ़ (Chattel) हैं चुनान्चे, एक जानिब से क़ब्ज़ा कर लेना काफ़ी है।

("رد المحتار"، كتاب البيوع، باب الرّبا، مطلب: في استقراض الدراهم عدداً، ج٧، ص٤٣٣)

मैं कहता हूं कि : इन की दलील से येही समझ में आता है कि हमारे उ़लमा ने तसरीह़ की है कि जो चीज़ें वज़्न कर के बेची जाती हैं उन में **बैए़ सलम** जाइज़ नहीं.....इलख़।

मगर अ़ल्लामा इब्ने आ़बिदीन ने "**रद्दुल मुह़्तार**" में इसी को काफ़ी न जाना बल्कि मज़ीद फ़रमाया कि "अ़ल्लामा क़ारियुल हिदाया का कलाम "**जामेए़ सग़ीर**" से मफ़्हूम कलाम (दोनों त़रफ़ से क़ब्ज़ा शर्त़ है) पर मह़मूल है।"

("رد المحتار"، كتاب البيوع، باب الرّبا، مطلب: في استقراض الدراهم عدداً، ج٧، ص٤٣٣)

मज़ीद फ़रमाया कि "**अब बज़ाज़िया**" के मज़कूरा मस्अले से ए'तिराज़ वारिद नहीं होगा क्यूंकि वोह उस कलाम पर मह़मूल है जो इमाम मुह़म्मद की "**मबसूत़**" में है।"

www.dawateislami.net

और इस क़ौल से कुछ पहले अ़ल्लामा शामी عَلَيْهِ الرَّحْمَة ने "**बहर**" व "**ज़ख़ीरा**" के ह़वाले से नक़्ल किया कि : "इमाम मुह़म्मद رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने "मबसूत़" की किताबुस्सर्फ़ में एक पैसे को दो मुअ़य्यन पैसों के बदले में बेचने का मस्अला ज़िक्र फ़रमाया और त़रफ़ैन के क़ब्ज़े (Custody From Both Sides) को शर्त़ क़रार नहीं दिया, जब कि "**जामेए़ सग़ीर**" में ऐसी इबारत ज़िक्र फ़रमाई जो क़ब्ज़ए त़रफ़ैन के शर्त़ होने पर दलालत करती है, इसी लिये बा'ज़ मशाइख़ ने इस दूसरे हुक्म को सह़ीह़ क़रार नहीं दिया : क्यूंकि बैए़ सर्फ़ में तअ़य्युन के साथ दोनों त़रफ़ का क़ब्ज़ा शर्त़ है, जब कि यहां पैसों को चांदी के रूपे से उधार बेचने की सूरत में क़ब्ज़ए त़रफ़ैन के शर्त़ होने का हुक्म नहीं, और बा'ज़ ने इसे दुरुस्त क़रार दिया : क्यूंकि पैसे एक जिहत से मताअ़ का हुक्म रखते हैं और एक जिहत से समन का, लिहाज़ा पहली जिहत के सबब कमी बेशी जाइज़ हुई, और दूसरी के सबब क़ब्ज़ए त़रफ़ैन शर्त़ हुवा।

("رد المحتار"، كتاب البيوع، باب الرّبا، مطلب في استقراض الدراهم عدداً، ج٧، ص٤٣٣)

أقول وباللّٰه التوفيق अ़ल्लामा शामी ने "**बहर**" और "**बहर**" ने "**ज़ख़ीरा**" की इत्तिबाअ़ करते हुवे जो येह कहा कि "**जामेए़ सग़ीर**" का कलाम दोनों त़रफ़ के क़ब्ज़े के शर्त़ होने पर दलालत करता है, बन्दए ज़ईफ़ को इस में सख़्त तअम्मुल हुवा तो मैं ने "**जामेए़ सग़ीर**" की त़रफ़ रुजूअ़ किया तो इस की इबारत यूं पाई : "इमाम मुह़म्मद رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ इमाम अबू यूसुफ़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से और वोह इमामे आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स ने पेट की दो रत़ल चरबी एक रत़ल चक्की की चरबी के

www.dawateislami.net

इ़वज़ या दो रत़्ल गोश्त एक रत़्ल चरबी को या एक अन्डे को दो अन्डों या एक अख़रोट को दो अख़रोट या एक पैसे को दो पैसों या एक छूहारे को दो छूहारों के इ़वज़ नक़्द दस्त ब दस्त बेचा, और दोनों मुअ़य्यन हों तो येह बैअ़ जाइज़ है, और येही क़ौल इमाम अबू यूसुफ़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ का भी है, जब कि इमाम मुह़म्मद رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ फ़रमाते हैं कि एक पैसे को दो पैसों के इ़वज़ बेचना जाइज़ नहीं, हां ! एक छूहारे को दो छूहारों के बदले बेचना जाइज़ है ।" (الجامع الصغیر)

यदम बियदिन (दस्त ब दस्त) की तह़क़ीक़

बहर ह़ाल इन का क़ौल या'नी "**दस्त ब दस्त**" ही अस्ल दलील है मगर इ़ल्मे फ़िक़्ह में महारत रखने वाले पर येह बात इ़यां है कि येह लफ़्ज़ ("**दस्त ब दस्त**") क़ब्ज़ए त़रफ़ैन के शर्त़ होने पर नस्से सरीह़ नहीं है (क्यूंकि क़ब्ज़ए त़रफ़ैन से मुराद येह है ख़रीदने और फ़रोख़्त करने वाले दोनों अफ़राद समन और मबीअ़ पर क़ाबिज़ हो जाएं) क्या तुम येह नहीं देखते कि हमारे उ़लमाए किराम رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السَّلَام ने सूद वाली मश्हूर ह़दीस में "**दस्त ब दस्त**" से दोनों चीज़ों का मुअ़य्यन होना मुराद लिया है ।

जैसा कि "**हिदाया**" में है कि नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रह़ीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के इरशाद "**दस्त ब दस्त**" के मा'ना येह हैं कि "**दोनों जानिब तअ़य्युन हो जाए**" या'नी किसी त़रफ़ से दैन (Financial Claim) न रहे, और उ़बादा बिन सामित رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ ने इसी त़रह़ रिवायत फ़रमाया । ("الهداية"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٣، ص٦٣)

www.dawateislami.net

और ''दस्त ब दस्त'' के मा'ना तअ़य्युन क्यूं कर न हो ! ह़ालांकि हमारे अस्ह़ाब ने फ़रमाया है कि ''क़ब्ज़ए त़रफ़ैन फ़क़त़ बैए़ सर्फ़ में शर्त़ है और जहां तक इस के इ़लावा बुयूअ़ या'नी ख़रीदो फ़रोख़्त की दूसरी सूरतों का तअ़ल्लुक़ है जिन में सूद जारी हो सकता है उन में फ़क़त़ तअ़य्युन शर्त़ है ''जैसा कि हिदाया'' वग़ैरा में है। ("الهداية"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٣، ص٦٢)

और ''**तन्वीरुल अबसार**'' में है कि ''जिस माल में सूद का एह़तिमाल हो वहां बैए़ सर्फ़ के इ़लावा हर क़िस्म की बैअ़ में फ़क़त़ माल के मुअ़य्यन होने का ही ए'तिबार है, क़ब्ज़ए त़रफ़ैन शर्त़ नहीं।''

("تنوير الأبصار" مع "الدر المختار"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٧، ص٤٣٠)

''**दुर्रे मुख़्तार**'' में इस इ़बारत की शर्ह़ में फ़रमाया : ''यहां तक कि अगर गेहूं के बदले गेहूं बेचे और दोनों को मुअ़य्यन कर दिया और क़ब्ज़ा किये बिग़ैर जुदा हो गए तो जाइज़ है।''

("الدر المختار "شرح" تنوير الأبصار"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٧، ص٤٣٠)

लिहाज़ा अगर इमाम मुह़म्मद رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْه के इस क़ौल को इ़बारते मज़कूरा में क़ब्ज़ए त़रफ़ैन पर मह़मूल किया जाए और इस से मुराद येह ली जाए कि पैसों के बदले पैसे बेचने की सूरत में क़ब्ज़ए त़रफ़ैन शर्त़ है तो जिन के नज़दीक येह क़ैद (Limitation) तमाम मसाइल की त़रफ़ राजेअ़ (Inclined) है उन के नज़दीक खजूरों, अन्डों और अख़रोटों को आपस में बेचने की सूरत में भी क़ब्ज़ए त़रफ़ैन का शर्त़ होना लाज़िम आएगा, मसलन साह़िबे ''**नहरुल फ़ाइक़**'' और ''**दुर्रे मुख़्तार**'' वग़ैरहुमा, क्यूंकि इन

www.dawateislami.net

तमाम मसाइल को एक ही त़रीक़े से बयान किया गया है, ख़ास त़ौर पर "**जामेए़ सग़ीर**" की इ़बारत में : क्यूंकि इस में तो इस क़ैद को खजूर की बैअ़ के बा'द ज़िक्र किया गया है और पैसों की ख़रीदो फ़रोख़्त का ज़िक्र मज़्कूरा क़ैद से पहले है, ह़ालांकि अइम्मा में से येह क़ौल कि "अन्डों या अख़रोटों की आपस में बैअ़ के वक़्त क़ब्ज़ए त़रफ़ैन शर्त़ हो" किसी का भी नहीं है, लिहाज़ा "यदम बियदिन" को तअ़य्युन के शर्त़ होने पर मह़मूल करना वाजिब है ताकि इमाम मुह़म्मद رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ का इरशाद कि "**मुअ़य्यन हों**" इस "**दस्त ब दस्त**" की तफ़्सीर हो जाए, वरना इस कलाम का कोई फ़ाइदा न होगा, क्यूंकि क़ब्ज़ए त़रफ़ैन में **तअ़य्युन** की क़ैद बिला वज्ह की ज़ियादती है, इस लिये बा'द में इस का ज़िक्र करना फ़ुज़ूल है, लिहाज़ा जब इमाम बुरहानुद्दीन मरग़ीनानी साहि़ब "**हिदाया**" رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ ने "**जामेए़ सग़ीर**" से इस मस्अले को नक़्ल किया तो "**दस्त ब दस्त**" का लफ़्ज़ इस से साक़ित़ फ़रमा दिया और सिर्फ़ तअ़य्युन का ज़िक्र किया।

और लिखा कि "इमाम मुह़म्मद رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ ने फ़रमाया : कि एक अन्डा दो अन्डों के इ़वज़ एक खजूर दो खजूरों के इ़वज़ और एक अख़रोट को दो अख़रोट के इ़वज़ बेचना जाइज़ है, नीज़ एक पैसे को दो मुअ़य्यन पैसों के इ़वज़ बेचना भी जाइज़ है।" ("الهداية"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٣، ص٦٣)

लिहाज़ा रोज़े रोशन की त़रह़ वाज़ेह़ हो गया कि "**जामेए़ सग़ीर**" का कलाम इस बात पर बिल्कुल दलालत नहीं करता जिसे उन अकाबिर

www.dawateislami.net

उ़लमा ने समझा, और अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि "**जामेउ़ सग़ीर**" का कलाम इस बात पर दलालत करता भी है तो यहां एक ज़ाहिर व ना क़ाबिले तरदीद एह़तिमाल (Irrefutable Doubt) भी मौजूद है और जिस बात में एह़तिमाल पैदा हो जाए वोह हुज्जत नहीं रहती ब ख़िलाफ़ "मबसूत़" की इबारत के, क्यूंकि वोह त़रफ़ैन के क़ब्ज़े के शर्त़ न होने में नस्स है, और कैसी ज़बरदस्त नस्स है वोह आप सुन चुके हैं, लिहाज़ा इसी पर ए'तिमाद करना चाहिये । और तौफ़ीक़ तो **अल्लाह** अ़ज़मत वाले बादशाह ही की त़रफ़ से है ।

याद रहे कि येह कलाम तो हमारी त़रफ़ से अ़ल्लामा शामी के साथ उन की रविश पर चलना था जिस से "**जामेउ़ सग़ीर**" की मुराद को ज़ाहिर करना मक़्सूद (Intended) था, वरना ह़क़ तो येह है कि अ़ल्लामा क़ारियुल हिदाया के फ़तवा को इस बात की ह़ाजत नहीं कि "**जामेउ़ सग़ीर**" की इबारत को त़रफ़ैन के क़ब्ज़े के शर्त़ होने पर मह़मूल किया जाए[1] और न ही वोह इस बात का दा'वा करते हैं[2] और न ही उन का दा'वा इस पर मौक़ूफ़ है, क्यूंकि वोह तो उधार को ह़राम फ़रमा रहे हैं, और उधार के ह़राम होने के लिये मबीअ़ व समन (Sold thing and Estimated Cost) का मुअ़य्यन होना ज़रूरी नहीं चे जाए कि क़ब्ज़ए त़रफ़ैन ज़रूरी हो, क्या आप नहीं देखते कि अगर कोई शख़्स एक रूपिया नक़्द के इ़वज़ कपड़ा बेचे तो

---

1 .....क्यूंकि वोह (अ़ल्लामा क़ारियुल हिदाया) तो इसे **बैउ़ सलम** (V. alivrer) मान रहे हैं और तुम (अ़ल्लामा शामी) इसे बैउ़ सर्फ़ कह रहे हो । 12 मिन्ह رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ

2 .....इस लिये कि समन में **बैउ़ सलम** अस्लन जाइज़ नहीं चाहे उस चीज़ में हो जिस में दोनों त़रफ़ का क़ब्ज़ा शर्त़ है जैसे समन के इ़वज़ समन की **बैउ़ सलम**, या क़ब्ज़ए त़रफ़ैन न हो जैसे समन में मबीअ़ की **बैउ़ सलम** । 12 मिन्ह رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ

www.dawateislami.net

इस सूरत में न ही उधार है और न मबीअ़ व समने मुअ़य्यन हैं[1] । अलबत्ता अगर मबीअ़ व समन को मुअ़य्यन किया जाए तो उधार का ह़राम होना लाज़िम है, क्यूंकि वा'दा शै को आसानी से ह़ासिल करने की ग़रज़ से किया जाता है और मुअ़य्यन चीज़ फ़िलह़ाल ह़ासिल होती है, लिहाज़ा अगर "**जामेए़ सग़ीर**" की इ़बारत से अ़ल्लामा क़ारियुल हिदाया के लिये इस त़र्ज़ पर इस्तिद्लाल (Reasoning) किया जाता तो इस की एक वज्ह[2] होती और ए'तिराज़े मज़कूर से मुह़ाफ़ज़त रहती ।

1....मबीअ़ और समन का मुअ़य्यन होना उस वक़्त ज़रूरी होता है जब कि उधार न हो, और उधार न होना ही मबीअ़ व समन के मुअ़य्यन होने को लाज़िम है और यहां ऐसा नहीं बल्कि बा'ज़ अवक़ात दोनों बातें नहीं होतीं कि न उधार हो न दोनों जानिब मुअ़य्यन चीज़ें हों जैसे मज़कूरा मिसाल में । 12 मिन्ह رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ

2....कि वोह उन के फ़तवा के हुक्म या'नी नाजाइज़ होने की दलील हो अगर्चे येह हुक्म बैए़ सर्फ़ की वज्ह से साबित हुवा **बैए़ सलम** की वज्ह से नहीं । "**हिन्दिय्या**" में "**मुह़ीत़**" के ह़वाले से जो मसाइल मज़कूर हैं कि ग़ल्ला क़र्ज़ लेने वाला अगर क़र्ज़ ख़्वाह से वोह ग़ल्ला सौ रूपे में ख़रीद ले तो येह जाइज़ है जब कि ऐसा ग़ल्ला ख़रीदे जो उस के ज़िम्मे लाज़िम हुवा हो न कि वोह ग़ल्ला जो क़र्ज़ लिया था, इस सूरत में क़ीमत उसी जल्से में अदा करना ज़रूरी है वरना येह बैअ़ ह़राम होगी, क्यूंकि आक़िदीन दोनों त़रफ़ उधार की ह़ालत में जुदा हुवे । फिर फ़रमाया कि रूपे पैसे और अशरफ़ियों के क़र्ज़ होने की सूरत के इ़लावा हर माप तोल की चीज़ का येही हुक्म है ।

इस त़रह़ उन्हों ने पैसों को भी रूपों और अशरफ़ियों की त़रह़ ज़िम्मे पर क़र्ज़ होने वाली चीज़ों में शुमार किया, लिहाज़ा इन की ख़रीदो फ़रोख़्त नाजाइज़ है अगर्चे क़ीमत उसी जल्से में अदा कर दी जाए, और सह़ीह़ वोही क़ौल है जिसे हम ब ह़वाला "**हिन्दिय्या**", "**ज़ख़ीरा**" से नक़्ल कर चुके हैं कि बैए़ सर्फ़ के इ़लावा हर क़िस्म की बैअ़ में फ़क़त़ येह बात मन्अ़ है कि दोनों त़रफ़ में से किसी पर ह़क़ीक़तन क़ब्ज़ा न करें अगर्चे एक पर हुक्मी क़ब्ज़ा हो जाए, मसलन क़र्ज़ा अगर किसी के ज़िम्मे हो तो हुक्मी त़ौर पर वोह क़ब्ज़े में होता है मगर जब मबीअ़ या समन में से एक पर क़ब्ज़ा हो जाए तो जाइज़ है, इसी त़रह़ से "**रद्दुल मुह़तार**" में "वजीज़" के ह़वाले से मन्क़ूल है ग़रज़ येह कि इस सूरत को बैए़ सर्फ़ क़रार देना इसे हमारे आ़म उ़लमा के इस क़ौल से फैरना है जिसे उन्हों ने मुअतअ़द्दिद कुतुब में नस्स फ़रमाया । واللہ اعلم

www.dawateislami.net

अब मैं **अल्लाह** की तौफ़ीक़ से कहता हूं : कि येह बात तो तुम पर ज़ाहिर है कि मबीअ़ व समन का मुअ़य्यन होना सिर्फ़ अम्वाले रिबा में शर्त़ है, और अम्वाले रिबा सिर्फ़ दो क़िस्म की चीज़ें हैं (1) जो नाप या (2) तोल कर बेची जाती हैं, जब कि वोह चीज़ें जिन की ख़रीदो फ़रोख़्त गिनती कर के होती है, अम्वाले रिबा नहीं । "**फ़त्हुल क़दीर**" वग़ैरा के बाबुस्सलम में इस बात की तसरीह़ मौजूद है कि **बैए सलम** सिर्फ़ अम्वाले रिबा में मन्अ़ है, जब कि इन्हें अपनी ही जिन्स के इ़वज़ बेचा जाए, और गिन कर बेची जाने वाली चीज़ें अम्वाले रिबा में से नहीं ।

("فتح القدير"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٦، ص٢٠٨)

जैसा कि "**कन्ज़**" के इस क़ौल की शर्ह़ में कि "**जब दोनों न हों तो दोनों ह़लाल हैं**", के तह़त "**बह़रुर्राइक़**" में फ़रमाया कि या'नी "जब क़दर (Weight And Measurement) व जिन्स (Species) दोनों न हों तो कमी बेशी और उधार दोनों ह़लाल हैं, लिहाज़ा "**हरात**" के बने हुवे एक कपड़े को "मरव" के बने हुवे दो कपड़ों के इ़वज़ बेचना जाइज़ है (हरात और मरव, दो मक़ामात के नाम हैं) इसी त़रह़ अन्डों के इ़वज़ अख़रोट उधार बेचना भी जाइज़ है ।"

("البحر الرائق"، كتاب البيوع، باب الربا، قوله (و حلاً عدمهما) ج٦، ص٢١٥)

www.dawateislami.net

और साहिबे "कन्ज़" ने जो येह फ़रमाया कि "बैए सर्फ़ के इलावा अम्वाले रिबा में तअ़य्युन का ए'तिबार किया जाता है क़ब्ज़ए त़रफ़ैन का नहीं, तो इस की शर्ह में साहिबे "**बहर**" ने फ़रमाया कि इस की वज़ाह़त इमाम इस्बीजाबी का येह क़ौल है कि "जब नाप की चीज़ को नाप वाली चीज़ के इवज़ या तोल कर बेची जाने वाली चीज़ को तोल वाली चीज़ के इवज़ बेचा जाए ख़्वाह दोनों की जिन्स एक ही हो या दोनों की जिन्स मुख़्तलिफ़ हों तो बैअ़ के जवाज़ के लिये मबीअ़ व समन दोनों चीज़ों का मुअ़य्यन होना शर्त़ है चाहे वोह चीज़ें वहां ह़ाज़िर हों या ग़ाइब, अलबत्ता आ़क़िदैन (Contractors) की मिल्क में होना चाहियें।"

("البحر الرائق"، كتاب البيوع، باب الربا، قوله يعتبر التعيين دون التقابض...إلخ، ج٦، ص٢١٧)

पैसों की बाहम बैअ़ में तअ़य्युन को वाजिब करने की दलील येही है कि अगर एक मुअ़य्यन पैसे को दो ग़ैर मुअ़य्यन पैसों के इवज़ बेचा जाए तो बाएअ़ (Seller) को इख़्तियार होगा कि वोह मुअ़य्यन पैसा अपने पास रख ले और मुश्तरी (Purchaser) से दूसरा पैसा त़लब करे, या मुअ़य्यन पैसा मुश्तरी को दे कर फिर इसी पैसे को एक पैसे के साथ उस से वापस ले ले, क्यूंकि इस सूरत में मुश्तरी के ज़िम्मे बाएअ़ के दो पैसे वाजिब हो गए, लिहाज़ा बाएअ़ का अपना माल तो बिऐ़निही उस की त़रफ़ लौट आया और दूसरा पैसा बिला मुआ़वज़ा रह गया।

इसी त़रह़ से अगर दो मुअ़य्यन पैसों को एक ग़ैर मुअ़य्यन पैसे के इवज़ बेचा जाए तो मुश्तरी दोनों पैसे ले लेगा, और उस के ज़िम्मे जो एक पैसा लाज़िम हुवा है इसे इन्हें दो पैसों में से बाएअ़ को लौटा देगा, जब कि

www.dawateislami.net

दूसरा पैसा मुआ़वज़े के बिग़ैर ज़ाइद रह गया जिस का वोह अ़क़्दे बैअ़ (Sale Contract) की वज्ह से ह़क़दार हुवा, जैसा कि "**फ़त्हुल क़दीर**" में है और इस के मिस्ल "**इनाया**" वग़ैरा में है।

("فتح القدير"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٦، ص١٦٢)

और पैसों के इ़वज़ चांदी का रूपिया उधार बेचने में येह इ़ल्लत (Cause) जारी नहीं हो सकती, जैसा कि पोशीदा नहीं, तो अब नोट और चांदी के रूपे में येह इ़ल्लत कैसे जारी हो सकती है जब कि जिन्स और क़दर दोनों ही वाज़ेह़ तौ़र पर मुख़्तलिफ़ हैं लिहाज़ा क़ारियुल हिदाया की इ़बारत का बेहतरीन मह़मल वोही है जो "**नहरुल फ़ाइक़**" में ज़िक्र किया गया है, इस सूरत में वोह इमाम मुह़म्मद رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से मरवी एक रिवायते नादिरा पर मब्नी होगी और इस का बयान अ़न क़रीब आएगा, और अगर उसे न माना जाए तो क्या हुवा ! वोह अ़ल्लामा साह़िब का एक फ़तवा ही तो है जिस के साथ कोई सनद (Support) नहीं है, और न उस फ़तवा में इस से पहले कोई उन का मुस्तनद (Deed) मा'लूम[1] न वोह इस पर किसी नक़्ल से सनद लाए, और अ़ल्लामा शामी ने उन के लिये जो तकल्लुफ़ किया इस का ह़ाल मा'लूम हो चुका तो इस से क्यूंकर मुआ़रज़ा हो सकता है उस हुक्म[2] का जिस पर येह अकाबिर उ़लमाए किराम मुत्तफ़िक़ हैं जिन के अस्माए गिरामी ऊपर मज़कूर हुवे

---

1 .....या'नी जो त़रीक़ा अ़ल्लामा शामी ने ज़िक्र किया है इस के मुत़ाबिक़ अगर इसे बैए सर्फ़ की त़रफ़ फेरें तो इस के ज़ो'फ़ का तुम्हें इ़ल्म है। 12 मिन्ह

2 .....जो "मबसूत़" से मन्क़ूल है कि "किसी ने चांदी के रूपों के बदले रेज़गारी ख़रीदी, ख़रीदार ने चांदी के रूपे अदा कर दिये मगर बाएअ़ ने पैसे अदा न किये तो येह बैअ़ जाइज़ है।"

www.dawateislami.net

और इस हुक्म के मुआ़मले में उन की दलील "मबसूत़" में मज़कूर इमाम मुह़म्मद का क़ौल है, और बेशक वोही क़ौले फ़ैसल है।

फिर येह कि अ़ल्लामा क़ारियुल हिदाया ने इस के इ़लावा जो ज़िक्र किया है उस में हमारे मज़हबे ह़नफ़ी के मसाइल से दो सरीह़ भूलें (Two Clear Amazements) हैं :-

एक भूल तो उस बात से जो हमारे उ़लमाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ने तसरीह़ फ़रमाई है कि "**पैसे इस्ति़लाह़ (Terminology) के सबब वज़्न की चीज़ होने से ख़ारिज हो कर गिनती की चीज़ हो गए।**"

और दूसरी भूल इस से जिस पर हमारे उ़लमाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ने नस्स फ़रमाई कि "**पैसों का समन होना बाएअ़ और मुश्तरी की अपनी इस्ति़लाह़ से बाति़ल हो जाता है, और समनिय्यत के बाति़ल होने से पैसों की वोह इस्ति़लाह़ जो ठहरी हुई है कि पैसे गिनती की चीज़ हैं, बाति़ल नहीं होती।**"

और इन तमाम बातों की "**हिदाया**" वग़ैरा में वज़ाह़त मौजूद है। "**हिदाया शरीफ़**" की इबारत येह है कि :-

"इमामे आ'ज़म और इमाम अबू यूसुफ़ (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) की दलील येह है कि किसी शै का बाएअ़ व मुश्तरी के ह़क़ में समन होना उन की अपनी इस्ति़लाह़ से साबित होता है, क्यूंकि ग़ैर को आ़क़िदैन पर विलायत (Guardianship) ह़ासिल नहीं, लिहाज़ा वोह अपनी इस्ति़लाह़ में

www.dawateislami.net

समनिय्यत को बातिल भी कर सकते हैं, और समनिय्यत बातिल हो जाने के बा'द पैसों को मुअय्यन करने से पैसे मुअय्यन भी हो जाएंगे, नीज़ समनिय्यत बातिल हो जाने के बा'द पैसे तोलने वाली चीज़ नहीं होंगे, क्यूंकि इस्तिलाह में इन का गिनती वाली शै होना बाक़ी है।"

("الهداية" في شرح "بداية المبتدي"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٣، ص٦٣)

अन क़रीब हम आप को बताएंगे कि इमाम मुहम्मद رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه भी **बैए सलम** में समनिय्यत के बातिल होने को तस्लीम करते हैं, मगर उन्हों ने बैअ में दलील न होने की वज्ह से इस का इन्कार फ़रमाया, इस तफ़्सील से इस मस्अले पर हमारे तमाम अइम्मा का इजमाअ साबित हुवा, लिहाज़ा इस सूरत में चांदी के रूपे या सोने की अशरफ़ी के इवज़ पैसों की **बैए सलम** करना समन की **बैए सलम** (V. alivrer) नहीं और न ही इस सूरत में तोल कर दी जाने वाली दो चीज़ों की **बैए सलम** है, बल्कि तोल वाली चीज़ के इवज़ गिन कर बेची जाने वाली चीज़ की **बैए सलम** है, जिस के अफ़राद आपस में मुशाबहत रखते हैं, और हमारे उलमा رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی का इजमाअ है कि इस में कोई हरज नहीं।

अल हासिल बन्दए ज़ईफ़ (इमामे अहले सुन्नत رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه) अल्लामा क़ारियुल हिदाया के उस फ़तवे के सहीह होने की कोई वज्ह नहीं जानता, आप ग़ौर करें शायद उन के कलाम के लिये कोई ऐसी वज्ह हो जो

www.dawateislami.net

मैं अपनी कम फ़हमी (Ignorance) से न जान पाया होऊं और क्या अ़जब कि इन अ़ल्लामा कसीरुल मा'रिफ़ह رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْه की ब निस्बत मैं ही ग़लती से ज़ियादा क़रीब होऊं.....!

फिर मैं येह कहता हूं कि अगर हम इसे तस्लीम भी कर लें तो फिर भी हमें येह कहने का इख़्तियार ह़ासिल है कि अ़ल्लामा क़ारियुल हिदाया साह़िब का बयान कर्दा हुक्म पैसो (सिक्कों) ही में जारी होता है, जब कि नोट दर अस्ल तोल वाली चीज़ नहीं है, क्यूंकि काग़ज़ के पर्चे, उ़र्फ़ में कभी नहीं तोले जाते।[1] लिहाज़ा मे'यार (Measure) काग़ज़ को शामिल न हुवा, जैसे ग़ल्ले से एक मुठ्ठी और सोने से एक ज़र्रे को शामिल नहीं होता, लिहाज़ा हमारा येह मस्अला हर ह़ाल में मुख़ालफ़त से मह़फ़ूज़ है और तमाम ख़ूबियां तो **अल्लाह** बुज़ुर्गी वाले के लिये ही हैं। तह़क़ीक़ ऐसी ही होनी चाहिये और तौफ़ीक़ देने वाला तो **अल्लाह** तबारक व तआ़ला है।

1.....इस बात का तअ़ल्लुक़ इमामे अहले सुन्नत के ज़माने के उ़र्फ़ से है, जब कि हमारे उ़र्फ़ में काग़ज़ दोनों त़रह़ से बिकता है, या'नी तोल कर भी और गिन कर भी। हां ! जहां तक नोट का तअ़ल्लुक़ है वोह अब भी गिन कर फ़रोख़्त होता है तोल कर फ़रोख़्त नहीं होता। इस की वाज़ेह़ मिसाल ईदैन या दीगर तहवार के मवाक़ेअ़ पर लोग कड़क और नए नोटों की दस्तियां ज़ाइद रक़म दे कर ख़रीदते हैं और येह सारा मुआ़मला गिन कर ही होता है, मगर ख़याल रहे कि अगर नोट को नोट के इ़वज़ बेचा जाए तो कमी बेशी जाइज़ है मगर हम जिन्स या'नी काग़ज़ होने की वज्ह से उधार नाजाइज़ है। हां अलबत्ता ! अगर मुख़्तलिफ़ मुमालिक के नोट हों तो कमी बेशी और उधार दोनों जाइज़ हैं, बस एक जानिब से क़ब्ज़ा काफ़ी है मसलन पाकिस्तानी रूपिया को सऊ़दी रियाल के इ़वज़ बेचा तो रियाल या रूपिया में से किसी एक पर उसी मजलिस में क़ब्ज़ा काफ़ी है।

www.dawateislami.net

सुवाल 10 : क्या इस नोट में **बैए सलम** जाइज़ है ?

अल जवाब

जी हां ! नोट में **बैए सलम** जाइज़ है, लेकिन बा'ज़ अवक़ात नोट के समन (Money) होने की वज्ह से इसे नाजाइज़ भी कहा जाता है, क्यूंकि समन में **बैए सलम** जाइज़ नहीं इस की तफ़्सील "**नहरुल फ़ाइक़**" के ह़वाले से पीछे गुज़र चुकी ।

पैसों में बैए सलम के जवाज़ की तह़क़ीक़

मगर तह़क़ीक़ येह है कि नोट में **बैए सलम** का बयान इमाम मुह़म्मद رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه से मरवी एक रिवायते नादिरा पर मब्नी है, वरना मुतून में तो पैसों में **बैए सलम** के जाइज़ होने पर नस्स है, हां ! समने ख़ल्क़ी में **बैए सलम** जाइज़ नहीं और समने ख़ल्क़ी सिर्फ़ सोना और चांदी हैं, इन के इलावा कोई और नहीं, क्यूंकि बाएअ़ व मुश्तरी सोना चांदी की समनिय्यत को बातिल करने की क़ुदरत नहीं रखते, जब कि समने इस्तिलाही की समनिय्यत बातिल की जा सकती है "तन्वीरुल अबसार" और "**दुर्रे मुख़्तार**" में है कि **बैए सलम** हर उस चीज़ में जाइज़ है जिस की सिफ़त का तअ़य्युन हो सके, मसलन इस चीज़ का खरा या खोटा होना और इस की क़दर (Weight And Measurement) की पहचान हो सके, मसलन नाप वाली चीज़ या मौज़ूनी चीज़ ।

मुसन्निफ़ (अ़ल्लामा शम्सुद्दीन तमरताशी साहिब "तन्वीरुल अबसार") के इस क़ौल से कि "वोह चीज़ समन न हों" चांदी के रूपे और सोने की अशरफ़ियां **बैए सलम** के जवाज़ से निकल गए, क्यूंकि येह दोनों

www.dawateislami.net

समन हैं लिहाज़ा इन में **बैए सलम** जाइज़ नहीं, इस मस्अले में इमाम मालिक رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه का अह़नाफ़ से इख़्तिलाफ़ है, ''या वोह गिन कर बेची जाने वाली चीज़ हो, तो ऐसी हो कि उस के इफ़राद बाहम क़रीब क़रीब हों, या'नी ह़ज्म (Size) में ज़ियादा फ़र्क़ न हो, जैसे अख़रोट या अन्डे और पैसे.....'' इलख़ ।

("الدر المختار" في شرح "تنوير الأبصار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص٤٧٩، ٤٨٠)

अ़ल्लामा शामी फ़रमाते हैं कि : ''मुसन्निफ़ ने जो येह फ़ल्स (पैसा) कहा बेहतर येह है कि फ़ुलूस (पैसे) कहते, क्यूंकि फ़ल्स वाह़िद का सीग़ा है, इस्मे जिन्स नहीं है, और बा'ज़ उ़लमा फ़रमाते हैं कि इस मस्अले में इमाम मुह़म्मद رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه का इख़्तिलाफ़ है, क्यूंकि वोह दो पैसों को एक पैसे के बदले में बेचने से मन्अ़ फ़रमाते हैं, मगर इन से जो रिवायते मश्हूरा मरवी है इस के मुताबिक़ येह भी इमामे आ'ज़म رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه और इमाम अबू यूसुफ़ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه के साथ इस मस्अले के जाइज़ होने पर मुत्तफ़िक़ हैं, और इन का जो क़ौल साह़िबैन رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا के मुख़ालिफ़ है ''**नहरुल फ़ाइक़**'' वग़ैरा में मन्क़ूल है ।''

("رد المحتار" في شرح "الدر المختار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص٤٨٠)

शायद ''**नहरुल फ़ाइक़**'' ने येह बात क़ारियुल हिदाया के फ़तवा की तावील के लिये ज़ाहिर की ताकि येह बात उन के फ़तवा के लिये सनद हो जाए, अगर्चे नवादिर में ही, चुनान्चे, इस क़ौल की बिना पर अ़ल्लामा क़ारियुल हिदाया के फ़तवा पर ए'तिमाद नहीं किया जाएगा, नीज़ ''**हिदाया**''

www.dawateislami.net

में है कि इसी त़रह़ पैसों में भी **बैए सलम** जाइज़ है, जब कि गिनती कर के दिये जाएं और येह क़ौल है कि "पैसों में **बैए सलम** जाइज़ है "इमामे आ'ज़म और इमाम अबू यूसुफ़ (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) के नज़दीक है जब कि इमाम मुह़म्मद رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ के नज़दीक नाजाइज़ है, क्यूंकि पैसे समन हैं, शैख़ैन की दलील येह है कि पैसों का समन होना बाएअ़ व मुश्तरी की इस्ति़लाह़ की वज्ह से है, लिहाज़ा पैसों में **बैए सलम** करने की सूरत में उन की अपनी इस्ति़लाह़ से पैसों की समनिय्यत बाति़ल हो जाएगी।

("الهداية" في شرح "بداية المبتدي"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٣، ص٧١)

"**फ़त्हुल क़दीर**" में है कि पैसों में **बैए सलम** जाइज़ है, जब कि गिनती कर के हो, इमाम मुह़म्मद ने भी इस क़ौल को "जामेअ़" में ज़िक्र फ़रमाया, मगर किसी इख़्तिलाफ़ को ज़िक्र नहीं फ़रमाया, और येही क़ौल इमाम मुह़म्मद से रिवायते मश्हूरा के त़ौर पर मरवी है, जब कि बा'ज़ उ़लमाए किराम ने फ़रमाया कि येह क़ौल तो शैख़ैन का है, और इमाम मुह़म्मद के नज़दीक जाइज़ नहीं, उन की दलील येह है कि उन के नज़दीक दो पैसों को एक पैसे के इ़वज़ बेचना मन्अ़ है, क्यूंकि पैसे समन हैं और समन में **बैए सलम** जाइज़ नहीं, मगर इमाम मुह़म्मद से मरवी रिवायते मश्हूरा में उन के नज़दीक भी पैसों में **बैए सलम** जाइज़ है और इमाम मुह़म्मद के नज़दीक बैए मुत़लक़ (Absolute sale) और **बैए सलम** में येह फ़र्क़ है कि **बैए सलम** में ज़रूरी है कि जो चीज़ बा'द में देना क़रार पाए वोह समन न हो, लिहाज़ा जब बाएअ़ व मुश्तरी पैसों में **बैए सलम** को मुन्अ़क़िद करेंगे तो गोया उन्हों ने ज़िमनन इन की समनिय्यत की

www.dawateislami.net

इस्तिलाह़ को बातिल कर दिया और पैसों की **बैए सलम** उसी त़रीक़े से जाइज़ है जिस त़रीक़े से इन का लैन दैन होता है या'नी गिन कर, ब ख़िलाफ़े बैए मुत़लक़ के, क्यूंकि बैए मुत़लक़ तो समन पर भी मुन्अ़क़िद हो सकती है, लिहाज़ा बैए मुत़लक़ में पैसों को समनिय्यत से ख़ारिज करने का कोई मूजिब (Motive/Cause) नहीं, लिहाज़ा कमी बेशी जाइज़ न हुई और एक पैसे की दो पैसों के इ़वज़ बैअ़ मन्अ़ ठहरी ।

("فتح القدير"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٦، ص٢٠٨، ٢٠٩)

मगर मैं कहता हूं कि इस फ़र्क़ पर एक ए'तिराज़ (Objection) वारिद हो सकता है, क्यूंकि इमाम मुह़म्मद इस बात के क़ाइल नहीं हैं कि फ़क़त़ आ़क़िदैन के इरादा करते ही पैसों की समनिय्यत बातिल हो जाए, ह़ालांकि बाक़ी सब लोग इन के समन होने पर मुत्तफ़िक़ हैं, "**हिदाया**" में फ़रमाया कि "इमामे आ'ज़म और इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक एक पैसे को दो मुअ़य्यन पैसों के इ़वज़ बेचना जाइज़ है, और इमाम मुह़म्मद फ़रमाते हैं कि नाजाइज़ है, क्यूंकि पैसों का समन होना तमाम लोगों की इस्तिलाह़ से साबित होता है, लिहाज़ा फ़क़त़ इन दों की इस्तिलाह़ से बातिल नहीं होगा, नीज़ जब पैसों की समनिय्यत बाक़ी रहे तो वोह मुतअ़य्यन नहीं होंगे, तो येह गोया एक पैसे को दो ग़ैरे मुअ़य्यन पैसों के बदले बेचने और एक मुअ़य्यन रूपे को दो मुअ़य्यन रूपों के बदले बेचने की त़रह़ हो गया और शैख़ैन की दलील येह है कि आ़क़िदैन के लिये समनिय्यत उन्ही की इस्तिलाह़ से साबित होती है और बातिल भी उन ही की इस्तिलाह़ से हो जाएगी ।"

("الهداية"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٣، ص٦٣)

www.dawateislami.net

लिहाज़ा अगर येह पैसों की समनिय्यत बातिल करना चाहें तो कर सकते हैं, और जब समनिय्यत बातिल होगी तो पैसे मुतअ़य्यन हो जाएंगे। मुह़क़्क़िक़ अ़लल इत़लाक़ ने "**फ़त्हुल क़दीर**" में इमाम अबू यूसुफ़ की इस दलील को इसी त़रीक़े से मुक़र्रर रखा, लिहाज़ा इमाम मुह़म्मद कैसे फ़रमा सकते हैं कि आ़क़िदैन का पैसों में **बैए़ सलम** करना इस बात पर दलालत करता है कि इन्हों ने इन के समन होने की इस्ति़लाह़ को बातिल मान लिया है, क्यूंकि इन के नज़दीक फ़क़त़ आ़क़िदैन समनिय्यत की इस्ति़लाह़ को बातिल नहीं कर सकते जब कि बाक़ी लोग पैसों को समन मानते हों, मगर येह कहा जा सकता है कि इमाम मुह़म्मद के इस क़ौल के ज़रीए़ इन का पहली इ़ल्लत से रुजूअ़ करना साबित होता है, ह़ालांकि वोह इ़ल्लत इमाम मुह़म्मद से मन्क़ूल नहीं, बल्कि मशाइख़ की पैदाकर्दा है तो अब इस फ़र्क़ से येह बात ज़ाहिर हुई कि इमाम मुह़म्मद के नज़दीक वज्ह वोह इ़ल्लत नहीं है, बल्कि इमाम मुह़म्मद भी इस बात के क़ाइल हैं कि आ़क़िदैन को अपने ह़क़ में समनिय्यत बातिल करने (Nullify) का इख़्तियार है, मगर येह समनिय्यत उस वक़्त बातिल होगी जब आ़क़िदैन से समनिय्यत बातिल करने का इरादा साबित हो जाए, और **बैए़ सलम** में येह इरादा ज़रूर साबित हो जाता है, क्यूंकि इस बैअ़ में मुस्लम फ़ीह या'नी जो चीज़ बा'द में वा'दा पर लेना क़रार पाती है वोह कभी समन (Money) नहीं हो सकती, लिहाज़ा उन का पैसों में **बैए़ सलम** करना ही इन पैसों की समनिय्यत बातिल करने की दलील है जब कि बैअ़ में येह इरादा साबित नहीं होगा, क्यूंकि इस में मबीअ़ का ग़ैरे समन (Currency Less) होना ज़रूरी नहीं,

www.dawateislami.net

लिहाज़ा आ़क़िदैन से इस्तिलाहे़ समनिय्यत को बातिल करना साबित न हुवा, तो पैसों का समन होना बाक़ी रहा, लिहाज़ा वोह मुतअ़य्यन न हुवे, इसी लिये बैअ़ बातिल हुई, और कभी कभार इस मस्अले में इमाम मुहम्मद رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه के क़ौल को भी तरजीह़ दी जाती है इसे ख़ूब समझ लो[1] । واللہ تعالیٰ اعلم

सुवाल 11 : क्या नोट को उस की मालिय्यत से ज़ाइद क़ीमत के बदले बेचना जाइज़ है ? मसलन बारह का नोट दस या बीस के नोट के इ़वज़ बेचना ।

अल जवाब

जी हां ! नोट पर जितनी रक़म लिखी हो उस से कम या ज़ाइद जिस पर बेचने वाला और ख़रीदार दोनों राज़ी हो जाएं उस क़ीमत में बेचना जाइज़ है, क्यूंकि पिछले कलाम में गुज़र चुका है कि नोट की क़ीमत की मिक़्दार फ़क़त लोगों की इस्तिलाह़ से मुक़र्रर हुई है और बाएअ़ व मुश्तरी पर किसी ग़ैर को विलायत ह़ासिल नहीं, जैसा कि "**हिदाया**" और "**फ़त्हुल क़दीर**" के ह़वाले से गुज़रा, लिहाज़ा इन दोनों को इख़्तियार है कि नोट को मुक़र्ररा क़ीमत से कम या ज़ियादा जितनी क़ीमत में चाहें बेचें, अ़क़्लमन्द के लिये तो इतना ही जवाब

1....येह बात इस जवाब की त़रफ़ इशारा है कि अ़क़्द, सह़ीह़ करने की ज़रूरत ही इस पर काफ़ी क़रीना है और इस का नफ़्से अ़क़्द से मफ़्हूम होना ज़रूरी नहीं, जैसे अगर कोई चांदी के एक रूपे और सोने की दो अशरफ़ियों को चांदी के दो रूपे और सोने की एक अशरफ़ी के इ़वज़ बेचे तो इस सूरत को जाइज़ क़रार दिया जाएगा और जवाज़ का त़रीक़ा येह होगा कि जिन्स (Species) को ग़ैरे जिन्स की त़रफ़ फेर देंगे ह़ालांकि नफ़्से अ़क़्द में जिन्स के इ़वज़ जिन्स होने का इन्कार नहीं किया जा सकता । नीज़ सूद (Usury) का शुबा गोया सूद ही होता है लिहाज़ा अ़क़्द को सह़ीह़ क़रार देने का बाइ़स येही ह़ाजत है और ऐसी मिसालें ब कसरत मौजूद हैं ।

www.dawateislami.net

काफ़ी है, मैं ने कई मरतबा इसी मौक़िफ़ के मुताबिक़ फ़तवा दिया और अकाबिर उ़लमाए हिन्द में से मुतअ़द्दिद उ़लमा ने भी येही फ़तवा दिया, मसलन फ़ाज़िल कामिल मौलवी इरशाद हुसैन रामपुरी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه वग़ैरा इस फ़तवा में मुझ से सिर्फ़ एक शख़्स (मौलवी अ़ब्दुल ह़य्य लखनवी) ने इख़्तिलाफ़ किया जिन्हें अकाबिर उ़लमा में शुमार किया जाता है मुझे उन के इख़्तिलाफ़ की इत्तिलाअ़ उन की वफ़ात के बा'द उस वक़्त हुई जब कुछ मुख़्तसर अवराक़ उन के फ़तावा के नाम से छपे, अगर उन की ह़यात में उन से इस मस्अले पर मेरा तबादलए ख़याल होता तो उम्मीद थी कि वोह अपने फ़तवा से रुजूअ़ कर लेते, क्यूंकि उन की आ़दत थी कि अगर उन्हें समझाया जाता और बात उन की समझ में आ जाती तो वोह अपने मौक़िफ़ से रुजूअ़ कर लिया करते थे, लिहाज़ा हम इस मस्अले को क़दरे तफ़्सील और वज़ाह़त से बयान करते हैं ताकि ह़क़ को क़बूल किये बिग़ैर कोई चारह न रहे।

जवाज़ (Correctness) की पहली दलील[1]

लिहाज़ा पहले मैं येह कहूंगा कि हमारे जमहूर उ़लमाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى ने तसरीह़ फ़रमाई है कि सूद (Usury) के ह़राम होने की इ़ल्लत इत्तिह़ादे जिन्स के वक़्त नाप तोल में कमी बेशी है, लिहाज़ा अगर क़दर (Weight and Measurement) व जिन्स (Species) दोनों पाई जाएं तो ज़ियादती और उधार दोनों ह़राम हैं, और अगर क़दर व जिन्स दोनों न पाई जाएं तो ज़ियादती व उधार दोनों ह़लाल हैं, और अगर दोनों में से एक

1.....मौलाना लखनवी साह़िब पर पहला रद।

www.dawateislami.net

पाई जाए तो ज़ियादती ह़लाल और उधार ह़राम है। येह ऐसा क़ाइदा है जो कहीं नहीं टूटता और सूद के तमाम मसाइल का दारो मदार इसी क़ाइदे पर है, नीज़ येह बात निहायत वाज़ेह़ है कि नोट और चांदी का **रूपिया** न तो क़दर में बराबर है, और न ही जिन्स में, जिन्स में तो इस लिये नहीं कि नोट काग़ज़ का है और रूपिया "**चांदी**" का जब कि क़दर में इस लिये नहीं कि नोट का लैन दैन न तो नाप कर किया जाता है, और न ही तोल कर, बल्कि इस का लैन दैन गिन कर ही किया जाता है।

लिहाज़ा नोट को ज़ाइद क़ीमत पर और उधार दोनों त़रह़ से बेचना जाइज़ है, इस लिये कि नोट सिरे से माले रिबा या'नी ऐसा माल ही नहीं जिस में सूद जारी हो सके। हम अ़न क़रीब इस की मज़ीद तह़क़ीक़ (Research) बयान करेंगे, اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ

जवाज़ की दूसरी दलील[1]

"**रद्दुल मुह़्तार**" वग़ैरा में फ़रमाया : जब जब ज़ियादती ह़राम होगी तो उधार भी ह़राम होगा और इस का अ़क्स न होगा, या'नी येह नहीं होगा कि जब ज़ियादती ह़लाल हो तो उधार भी ह़लाल हो, और जब जब उधार जाइज़ हो तो ज़ियादती भी ह़लाल होगी, और इस का अ़क्स न होगा या'नी येह नहीं होगा कि जब उधार नाजाइज़ हो तो ज़ियादती भी नाजाइज़ हो।

("رد المحتار"، كتاب البيوع، باب الربا، مطلب في الإبراء عن الربا، قوله: (متفاضلاً) ج٧، ص٤٢٤)

और हम नवें सुवाल में नोट में उधार के जाइज़ होने पर दलीले क़त़ई क़ाइम कर चुके हैं, लिहाज़ा नोट में ज़ियादती का ह़लाल होना वाज़ेह़ हो गया, मज़ीद तफ़्सील का इन्तिज़ार करो।

1.....मौलाना लखनवी साह़िब पर दूसरा रद।

www.dawateislami.net

जवाज़ की तीसरी दलील[1]

सरकार صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم इरशाद फ़रमाते हैं :

(जब जिन्स मुख़्तलिफ़ हो तो जैसे चाहो बेचो) इस ह़दीस को इमाम मुस्लिम رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने ह़ज़रते उ़बादा बिन सामित رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْه से रिवायत किया।

("صحيح مسلم"، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب...إلخ، رقم الحديث: ١٥٨٧، ص٨٥٦)

तो रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की इजाज़त के बा'द मन्अ़ करने वाला कौन है ?

जवाज़ की चौथी दलील[2]

येह तो ऐसी रोशन दलीलें हैं कि बच्चे पर भी मख़्फ़ी नहीं, अब मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी चीज़ बयान करूंगा जिस से तुम्हारी अ़क़्ल में कुछ शुबा पैदा होगा और फिर मैं ह़क़ीक़त बयान कर के उस शुबे का इज़ाला कर दूंगा।

मैं कहता हूं : ज़रा येह बताइये कि क्या आप और हर अ़क़्लो फ़ह्म रखने वाला नहीं जानता कि वोह चीज़ जिस की आ़म क़ीमत सब के नज़दीक दस रूपे है हर शख़्स को इख़्तियार है कि ख़रीदार की मरज़ी से उसे सौ रूपे में बेच दे या एक पैसे के बदले में दे दे ! शरीअ़ते मुत़ह्हरा ने इस से हरगिज़ मन्अ़ नहीं फ़रमाया, **अल्लाह** तआ़ला इरशाद फ़रमाता है :

---

1 .....मौलाना लखनवी साह़िब पर तीसरा रद।

2 .....मौलाना लखनवी साह़िब पर चौथा रद।

www.dawateislami.net

﴿اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ (پ ٥، النسآء: ٢٩)

तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : ''मगर येह कि कोई सौदा तुम्हारी बाहमी रिज़ामन्दी का हो''

और बेशक ''**फ़त्हुल क़दीर**'' के ह़वाले से गुज़र चुका है कि **''अगर कोई शख़्स काग़ज़ के एक टुकड़े को हज़ार रूपे में बेचे तो जाइज़ है, और इस में बिल्कुल कराहत नहीं ।''**

("فتح القدير"، كتاب الكفالة، فصل في الضمان، ج٦، ص٣٢٤)

नीज़ हर शख़्स जानता है कि काग़ज़ के एक टुकड़े की क़ीमत एक हज़ार रूपे हरगिज़ नहीं हो सकती, और न ही सौ रूपे हो सकती है बल्कि एक रूपिया भी नहीं हो सकती तो इस नोट की इतनी बड़ी क़ीमत होने का सबब येही है कि क़ीमत और समन जुदा जुदा चीज़ें हैं, और बाएअ़ व मुश्तरी पर क़ीमत (बाज़ार के रेट) की पाबन्दी समन (या'नी जो कुछ इन के दरमियान तै़ हुवा) में ज़रूरी नहीं, बल्कि इन दोनों को इख़्तियार है कि चाहें तो बाज़ारी क़ीमत से कई गुना ज़ियादा क़ीमत पर रिज़ामन्द हो जाएं और चाहें तो क़ीमत के सौवें हिस्से पर राज़ी हो जाएं ।

लखनवी साहिब की त़रफ़ से एक शुबा

अगर तुम येह कहो कि येह तो मताअ़ का हुक्म है जब कि नोट समने इस्तिलाही है ।

इस का पहला जवाब[1]

तो मैं येह कहूंगा अगर नोट समने इस्तिलाही है तो क्या हुवा ? तुम ने इस्तिलाही कह कर खुद ही जवाब ज़ाहिर कर दिया कि दूसरों की

1.....मौलाना लखनवी साहिब पर पांचवां रद ।

www.dawateislami.net

इस्तिलाह़ आक़िदैन को मजबूर नहीं कर सकती, चुनान्चे, तुम्हारा बयान कर्दा फ़र्क़ बेकार और ज़ाएअ़ हो गया और ह़क़ वाज़ेह़ ।

दूसरा जवाब[1]

अगर हम येह तस्लीम कर लें कि आक़िदैन नोट की समनिय्यत को बातिल नहीं कर सकते तो येह बताओ कि तुम ने येह कहां से कहा कि इस्तिलाही समन को मालिय्यत की मुक़र्ररा मिक़्दार से फेरना जाइज़ नहीं ? क्या आप नहीं जानते कि एक रूपे के पैसे उ़र्फ़ के मुअ़य्यन करने से हमेशा मुतअ़य्यन रहते हैं, और येह बात हर समझदार बच्चा भी जानता है कि एक रूपिया सोलह आने का होता है, पन्दरह या सतरह आने का नहीं होता, फिर येह उ़र्फ़ी तअ़य्युन और पैसों का समने इस्तिलाही होना बाएअ़ व मुश्तरी पर कमी बेशी ह़राम नहीं करता ।

नीज़ "**तन्वीरुल अबसार**" और इस की शर्ह "**दुर्रे मुख़्तार**" में है कि अगर किसी ने सर्राफ़ (Money changer) को चांदी का एक रूपिया दिया और कहा : "इस के बदले मुझे आठ आने के पैसे दे दो और एक सिक्का दे दो जो अठन्नी से रत्ती भर कम हो "तो येह बैअ़ जाइज़ है । रूपे की इतनी चांदी जो इस छोटे सिक्के के बराबर हो वोह तो इस सिक्के के इ़वज़ हो जाएगी और बाक़ी चांदी के इ़वज़ पैसे हो जाएंगे ।

("الدر المختار" في شرح "تنوير الأبصار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٥٧٣، ٥٧٤)

और "**हिदाया**" की इबारत कुछ इस त़रह़ से है : "अगर कहा : आठ आने के पैसे दे दो और रत्ती कम अठन्नी तो येह बैअ़ जाइज़ है ।"

("الهداية" في شرح "بداية المبتدي"، كتاب الصرف، ج٣، ص٨٦)

1.....मौलाना लखनवी साहिब पर छटा रद ।

www.dawateislami.net

तीसरा जवाब[1]

समने इस्तिलाही से ऊपर सोना और चांदी की तरफ़ चलिये कि येह अस्ल पैदाइश में समन (Real Money) हैं, और कोई शख़्स इन की समनिय्यत बातिल नहीं कर सकता, नीज़ हर अक़्लमन्द येह जानता है कि सोने की एक अशरफ़ी (One Gold Coin) हमेशा चांदी के कई रूपों (Many Silver Coins) के बराबर होती है, और कोई अशरफ़ी हरगिज़ चांदी के एक रूपे के बराबर नहीं होती, इस के बा वुजूद हमारे अइम्मा ने इस बात की तसरीह फ़रमाई है कि एक अशरफ़ी को चांदी के एक रूपे के इवज़ बेचना दुरुस्त है, और इस में अस्लन सूद नहीं, और इस की इल्लत (Cause) फ़क़त येह है कि जब जिन्स मुख़्तलिफ़ हो जाए तो कमी बेशी जाइज़ हो जाती है, और नोट और चांदी के रूपों की जिन्स का मुख़्तलिफ़ होना सिवाए पागल के हर एक पर ज़ाहिर है "**दुर्रे मुख़्तार**" और "**हिदाया**" की तरह दीगर कुतुब में फ़रमाया कि "सोने की एक अशरफ़ी और चांदी के दो रूपों को चांदी के एक रूपे और सोने की दो अशरफ़ियों के बदले बेचना दुरुस्त है।" इस सूरत में हर जिन्स को जिन्से मुख़ालिफ़ के मुक़ाबिल कर दिया जाएगा, इसी तरह चांदी के ग्यारह रूपों को चांदी के दस रूपों और सोने की एक अशरफ़ी के इवज़ बेचना भी दुरुस्त है।"

("الدر المختار" في شرح "تنوير الأبصار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٥٦٣، ٥٦٤۔ "الهداية" في شرح "بداية المبتدي"، كتاب الصرف، ج٣، ص٨٣)

1.....मौलाना लखनवी साहिब पर सातवां रद।

www.dawateislami.net

रद्दुल मुह़तार" में इस की शर्ह़ में फ़रमाया कि "चांदी के दस रूपे तो दस रूपों के इवज़ हो जाएंगे और ग्यारवां रूपिया एक अशरफ़ी के इवज़ हो जाएगा।"

("رد المحتار"، كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب في بيع المفضّض...إلخ، ج٧، ص٥٦٤)

लिहाज़ा जब सोने की एक अशरफ़ी को जो उ़मूमन चांदी के पन्दरह रूपे के बराबर होती है चांदी के एक रूपे के बदले बेचना दुरुस्त है और इस में बिल्कुल सूद नहीं, तो दस के नोट को बारह रूपों के इवज़ बेचने में सूद कैसे होगा ? अगर इस में भी सूद मानो तो येह निरा बोहतान है।

एक ए'तिराज़ की तक़रीर

अगर तुम येह ए'तिराज़ करो कि जो मसाइल आप ने बयान किये इन सूरतों में बैअ़ अगर्चे दुरुस्त है मगर मकरूह है और मकरूह काम का करना ममनूअ़ होता है, लिहाज़ा अगर्चे मकरूह काम करने से वोह काम हो तो जाता है मगर ह़लाल नहीं होता। इसी त़रह़ इन सूरतों में बैअ़ अगर्चे हो जाती है मगर ह़लाल नहीं होती।

"**हिदाया**" में है कि "अगर कोई शख़्स चांदी को चांदी या सोने को सोने के इवज़ बेचे और एक त़रफ़ कमी हो और इस कमी को पूरा करने

www.dawateislami.net

के लिये उस में किसी ऐसी चीज़ का इज़ाफ़ा कर दे जिस से कमी पूरी हो जाए तो बैअ़ बिला कराहत जाइज़ है, और अगर कमी पूरी न हो तो येह बैअ़ हो तो गई मगर मकरूह है, और अगर इस इज़ाफ़ा शुदा चीज़ की कोई क़ीमत न हो, जैसे कि मिट्टी की कोई क़ीमत नहीं होती तो इस सूरत में बैअ़ जाइज़ ही न होगी, क्यूंकि इस सूरत में सूद मौजूद है, इस लिये कि जितनी ज़ियादती एक त़रफ़ रही, दूसरी त़रफ़ इस के मुक़ाबले में कुछ नहीं, लिहाज़ा इस सूरत में सूद पाया गया।''

("الهداية "في شرح "بداية المبتدي"، كتاب الصرف، ج٣، ص٨٣)

इस कलाम को ''**फ़त्हुल क़दीर**'' और दीगर शुरूहात और ''**बह्र**'' व ''**रद्दुल मुह्तार**'' वग़ैरहा में इसी त़रह़ बर क़रार रखा गया, और येह बात तो वाज़ेह़ है कि जब लफ़्ज़े ''**कराहत**'' मुत़लक़ बोला जाए तो इस से कराहते तह़रीम मुराद होती है, बल्कि फ़ाज़िल अ़ब्दुल ह़लीम ने ह़ाशिया ''**दुरर**'' में इस मस्अले को नक़्ल कर के इस की तफ़्सील को ''**फ़त्हुल क़दीर**'' के ह़वाले किया, और कहा : जब आप को येह मस्अला मा'लूम हो चुका तो सुनो कि सल्त़नते उ़स्मानिय्या में जो येह राइज है कि एक क़रश (तुर्की की करन्सी का एक सिक्का) को 80 उ़स्मानी रूपों के बदले बेचा जाता है, जाइज़ नहीं, क्यूंकि क़रश मालिय्यत में ज़ियादा होता है। हां ! अगर रूपों के साथ एक पैसे का भी इज़ाफ़ा कर दिया जाए तो येह ख़रीदो फ़रोख़्त जाइज़ है मगर मकरूह है, लिहाज़ा मोह़तात़ लोगों पर वाजिब है कि वोह लैन दैन के वक़्त वज़्न बराबर कर

www.dawateislami.net

लें या फिर रूपों के साथ उतनी क़ीमत वाली चीज़ मिला लें जितनी क़रश में रूपों से ज़ाइद होती है ताकि कराहत से बच सकें। ("حاشية الدرر" لعبد الحليم)

जब इन्हों ने कराहत से बचने को वाजिब क़रार दे दिया तो वाजिब का ख़िलाफ़ मकरूहे तह़रीमी हुवा और मकरूहे तह़रीमी गुनाह होता है, लिहाज़ा बैअ़ की येह तमाम सूरतें गुनाह हुईं।

मैं येह कहूंगा कि मैं ने आप के सामने इस अन्दाज़ में ए'तिराज़ की तक़रीर कर दी कि अगर आप अपनी त़रफ़ से ए'तिराज़ करते तो शायद इस से बेहतर ए'तिराज़ नहीं कर सकते थे, और लीजिये अब.....! वह्हाब جَلَّ جَلَالُهٗ की तौफ़ीक़ से जवाब सुनिये : .....

जवाब

अव्वल : आप येह बताइये कि किसी चीज़ की ख़ल्क़िय्यत (पैदाइश) और इस्ति़लाह़ (Terminology) का फ़र्क़ आप के ज़ेह्न से कहां चला गया ? क्यूंकि सोने की मालिय्यत का चांदी की मालिय्यत से कई गुना ज़ाइद होना एक ख़ल्क़ी अम्र है, जिस में किसी के फ़र्ज़ करने या मुक़र्रर कर देने को बिल्कुल दख़्ल नहीं इस लिये एक रूपे के इ़वज़ एक अशरफ़ी के लैन दैन के वक़्त मालिय्यत की ज़ियादती हर एक के ज़ेह्न में आ जाएगी ब ख़िलाफ़ नोट के, क्यूंकि अगर इस की क़ीमत दस रूपे है तो येह सिर्फ़ लोगों की इस्ति़लाह़ की बिना पर है, वरना काग़ज़ ब ज़ाते ख़ुद एक रूपे का बल्कि रूपे के दसवें हिस्से का भी नहीं होता। अगर आप अस्ल का लिहाज़ करें तो दस का नोट दस रूपे के इ़वज़ बेचने की सूरत में भी मालिय्यत

www.dawateislami.net

में ज़ियादती है, और अगर इस्तिलाह़ को देखें तो इस्तिलाह़ का लिहाज़ बाएअ़ व मुश्तरी पर ज़रूरी नहीं, बल्कि येह लोग इस्तिलाह़ बातिल भी कर सकते हैं, जैसा कि हम आप को "**हिदाया**" और "**फ़त्हुल क़दीर**" के अक़्वाल सुना चुके। लिहाज़ा जब लोगों ने नोट को दस रूपे का क़रार दे दिया ह़ालांकि येह अस्ल में शायद एक ही पैसे का हो। तो बाएअ़ व मुश्तरी को दस का नोट दस से कम या ज़ियादा क़ीमत में बेचने से कौन मन्अ़ कर सकता है, चुनान्चे, अब इस मस्अले को कोई आंच नहीं जिस में हम बह़स कर रहे हैं।

दुवुम : इन का कलाम इस सूरत में है जब एक जिन्स के इ़वज़ उसी जिन्स का लैन दैन हो, क्यूंकि इसी में ज़ियादती ज़ाहिर होती है। क्या आप ने "**हिदाया**" का येह क़ौल नहीं देखा कि "**जब चांदी के इ़वज़ चांदी या सोने के इ़वज़ सोना बेचा, और एक त़रफ़ कमी है।**"

("الهداية" في شرح "بداية المبتدي"، كتاب الصرف، ج٣، ص٨٣)

और यूं नहीं फ़रमाया कि सोने को चांदी से बेचा और नर्ख़ मा'रूफ़ के ए'तिबार से एक त़रफ़ मालिय्यत कम है तो सोना अपने बराबर के सोने के बराबर जब किया जाएगा ज़ियादती ज़ाहिर हो जाएगी और उस वक़्त अ़क़्ल येह तमीज़ करेगी कि वोह चीज़ जो कम चीज़ के साथ मिलाई गई है इस ज़ियादती की मिक़्दार को पहुंचती है या नहीं, ब ख़िलाफ़ इस के कि नोट को चांदी के रूपों के इ़वज़ बेचा, क्यूंकि वोह दो मुख़्तलिफ़ जिन्सें हैं तो फिर ज़ियादती कैसे ज़ाहिर हो गई और येह फ़रअ़ इस अस्ल के मुत़ाबिक़ कैसे होगी.....?

www.dawateislami.net

सूद की ता'रीफ़

"फ़त्हुल क़दीर" में अ़ल्लामा मुह़क़्क़िक़ अ़लल इत़्लाक़ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه ने फ़रमाया : सूद उस ज़ियादती का नाम है जो अ़क़्दे मुआ़वज़ा में आ़क़िदैन में से किसी एक के लिये मशरूत़ हो और इ़वज़ से ख़ाली हो।

("فتح القدير"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٦، ص١٥١)

और आप को मा'लूम होगा कि इ़वज़ से ख़ाली होना उस वक़्त साबित होगा जब किसी शै का मुक़ाबला उसी की जिन्स से किया जाए। और बेशक रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इरशाद फ़रमाया कि : (जब दो चीज़ें मुख़्तलिफ़ जिन्स की हों तो जैसे चाहो बेचो)।

("نصب الراية لأحاديث الهداية"، كتاب البيوع، ج٤، ص٧)

येह हु़ज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की त़रफ़ से इजाज़त है, वोही साह़िबे शरअ़ हैं, उन्हीं की त़रफ़ रुजूअ़ और उन्हीं के हां पनाह है, लिहाज़ा जो नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की जाइज़ की हुई चीज़ को मन्अ़ करे तो उस का मन्अ़ करना उसी की त़रफ़ रद किया जाएगा, और उस की बात हरगिज़ नहीं सुनी जाएगी।

सिवुम : जिस बैअ़ में कम चांदी या सोने के साथ मिलाई हुई चीज़ की क़ीमत, ज़ियादा चांदी या सोने की मिक़्दार को न पहुंचे, उस का मकरूह होना सिर्फ़ इमाम मुह़म्मद رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه से मरवी है, ह़ालांकि

www.dawateislami.net

इमामे आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ ने जिन का क़ौल मज़हबे ह़नफ़ी में सब से मुक़द्दम होता है । तसरीह़ फ़रमाई है कि इस में बिल्कुल कराहत नहीं, मुह़क़्क़िक़ अ़लल इत़लाक़ ने "**फ़त्ह़ुल क़दीर**" में इस मस्अले को ज़िक्र कर के फ़रमाया : इमाम मुह़म्मद رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ से अ़र्ज़ की गई आप इस को अपने नज़दीक कैसा पाते हैं ? फ़रमाया : "**पहाड़ की त़रह़ गिरां**" ह़ालांकि इमामे आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से इस का मकरूह होना साबित नहीं है, बल्कि "**ईज़ाह़**" में येह तसरीह़ मौजूद है कि इमामे आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ के नज़दीक इस सूरत में कोई ह़रज नहीं । ("فتح القدیر"، کتاب الصرف، ج٦، ص٢٧١)

अ़न क़रीब इसी के मिस्ल "**बह़र**" से ब ह़वाला "**कुनिया**" एक मस्अला पेश किया जाएगा जिस में इमाम बक़ाली رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ ने फ़रमाया कि इस सूरत में कराहत न होना इमामे आ'ज़म और इमाम अबू यूसुफ़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا दोनों का मज़हब है", नीज़ "फ़तावा आ़लमगीरी" में बाबुल किफ़ालत से कुछ पहले इमाम सरख़सी رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ की "**मुह़ीत़**" के ह़वाले से इमाम मुह़म्मद رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ का क़ौल नक़्ल है कि "अगर एक रूपे को एक रूपे के इ़वज़ बेचा और इन में से एक रूपे का वज़्न दूसरे से ज़ियादा हो, नीज़ कम वज़्न वाले रूपे के साथ कुछ पैसे मिला दिये तो येह बैअ़ जाइज़ है मगर मैं इसे मकरूह समझता हूं, क्यूंकि इस त़रह़ से लोग इस के आ़दी (Habitual) हो जाएंगे और नाजाइज़ कामों में भी इस पर अ़मल शुरूअ़ कर देंगे, जब कि इमामे आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ

www.dawateislami.net

फ़रमाते हैं कि इस में कोई ह़रज नहीं, क्यूंकि रूपे में पाई जाने वाली वज़्न की ज़ियादती को पैसों के मुक़ाबिल कर देने से इस बैअ़ को दुरुस्त क़रार देना मुमकिन है ।''

("الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في المتفرقات، ج٣، ص٢٥١)

अल ह़ासिल इमामे आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से येह रिवायत मश्हूरो मा'रूफ़ है और येह तो सब को मा'लूम है कि अ़मल और फ़तवा हमेशा इमामे आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ के क़ौल पर होता है, मगर ज़रूरत के तह़त जैसे मुसलमानों का अ़मल इमाम के क़ौल के ख़िलाफ़ हो जाए तो साह़िबैन वग़ैरहुमा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُم के क़ौल पर फ़तवा दे दिया जाता है, और इस बात की तह़क़ीक़ हम ने "العطايا النبويه في الفتاوى الرضويه" की किताबुन्निकाह़ में इतनी तफ़्सील से बयान कर दी है जिस पर ज़ियादती की गुन्जाइश नहीं ।

चहारुम : सब से रोशन व ह़क़ बात येह है कि येह कराहत[1] सिर्फ़ कराहते तन्ज़ीही है । कराहत के मुत़लक़ ज़िक्र से धोका न खाइयेगा, क्यूंकि फ़ुक़हा अक्सर कराहत को मुत़लक़ ज़िक्र करते हैं और इस से वोह मा'ना मुराद लेते हैं जो कराहते तन्ज़ीही और तह़रीमी दोनों को शामिल

---

1 .....**अक़ूलु :** मुह़म्मद और तू ने क्या जाना कौन मुह़म्मद.....! अरे वोह मुह़म्मद जो उ़लमा के सरदार और मज़्हबे मुस्तक़ीम की तह़रीर व तल्ख़ीस फ़रमाने वाले हैं, वोह **''जामेए कबीर''** में (जो कि कुतुबे ज़ाहिरुर्रिवायत में से है) फ़रमाते हैं : जब खोटे रूपे मुख़्तलिफ़ क़िस्म के हों किसी में दो तिहाई चांदी हो, किसी में दो तिहाई पीतल किसी में निस्फ़ चांदी, =

www.dawateislami.net

= इन में से एक क़िस्म के रूपे को दूसरी क़िस्म के रूपे के इ़वज़ कम या ज़ियादा क़ीमत पर बेचने में कोई ह़रज नहीं जब कि लैन दैन हाथों हाथ हो, क्यूंकि इस सूरत में एक खोटे रूपे की चांदी को दूसरे खोटे रूपे के पीतल, और पहले के पीतल को दूसरे रूपे की चांदी से बेचना क़रार दिया जाएगा। हां अलबत्ता ! उधार बेचना जाइज़ नहीं, क्यूंकि दोनों में वज़्न पाया जा रहा है जो कि सूद (Usury) की दो इ़ल्लतों (Causes) से एक इ़ल्लत (Cause) है और दोनों समन (Money) भी हैं, लिहाज़ा उधार ह़राम है। जहां तक एक ही क़िस्म के रूपों को बाहम कम या ज़ियादा क़ीमत पर बेचने का तअ़ल्लुक़ है तो इस में अगर एक त़रफ़ की चांदी खोट पर ग़ालिब है तो येह नाजाइज़ है, क्यूंकि मग़्लूब का ए'तिबार नहीं। तो गोया वोह ख़ालिस चांदी ही है लिहाज़ा बराबरी ही के साथ बेचना जाइज़ होगा, और अगर पीतल ज़ियादा है या चांदी और पीतल दोनों बराबर हैं तो कमी बेशी जाइज़ होगी और इस का त़रीक़ा येह होगा कि हर रूपे की चांदी का मुक़ाबला दूसरे रूपे के पीतल से करेंगे और इस में लैन दैन का दस्त ब दस्त होना ज़रूरी है, क्यूंकि दोनों त़रफ़ चांदी भी है फ़क़त़ पीतल नहीं कि तअ़य्युन काफ़ी हो, इसे "**फ़तावा ज़ख़ीरा**" की किताबुल बुयूअ़ की छटी फ़स्ल में नक़्ल किया और कहा कि इसी बिना पर मशाइख़ ने फ़रमाया कि "हमारे ज़माने में जो खोटे रूपे अ़दली के नाम से राइज हैं इन में से एक रूपे को दो रूपों से दस्त ब दस्त बेचना जाइज़ है।"

मैं कहता हूं कि जब कमी बेशी जाइज़ है तो जैसे एक रूपे को दो रूपे के इ़वज़ बेचना जाइज़ है वैसे ही सौ या हज़ार के इ़वज़ बेचना भी जाइज़ होगा, अब फ़र्क़ कीजिये....! जिस रूपे में दो तिहाई पीतल है तोल में उस रूपे का पोना है जिस में आधी चांदी है तो उस की दो तिहाई और उस का आधा तोल में बराबर होंगे, और इन का एक रूपिया इन में के दस हज़ार को दस्त ब दस्त बेचा और येह बात ज़रूरी है कि जिन्स (Species) को ख़िलाफ़े जिन्स के मुक़ाबले ठहराया जाए तो चांदी के दस हज़ार रूपे पीतल के एक रूपे के इ़वज़ बिके, तुझे इस से ज़ियादा मालिय्यत में कौन सी ज़ियादती दरकार है ? और येह मुह़र्रिरे मज़हब हैं कि साफ़ फ़रमा रहे हैं इस में कोई ह़रज नहीं, तो वाजिब हुवा कि इस में अगर कोई कराहत हो तो वोह कराहते तन्ज़ीही ही हो, और ख़ुद साह़िबे मज़हब की तसरीह़ के बा'द किसी को कलाम की क्या गुन्जाइश है ! लिहाज़ा इसी पर जम जाओ और बेशक **अल्लाह** ही की त़रफ़ से तौफ़ीक़ है।

www.dawateislami.net

हों, नीज़ बा'ज़ अवक़ात मुत़लक़ कराहत को ज़िक्र फ़रमा कर इस से सिर्फ़ कराहते तन्ज़ीही मुराद लेते हैं और येह बात फ़ुक़हाए किराम के नफ़ीस कलिमात की ख़िदमत में ज़िन्दगी बसर करने वाले पर हरगिज़ पोशीदा नहीं । नीज़ उ़लमाए किराम ने मुतअ़द्दद मक़ामात पर कराहत के इस मा'ना की तसरीह़ फ़रमाई है, "**रद्दुल मुह़्तार**" में बाबुश्शहीद से कुछ पहले फ़रमाया कि इमाम त़ह़त़ावी के इ़लावा दीगर उ़लमा ने क़ब्रों पर पाउं रखने और बैठने के बारे में जिस कराहत का ज़िक्र फ़रमाया है इस से मुराद क़ज़ाए ह़ाजत के इ़लावा दीगर सूरतों में कराहते तन्ज़ीही[1] मुराद है और ज़ियादा से ज़ियादा यहां इस कराहते मुत़लक़ा से मुराद वोह मा'ना हो सकते हैं जो कराहते तन्ज़ीहा और तह़रीमा दोनों को शामिल हो, और इस क़िस्म की बातें उ़लमा के कलाम में ब कसरत पाई जाती हैं, नीज़ फ़ुक़हा का मकरूहाते नमाज़ फ़रमाना भी इस बाब से तअ़ल्लुक़ रखता है ।

("رد المحتار"، كتاب الصلاة، قبيل باب الشهيد، مطلب في إهداء ثواب القراءة إلخ، ج٣، ص١٨٤)

बल्कि "**दुर्रे मुख़्तार**" की फ़स्ले इस्तिन्जा में मुसन्निफ़ के इस क़ौल के नीचे : "औ़रत के लिये बच्चे को पेशाब के लिये क़िब्ला की त़रफ़ बिठाना मकरूह है" येह फ़रमाया कि येह कराहते तन्ज़ीहा और तह़रीमा दोनों को शामिल है । ("الدر المختار"، كتاب الطهارة، قوله: وكذا يكره، ج١، ص٦١)

1.....येह वोह हुक्म है जिस की त़रफ़ अ़ल्लामा शामी यहां माइल हुवे और ह़क़ येह है कि क़ब्र पर पाउं रखना या बैठना मकरूहे तह़रीमी है, जैसा कि मैं ने अपने रिसाले "الامر باحترام المقابر" में इस की तह़क़ीक़ की और बेशक मुह़क़्क़िक़े शामी ख़ुद अपनी किताब की फ़स्ल इस्तिन्जा में इस के मो'तरिफ़ हुवे कि फ़रमाया : "**उ़लमा ने तसरीह़ फ़रमाई है कि क़ब्रों में जो नया रास्ता निकला हो उस में चलना ह़राम है ।**"

www.dawateislami.net

और अ़ल्लामा शामी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने मकरूहाते वुज़ू में फ़रमाया : "मुत़लक़ कराहत से हमेशा तह़रीमी ही मुराद नहीं होती ।"

("رد المحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في الإسراف في الوضوء، ج١، ص٢٨٢)

नीज़ इस से पहले जहां मुसन्निफ़ ने येह फ़रमाया कि मकरूह महबूब की ज़िद है और मकरूह का लफ़्ज़ कभी ह़राम पर बोला जाता है, कभी मकरूहे तह़रीमी (Abominable) पर, और कभी मकरूहे तन्ज़ीही (Unpleasant) पर, फिर मुसन्निफ़ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने "**बह़रुर्राइक़**" के ह़वाले से नक़्ल किया कि इस बाब में **मकरूह दो क़िस्म** का होता है :

एक मकरूहे तह़रीमी : उ़मूमन कराहते मुत़लक़ा से येही मुराद होता है ।

दूसरा मकरूहे तन्ज़ीही : इस के लिये भी अक्सर कराहत को मुत़लक़ ही ज़िक्र किया जाता है, जैसा कि "**मुन्या**" की शर्ह़ में इस की तसरीह़ मौजूद है,

लिहाज़ा जब फ़ुक़हा किसी शै को मकरूह फ़रमाएं तो उस की दलील पर नज़र करना ज़रूरी है, अगर वोह दलील नही (Evidence of Prohibition) ज़न्नी (Suspected) हो तो कराहते तह़रीमा का हुक्म देंगे, मगर येह कि इस कराहते तह़रीम को कोई और दलील कराहते तन्ज़ीही की त़रफ़ फैरने वाली न हो, और अगर वोह दलीले नही, ज़न्नी न हो बल्कि तर्क ग़ैरे जाज़िम (मुमानअ़त) का फ़ाइदा देने वाली हो तो वोह कराहते तन्ज़ीही है ।

("رد المحتار"، كتاب الطهارة، مطلب: في تعريف المكروه وأنه قد يطلق...إلخ، ج١، ص٢٨٠، ٢٨١، ملخصاً)

www.dawateislami.net

मैं कहता हूं कि मुतून मिस्ल "**तन्वीर**" वग़ैरा के इस क़ौल कि "ग़ुलाम की इमामत मकरूह है" का तअ़ल्लुक़ कराहत की दूसरी क़िस्म या'नी कराहते तन्ज़ीही से है, क्यूंकि "**दुर्रे मुख़्तार**" में इस के तह़्त फ़रमाया : येह कराहते तन्ज़ीही है।

("الدر المختار"في شرح "تنوير الأبصار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص٣٥٥)

जब कि अ़ल्लामा शामी ने "**रद्दुल मुह़्तार**" में फ़रमाया कि इस के मकरूहे तन्ज़ीही होने की वज्ह येह है कि इमाम मुह़म्मद ने "मबसूत़" में फ़रमाया : "इन के ग़ैर की इमामत मुझे ज़ियादा पसन्द है", येह बात "**बह़रुर्राइक़**" में "**मुज्तबा**" और "**मे'राज**" के ह़वाले से नक़्ल है।

("رد المحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد، ج٢، ص٣٥٥،)

येह सब जान लेने के बा'द लाज़िम है कि दलील तलाश की जाए ताकि वाज़ेह़ हो कि वोह दोनों कराहतों में से कौन सी कराहत है ? जैसा कि दरयाए इ़ल्म ने "**बह़रुर्राइक़**" में इफ़ादा फ़रमाया कि :-

"हम ने उ़लमाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام को देखा वोह इस कराहत पर दो वज्ह से इस्तिद्लाल करते हैं, और इन में से कोई भी कराहत तह़रीम का फ़ाइदा नहीं देती इन की निहायत सिर्फ़ कराहते तन्ज़ीहा है।"

"**इनाया**" में फ़रमाया कि :-

"इस की कराहत या तो इस वज्ह से है कि येह सूद को दफ़्अ़ करने का ह़ीला है, इस सूरत में येह बैए़ ईना (Sale on Credit) की त़रह़ हो

www.dawateislami.net

जाएगी, क्यूंकि ह़ीला कर के ज़ियादा चीज़ वुसूल की गई, या फिर कराहत इस वज्ह से है कि लोग इस के आ़दी हो जाएंगे, तो फिर नाजाइज़ जगह भी इस पर अ़मल करने लगेंगे ।''

("العناية" هامش "فتح القدير"، كتاب الصرف، ج٦، ص٢٧١، ٢٧٢)

''**फ़त्हुल क़दीर**'' में ''**ईज़ाह़**'' से दूसरी वज्ह (या'नी लोग इस के आ़दी हो जाएंगे और नाजाइज़ जगह भी इस पर अ़मल करने लगेंगे) नक़्ल फ़रमाई फिर फ़रमाया : ''**इसी त़रह़ ''मुह़ीत़'' में ज़िक्र किया गया है ।**''

फिर फ़रमाया कि :

''बा'ज़ उ़लमा मकरूह कहते हैं इस लिये कि उन्हों ने सूद से बचने का ह़ीला किया ''और बिल आख़िर वज्हे अव्वल में अपनी पूरी बात मुन्ह़सिर कर दी जो अभी गुज़र चुकी है । ("فتح القدير"، كتاب الصرف، ج٦، ص٢٧١)

और साह़िबे ''**इनाया**'' ने दोनों वज्हें ज़िक्र कर के इसी वज्हे अव्वल में मुन्ह़सिर कर दिया, जहां येह फ़रमाया कि कराहत सिर्फ़ इस वज्ह से है कि उन्हों ने इसे सूद की ज़ियादती को साक़ित़ करने का ज़रीआ़ बनाया । ("العناية" هامش "فتح القدير"، كتاب الصرف، ج٦، ص٢٧٢)

और इसी पर ''किफ़ाया'' में इन्ह़िसार किया कि वोह सिर्फ़ इस लिये मकरूह है कि वोह सूद की ज़ियादती को साक़ित़ करने का ह़ीला है ताकि ह़ीले के ज़रीए़ ज़ियादती ह़ासिल करे चुनान्चे, बैए़ ईना की त़रह़ मकरूह हुवा कि वोह भी इसी वज्ह से मकरूह है ।

("الكفاية" مع "فتح القدير"، كتاب الصرف، ج٦، ص٢٧١)

www.dawateislami.net

और आप जानते हैं कि दूसरी वज्ह का ह़ासिल सिर्फ़ इस क़दर है कि ख़राबी व फ़साद के डर से उस चीज़ को छोड़े जिस में ख़राबी न हो तो येह मक़ामे वरअ़ (तक़्वा का मक़ाम) है और वरअ़ छोड़ने से कराहते तह़रीमी लाज़िम नहीं आती और ख़ुद फ़रमाया कि वोह इस त़रफ़ ले जाएगी कि इस के आ़दी हो जाएंगे और नाजाइज़ जगह भी इस पर अ़मल करने लगेंगे। इसी त़रह़ उन्हों ने ख़ुद तसरीह़ फ़रमा दी कि जाइज़ जगह में इस पर अ़मल करना जाइज़ है और कराहत फ़क़त़ इस ख़ौफ़ की वज्ह से है कि लोग नाजाइज़ जगह इस पर अ़मल करना न शुरूअ़ कर दें।

जहां तक पहली वज्ह का तअ़ल्लुक़ है तो वोह तो बिल्कुल वाज़ेह़ है कि सूद को साक़ित़ करने का ह़ीला, सूद से भागने का ज़रीआ़ है और वोह मन्अ़ नहीं, बल्कि ममनूअ़ तो सूद में पड़ना है, और बेशक हमारे उ़लमाए किराम رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُم ने इस के मुतअ़द्दिद ह़ीले बयान फ़रमाए हैं कि ज़ियादा चीज़ लें मगर सूद न हो। नीज़ इमाम फ़क़ीहुन्नफ़्स क़ाज़ी ख़ान ने तो अपने फ़तावा में इस के लिये मुस्तक़िल फ़स्ल वज़्अ़ फ़रमाई और फ़रमाया कि येह **फ़स्ल सूद से बचने के ह़ीलों के बयान** में है।

इस में **पहला ह़ीला** येह बयान फ़रमाया कि अगर किसी के किसी शख़्स पर दस रूपे क़र्ज़ हों और वोह इस क़र्ज़ को एक मुअ़य्यना मुद्दत तक

www.dawateislami.net

मुअख़्ख़र कर के दस की जगह तेरह रूपे वुसूल करना चाहे तो उ़लमा फ़रमाते हैं कि उसे चाहिये कि वोह मक़रूज़ (Debtor) से कोई चीज़ उन क़र्ज़े वाले दस रूपों के इ़वज़ ख़रीद कर उस चीज़ पर क़ब्ज़ा करे, फिर येही चीज़ उस मक़रूज़ को एक साल की मुद्दत के लिये तेरह रूपे में बेच दे, इस त़रह़ येह ह़राम से बच जाएगा और इसे तेरह रूपे भी ह़ासिल हो जाएंगे, नीज़ इस त़रह़ का अ़मल नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से भी मरवी है कि इन्हों ने ऐसा करने का हुक्म दिया।

("الفتاوى الخانية"، كتاب البيع، باب في بيع مال الربا، فصل فيما يكون فراراً عن الربا، ج٢، ص٤٠٨)

येही ह़ीला "**बह़रुर्राइक़**" में भी "ख़ुलासा" और "नवाज़िल" इमाम फ़क़ीह अबुल्लैस رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه के ह़वाले से मौजूद है।

दूसरा ह़ीला येह बयान फ़रमाया कि एक शख़्स ने किसी दूसरे से कुछ रूपे क़र्ज़ मांगे इस त़ौर पर कि देने वाले को सौ के बजाए एक सौ बीस रूपे मिलें तो इस का ह़ीला येह होगा कि क़र्ज़ लेने वाला देने वाले के सामने कोई सामान रख कर कहे कि मैं ने तुझे येह सामान सौ रूपे के इ़वज़ बेचा क़र्ज़ देने वाला वोह सामान ख़रीद कर क़र्ज़ लेने वाले को उस की क़ीमत अदा कर दे और सामान पर क़ब्ज़ा करे, फिर क़र्ज़ लेने वाला कहे येह सामान मुझे एक सौ बीस रूपे में बेच दो, तो क़र्ज़ देने वाला वोह सामान उसे फ़रोख़्त कर दे ताकि उसे सौ रूपे मिल जाएं, और सामान भी क़र्ज़ लेने वाले को वापस मिल जाए और क़र्ज़

www.dawateislami.net

देने वाले के क़र्ज़ लेने वाले पर एक सौ बीस रूपे लाज़िम हो जाएं, नीज़ एह़तियात़ इस सूरत में ज़ियादा है कि मुआ़मला तै़ पा जाने के बा'द क़र्ज़ लेने वाला देने वाले से कहे कि "हमारे दरमियान जो गुफ़्तगू हुई और जो शराइत़ तै़ पाएं मैं ने उन्हें तर्क किया" फिर सामान की ख़रीदो फ़रोख़्त करें ।

("الفتاوى الخانية"، كتاب البيع، باب في بيع مال الربا، فصل فيما يكون قرارا عن الربا، ج٢، ص٤٠٨)

तीसरा ह़ीला : येह इरशाद फ़रमाया कि अगर वोह सामान भी क़र्ज़ देने वाले ही का हो और वोह दस रूपे दे कर एक मुअ़य्यना मुद्दत पर उस से तेरह रूपे वुसूल करना चाहे तो क़र्ज़ देने वाले को चाहिये कि वोह कोई चीज़ क़र्ज़ लेने वाले को तेरह रूपे में बेच दे और वोह चीज़ उस के क़ब्ज़े में दे दे, फिर क़र्ज़ लेने वाला वोह सामान किसी अजनबी को दस रूपे में बेच कर वोह चीज़ उस अजनबी के क़ब्ज़े में दे दे और वोह अजनबी क़र्ज़ देने वाले को वोही चीज़ दस रुपे में बेच दे और उस से दस रूपे ले कर क़र्ज़ लेने वाले को वोह दस रुपे अदा कर दे, इस त़रह़ अजनबी पर क़र्ज़ लेने वाले को जो दस रूपे उधार थे वोह भी अदा हो जाएंगे और वोह चीज़ भी दस रूपे में क़र्ज़ देने वाले के पास पहुंच जाएगी और उस के तेरह रूपे क़र्ज़ लेने वाले पर एक मुअ़य्यना मुद्दत तक के लिये क़र्ज़ हो जाएंगे ।

("الفتاوى الخانية"، كتاب البيع، باب في بيع مال الربا، فصل فيما يكون قرارًا عن الربا، ج٢، ص٤٠٨)

www.dawateislami.net

चौथा ह़ीला : येह बयान फ़रमाया कि क़र्ज़ देने वाला, लेने वाले के हाथ कोई चीज़ एक मुअ़य्यना मुद्दत तक के लिये तेरह रूपे में फ़रोख़्त कर के वोह चीज़ उस के क़ब्ज़े में दे दे और क़र्ज़ लेने वाला वोह चीज़ किसी अजनबी को बेच दे, फिर क़र्ज़ लेने वाला उस अजनबी से बैअ़ फ़स्ख़ (Annul) कर दे। ख़्वाह वोह चीज़ अजनबी के क़ब्ज़े में दी हो या नहीं। इस के बा'द क़र्ज़ लेने वाला देने वाले को वोही चीज़ दस रूपे में बेच कर दस रूपे उस से वुसूल करे, इस त़रह़ क़र्ज़ देने वाले को तेरह और लेने वाले को दस रूपे ह़ासिल हो जाएंगे और मताअ़ अस्ल मालिक (या'नी क़र्ज़ देने वाले) के पास पहुंच जाएगा, अगर्चे क़र्ज़ देने वाले ने अपनी बेची हुई चीज़ की क़ीमत वुसूल होने से पहले ही उस से कम क़ीमत में ख़रीद ली मगर यहां येह जाइज़ है, क्यूंकि बीच में दूसरी बैअ़ आ गई जो क़र्ज़ लेने वाले और अजनबी के दरमियान हुई थी।

("الفتاوى الخانية"، كتاب البيع، باب في بيع مال الربا، فصل فيما يكون فراراً عن الربا، ج٢، ص٤٠٨)

और इस में **एक ह़ीला** येह बयान फ़रमाया कि क़र्ज़ देने वाला लेने वाले के हाथ कोई सामान उधार बेचे और वोह चीज़ उस के क़ब्ज़े में दे दे, फिर क़र्ज़ लेने वाला उस सामान को किसी दूसरे के हाथ क़ीमते ख़रीद से कम क़ीमत के इ़वज़ बेच दे, फिर वोह दूसरा शख़्स उस क़र्ज़ देने वाले को वोह सामान उसी क़ीमत में बेचे जिस में उस ने ख़रीदी ताकि वोह मताअ़ उस को मिल जाए और उस से क़ीमत ले कर क़र्ज़ लेने वाले को दे दे तो क़र्ज़ लेने वाले को क़र्ज़ मिल जाएगा और देने वाले को नफ़्अ़ ह़ासिल हो जाएगा।

www.dawateislami.net

मेरे ख़याल में येह वोही ह़ीला है जिस का ज़िक्र गुज़र चुका इमाम क़ाज़ी ख़ान ने फ़रमाया कि इसी ह़ीले का नाम बैए ईना (Sale on Credit) है जिसे इमाम मुह़म्मद عَلَيْهِ الرَّحْمَة ने ज़िक्र फ़रमाया, नीज़ मशाइख़े बल्ख़ फ़रमाते हैं कि बैए ईना हमारे बाज़ारों में राइज आज कल की बुयूअ़ (Sales) से बेहतर है, और इमाम अबू यूसुफ़ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه से रिवायत है कि उन्हों ने बैए ईना को जाइज़ फ़रमाया है और फ़रमाया कि इस पर सवाब मिलेगा सवाब की वज्ह येह बयान फ़रमाई कि इस में ह़राम या'नी सूद से भागना है।

("الفتاوى الخانية"، كتاب البيع، باب في بيع مال الربا، فصل فيما يكون قراراً عن الربا، ج٢، ص٤٠٨)

पांचवां ह़ीला : येह फ़रमाया कि एक शख़्स के पास दस खरे चांदी के रूपे (Ten Unmixed Silver Coins) हैं और वोह येह चाहता है कि इन को बारह खोटे रूपों के इवज़ बेचे तो येह जाइज़ नहीं, क्यूंकि येह सूद है, फिर अगर वोह ह़ीला करना चाहे तो उसे चाहिये कि ख़रीदार से बारह खोटे रूपे बत़ौरे क़र्ज़ ले ले फिर दस खरे रूपे उसे अदा कर दे फिर वोह ख़रीदार उसे बाक़ी दो रूपे मुआ़फ़ कर दे तो येह ह़ीला जाइज़ है।

("الفتاوى الخانية"، كتاب البيع، باب في بيع مال الربا، فصل فيما يكون قرارا عن الربا، ج٢، ص٤٠٨)

www.dawateislami.net

छटा ह़ीला : येह बयान फ़रमाया अगर किसी शख़्स पर दस खोटे रूपे एक मुअ़य्यन दिन तक के लिये क़र्ज़ थे जब वोह मुअ़य्यन दिन आया तो क़र्ज़दार नौ खरे रूपे लाया और कहा कि इन दस खोटे रूपों के बदले येह नौ खरे रूपे ले लो, तो येह सूरत जाइज़ नहीं, क्यूंकि इस में सूद है, तो अगर वोह ह़ीला करना चाहे तो नौ खोटे रूपों के बदले नौ खरे रूपे ले ले और एक रूपिया मुआ़फ़ कर दे, इस सूरत में क़र्ज़दार को अगर येह अन्देशा हो कि क़र्ज़ ख़्वाह एक रूपिया मुआ़फ़ नहीं करेगा तो क़र्ज़ ख़्वाह को नौ खरे रूपे अदा करे और एक पैसा या कोई और छोटी सी चीज़ जिस की कोई क़ीमत हो उस बाक़ी रूपे के इ़वज़ दे दे तो अब येह सूरत भी जाइज़ हो जाएगी और वोह अन्देशा भी जाता रहेगा ।

("الفتاوى الخانية"، كتاب البيع، باب في بيع مال الربا، فصل فيما يكون فراراً عن الربا، ج٢، ص٤٠٨)

इस इ़बारत के फ़वाइद तुझ पर पोशीदा नहीं रहेंगे; क्यूंकि आइन्दा तक़रीर में اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ हम इन का तज़किरा करेंगे, और हमारे लिये तो येही दलील काफ़ी है कि उ़लमाए किराम رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام ने वज्हे अव्वल में इसे बैए ईना से तश्बीह दी और फ़रमाया कि वोह भी इसी वज्ह से मकरूह है, नीज़ बैए ईना सिर्फ़ मकरूहे तन्ज़ीही है, लिहाज़ा इसी त़रह़ येह सूरत भी मकरूहे तन्ज़ीही होगी । और इमाम मुह़म्मद का येह इरशाद कि **''वोह इन के नज़दीक पहाड़ से ज़ियादा गिरां है''** वोह तुझे परेशानी में न डाले ।

(فتح القدير، كتاب الصرف، ج٦، ص٢٧١)

www.dawateislami.net

क्यूंकि उन्हों ने इसी त़रह़ का बल्कि इस से भी ज़ियादा सख़्त तर क़ौल बैए़ ईना के बारे में फ़रमाया है, जब कि वोह भी सिर्फ़ मकरूहे तन्ज़ीही (Unpleasant) है, "**रद्दुल मुह़्तार**" में "**त़ह़त़ावी**" और इस में "**आ़लमगी़री**" और उस में "**मुख़्तारुल फ़तावा**" और इस में इमाम अबू यूसुफ़ से रिवायत है कि बैए़ ईना जाइज़ है और इस के करने वाले को सवाब मिलेगा, जब कि इमाम मुह़म्मद ने फ़रमाया कि इस बैअ़ की बुराई मेरे नज़दीक पहाड़ों के बराबर है । क्यूंकि इसे सूद ख़ोरों (Usurers) ने ईजाद किया है ।

और नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि : (जब तुम बत़ौरे ईना ख़रीदो फ़रोख़्त करोगे और बेलों की दुम के पीछे चलोगे तो ज़लील हो जाओगे और तुम्हारा दुश्मन तुम पर ग़ालिब आ जाएगा ।) "**फ़त्हुल क़दीर**" में फ़रमाया कि बैए़ ईना में कोई कराहत नहीं, मगर येह ख़िलाफ़े औला है क्यूंकि इस में क़र्ज़ देने के अच्छे सुलूक से रूगर्दानी है । ("رد المحتار"، كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب في بيع العينة، ج٧، ص٥٧٦)

इसे "**बह़रुर्राइक़**", "**नहरुल फ़ाइक़**", "**दुर्रे मुख़्तार**" और "शुरुम्बुलाली" वग़ैरहा ने इसी त़रह़ बर क़रार रखा, नीज़ "**फ़त्हुल क़दीर**" में है कि इमाम अबू यूसुफ़ ने फ़रमाया कि येह बैअ़ मकरूह नहीं, क्यूंकि बहुत से सह़ाबए किराम رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُم ने इसे किया और इस की ता'रीफ़ फ़रमाई और इसे सूद क़रार न दिया । ("فتح القدير"، كتاب الكفالة، قبيل فصل في الضمان، ج٦، ص٣٢٤)

www.dawateislami.net

मेरे ख़याल में इमाम अबू यूसुफ़ का येह फ़रमान कि बहुत से सहाबा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُم ने इसे किया "उसूले फ़िक़्ह की इस्तिलाह़ (Terminology of Principles of Jurisprudence) में ह़दीसे मुर्सल (Transmitted Hadith) है, क्यूंकि हमारे नज़दीक मुर्सल हर उस ह़दीस को कहते हैं जिस की सनद मुत्तसिल न हो, और इस की अक़्साम में फ़र्क़ करना और इन के जुदा जुदा नाम मुर्सल व मुन्क़त़अ़ व मक़्तूअ़ व मा'ज़ल रखना फ़क़त़ मुह़द्दिसीन की इस्तिलाह़ है जिस से येह बताना मक़्सूद है कि इस में कितनी सूरतें होती हैं, जब कि इन तमाम सूरतों का हुक्म हमारे नज़दीक एक ही है और वोह येह है कि अगर सिक़ह रावी कोई ह़दीसे मुर्सल लाए तो वोह मक़्बूल है, जैसा कि हम ने अपनी किताब "منیر العین فی حکم تقبیل الإبہامین" में इस की तह़क़ीक़ बयान की है, और "**मुसल्लमुस्सुबूत**" वग़ैरा में इस की तसरीह़ फ़रमाई है, और तुझे इमाम अबू यूसुफ़ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ से बढ़ कर कौन सा सिक़ह दरकार है....? लिहाज़ा जब अक्सर सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُم से इसे करना और इस की ता'रीफ़ फ़रमाना साबित है तो इस से रूगर्दानी नहीं की जा सकती, क्यूंकि हमारे इमामे आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ का मज़हब सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُم की तक़्लीद है और बेशक रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने हमें इन की पैरवी का हुक्म दिया है,

जहां तक इस ह़दीस का तअ़ल्लुक़ है कि :-

((जब तुम बत़ौरे ईना ख़रीदो फ़रोख़्त करोगे.....इलख़))

www.dawateislami.net

इसे इमाम अह़मद व अबू दावूद व बज़्ज़ाज़ व अबू या'ला व बैहक़ी ने नाफ़ेअ़ से, उन्हों ने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत किया।

("سنن أبي داود"، كتاب الإجارة، باب [في] النهي عن العينة، رقم الحديث: ٣٤٦٢، ج٣، ص٣٧٨_"السنن الكبرى" للبيهقي، كتاب البيوع، باب ما ورد في كراهية ...إلخ، رقم الحديث: ١٠٧٠٣، ج٥، ص٥١٧_"المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، رقم الحديث: ٥٥٦٤، ج٢، ص٣٨٤)

इमाम इब्ने ह़जर ने फ़रमाया : इस की सनद ज़ईफ़ है, और इमाम अह़मद के यहां इस की एक सनद और है जो कि इस सनद से बेहतर है।

("فيض القدير" شرح "الجامع الصغير"، حرف الهمزة، رقم: ٥١٤، ج١، ص٤٠٣)

और अबू दावूद की सनद में अ़ब्दुर्रह़मान ख़ुरासानी इस्ह़ाक़ बिन उसैद अन्सारी हैं।

इब्ने अबी ह़ातिम ने कहा : वोह ज़ियादा मश्हूर नहीं, और अबू ह़ातिम ने कहा : कि उन से काम न रखा जाए, और ज़ह़बी ने कहा वोह "जाइज़ुल ह़दीस" हैं।

("ميزان الاعتدال"، ترجمة: ٨٨٩، إسحاق بن أسيد، حرف الألف من اسمه إسحاق، ج١، ص٢٠٩_"ميزان الاعتدال"، ترجمة: ١٠٨١٢، أبو عبد الرحمن الخراساني، ج٤، ص٥٠٣)

फिर कुन्यतों के बयान में उन्हें दोबारा ज़िक्र किया और इस ह़दीस को उन की अह़ादीसे मुन्किरा में शुमार किया।

("ميزان الاعتدال"، ترجمة: ١٠٨١٢، أبو عبد الرحمن الخراساني، ج٤، ص٥٠٣)

www.dawateislami.net

और "तक़रीब" में फ़रमाया कि इन में ज़ो'फ़ है।

("تقريب التهذيب"، حرف الألف، من اسمه إسحاق، ترجمة: ٣٧٠، ج١، ص٤٢)

बिल जुम्ला येह ह़दीस दरजए ह़सन से नीचे नहीं है, और बेशक इमाम सुयूती ने "**जामेए सग़ीर**" में इस के ह़सन होने का तज़किरा फ़रमाया है, और येह ह़दीस बहुत सी सनदों से आई है जिन के लिये बैहक़ी ने अपनी "**सुनन**" में एक फ़स्ल वज़्अ़ की और इन की इल्लतें (Causes) बयान कीं।

("فيض القدير" شرح "الجامع الصغير"، حرف الهمزة، رقم الحديث: ٥١٤، ج١، ص٤٠٣)

मेरे ख़याल में "**फ़त्हुल क़दीर**" के कलाम से ज़ाहिर होता है कि इमाम मुह़म्मद رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने इस ह़दीस को हुज्जत ठहराया है, तो इस सूरत में तो येह ह़दीस ज़रूर सह़ीह़ है, क्यूंकि मुज्तहिद जब किसी ह़दीस से इस्तिद्लाल (Reasoning) करे तो वोह इस्तिद्लाल उस ह़दीस की **सिह़्ह़त** का हुक्म होता है, जैसा कि मुह़क़्क़िक़ अ़लल इत़्लाक़ ने "**फ़त्हुल क़दीर**" में और इन के इलावा दीगर फ़ुक़हा ने दूसरी कुतुब में इस क़ानून का ज़िक्र फ़रमाया है।

("رد المحتار"، كتاب البيوع، فصل في ما يدخل في البيع تبعاً، مطلب: المجتهد إذا استدلّ بحديث...إلخ، ج٧، ص٨٣)

www.dawateislami.net

बहर ह़ाल इस ह़दीस में बैए ईना की मुमानअ़त पर कोई दलील नहीं, क्या इस के साथ ह़दीस के येह अल्फ़ाज़ नहीं देखते कि :-

((जब तुम बेलों की दुम पकड़ो))

("سنن أبي داود"، كتاب الإجارة، باب [في] النهي عن العينة، رقم الحديث: ٣٤٦٢، ج٣، ص٣٧٨)

या'नी खेती और ज़राअ़त में पड़ो, जैसा कि "**फ़त्हुल क़दीर**" में इस की येह तफ़्सीर फ़रमाई और फ़रमाया, क्यूंकि वोह उस वक़्त जिहाद छोड़ देंगे और उन की त़बीअ़त नामर्दी की आ़दी हो जाएगी।

("فتح القدير"، كتاب الكفالة، قبيل فصل في الضمان، ج٦، ص٣٢٤)

बल्कि येह रिवायत "**अबू दावूद**" में इन अल्फ़ाज़ के साथ आई है कि :

((**जब तुम बेलों की दुमें पकड़ो और काश्तकारी में पड़ जाओ और जिहाद छोड़ दो**))

("سنن أبي داود"، كتاب الإجارة، باب [في] النهي عن العينة، رقم: ٣٤٦٢، ج٣، ص٣٧٨ ملتقطاً)

और येह बात तो सब को मा'लूम है कि खेती बाड़ी करना मन्अ़ नहीं, बल्कि जमहूर उ़लमा के नज़्दीक जिहाद के बा'द सब पेशों से अफ़्ज़ल है, और बा'ज़ ने कहा कि :-

"जिहाद के बा'द तिजारत, फिर ज़राअ़त, फिर ह़िरफ़त अफ़्ज़ल है", जैसा कि "**वजीज़े करदरी**" में है, इस लिये जब "**इनाया**" में इस ह़दीस से बैए ईना की मज़म्मत पर दलील लाए तो अ़ल्लामा सा'दी

www.dawateislami.net

आफ़्न्दी ने फ़रमाया कि मैं कहता हूं : अगर येह दलील सह़ीह़ हो जाए तो ज़राअ़त भी मज़मूम हो जाएगी ।

("حاشية أفندي" هامش "فتح القدير"، كتاب الكفالة، ج٦، ص٣٢٤)

और "**हिदाया**" व "**तबयीन**" व "**दुर्रे मुख़्तार**" वग़ैरहा में बैए ईना के मकरूह होने की फ़क़त येह दलील मज़कूर है कि इस में क़र्ज़ देने के नेक सुलूक से रूगर्दानी है, "**हिदाया**" में इतना ज़ियादा फ़रमाया कि : "बुख़्ल मज़मूम की पैरवी कर के नेक सुलूक से रूगर्दानी है ।"

("الهداية" في شرح "بداية المبتدي"، كتاب الكفالة، قبيل فصل في الضمان، ج٣، ص٩٤۔"تبيين الحقائق" في شرح "كنز الدقائق"، كتاب الكفالة، فصل، ج٥، ص٥٤۔"الدر المختار "في شرح "تنوير الأبصار"، كتاب الكفالة، قوله (كفيله ببيع العينة) ج٧، ص٦٥٥)

और तुझे मा'लूम है कि नेक सुलूक से रूगर्दानी करना कराहते तह़रीमी का सबब नहीं, इसी लिये "**फ़त्हुल क़दीर**" में फ़रमाया कि इस में कोई ह़रज नहीं, क्यूंकि समन का एक ह़िस्सा तो वा'दे के मुक़ाबिल हो गया और आदमी पर हमेशा क़र्ज़ देना वाजिब नहीं, बल्कि वोह एक नेक काम है । ("فتح القدير"، كتاب الكفالة، قبيل فصل في الضمان، ج٦، ص٣٢٤)

और "**इनाया**" में फ़रमाया कि क़र्ज़ देने से रूगर्दानी करना मकरूह नहीं, इसी त़रह़ से तिजारत में नफ़्अ़ की तम्अ़ भी मकरूह नहीं, वरना नफ़्अ़ पर ख़रीदो फ़रोख़्त करना भी मकरूह होता ।

("العناية"، كتاب الكفالة، قبيل فصل في الضمان، ج٦، ص٣٢٣)

www.dawateislami.net

मैं कहता हूं कि तिजारत तो अपने रब के फ़ज़्ल को तलाश करने ही का नाम है, और ख़रीदते वक़्त क़ीमत में कमी कराना सुन्नत है।

नीज़ बेशक रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि :

((ग़बन खाने में न नामवरी है और न ही सवाब))

("المعجم الكبير" للطبراني، مسند حسن بن علي، رقم: ٢٧٣٢، ج٣، ص٨٣۔
"تاريخ بغداد أو مدينة السّلام"، أحمد بن طاهر بن عبد الرحمٰن...إلخ، رقم: ٢٢١٧، ج٤، ص٤٣٤)

येह ह़दीस अस्ह़ाबे सुनन ने इमाम हुसैन और त़बरानी ने अपनी "**मोअ़जम**" में इमाम ह़सन और ख़त़ीब ने मौला अ़ली كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم से रिवायत की, लिहाज़ा बैए ईना ज़ियादा से ज़ियादा मकरूहे तन्ज़ीही हो सकती है, और इस में इन्तिहाई दरजे सिर्फ़ कराहते तन्ज़ीही है वरना सह़ीह़ ह़दीस से तो येही बात साबित है कि सह़ाबए किराम رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُم ने बैए ईना की, और इस बैअ़ की ता'रीफ़ भी फ़रमाई।

और अ़ल्लामा अ़ब्दुल ह़लीम ने जो कि अ़ल्लामा शुरुम्बुलाली رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى के हम अ़स्र हैं, उन्हों ने ह़ाशिया "**दुरर**" में लिखा कि इमाम अबू यूसुफ़ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه की रिवायत कुछ इस त़रह़ से है कि "बैए ईना जाइज़ और सवाब का काम है, क्यूंकि इस में ह़राम से भागना है और ह़राम से भागने का ह़ीला करना मुस्तह़ब है और ब कसरत सह़ाबए किराम رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن ने इसे किया और इस की ता'रीफ़ भी फ़रमाई।" ("حاشية الدرر" لعبد الحليم)

www.dawateislami.net

इन की इबारत के तर्ज़े कलाम से येह बात ज़ाहिर होती है कि "ह़राम से भागने का ह़ीला करना मुस्तह़ब है" येह जुम्ला भी इमाम अबू यूसुफ़ رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ही का कलाम है। وَاللّٰه تَعَالٰى اَعلم और येह सूरते मज़्कूरा के मकरूहे तह़रीमी न होने की **पहली दलील** है।

दूसरी दलील

जमहूर उ़लमाए किराम ने तसरीह़ फ़रमाई है कि जब क़दर या जिन्स में से कोई एक चीज़ न पाई जाए तो ज़ियादती ह़लाल होती है, और येह बात यक़ीनन ज़ाहिर है कि अशरफ़ी और चांदी का रूपिया या अशरफ़ी और पैसा एक जिन्स नहीं लिहाज़ा इस सूरत में ज़ियादती का ह़लाल होना बिल्कुल जाइज़ है, कराहते तह़रीमी किधर से आएगी.....?

मिक़्दार में कमी बेशी की चार सूरतें हैं और जिन्स मुख़्तलिफ़ हो तो चारों जाइज़ हैं

तह़क़ीक़ के मुताबिक़ ज़ियादती की चार सूरतें हैं।

(1) जिस चीज़ की मालिय्यत ज़ियादा हो उसी की मिक़्दार भी ज़ियादा हो।

(2) उस चीज़ की मिक़्दार तो कम हो मगर मालिय्यत अब भी ज़ियादा हो बल्कि कई गुना ज़ियादा हो, जैसे अशरफ़ी की मालिय्यत रूपे के मुक़ाबले में।

www.dawateislami.net

(3) उस चीज़ की मिक़्दार इतनी कम हो कि उस की मालिय्यत भी उस के मुक़ाबिल चीज़ से कम हो जाए।

(4) उस की मिक़्दार इस ह़द तक कम हो कि दोनों मालिय्यत में बराबर हो जाएं।

तो तमाम उ़लमा ने फ़क़त़ जिन्से मुख़्तलिफ़ होने की सूरत में कमी बेशी के जाइज़ होने की तसरीह़ फ़रमाई है और इस जवाज़ को किसी ख़ास सूरत के साथ मुक़य्यद (Limited) नहीं फ़रमाया, चुनान्चे, येह जवाज़ चारों सूरतों को शामिल होगा, अगर वहां कराहते तह़रीमी होती तो चारों सूरतों में सिर्फ़ एक या'नी चौथी सूरत ह़लाल होती, फिर यहां एक सूरत और भी है वोह येह कि दो जिन्सें जब मिक़्दार में बराबर हों और उन की मालिय्यत भी बराबर हो तो भी उ़लमा ने कमी बेशी के ह़लाल होने का हुक्म इरशाद फ़रमाया है और वोह इस सूरत में मालिय्यत की कमी बेशी को लाज़िम करता है, लिहाज़ा इस बैए ईना का ह़लाल होना वाजिब हुवा।

तीसरी दलील

नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का इरशाद है कि :-

((जब जिन्स मुख़्तलिफ़ हो तो जैसे चाहो ख़रीदो फ़रोख़्त करो))

(" نصب الراية" لأحاديث" الهداية"، كتاب البيوع، ج٤، ص٧)

तो कौन है जो इस सूरत को गुनाह और मकरूहे तह़रीमी (Abominable) क़रार देगा.....? ह़ालांकि नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم इस की इजाज़त अ़त़ा फ़रमा चुके।

www.dawateislami.net

चौथी दलील

वोह इबारत है जो हम "**फ़तावा क़ाज़ी ख़ान**" के ह़वाले से बयान कर चुके हैं कि रूपे के इ़वज़ एक पैसा दे दे तो येह जाइज़ है और इस से अमान ह़ासिल हो जाएगी तो गुनाह के बा'द कौन सी अमान है ?

पांचवीं दलील

मसलन अशरफ़ी और चांदी के रूपे या पैसे और अशरफ़ी में कमी बेशी नहीं मगर मालिय्यत की तो अगर उस से कराहते तह़रीमी लाज़िम होती इस बिना पर कि दोनों आ़क़िदैन में से एक ने वोह पाया जो मालिय्यत और नफ़्अ़ में ज़ाइद है तो उस को इस पर ज़ियादती रही तो वाजिब होगा कि खरे और खोटे का वज़्न में बराबर होना भी मकरूहे तह़रीमी (Disagreeable) हो, जब कि खरे की क़ीमत खोटे से इतनी ज़ियादा हो जिस में लोग एक दूसरे से ग़बन न खाएं, जैसे खरे की मालिय्यत खोटे से दो गुनी या कई गुना ज़ियादा हो, क्यूंकि कराहते तह़रीमी का वोह सबब यहां भी यक़ीनन पाया जा रहा है और किसी शै का हुक्म अपने सबब से जुदा नहीं होता, क्यूंकि शरए़ मुत़ह्हर ने खोटे और खरे के वज़्न में बराबर का हुक्म दिया है, इसी त़रह़ से वोह चीज़ जो सन्अ़त कारी (Designing) के सबब मालिय्यत में बढ़ जाए यहां तक कि उस के हम वज़्न पत्तर या रूपों से कई गुना ज़ियादा हो जाए तो उस में वज़्न की बराबरी उसी कराहते तह़रीमी का सबब होगा जो तुम ने क़रार दी है, ह़ालांकि वज़्न में बराबर होना शरअ़न वाजिब है, लिहाज़ा

www.dawateislami.net

इस सूरत में येह बात सामने आएगी कि शरअ़ ने गुनाह को वाजिब किया हालांकि मकरूहे तह़रीमी ममनूअ़ है और इस का करना "**बह़रुर्राइक़**" व "**दुर्रे मुख़्तार**" वग़ैरहुमा की तसरीह़ के मुत़ाबिक़ अगर्चे "**गुनाहे सग़ीरा**" है मगर इस की आ़दत डालने से "**गुनाहे कबीरा**" हो जाता है, और बेशक शरअ़ गुनाह का हुक्म देने और गुनाह के इरतिकाब को वाजिब क़रार देने से बुलन्दो बाला है, ब ख़िलाफ़ मकरूहे तन्ज़ीही के, क्यूंकि वोह मुबाह़ होता है और क़त़्अ़न गुनाह नहीं, बल्कि बा'ज़ अवक़ात अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام क़स्दन इस के जवाज़ को ज़ाहिर करने के लिये इसे करते भी हैं, और इन्ही अ़ल्लामा लखनवी का क़दम "**हुक़्क़ा**" के बारे में लिखे गए रिसाले में फिसला तो उन्हों ने मकरूहे तन्ज़ीही को "**गुनाहे सग़ीरा**" और इस पर इसरार को "**गुनाहे कबीरा**" ठहरा दिया, और येह बिल्कुल वाज़ेह़ ग़लत़ी है, और इस का ऐब मैं ने अपने एक मुस्तक़िल रिसाले جمل محلية أنّ المكروه تنزيهاً ليس بمعصية में तफ़्सील से बयान कर दिया है।

और येह उ़ज़्र पेश करना कि जिन्स एक होने की सूरत में शरअ़ ने मालिय्यत के ए'तिबार को साक़ित़ कर दिया है उन्हें कुछ नफ़्अ़ न देगा, क्यूंकि येही तो अस्ल बह़स है कि अगर शरअ़ की नज़र में मालिय्यत की ज़ियादती गुनाह का बाइ़स थी तो इस का ए'तिबार क्यूं साक़ित़ फ़रमा दिया, हालांकि इस में ख़ुद मक़्सूदे शरअ़ को बात़िल करना लाज़िम आता है? और मक़्सूद क्या है.....? येही ना कि लोगों का माल बचाया जाए, और माल का दारो मदार मालिय्यत ही पर होता है, लिहाज़ा मालिय्यत का ए'तिबार

www.dawateislami.net

साक़ित करने से सूद ख़ोरों को उन के मक़्सूदे फ़ासिद तक पहुंचाना लाज़िम आएगा, क्यूंकि उन की ग़रज़ तो सिर्फ़ मालिय्यत ही से मुतअ़ल्लिक़ है जब उन्हें ज़ियादा मालिय्यत ह़ासिल हो गई तो वोह अपनी मुराद को पहुंचे, और वज़्न की कमी बेशी से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती, लिहाज़ा ज़ाहिर हो गया कि शरअ़ मालिय्यत में ज़ियादती की त़रफ़ अस्लन नज़र नहीं फ़रमाती तो येह मुमकिन ही नहीं कि शरअ़ मालिय्यत की ज़ियादती को मकरूहे तह़रीमी क़रार दे और येही तो हमारा मक़्सूद है।

छटी दलील

तमाम मुतून बिल इत्तिफ़ाक़ इस तसरीह़ से लबरेज़ हैं कि एक पैसे को दो पैसों के इ़वज़ बेचना जाइज़ है, नीज़ "**बह़रुर्राइक़**" में फ़रमाया कि इन की मुराद ख़ास येही नहीं कि एक पैसे को दो पैसों के इ़वज़, बल्कि कमी बेशी ह़लाल होने का बयान मक़्सूद है, यहां तक कि अगर एक पैसा सौ मुअ़य्यन पैसों के इ़वज़ भी बेचा जाए तो इमामे आ'ज़म और इमाम अबू यूसुफ़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا के नज़दीक ह़लाल है।

("البحر الرائق"، كتاب البيوع، باب الربا، قوله (والفلس بالفلسين بأعيانهما) ج٦، ص٢١٩)

और तुम्हें मालिय्यत में कमी बेशी के जाइज़ होने पर इस से बड़ी और कौन सी दलील दरकार है। والحمد لله और हां.....! उ़लमाए किराम رَحِمَہُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی ने तसरीह़ फ़रमाई है कि कभी ह़लाल और मकरूहे तन्ज़ीही दोनों जम्अ़ हो जाते हैं।

www.dawateislami.net

सातवीं दलील

मज़कूरा बैए ईना कि जिस की बुन्याद ही मालिय्यत में कमी बेशी पर है इस में येह क़ैद नहीं कि दस रूपों के इवज़ बारह या तेरह रूपे वुसूल करें, जैसा कि "**फ़तावा क़ाज़ी ख़ान**" में है, या पन्दरह रूपे, जैसा कि "**फ़त्हुल क़दीर**" में है, बल्कि इस बैअ़ में दो चार गुना चीज़ वुसूल करने की सूरत भी बयान की गई है। "**फ़त्हुल क़दीर**" में है कि बैए ईना की एक सूरत येह भी है कि कोई शख़्स, मसलन ज़ैद अपना मताअ़ क़र्ज़ ख़्वाह बकर के हाथ एक मुद्दते मुअ़य्यना तक के लिये दो हज़ार के इवज़ बेचे, फिर किसी दरमियानी शख़्स मसलन अ़म्र को क़र्ज़ ख़्वाह बकर की त़रफ़ भेजे और वोह उस क़र्ज़ ख़्वाह से अपने लिये इस मताअ़ को एक हज़ार रूपे नक़्द के इवज़ ख़रीद कर क़ब्ज़ा कर ले और येह दरमियानी शख़्स या'नी अ़म्र पहले शख़्स ज़ैद को येह मताअ़ एक हज़ार के इवज़ बेच दे फिर येह अ़म्र अपने बाएअ़ (क़र्ज़ ख़्वाह) बकर का समन जो कि हज़ार रूपे नक़्द है (पहले बाएअ़) ज़ैद के ज़िम्मे पर डाल दे तो येह ज़ैद (पहला बाएअ़) हज़ार रूपे अ़म्र की त़रफ़ से बकर (क़र्ज़ ख़्वाह) को दे दे, और मुद्दते मुअ़य्यना पूरी होने पर दो हज़ार उस से वुसूल करे।

("فتح القدير" في شرح "الهداية"، كتاب الكفالة، قبيل فصل في الضمان، ج٦، ص٣٢٤)

तो जब दुगना मनाफ़ेअ़ जाइज़ हुवा तो कई गुना भी जाइज़ है। मेरे ख़याल में इस दरमियानी शख़्स का होना ज़रूरी नहीं, बल्कि येह भी हो

www.dawateislami.net

सकता है कि क़र्ज़ ख़्वाह को हज़ार रूपे वाली चीज़ दो हज़ार के इवज़ बेचे और क़र्ज़ ख़्वाह उसे बाज़ार में हज़ार रूपे में बेच दे, ताकि वोह मताअ़ क़र्ज़ देने वाले की त़रफ़ न लौटे, क्यूंकि बज़ाते ख़ुद वोही मताअ़ लौटने की सूरत साहिबे "**फ़त्हुल क़दीर**" के नज़्दीक मकरूहे तह़रीमी है, अगर्चे इस में कलाम की गुन्जाइश है क्यूंकि अपनी बेची हुई चीज़ को क़ीमते फ़रोख़्त से कम में ख़रीदना बिल इज्माअ़ जाइज़ है, जब कि तीसरा शख़्स मुतवस्सित़ है, और उ़लमा ने अपनी बेची हुई चीज़ को क़ीमते फ़रोख़्त से कम में ख़रीदने की सूरत को गुनाह क़रार नहीं दिया, इमाम फ़क़ीहुन्नफ़्स क़ाज़ी ख़ान के ह़वाले से येह बात ऊपर गुज़र चुकी है, जहां उन्हों ने ह़राम से भागने के ह़ीले बयान फ़रमाए हैं और अगर गुनाह बाक़ी रहे तो ह़ीला कहां पूरा हुवा ? तह़क़ीक़ अ़ल्लामा अ़ब्दुल ह़लीम ने "**दुरर**" के ह़वाशी में ह़राम से बचने के ह़ीलों में फ़रमाया कि ज़ाहिर येह है कि इस में कराहते तन्ज़ीही है, चाहे दिया गया मताअ़ बिऐ़निही देने वाले की त़रफ़ लौटे, या इस का कुछ हिस्सा लौटे, या बिल्कुल न लौटे । ("حاشية الدرر" لعبد الحليم)

आठवीं दलील

वसी अगर यतीम का माल ख़ुद ख़रीदना या अपना माल उस के हाथ बेचना चाहे तो इस के जवाज़ के लिये उ़लमाए किराम ने येह शर्त़ फ़रमाई है कि इस ख़रीदो फ़रोख़्त में यतीम को नफ़्अ़ हो, और इस नफ़्अ़ की मिक़्दार ग़ैर मन्क़ूला जाएदाद में दो गुना और मन्क़ूला में डेढ़ गुना

www.dawateislami.net

मुक़र्रर फ़रमाई है, जैसा कि "**फ़तावा क़ाज़ी ख़ान**" और "**फ़तावा आ़लमगीरी**" में है।

("الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع عشر في بيع الأب والوصي...إلخ، ج٣، ص١٧٥، ١٧٦ ملخصاً۔ "الفتاوى الخانية"، كتاب البيوع، فصل في بيع الوصي وشرائه، ج٢، ص٤١٣، ملخصاً)

और अगर वसी यतीम का माल किसी दूसरे को बेचना चाहे और ना बालिग़ को उस की क़ीमत की ज़रूरत न हो और न मूरिस पर कोई ऐसा दैन (क़र्ज़) हो कि उसे बेचे बिग़ैर अदा न किया जा सकेगा, तो इस सूरत में इस बैअ़ के जाइज़ होने के लिये उ़लमाए किराम ने यतीम के माल को दुगनी क़ीमत पर बेचना शर्त क़रार दिया है। "**हिन्दिय्या**" में "**मुह़ीत़ सरख़सी**" के ह़वाले से लिखा है कि इसी पर फ़तवा है।

("الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع عشر في بيع الأب والوصي، ج٣، ص١٧٦)

लिहाज़ा मालिय्यत की इस कमी बेशी का हुक्म ख़ुद शरए़ मुत़ह्हर की त़रफ़ से है।

नवीं दलील

वोह क़ौल है जो "**फ़त्हुल क़दीर**" वग़ैरा क़ाबिले ए'तिमाद कुतुब के ह़वाले से गुज़रा कि "अगर काग़ज़ का एक टुकड़ा एक हज़ार रूपे के इ़वज़ बेचे तो येह ख़रीदो फ़रोख़्त जाइज़ है, और बिल्कुल मकरूह नहीं है।" ("فتح القدير"، كتاب الكفالة، قبيل فصل في الضمان، ج٦، ص٣٢٤)

www.dawateislami.net

दसवीं दलील

''**रद्दुल मुह़्तार**'' के बाबुर्रिबा में ''**ज़ख़ीरा**'' के ह़वाले से है कि ''अगर कोई नानबाई को गेहूं इकठ्ठे दे दे और रोटी थोड़ी थोड़ी कर के लेना चाहे तो मुनासिब येह है कि गेहूं वाला नानबाई के हाथ अंगूठी या चाक़ू हज़ार मन गेहूं की रोटी के इवज़ बेचे'' और चाक़ू या अंगूठी नानबाई के ह़वाले भी कर दे तो अब नानबाई पर हज़ार मन गेहूं की रोटी ज़िम्मे पर लाज़िम हो गई और नानबाई अंगूठी को हज़ार मन गेहूं के बदले गेहूं वाले के हाथ बेच दे। ("رد المحتار"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٧، ص٤٣٨)

भला कहां चाक़ू और कहां हज़ार मन गेहूं की रोटी....! और इस त़रह़ के बेशुमार नज़ाइर हम बयान करना शुरूअ़ कर दें तो इह़ात़ा न कर सकेंगे, और येह जो हम छटी दलील से दसवीं दलील तक उतर आए इस की वज्ह येह है कि वोह जो उ़लमाए किराम ने फ़रमाया था कि ''जिस जानिब वज़्न की कमी है उस में कोई और चीज़ मिला दी जाए'' तो येह बात उन के कलाम में मुत़्लक़ है, ख़्वाह वोह चीज़ समन हो या मताअ़ और अमवाले रिबा से हो या नहीं, ख़ुलासा येह कि मबीअ़ और समन में मालिय्यत की ज़ियादा से ज़ियादा कमी बेशी जाइज़ है तो येह इस मस्अले के तह़क़ीक़ की इन्तिहा है।

जहां तक **फ़ाज़िल अ़ब्दुल ह़लीम** के कलाम का तअ़ल्लुक़ है तो मैं इस का पहला जवाब येह दूंगा।

www.dawateislami.net

पहला जवाब

हुसूले एह़तियात़ के लिये किसी चीज़ का वुजूब फ़ी नफ़्सिही उस का वुजूब नहीं, और बेशक फ़साद (Incorrectness) के ख़ौफ़ से ऐसी चीज़ को छोड़ना जिस में ख़राबी न हो एह़तियात़ ही है और येह उसी त़रह़ ह़ासिल होगी जैसे उन्हों ने फ़रमाया, लिहाज़ा येह वुजूब एह़तियात़ के वाजिबात से हुवा, क्यूंकि किसी शै के लिये वाजिब वोही होता है जिस के बिग़ैर वोह शै ह़ासिल न हो सके।

दूसरा जवाब

अक्सर उ़र्फ़ में मुस्तह़ब को भी वाजिब कहते हैं और "**दुर्रे मुख़्तार**" का येह क़ौल कि "**नमाज़े ईद के बा'द तक्बीर कहने में कोई ह़रज नहीं**" भी इसी क़बील से है, क्यूंकि येह त़रीक़ा मुसलमानों में सलफ़ से चला आ रहा है, लिहाज़ा उन की पैरवी वाजिब हुई।

("الدر المختار" في شرح "تنوير الأبصار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، ج٣، ص٧٥)

और अ़ल्लामा शामी ने दूसरी जगह इस की येह नज़ीर बयान फ़रमाई कि उ़र्फ़ में येह कहते हैं कि "**तेरा ह़क़ मुझ पर वाजिब है**" नीज़ "**फ़त्हुल क़दीर**" की किताब "**अदबुल क़ाज़ी**" में "**हिदाया**" के इस क़ौल : "**क़ाज़ी जनाज़ा पर ह़ाज़िर हो और बीमार की इयादत को जाए**" के नीचे इमाम बुख़ारी की किताब "**अदबुल मफ़रद**" की येह ह़दीस ह़ज़रते अबू अय्यूब अन्सारी رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से ज़िक्र फ़रमाई कि मैं ने रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को फ़रमाते हुवे सुना कि ((बेशक मुसलमान के मुसलमान पर छे हुक़ूक़ वाजिब हैं अगर उन में से कोई चीज़ छोड़े तो अपने भाई का एक ह़क़ छोड़ेगा जो उस के लिये उस पर

www.dawateislami.net

वाजिब था (1) वक़्ते मुलाक़ात उसे सलाम करे (2) वोह दा'वत करे तो येह उसे क़बूल करे या वोह उसे पुकारे तो उस का जवाब दे (3) जब उसे छींक आए और वोह "الحمدلله" कहे तो येह उस के जवाब में "یرحمك اللّٰه" कहे (4) बीमार पड़े तो उस की इयादत को जाए (5) उस की मौत पर हाज़िर हो (6) अगर वोह उस से नसीहत चाहे तो उसे नसीहत करे)) फिर मोहक़्क़िक़ साहिब ने फ़रमाया कि इस हदीस में वुजूब को ऐसे मा'ना पर महमूल किया जाएगा जो वुजूब के फ़िक़्ही मा'ना से आम हो, क्यूंकि हदीस के ज़ाहिरी मा'ना तो येह हैं कि मुलाक़ात की इब्तिदा में सलाम करना वाजिब हो, और नमाज़े जनाज़ा फ़र्ज़े ऐन हो, मगर हदीस की मुराद येह है कि येह हुक़ूक़ मुसलमान पर साबित हैं, ख़्वाह मुस्तहब हों या वाजिबे फ़िक़्ही।

("فتح القدير"، كتاب أدب القاضي، قبيل فصل في الحبس، ج٦، ص٣٧٣۔"المعجم الكبير" للطبراني، مسند أبي أيوب الأنصاري، رقم الحديث: ٤٠٧٦، ج٤، ص١٨٠)

नीज़ अल्लामा अब्दुल हलीम की इबारत में वुजूब के येह मा'ना (मुस्तहब होना) लेना हमारे क़ाइम कर्दा दलाइल के सबब ज़रूरी हैं और अगर आप इसे ज़ाहिर पर ही महमूल मानें तो सुन लें कि येह अल्लामा अब्दुल हलीम رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْه की अपनी एक समझ है जिस पर उन्हों ने कोई नक़्ली सनद (Referenced Evidence) पेश नहीं की और उन की फ़हम शरअ में हुज्जत नहीं, ख़ुसूसन जब कि उन के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ दलाइल क़ाइम हो चुके हों।

www.dawateislami.net

तीसरा जवाब

अगर इन की इबारत को इस मा'ना पर महमूल न किया जाए तो इन का कलाम ख़ुद अपने नफ़्स का मुनाक़िज़ होगा, क्यूंकि इन्हों ने इस कलाम के एक वर्क़ बा'द सल्तनते उ़स्मानिय्या का एक वाक़िआ़ बयान फ़रमाया है कि पुराने चांदी के रूपे जिन में खोट हो और चांदी ग़ालिब हो, उन्हें नए खरे रूपों से बदलते हैं, और इन नए रूपों के चलन के बा'द पुराने रूपों से लैन दैन करना मन्अ़ कर दिया जाता है, और इन पुराने रूपों का खोटापन इस क़दर है कि एक बड़ा रूमी रूपिया जिसे "**क़रश**" कहते हैं, इन पुराने के एक सौ बीस रूपों के बराबर होता है, और एक अशरफ़ी दो सौ चालीस रूपों के बराबर होती है, जब नए रूपे चल जाते हैं तो "**क़रश**" की क़ीमत इन नए रूपों से अस्सी रूपे रह जाती है और अशरफ़ी एक सौ बीस की, तो लोगों का वोह लैन दैन जो पुराने रूपों के ज़माने में हुवा था उस में बड़ा झगड़ा पड़ जाता है। तो उ़लमा महरूसए "**कुस्तुनतुनिय्या**" رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام में से हमारे अगले सरदारों ने येह फ़तवा दिया कि तिहाई दैन उतार दें (या'नी एक तिहाई दैन मिन्हा कर के बाक़ी दैन अदा करें) तो एक सौ बीस पुराने पूरों के क़र्ज़ की जगह मदयून क़र्ज़ ख़्वाह को नए अस्सी रूपे या एक "**क़रश**" दे दे और दो सौ चालीस पुराने रूपों के इ़वज़ एक अशरफ़ी या दो "**क़रश**" अदा कर दे, लिहाज़ा इसी फ़तवा पर अ़मल होता रहा।

www.dawateislami.net

यहां तक कि हमारे उस्ताज़ मर्हूम अस्अ़द बिन सअ़दुद्दीन के फ़तवा देने का वक़्त आया तो उन्हों ने येह फ़तवा दिया कि ज़मानए अ़क़्द (Contract Time) में पुराने रूपों की जो क़ीमत थी उतनी क़ीमत की अशरफ़िया दी जाएं, मसलन हर दो सौ चालीस रूपे के बदले एक अशरफ़ी दी जाए और नया रूपिया या "**क़रश**" देना जाइज़ क़रार न दिया, और तसरीह़ फ़रमाई कि अगले मस्अले में या तो ह़क़ीक़तन सूद है या इस का शुबा है। ("حاشية الدرر" لعبد الحليم)

फिर अ़ल्लामा अ़ब्दुल ह़लीम ने कहा कि उ़लमाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ने पहले जो फ़तवा दिया वोह भी सह़ीह़ है और इस में ज़ियादा आसानी भी है और अदाए दैन के दाइरे में वुस्अ़त (Capacity) भी, और इस के सह़ीह़ होने की वज्ह येह है कि पुराने रूपों का चलन किसी फ़र्क़ (Difference) के बिग़ैर बिल्कुल अशरफ़ी और क़रश की त़रह़ था, लिहाज़ा साबित हुवा कि मदयून पर दैन भी इसी तफ़्सील से ठहरेगा, और दैन का ह़ासिल येह होगा कि इतनी मिक़्दार का माल लाज़िम है, ख़्वाह किसी भी नौअ़ से हो, पुराने रूपे हों या अशरफ़ी या फिर क़रश, जैसा कि उ़लमाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ने मुख़्तलिफ़ सिक्कों के चलन में बराबर होने की सूरत में इस हुक्म की तसरीह़ फ़रमाई है कि जब पुराने रूपों का चलन बन्द कर दिया गया और नए रूपे चलने लगे और क़रश व अशरफ़ी की मालिय्यत कम हो गई जैसा कि ऊपर बयान हुई, तो दैन भी इतना ही उतर जाएगा, और इस फ़तवे में अदाए क़र्ज़ के दाइरे में वुस्अ़त और पूरी आसानी है, क्यूंकि क़र्ज़दार जिस नौअ़ (Species)

www.dawateislami.net

से अदाएगिये क़र्ज़ पर क़ुदरत रखेगा उसी से क़र्ज़ अदा कर देगा, ब ख़िलाफ़ दूसरे फ़तवा के, क्यूंकि हो सकता है कि क़र्ज़दार के पास अशरफ़ी (Gold Coin) न हो, और न उसे मिलती हो और येह भी हो सकता है कि क़र्ज़ अशरफ़ी की मालिय्यत से कम हो, लिहाज़ा अदाएगिये क़र्ज़ में दुश्वारी होगी, ह़ालांकि जो समन ज़मानए अ़क़्द में राइज थे वोह पुराने रूपे के इ़लावा ब दस्तूर राइज हैं न इन का चलन घटा और न ही बन्द हुवा, मगर येह ज़रूर हुवा कि नए रूपों के सबब इन की मालिय्यत कम हो गई, लिहाज़ा मदयून (क़र्ज़दार) को क्यूं कर मजबूर किया जाएगा कि ख़ास अशरफ़ी ही से अपना दैन अदा करे....? लिहाज़ा ज़ाहिर हुवा कि पहला फ़तवा सह़ीह़ और आसान है और इस में कोई दुश्वारी नहीं। हां.....! अगर येह मान लिया जाए कि नए रूपे या क़रश से क़र्ज़ अदा करने की सूरत में ह़क़ीक़तन या ह़ुक्मन सूद है, क्यूंकि दोनों का वज़्न बराबर नहीं या बराबरी का इ़ल्म नहीं। तो इस मफ़रूज़े को इस त़रह़ दूर किया जा सकता है कि नए रूपे या क़रश के साथ मसलन एक पैसा मिला कर दिया जाए तो अब इस क़र्ज़ की अदाएगी का जवाज़ किसी पर पोशीदा नहीं। ("حاشية الدرر" لعبد الحليم)

और येह मस्अला "**दुर्रे मुख़्तार**" वग़ैरा में मज़कूर है और साह़िबे "**दुर्रे मुख़्तार**" ने सा'दी आफ़न्दी ही के फ़तवे को इख़्तियार फ़रमाया कि क़र्ज़दार को अशरफ़ी ही से क़र्ज़ अदा करना वाजिब है, और अ़ल्लामा शामी अ़ल्लामा अ़ब्दुल ह़लीम की राए की त़रफ़ माइल हुवे, और इस कलाम का ह़ासिल येह है कि अव्वल तो हम येह तस्लीम नहीं

www.dawateislami.net

करते कि क़र्ज़दार के ज़िम्मे ख़ास पुराने रूपे ही देना वाजिब थे, ताकि नए रूपे या क़रश से अदा करने की सूरत में सूद (Usury) ठहरे जब कि वोह पुराने रूपों से वज़्न में बराबर न हों, बल्कि इतनी मालिय्यत लाज़िम थी जिस का अन्दाज़ा इन तीन क़िस्म के सिक्कों में से जिस से चाहे कर ले, लिहाज़ा जब इन में से एक का चलन जाता रहा तो बाक़ी दो में से जिस से चाहे अदा कर दे ।

मैं कहता हूं कि यहीं से ज़ाहिर हो गया कि उन का येह फ़रमान कि **"तिहाई दैन उतार दिया जाए (या'नी तिहाई दैन बाक़ी ही न रहे) लग़्ज़िश है"**, और उन्हों ने रूपों की गिनती में होने वाले ज़ाहिरी तग़य्युर पर नज़र फ़रमा कर येह कह दिया कि : **"एक सौ बीस की जगह नए अस्सी रूपे अदा करेगा"** वरना मालिय्यत में तो अस्लन तग़य्युर नहीं हुवा था, दूसरा येह कि अगर क़र्ज़दार के ज़िम्मे ख़ास पुराने रूपे ही लाज़िम होना मान लिये जाए तो सूद इस त़रह़ दूर हो सकता है कि क़र्ज़दार नए रूपों या क़रश के साथ मसलन एक पैसा मिला कर दे दे, नीज़ फ़ाज़िल अ़ब्दुल ह़लीम ने लोगों को येही फ़तवा दिया और इसे पूरी आसानी बिला दुश्वारी बताया, और कराहते तह़रीमी के बा'द कौन सी आसानी है.....!

लिहाज़ा जो मा'ना हम ने बयान किये इन के सिवा कोई चारा नहीं, और बेशक तौफ़ीक़ तो **अल्लाह** ही की त़रफ़ से है । बिल जुम्ला येह शुब्हात क़ाबिले ज़िक्र तो न थे मगर चूंकि इन के जवाबात से चमकते हुवे फ़ाइदे ज़ाहिर हुवे इस लिये ज़िक्र कर दिये ।

www.dawateislami.net

मैं कहता हूं اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ इस तक़रीर से वाज़ेह़ हो गया कि दस का नोट बारह रूपे के इ़वज़ बेचना तो दर कनार एक अशरफ़ी एक रूपे बल्कि एक पैसे के इ़वज़ बेचने में सूद तो सूद इस का शुबा भी नहीं, ब ख़िलाफ़ लखनवी साहि़ब के गुमान के, क्यूंकि ह़राम चीज़ों में शुबा भी यक़ीन के हुक्म में होता है, जैसा कि "**हिदाया**" वग़ैरा में मन्सूस है, लिहाज़ा अगर यहां शुबा होता तो ह़ुरमत वाजिब हो जाती, चे जाए कि कराहते तह़रीमी, नीज़ हम इस बात पर दलाइल क़ाइम कर चुके हैं कि यहां ह़ुरमत तो दूर की बात है कराहते तह़रीमी भी नहीं है। लिहाज़ा ज़ाहिर हुवा कि यहां न सूद है और न ही सूद का शुबा।

लीजिये और सुनिये.....! मन्अ़ करने वाले की सब से बड़ी दलील तो येही है कि नोट[1] चांदी के रूपों में ग़र्क़ (Drowned) होने की वज्ह से गोया रूपिया ही है और इस में और चांदी के रूपे में कुछ फ़र्क़ नहीं, इसी लिये लोग चांदी के रूपे और नोट के लैन दैन में कुछ फ़र्क़ नहीं करते, तो दस के नोट को बारह रूपे के इ़वज़ बेचने से गोया यूं हुवा कि दस रूपे बारह रूपों के इ़वज़ बेचे गए, और येह बेशक सूद है, लिहाज़ा अगर दस का नोट बारह के इ़वज़ बेचना सूद न भी हो तो सूद की मुशाबहत के सबब सूद से लाह़िक़ हो कर ह़राम हो जाएगा।

1.....बल्कि मौलाना लखनवी साहि़ब का येह गुमान है कि जब सौ रूपे का नोट बेचा जाता है तो इस बैअ़ से उस काग़ज़ की क़ीमत लेना मक़्सूद नहीं होता बल्कि मक़्सूद सौ रूपिया बेचना और इस की क़ीमत वुसूल करना होता है। =

www.dawateislami.net

= **मौलाना लखनवी साहिब पर आठवां रद :** अव्वलन अगर मुआ़मला लखनवी साहिब के गुमान के मुताबिक़ होता तो चांदी के रूपों के बदले नोट बेचना बिल्कुल जाइज़ न होता, क्यूंकि अब येह मुआ़मला अंग्रेज़ी सौ रूपे को अंग्रेज़ी सौ रूपों के इ़वज़ बेचने की त़रह़ हो गया, ह़ालांकि अंग्रेज़ी रूपों में बाहम कोई फ़र्क़ नहीं होता, लिहाज़ा येह सौ रूपे दे कर वोह सौ रूपे लेना बिल्कुल बे फ़ाइदा है, ह़ालांकि शरअ़ बे फ़ाइदा चीज़ों को मशरूअ़ नहीं फ़रमाती। "**इश्बा**" में है : "अ़क़्द उस वक़्त सह़ीह़ होता है जब उस से कोई फ़ाइदा भी ह़ासिल हो, जिस अ़क़्द से कोई फ़ाइदा ह़ासिल न हो वोह सह़ीह़ नहीं होता, लिहाज़ा जब दोनों रूपे वज़्न और मालिय्यत में बराबर हों तो इस सूरत में एक रूपे को एक रूपे के बदले बेचना नाजाइज़ है, जैसा कि "**ज़ख़ीरा**" में है।" (الأشباه والنظائر،الفن الثانی ،کتاب البیوع،ص۱۷۵)

मौलाना लखनवी साहिब पर नवां रद : सानिय्यन मौलवी साहिब ज़रा अपनी मस्नद से उठ कर किसी दिन बाज़ार तशरीफ़ ले जाइये और देखिये कि अगर ज़ैद ने अ़म्र के हाथ कोई नोट बेचा तो उस से पूछिये कि क्या तू ने अ़म्र से येह कहा था कि मैं ने तुझे सौ रूपे बेचे ? वोह फ़ौरन कहेगा कि नहीं, बल्कि मैं ने तो येह कहा था कि येह नोट तुझे बेचा, फिर उस से पूछिये कि क्या तू ने लैन दैन करते वक़्त अपने सौ रूपे को अ़म्र के सौ रूपों से बदलने (Change) का क़स्द किया था ? वोह फ़ौरन कहेगा कि नहीं, बल्कि मैं ने अपने नोट को उस के रूपों से चेन्ज करने का क़स्द किया था। फिर उस से पूछिये कि क्या तू ने अ़म्र से अपने रूपों की क़ीमत वुसूल की है ? वोह अभी जवाब देगा कि नहीं, बल्कि अपने नोट की, अब फिर उस से पूछिये क्या तुम अपनी पोटली से उसे सौ रूपे दोगे ? तो वोह येही कहेगा कि नहीं, बल्कि उसे अपना नोट दूंगा, उस वक़्त आप को दिन और रात का फ़र्क़ मा'लूम हो जाएगा।

मौलाना साहिब पर दसवां रद : सालिसन काश ! आप को मबीअ़ और मा'दूम में फ़र्क़ मा'लूम होता, क्यूंकि अक्सर नोट बेचने वाले के पास चांदी के रूपे मौजूद नहीं होते बल्कि चांदी का एक रूपिया भी नहीं होता, लिहाज़ा अगर इसे सौ रूपे बेचना मक़्सूद होते तो येह नोट बेचते वक़्त गोया मा'दूम की बैअ़ कर रहा है, ह़ालांकि मा'दूम की बैअ़ बात़िल (Null) है और रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इसे मन्अ़ फ़रमाया है। =

www.dawateislami.net

= **मौलाना साहिब पर ग्यारवां रद :** राबिअ़न जिसे मनी ऑर्डर के लिये नोट दरकार हो, क्यूंकि मनी ऑर्डर के ज़रीए़ नोट भेजना चांदी के रूपे भेजने से आसान भी है और सस्ता भी, जब ज़ैद उस के हाथ नोट बेचे और फिर अगर ज़ैद नोट के बजाए चांदी के सौ रूपे देना चाहे तो ख़रीदार हरगिज़ न लेगा और कहेगा कि मैं ने तो तुझ से नोट ख़रीदा था रूपे तो ख़ुद मेरे पास मौजूद थे, मुझे क्या ज़रूरत है कि तुझ से चांदी के रूपे ख़रीदूं ? उस वक़्त आप पर आशकार होगा कि नोट बेचने में उन का येह क़स्द क़रार देना कि वोह गोया रूपे ही बेचते हैं उन पर इफ़्तिरा है ।

मौलवी साहिब पर बारहवां रद : ख़ामिसन नोट बेचने वाला जब क़ीमत के रूपे ले कर नोट न दे बल्कि रूपे ही दे तो येह उन के नज़दीक बैअ़ का फ़स्ख़ ठहरता है न येह कि उस ने जो चीज़ बेची थी वोही ख़रीदार को दे रहा है और येह सब बातें हर उस शख़्स पर रोशन व ज़ाहिर हैं जो दाएं और बाएं में फ़र्क़ कर सकता हो तो سُبْحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ.....! वोह सौ रूपे जो बेचे अ़जब मबीअ़ हैं कि न तो उन पर ख़रीदो फ़रोख़्त का लफ़्ज़ वाक़ेअ़ हुवा, न उन के लिये लैन दैन का क़स्द किया गया, और न बाएअ़ ने वोह दिये, बल्कि बाएअ़ रूपे दे तो ख़रीदार न लेगा और मबीअ़ की अदाएगी नहीं होगी, बल्कि अक्सर चांदी के रूपे बाएअ़ के पास होते ही नहीं तो क्या तुम ने दुन्या में किसी ऐसे मबीअ़ के बारे में सुना है जो बिक तो गई हो मगर इस पर न अ़क़्द न नक़्द न क़स्द न वुजूद । मगर येह बात ज़रूर है कि अ़क़्लो फ़हम की कमी अ़जीबो ग़रीब चीज़ें लाती है हम **अल्लाह** तआ़ला से मुआ़फ़ी व आ़फ़िय्यत का सुवाल करते हैं ।

मौलवी साहिब पर तेरहवां रद : यहीं से ज़ाहिर हो गया कि मौलवी साहिब ने पैसों और नोट में जो येह फ़र्क़ निकालना चाहा कि "अगर वोह चांदी के एक रूपे के इ़वज़ कोई चीज़ ख़रीदे या किसी से एक रूपिया क़र्ज़ ले और अदा करते वक़्त एक रूपे के इ़वज़ सौ पैसे दे दे तो क़र्ज़ ख़्वाह और बाएअ़ को रूपे के इ़वज़ पैसे लेने या न लेने का इख़्तियार है और हाकिम की त़रफ़ से इस पर कोई जब्र नहीं हो सकता ब ख़िलाफ़ नोट के, अगर वोह रूपे के इ़वज़ नोट देना चाहे तो बाएअ़ को कोई इख़्तियार नहीं" येह फ़र्क़ बिल्कुल बात़िल है । नीज़ उन्हों ने येह दा'वा कहां से किया और इस का क़ाइल कौन है अ़न क़रीब चन्द सत़र बा'द इस बाब में जो ह़क़ है इस का बयान आएगा और बेशक **अल्लाह** ही की त़रफ़ से तौफ़ीक़ है ।

www.dawateislami.net

मैं **अल्लाह** तआ़ला की अ़ता कर्दा तौफ़ीक़ से येह कहता हूं कि येह शुबा तो और भी भूंडा है.....! मगर इस में तअ़ज्जुब की कोई बात नहीं, क्यूंकि कमान ही इन के हाथ में है, हर वोह शख़्स जो बचपन की देहलीज़ पार कर चुका हो, जानता है कि इस्तिलाही समन की मालिय्यत की मिक़्दार का अन्दाज़ा समने ख़ल्क़ी (Real Money) ही से किया जाता है, बल्कि हर क़िस्म की नक़्दी के लिये चांदी के रूपों ही से अन्दाज़ा किया जाता है, ख़्वाह वोह अशरफ़ियां हों या और कुछ, और इन्हें रूपों से कुछ न कुछ निस्बत ज़रूर होगी, तो एक सावरिन (Sovereign) या'नी इंग्लिस्तानी सिक्का (पाउन्ड), पन्दरह रूपे की, और दो आने रूपे का आठवां हिस्सा, और चवन्नी रूपे का चौथाई, और अठन्नी रूपे का आधा, नीज़ एक रूपे में सोलह आने होते हैं और फुलां नोट दस रूपे का, तो फुला सौ रूपे का, इसी पर क़ियास (Analogy) करते जाएं, और जब इन का चलन और मालिय्यत यक्सां हो तो अहले उ़र्फ़ मुआ़मलात में उन के लैन दैन में कोई फ़र्क़ नहीं करते, लिहाज़ा जो कोई कपड़ा एक अंग्रेज़ी पाउन्ड के बदले ख़रीदे और दे पन्दरह रूपे या इस का अ़क्स तो न उसे कोई तब्दीली कहेगा, और न ही क़रारे दाद का फैरना, न इस से बाएअ़ इन्कार करेगा, और न ही कोई और, इसी त़रह़ से दो आने और आठ अंग्रेज़ी पैसे, इन के लैन दैन में भी कोई फ़र्क़ नहीं करता यूं ही एक चवन्नी और सोलह पैसे, और जिस ने कोई चीज़ अठन्नी की ख़रीदी वोह या तो ख़ुद अठन्नी दे या दो चवन्नियां या चार दुअन्नियां या एक चवन्नी और दो दुअन्नियां या एक चवन्नी और एक दुअन्नी और आठ पैसे या

www.dawateislami.net

तीन दुअन्निया और आठ पैसे या एक चवन्नी और सोलह पैसे या एक दुअन्नी और चोबीस पैसे या सब के बत्तीस पैसे, येह नौ की नौ सूरतें[1] सब उन के नज़्दीक बराबर हैं।

और मालिय्यत और चलन के यक्सां होने की वज्ह से इस में कोई फ़र्क़ नहीं किया जाता, और येह सिर्फ़ उ़र्फ़ ही में नहीं बल्कि शरीअ़त में भी ख़रीदार को इस बात का इख़्तियार दिया है कि इन में से जिस सूरत से चाहे समन अदा करे, और अगर बाएअ़ इन में से किसी एक सूरत पर राज़ी न हो और दूसरी सूरत मुश्तरी पर लाज़िम करना चाहे तो येह उस की बेजा हटधर्मी होगी, जो ना क़ाबिले तस्लीम है "**तन्वीरुल अबसार**" के इस क़ौल : "मुत़लक़ समन से शहर में सब से ज़ियादा चलने वाला सिक्का मुराद होता है और अगर वोह सिक्का मालिय्यत में मुख़्तलिफ़ हों और चलन एक सा हो तो अ़क़्द फ़ासिद हो जाएगा"

("تنوير الأبصار" مع "الدر المختار"، كتاب البيوع، ج٧، ص٥٦، ٥٧)

इस के तह़्त अ़ल्लामा शामी ने फ़रमाया : "लेकिन अगर चलन बराबर न हो मालिय्यत चाहे मुख़्तलिफ़ हो या नहीं तो अ़क़्द (Contract) सह़ीह़ है, और जिस का चलन ज़ियादा है वोही मुराद ठहरेगा, इसी त़रह़ अगर मालिय्यत और चलन दोनों बराबर हों तो फिर भी अ़क़्द सह़ीह़ है, मगर इस सूरत में ख़रीदार को इख़्तियार होगा कि दोनों क़िस्म के समन (Currency) में से जिस से चाहे अदा करे।"

---

1 ....एक नई रेज़गारी चली है जिसे अकन्नी कहते हैं, लिहाज़ा अठन्नी के दाम छत्तीस त़रीक़ों से अदा हो सकते हैं और सब बराबर हैं, जैसा कि पोशीदा नहीं।

www.dawateislami.net

नीज़ "**हिदाया**" में चलन और मालिय्यत यक्सां होने की मिसाल सुनाई और सुलासी से दी और "**हिदाया**" के शारेह़ीन ने इस पर ए'तिराज़ किया कि तीन की मालिय्यत दो से ज़ियादा है।

तो "**बह़रुर्राइक़**" में इस का जवाब दिया गया कि सुनाई से मुराद वोह है जिस के दो सिक्के एक रूपे के बराबर हों और सुलासी से मुराद जिस के तीन सिक्के एक रूपे के बराबर हों।

मैं कहता हूं कि इस का ह़ासिल येह है कि जब उस ने कोई चीज़ एक रूपे के बदले ख़रीदी तो चाहे एक रूपिया पूरा अदा करे, चाहे दो अठन्नियां, चाहे तीन तिहाइयां जब कि सब मालिय्यत और चलन में बराबर हों। इसी त़रह़ हमारे ज़माने में अशरफ़ी की मालिय्यत का समन तीन त़रह़ से अदा किया जा सकता है: (1) पूरी अशरफ़ी। (2) दो निस्फ़ अशरफ़ियां। (3) अशरफ़ी की चार पावलियां या'नी चार चौथाइयां। नीज़ इन सब की मालिय्यत और चलन भी बराबर है। इस तक़रीर से हमारे ज़माने में क़रश के इ़वज़ ख़रीदो फ़रोख़्त के रवाज का हुक्म वाज़ेह़ हो गया, क्यूंकि क़रश अस्ल में चांदी का एक सिक्का है जिस की क़ीमत चालीस मिस्री क़त़्अ होती है, इसे मिस्र में निस्फ़ कहते हैं, वहां हर क़िस्म के सिक्कों की क़ीमत क़रशों ही से लगाई जाती है, लिहाज़ा कोई सिक्का दस क़रश का, कोई कम और कोई इस से ज़ियादा का होता है, लिहाज़ा जब कोई चीज़ सौ क़रश के इ़वज़ ख़रीदी जाए तो मुश्तरी को इख़्तियार है कि वोह जो सिक्का चाहे दे, ख़्वाह क़रश ही दे या दूसरे सिक्के जिन की मालिय्यत सौ क़रशों के बराबर हो अदा कर दे, जैसे रियाल या अशरफ़ी वग़ैरहुमा, और

www.dawateislami.net

कोई भी येह नहीं समझता कि बैए ख़ास उन सिक्कों पर वाक़ेअ हुई जिन्हें क़रश कहते हैं, बल्कि क़रश या दूसरे सिक्के जो मालिय्यत में मुख़्तलिफ़ हों और चलन में बराबर हों इन में से इतने सिक्के अदा कर दिये जाएं कि सौ क़रशों की मालिय्यत के बराबर हो जाए काफ़ी है, नीज़ यहां येह ए'तिराज़ हरगिज़ वारिद नहीं होगा कि मालिय्यत में इख़्तिलाफ़ और चलन में बराबरी ही तो फ़सादे अ़क़्द का सबब है, क्यूंकि यहां क़रशों से अन्दाज़ा करने की सूरत में समन की मालिय्यत में इख़्तिलाफ़ वाक़ेअ न हुवा हां अलबत्ता.....! अगर क़रशों से अन्दाज़ा न करते तो इख़्तिलाफ़ वाक़ेअ होता है, जैसे कि अगर किसी जगह कई क़िस्म की अशरफ़ियां हों जो चलन में यक्सां और मालिय्यत में मुख़्तलिफ़ हों और कोई शख़्स सौ अशरफ़ियों के इ़वज़ ख़रीदों फ़रोख़्त करे तो इस सूरत में मालिय्यत में इख़्तिलाफ़ वाक़ेअ हो सकता है, मगर जब क़रशों से मालिय्यत का अन्दाज़ा कर लिया तो गोया मालिय्यत और चलन सब यक्सां हो गए, और ऊपर गुज़र चुका है कि मुश्तरी को इख़्तियार है कि उन में से जिस के ज़रीए चाहे समन अदा करे। "**बहरुर्राइक़**" में फ़रमाया कि अगर बाएअ इन में से कोई ख़ास क़िस्म का सिक्का त़लब करे तो मुश्तरी को इख़्तियार है कि दूसरी क़िस्म का सिक्का अदा करे, क्यूंकि मालिय्यत में इख़्तिलाफ़ न होने की वज्ह से मुश्तरी के अदा कर्दा सिक्के को लेने से इन्कार बाएअ की बेजा हटधर्मी है।

("رد المحتار"، كتاب البيوع، مطلب: يعتبر الثمن في مكان العقد وزمنه، ج۷، ص۵۷، ۵۸، ملتقطاً)

www.dawateislami.net

और येह सब ज़ाहिर और रोशन बातें हैं और इस से बढ़ कर बराबरी और अ़दमे फ़र्क़ की दलील और क्या हो सकती है.....! कि ख़रीदारी तो क़रशों से की जाए और फिर ख़रीदार को इख़्तियार दिया जाए कि चाहे तो अदाएगी क़रशों से करे या रियाल से, ख़्वाह पूरी अशरफ़ी अदा करे या उस की रेज़गारी, और अगर बाएअ़ न माने तो येह उस की बेजा हट ठहरे, इस के बा वुजूद कोई अ़क़्लमन्द येह वहम नहीं कर सकता कि क़रश, रियाल, अशरफ़ी और रेज़गारी सब के सब हम जिन्स हैं और इन की आपस में बैअ़ की सूरत में कमी बेशी नाजाइज़ हो, या इन में से हर एक सिक्का दूसरे में इस त़रह़ ग़र्क़ है कि बिऐ़निही दोनों एक ही हैं, लिहाज़ा अगर कमी बेशी सूद न भी हो तो सूद से मुशाबहत के सबब सूद के हुक्म में हो कर ह़राम हो जाएगी, ह़ालांकि तमाम उ़लमाए किराम ने बिल इजमाअ़ तसरीह़ फ़रमाई है कि जिन्स के मुख़्तलिफ़ होने की सूरत में कमी बेशी जाइज़ है, बल्कि ख़ुद सरकार صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने अक़्दस है :

((**कि जब जिन्सें बदल जाएं तो जैसे चाहो बेचो**))

("نصب الراية" لأحاديث "الهداية"، كتاب البيوع، ج٤، ص٧)

नीज़ हम इस मस्अले की तह़क़ीक़ कि "एक रूपे को एक अशरफ़ी के इ़वज़ बेचने में न सूद है न सूद का शुबा" इस अन्दाज़ में बयान कर चुके जिस पर मज़ीद ज़ियादती की गुन्जाइश नहीं। लिहाज़ा जब क़रशों, रियाल, अशरफ़ी और रेज़गारी में येह हुक्म है ह़ालांकि येह सब समने ख़ल्क़ी हैं

www.dawateislami.net

और इन सब में सूद की दो इल्लतों में से एक इल्लत या'नी वज़्न मौजूद है तो फिर रूपों के इवज़ नोट की ख़रीदो फ़रोख़्त के बारे में तुम्हारा क्या ख़याल है, हालांकि नोट तो सिर्फ़ समने इस्तिलाही है, और इस की मालिय्यत का अन्दाज़ा एक ऐसी इस्तिलाह से किया गया है जिस की पाबन्दी बाएअ व मुश्तरी पर लाज़िम नहीं, और इस में रिबा की दोनों इल्लतों में से कोई भी नहीं पाई जाती, न जिन्स, न ही क़दर, लिहाज़ा यहां नाजाइज़ होने का हुक्म तीन क़िस्म के लोग ही लगा सकते हैं जिन पर से क़लमे शरअ उठा लिया गया है। (1) बच्चा (2) सोने वाला और (3) दीवाना, हम अल्लाह तआला से मुआफ़ी और पनाह मांगते हैं, इस मस्अले में येही तह़क़ीक़े जवाब है और उम्मीद करता हूं कि दुल्हा के बा'द इत्र नहीं। लेकिन ऐ शख़्स.....! अगर तुम अपनी इस बात के इलावा और कोई बात तस्लीम न करो कि "नोट रूपों में ऐसा ग़र्क़ है कि गोया वोह बिऐनिही रूपिया है" तो अब मैं तुम से येह पूछना चाहूंगा[1] कि नोट के रूपों में ग़र्क़ होने और फ़र्क़ न होने के सबब आया नोट ह़क़ीक़तन चांदी का रूपिया हो गया या हुक्मन....? हुक्मन से मुराद येह है कि शरअ ने रूपों से नोट की बैअ में वोही हुक्म जारी फ़रमाया जो रूपों को रूपों के इवज़ बेचने में है, जैसा कि तुम ने कहा था कि गोया दस रूपे हैं, जिन्हें बारह रूपों के इवज़ बेचा गया है। या फिर नोट ह़क़ीक़तन व हुक्मन किसी त़रह़ भी रूपों के हुक्म में नहीं, इस तीसरी सूरत में तुम्हारी गुज़श्ता लफ़्फ़ाज़ी क्या बे मन्शा व बे मा'ना है.....? और पहली दो सूरतों में जब तुम

1....मौलाना लखनवी साहिब पर चौदहवां रद।

www.dawateislami.net

दस का नोट दस के इ़वज़ बेचोगे तो सूद ख़ुद तुम पर पलटेगा, क्यूंकि रूपों की रूपों से बैअ़ की सूरत में दोनों की मालिय्यत का बराबर होने का हुक्म नहीं बल्कि उम्मत का इस बात पर इजमाअ़ है कि इस मस्अले में खरा और खोटा दोनों बराबर हैं सिर्फ़ वज़्न में बराबरी का हुक्म है।

लिहाज़ा तुम पर वाजिब है कि तुम एक पलड़े में नोट और दूसरे में रूपे की रेज़गारी या और कोई चांदी रखो, बस उतने ही नोट बेचे जितनी चांदी वज़्न में नोट के बराबर हो और येह चांदी दुअन्नी या चवन्नी भर से ज़ाइद न होगी, और अगर तुम इस से ज़ियादा लोगे तो गोया तुम ने सूद खाया और सूद को ह़लाल किया, और अगर तुम येह गुमान करो[1] कि इस ग़र्क़ होने और फ़र्क़ न होने के सबब रूपों से जो हुक्म नोट की त़रफ़ आया वोह येह है कि मबीअ़ व समन को मालिय्यत में बराबर कर लिया जाए, तो येह तुम्हारी बड़ी नादानी है जो मस्ख़रे पन की त़रह़ है, और ज़ो'फ़ की वज्ह से लचक लचक हो रहा है, क्यूंकि मालिय्यत में बराबर करना ख़ुद रूपों का हुक्म नहीं था, लिहाज़ा जो हुक्म ख़ुद रूपों में नहीं तो उन के मुशाबेह नोट में वोह हुक्म क्यूं कर सरायत करेगा.....!

इस के इ़लावा अगर नोट रूपों के साथ ह़क़ीक़तन या हुक्मन मुत्तह़िद हो भी जाए तो फिर भी सोने के साथ हरगिज़ मुत्तह़िद न होगा, क्यूंकि दो मुतबाइन नौएने मुत्तह़िद (दो मुख़्तलिफ़ और मुतज़ाद चीज़ें एक जगह जम्अ़) नहीं हो सकतीं, लिहाज़ा इस सूरत में अगर दस रूपे का नोट बारह अशरफ़ियों के इ़वज़ बेचा जाए तो वोह ह़रज जो बारह रूपे के इ़वज़ बेचने में था लाज़िम नहीं आएगा,

1....मौलाना लखनवी साह़िब पर पन्दरहवां रद।

www.dawateislami.net

क्यूंकि यहां न ह़क़ीक़तन एक जिन्स है न हुक्मन, लिहाज़ा अब तेरे फ़तवा का अन्जाम येह होगा कि दस का नोट बारह रूपे के इ़वज़ बेचना तो ह़राम है, क्यूंकि इस ने बिला मुआ़वज़ा एक ज़ियादती या'नी दो रूपे ज़ाइद वुसूल किये, और अगर येही नोट बारह सोने की अशरफ़ियों के इ़वज़ बेचा जाए तो कोई ह़रज नही, क्यूंकि उस ने कोई क़ाबिले ए'तिबार ज़ियादती वुसूल नहीं की।

तो سُبۡحٰنَ اللہ عَزَّوَجَلَّ इस फ़तवा के क्या कहने.....! इस की नज़र किस क़दर दक़ीक़ है.....! सूद को ह़राम करने में शरअ़ शरीफ़ का जो मक़्सूद था, या'नी लोगों के माल को मह़फ़ूज़ रखना इस फ़तवा ने उस मक़्सद की किस क़दर रिआ़यत की......!

ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم.

खुलासा येह है कि इस मन्अ़ करने वाले का कलाम न ही किसी अस्ल की त़रफ़ लौटता है, न ही दलील की जानिब, बल्कि येह उन का खुद साख़्ता फ़ह्म है और वोही इस के क़ाइल हैं। अल्लाह तआ़ला ने इस पर कोई दलील नहीं उतारी और बेशक तमाम ख़ूबियां अल्लाह ही के लिये हैं और उसी पर भरोसा है और उसी से मदद त़लब करते हैं।

सुवाल 12 : क्या येह सूरत जाइज़ है कि ज़ैद अ़म्र से क़र्ज़ लेना चाहे तो अ़म्र कहे कि चांदी के रूपे तो मेरे पास नहीं, अलबत्ता दस का नोट चांदी के बारह रूपे के इ़वज़ तुझे एक साल तक के लिये क़िस्त़ों पर बेचता हूं, इस शर्त़ पर कि तुम हर महीने मुझे एक रूपिया बत़ौरे क़िस्त़ अदा करोगे ? या येह सूरत सूद का ह़ीला होने की वज्ह से मन्अ़ है ? और अगर येह

www.dawateislami.net

जाइज़ है तो इस में और सूद में क्या फ़र्क़ है ? हालांकि दोनों से मक़्सूद (Intended) ज़ाइद माल का हुसूल है मगर येह हलाल और सूद हराम ।

अल जवाब

अगर दोनों हक़ीक़तन बैअ ही की निय्यत से लैन दैन करें और क़र्ज़ की निय्यत न करें तो येह सूरत जाइज़ है, नीज़ इस सूरत में कमी बेशी और मुद्दते मुअ़य्यना (Term) तक उधार भी जाइज़ है, जैसा कि हम इन बातों की तह़क़ीक़ बयान कर चुके हैं, और क़िस्तों पर देना भी एक क़िस्म की मुद्दत मुअ़य्यन करना ही है । हां....! अगर अ़म्र दस का नोट बतौरे क़र्ज़ दे और येह शर्त ठहरा ले कि चांदी के बारह या ग्यारह या दस रूपे से कुछ ज़ाइद रक़म अभी या कुछ मुद्दत बा'द क़िस्तवार, या बिला क़िस्त वापस करेगा तो येह ज़रूर हराम और सूद है, इस लिये कि येह एक ऐसा क़र्ज़ है जिस से नफ़्अ़ हासिल किया जा रहा है, और बेशक हमारे आक़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया :

((कि जो क़र्ज़ नफ़्अ़ खींच कर लाए वोह सूद है))

("كنز العُمّال"، كتاب الدين والسلم من قسم الأقوال، فصل في لواحق كتاب الدين، رقم الحديث: ١٥٥١٢، ج٦، ص٩٩)

इस ह़दीस को ह़ारिस बिन अबू उसामा ने अमीरुल मोमिनीन ह़ज़रते अ़ली كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم से रिवायत किया है ।

www.dawateislami.net

क़र्ज़ अदा करते वक़्त अपनी त़रफ़ से ज़ाइद देने का बयान

जहां तक इस बात का तअ़ल्लुक़ है कि क़र्ज़ दिया और कुछ ज़ियादा लेना शर्त़ न किया और न ही लैन दैन से ज़ियादा लेना मा'रूफ़ था, क्यूंकि जो चीज़ मा'रूफ़ हो वोह मशरूत़ की त़रह़ होती है फिर क़र्ज़ लेने वाले ने क़र्ज़ अदा कर के अपनी त़रफ़ से बत़ौरे एह़सान कुछ ज़ाइद दिया जो क़र्ज़ के इ़लावा मुमताज़ हो (येह इस लिये कि क़ाबिले तक़्सीम में हिबा मुशाअ़ न हो जाए), तो येह जाइज़ है, इस में कुछ ह़रज नहीं, बल्कि इस क़बील से है कि :

﴿هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ﴾ (پ۲۷،الرّحمٰن: ٦٠)

तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : "एह़सान का बदला क्या है सिवा एह़सान के।"

और बेशक येह बात सरकार صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से भी साबित है कि जब आप صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने पाजामा ख़रीद फ़रमाया। और वहां क़ीमत तोल कर दी जाती थी। आप صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने तोलने वाले से फ़रमाया कि :-

((तोल और कुछ ज़ियादा दे))

("سنن الترمذي"، كتاب البيوع، باب ما جاء في الرُّجحان، رقم الحديث: ١٣٠٩، ج٣، ص٥٢ ـ "سنن النسائي"، كتاب البيوع، باب الرجحان في الوزن، ج٧، ص٢٨٤)

www.dawateislami.net

इसी त़रह़ से अगर किसी को दस का नोट क़र्ज़ दिया था बा'द में क़र्ज़ ख़्वाह ने उस से क़र्ज़ का तक़ाज़ा किया, क़र्ज़दार ने कहा कि मेरे पास इस क़िस्म का नोट नहीं है और मैं तुम्हें नोट के बदले रूपे दूंगा, फिर दस के नोट के बदले बारह रूपों पर सुल्ह़ हो गई और उसी मजलिस में बारह रूपे अदा कर दिये (ताकि आ़क़िदैन दैन के बदले दैन बेच कर जुदा न हों) तो येह भी जाइज़ है।

फिर अगर वोह नोट जो उस ने लिया था उस के पास न रहा या'नी उस से ख़र्च हो गया जब तो इस के जाइज़ होने पर तमाम अइम्मा मुत्तफ़िक़ हैं, और अगर नोट क़र्ज़दार के पास मौजूद है मगर क़र्ज़दार ने ख़ास उसी नोट को रूपों से न ख़रीदा था बल्कि जो नोट क़र्ज़दार के ज़िम्मे क़र्ज़ था उसे ख़रीदा, तो येह इमामे आ'ज़म और इमाम मुह़म्मद (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) के नज़दीक जाइज़ है।

हां.....! अगर जो नोट क़र्ज़ लिया था मौजूद है और बिऐ़निही उसी नोट को बारह रूपों या दस या जितने में चाहे ख़रीद ले तो येह बैअ़ त़रफ़ैन या'नी इमामे आ'ज़म और इमाम मुह़म्मद के नज़दीक बात़िल, और इमाम अबू यूसुफ़ (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُم) के नज़दीक जाइज़ है।

बात़िल होने की वज्ह येह है कि जब क़र्ज़दार ने येह नोट क़र्ज़ लिया तो क़र्ज़ लेते ही इस नोट का मालिक हो गया, तो ख़ुद अपनी ममलूक चीज़ को दूसरे से क्यूं कर ख़रीद सकता है.....! "**वजीज़ करदरी**" में है जब ज़ैद का किसी पर ग़ल्ला या पैसे क़र्ज़ हों, क़र्ज़दार

www.dawateislami.net

ने ज़ैद से वोह क़र्ज़ रूपों के बदले में ख़रीद लिया और दोनों पर क़ब्ज़ा करने से पहले दोनों जुदा हो गए तो येह बैअ़ बातिल हो गई, येह वोह मसाइल हैं जिन का याद रखना बहुत ज़रूरी है।

("الفتاوى البزازية" هامش "الفتاوى الهندية"، كتاب الصرف، ج٥، ص٦)

"**रद्दुल मुह़्तार**" में "**ज़ख़ीरा**" के ह़वाले से लिखा है कि क़र्ज़ देने वाले का जो ग़ल्ला क़र्ज़दार पर आता था वोह ग़ल्ला क़र्ज़दार ने क़र्ज़ ख़्वाह से सौ अशरफ़ियों के बदले ख़रीद लिया तो जाइज़ है, क्यूंकि येह क़र्ज़ उस क़र्ज़दार पर न अ़क़्दे सर्फ़[1] से था न अ़क़्दे सलम[2] से, फिर अगर वोह ग़ल्ला ख़रीदारी के वक़्त ख़र्च हो चुका था फिर तो सब के नज़दीक बिल इत्तिफ़ाक़ जाइज़ है, क्यूंकि ख़र्च करने से बिल इत्तिफ़ाक़ ग़ल्ले का मालिक हो गया था, और येह ग़ल्ला उस क़र्ज़दार के ज़िम्मे बत़ौरे क़र्ज़ वाजिब रहा, और अगर ग़ल्ला मौजूद है तो इमामे आ'ज़म और इमाम मुह़म्मद के नज़दीक अब भी जाइज़ है, और इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक नाजाइज़, क्यूंकि इन के नज़दीक जब तक क़र्ज़दार ग़ल्ला ख़र्च न कर ले इस का मालिक न होगा और न ही इस ग़ल्ले की मिस्ल (Similar) देना उस पर वाजिब होगा अब जो येह कहा कि वोह ग़ल्ला जो मेरे ज़िम्मे है मैं ने उसे ख़रीदा तो मा'दूम चीज़ को ख़रीदा लिहाज़ा येह सूरत नाजाइज़ हुई।

("رد المحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة، فصل في القرض، مطلب: في شراء المستقرض...إلخ، ج٧، ص٤١١)

---

1 .....क्यूंकि वोह (अ़ल्लामा क़ारियुल हिदाया) तो इसे **बैए सलम** (V. alivrer) मान रहे हैं और तुम (अ़ल्लामा शामी) इसे बैए सर्फ़ कह रहे हो। 12 मिन्ह رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ

2 .....इस लिये कि समन में **बैए सलम** अस्लन जाइज़ नहीं, चाहे उस चीज़ में हो जिस में दोनों त़रफ़ का क़ब्ज़ा शर्त़ है जैसे समन के इ़वज़ समन की **बैए सलम** या ऐसा न हो जैसे समन के इ़वज़ मबीअ़ की **बैए सलम**।

www.dawateislami.net

नीज़ "**रद्दुल मुहतार**" में "**ज़ख़ीरा**" के ह़वाले से है कि ज़ैद ने किसी से एक पैमाना (Measure) मिसाल के तौ़र पर 10 किलो गन्दुम क़र्ज़ ले कर उस पर क़ब्ज़ा कर लिया, फिर बिऐ़निही वोही गन्दुम क़र्ज़ देने वाले से ख़रीदी तो इमामे आ'ज़म और इमाम मुह़म्मद के नज़दीक येह नाजाइज़ है, क्यूंकि ज़ैद तो क़ब्ज़ा करते ही गन्दुम का मालिक हो गया, तो फिर अपनी मिल्क किसी और से कैसे ख़रीद सकता है.....? हां....? इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक वोह गन्दुम अभी तक क़र्ज़ देने वाले की मिल्क पर बाक़ी है, तो येह ऐसे हो गया कि पराई मिल्क उस से ख़रीदी लिहाज़ा येह जाइज़ व सह़ीह़ है।

("رد المحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة، فصل في القرض، مطلب في شراء المستقرض...إلخ، ج٧، ص٤١١)

सूद से बचने की तरकीबें

जहां तक सूद से बचने के लिये ह़ीला करने (Stratagem) का तअ़ल्लुक़ है तो इस के बयान में हम ने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया वोही किफ़ायत करेगा, और इमाम अबू यूसुफ़ رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْه का क़ौल भी गुज़रा कि "बैए़ ईना जाइज़ है और इस का करने वाला सवाब पाएगा, क्यूंकि येह ह़राम से बचना चाहता है।"

("الفتاوى الخانية"، كتاب البيوع، باب في بيع مال الرّبا، فصل فيما يكون فراراً عن الرّبا، ج٢، ص٤٠٨)

www.dawateislami.net

और इन का येह क़ौल भी गुज़र चुका कि सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ने भी बैए ईना की और इस की ता'रीफ़ भी फ़रमाई ।

("فتح القدير"، كتاب الكفالة، قبيل في الضمان، ج٦، ص ٣٢٤، ملخّصا)

और "फ़तावा क़ाज़ी ख़ान" का क़ौल गुज़रा कि इस के मिस्ल अमल करना नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से साबित है कि हुज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इसे करने का हुक्म दिया तो अब रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم और सह़ाबए किराम رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن की इजाज़त के बा'द इसे मन्अ़ करने वाला कौन है ?

("فتاوٰى قاضي خان"، كتاب البيوع، باب في بيع مال الرّبا، فصل فيما يكون فرارًا عن الرّبا، ج٢، ص٤٠٨)

और "**बह़रुर्राइक़**" में "**कुनिया**" के ह़वाले से मज़कूर है कि ख़रीदो फ़रोख़्त की वोह अक़्साम जिन्हें लोग सूद से बचने के लिये करते हैं इन में कोई ह़रज नहीं, फिर एक आ़लिम साह़िब का क़ौल लिखा कि वोह इन्हें मकरूह कहते हैं, इमाम बक़ाली बैअ़ की इन अक़्साम के मकरूह होने को इमाम मुह़म्मद से रिवायत करते हैं, और इमामे आ'ज़म और इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक इन में कुछ ह़रज नहीं । इमाम शम्सुल अइम्मा ज़रनजरी फ़रमाते हैं कि इमाम मुह़म्मद का इख़्तिलाफ़ इस सूरत में है जब कि क़र्ज़ दे कर फिर इस क़िस्म की बैअ़ करें, और अगर बैअ़ हो गई फिर रूपे दिये तो इस में बिल इत्तिफ़ाक़ कोई ह़रज नहीं ।

("البحر الرائق"، كتاب البيوع، باب الربا، قوله (فضل مال بلا عوض في معاوضة) ج٦، ص٢١١)

www.dawateislami.net

इसी त़रह़ इमाम शैख़ुल इस्लाम ख़्वाहर ज़ादा ने क़र्ज़ में बैअ़ की शर्त़ न होने की सूरत में इन अक़्साम के जाइज़ होने पर इत्तिफ़ाक़ नक़्ल फ़रमाया है, लिहाज़ा जब नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से इस की ता'लीम, सह़ाबए किराम से इसे करना और इस की ता'रीफ़ साबित और हमारे अइम्मए किराम का इस के जवाज़ पर इजमाअ़ क़ाइम है तो अब शक की कौन सी जगह बाक़ी रही ?

والله الهادي إلى الصواب

"और **अल्लाह** ही ठीक रास्ता दिखाने वाला है।"

मैं कहता हूं कि येह भी उसी सूरत में है कि बैअ़ और क़र्ज़ दोनों इस त़रह़ से जम्अ़ हों कि ज़ैद अ़म्र को कुछ रूपे क़र्ज़ दे और थोड़ी सी चीज़ उसे ज़ियादा क़ीमत में बेचे, तो क़र्ज़दार क़र्ज़ की ज़रूरत की बिना पर उसे ख़रीदेगा, तो इस सूरत में अगर क़र्ज़ पहले है तो बा'ज़ उ़लमा के नज़दीक येह बैअ़ मकरूह है, क्यूंकि येह ऐसा क़र्ज़ है जो नफ़्अ़ खींच कर ला रहा है, और अगर बैअ़ पहले हो चुकी थी और क़र्ज़ बा'द में बिल इत्तिफ़ाक़ इस में कोई ह़रज नहीं, क्यूंकि वोह एक ऐसी बैअ़ है जो क़र्ज़ का नफ़्अ़ लाई, जैसा कि इमाम शम्सुल अइम्मा ह़लवानी ने इस का फ़ाइदा (Benefit) बयान फ़रमाया और इसी पर फ़तवा दिया, जैसा कि "**रद्दुल मुह़तार**" में मज़कूर है।

("ردالمحتار، كتاب البيوع، فصل فى القرض، مطلب: كل قرض جر نفعاً حرام، ج٧، ص٤١٥)

www.dawateislami.net

और वोह मस्अला जो हमारा मौज़ूए बह़स है या'नी नोट, येह तो ख़ालिस बैअ़ है इस में क़र्ज़ अस्लन नहीं, न लैन दैन से पहले और न ही बा'द में लिहाज़ा इस का बिल इत्तिफ़ाक़ बिला ख़िलाफ़ व बिला नज़ाअ़ जाइज़ होना ही ज़ियादा लाइक़ और मुनासिब है।

इस क़िस्म के ह़ीले का क़ुरआनो ह़दीस से सुबूत

अगर तुम ह़ीले के मस्अले में मज़ीद वज़ाह़त के त़लबगार हो तो सुनो.....! हमारा रब عَزَّوَجَلَّ अपने बन्दे अय्यूब عَلَيْهِ السَّلَام से फ़रमाता है :

﴿خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ﴾ (پ ٢٣، ص: ٤٤)

तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : "अपने हाथ में एक झाड़ू ले ले उस से मार और क़सम न तोड़।"

और हमारे आक़ा व मौला صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने सूद से बचने का ह़ीला और ऐसा त़रीक़ा बयान फ़रमाया है कि मक़्सूद भी ह़ासिल हो जाए और ह़राम से भी मुह़ाफ़ज़त रहे। "**बुख़ारी**" व "**मुस्लिम**" ने ह़ज़रते अबू सईद ख़ुदरी رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه से रिवायत किया कि उन्हों ने फ़रमाया : ह़ज़रते बिलाल رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه नबी صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के पास बरनी खजूरें ले कर ह़ाज़िर हुवे, नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने दरयाफ़्त फ़रमाया :

((तुम ने येह कहां से लीं.....?))

ह़ज़रते सय्यिदुना बिलाल رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه ने अ़र्ज़ की :

हुज़ूर हमारे पास ख़राब छूहारे थे हम ने दो साअ़[1] ख़राब छूहारों के बदले एक साअ़ बरनी खजूरें ख़रीदीं।

---

1 ....एक साअ़ 4 किलो में से 160 ग्राम कम और निस्फ़ या'नी आधा साअ़ 2 किलो में से 80 ग्राम कम का होता है।

www.dawateislami.net

नबिय्ये करीम रऊफ़ुर्रहीम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया :

((उफ़ ! येह तो ख़ालिस सूद है, ख़ालिस सूद है ऐसा न करो.....! मगर जब तुम इन खजूरों को ख़रीदना चाहो तो पहले अपने छूहारों को किसी और चीज़ से बेच लो और फिर उस चीज़ के बदले इन खजूरों को ख़रीद लो ।))

("صحيح البخاری"، كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا...إلخ، رقم الحديث: ٢٣١٢، ج٢، ص٨٣۔ "صحيح مسلم"، كتاب المساقات، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، رقم الحديث: ١٥٩٤، ص٨٦٠)

नीज़ **"बुख़ारी"** व **"मुस्लिम"** ने ह़ज़रते अबू सईद ख़ुदरी और अबू हुरैरा (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) दोनों से रिवायत की, कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने एक शख़्स को ख़ैबर पर गवर्नर बना कर भेजा, वोह सरकार صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की बारगाह में जनीब खजूरें या'नी आ'ला क़िस्म की खजूरें ले कर ह़ाज़िर हुवे, हुज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने दरयाफ़्त फ़रमाया :

((क्या ख़ैबर की तमाम खजूरें ऐसी ही हैं ?))

अ़र्ज़ की : नहीं ।

ख़ुदा की क़सम.....! या रसूलल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم हम इस क़िस्म की खजूरों का एक साअ़ दो साअ़ के बदले में, दो साअ़ तीन साअ़ के बदले में ख़रीदते हैं ।

www.dawateislami.net

नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया :-

((ऐसा न करो.....! अपनी खजूरें रूपों के बदले में बेच कर रूपों से येह जनीब खजूरें ख़रीद लिया करो ।))

("صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، رقم الحديث: ٢٢٠١، ٢٢٠٢، ج٢، ص٤٤ـ "صحيح مسلم"، كتاب المساقات، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، رقم الحديث: ١٥٩٣، ص٨٥٩)

मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने बैअ़ की इस सूरत को मकरूह कहा जैसे इमाम मुह़म्मद तो इस की वज्ह येह है, जैसा कि "**फ़त्हुल क़दीर**", "**ईज़ाह़**" और "**मुह़ीत़**" के ह़वालों से गुज़रा कि लोग इस की त़रफ़ राग़िब हो कर किसी नाजाइज़ काम में न पड़ जाएं और हमारे ज़माने में मुआ़मला उलटा हो गया है, और हिन्दुस्तान में सूद का ए'लानिय्या लैन दैन होने लगा है, लोग इस से बिल्कुल नहीं शर्माते, गोया येह उन के नज़दीक न कोई ऐ़ब है और न ही आ़र की बात, लिहाज़ा वोह आ़लिमे दीन जो उन लोगों को सूद जैसी बलाए अ़ज़ीम और सख़्त कबीरा गुनाह से बचा कर सूद से बचाव के जाइज़ ह़ीलों की त़रफ़ ले आए, जैसे दस का नोट क़िस्त़बन्दी कर के बारह को बेचना और इस के सिवा और ह़ीले जो इमाम फ़क़ीहुन्नफ़्स क़ाज़ी ख़ान से गुज़रे तो कुछ शक्को शुबा नहीं कि वोह मुसलमानों का ख़ैर ख़्वाह है, और दीन हर मुसलमान के साथ ख़ैर ख़्वाही करने ही का नाम है, लोग अगर्चे गुनाह ए'लानिय्या कर रहे हैं मगर इस्लाम अभी बाक़ी है । وللّٰہ الحمد

www.dawateislami.net

लिहाज़ा जब मुसलमान ऐसी बात सुनेंगे कि उन का मक़्सद भी ह़ासिल हो जाए और वोह ह़राम फ़े'ल के इर्तिकाब से भी बचे रहें तो क्या वज्ह है कि तौबा न करें और शरीअ़त व इस्लाम की बात पर अ़मल न करें, क्यूंकि उन्हें शरीअ़त व इस्लाम से कोई अ़दावत नहीं और बेशक मशाइख़े बल्ख़ मसलन इमाम मुह़म्मद बिन सलमह वग़ैरा ने ताजिरों से कहा कि "बैए ईना जिस का ज़िक्र ह़दीसे पाक में है तुम्हारी इन बैओं से बेहतर है।"

मुह़क़्क़िक़ अ़लल इत़्लाक़ फ़रमाते हैं : "येह ठीक बात है इस लिये कि बिला शुबा बैए फ़ासिद ग़सब व ह़राम के हुक्म में है, तो कहां वोह और कहां बैए ईना कि बैए ऐ़ना तो सह़ीह़ है और इस के मकरूह होने में भी इख़्तिलाफ़ है।"

("فتح القدير"، كتاب الكفالة، قبيل فصل في الضمان، ج٦، ص٣٢٤)

बाक़ी रहा गुमान करने वाले का येह गुमान कि अगर बैअ़ की येह सूरत मन्अ़ नहीं तो इस में और सूद में क्या फ़र्क़ है ? ह़ालांकि ज़ियादती दोनों में ह़ासिल होती है.....!

तो मैं इस का जवाब यूं दूंगा कि येह वोह ए'तिराज़ है जो कुफ़्फ़ार ने किया था तो ख़ुद **अल्लाह** रब्बुल इ़ज़्ज़त तबारक व तआ़ला ने इस का जवाब क़ुरआने पाक में दिया :

﴿قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا﴾ (پ ٣،البقرة: ٢٧٥)

तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : "उन्हों (काफ़िरों) ने कहा बैअ़ भी तो सूद ही के मानिन्द है और **अल्लाह** ने ह़लाल किया बैअ़ को और ह़राम किया सूद को।"

www.dawateislami.net

क्या मो'तरिज़ ने येह न देखा कि हम ने नफ़्अ़ वहीं ह़लाल किया है जहां दो मुख़्तलिफ़ जिन्सों की ख़रीदो फ़रोख़्त हो, और अगर येह सूरत भी ह़राम हो जाए तो ख़रीदो फ़रोख़्त का दरवाज़ा ही बन्द हो जाएगा।

لاحول ولا قوة إلابالله العلي العظيم

वह्हाब جل جلاله की तौफ़ीक़ से जवाब मुकम्मल हुवा।

والحمدلله أوّلاً وآخراً وباطناً وظاهراً

और मैं ने इस का नाम "**كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم**" रखा, ताकि नाम सिने तस्नीफ़ **सिने 1324 हिजरी** पर दलालत करे।

बहर ह़ाल बन्दए ज़ईफ़ ने येह "**रिसाला**" हफ़्ते के दिन लिखना शुरूअ़ किया था फिर इतवार के दिन दोबारा बुख़ार हो गया लिहाज़ा पीर के दिन 23 मुह़र्रमुल ह़राम सिने 1324 हिजरी दोपहर को येह "**रिसाला**" तमाम कर दिया।

और येह तस्नीफ़ **अल्लाह** तआ़ला के हुरमत व अ़ज़मत वाले शहर मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में हुई, उन की ख़्वाहिश से जो फ़ाज़िले कामिल, पाकीज़ा, मुसल्लाए ह़नफ़ी के इमाम हैं, मौलाना शैख़ अ़ब्दुल्लाह رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْه उन के साह़िब ज़ादे जो ख़त़ीबों के शैख़ और अ़ज़मत वाले इमामों के सरदार हैं या'नी आ़लिमे बा अ़मल, फ़ाज़िले कामिल, ज़ाहिद, मुतवर्रेअ़, मुत्तक़ी, पाकीज़ा, मजमए़ फ़ज़ाइल व मम्बए़ फ़वाज़िल ह़ज़रत शैख़ अह़मद अबुल ख़ैर। رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْه

www.dawateislami.net

अल्लाह तबारक व तआ़ला हर नुक़्सान से इन दोनों बुज़ुर्गों को मह़फ़ूज़ रखे और हर भलाई से इन्हें ह़िस्सा अ़त़ा फ़रमाए और हमारे गुनाहों को मुआ़फ़ फ़रमाए और हमारे ऐ़बों को छुपाए और हमारे बोझ हल्के करे और हमारी आरज़ूएं पूरी फ़रमाए और हमें बार बार अपने इ़ज़्ज़त वाले घर का'बए पाक और नबिय्ये करीम रऊफ़ुर्रह़ीम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के मज़ारे मुक़द्दस की त़रफ़ अपने क़बूल और रिज़ा के साथ लौटना नसीब फ़रमाए, और आख़िर में ईमानो आ़फ़िय्यत के साथ मदीनए मुनव्वरा में मरना और बक़ीए़ पाक में दफ़्न होना और बुलन्दो बाला मर्तबा वाले शफ़ीअ़ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की शफ़ाअ़त नसीब फ़रमाए। आमीन......!

اللّٰهم صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وكرم

آمين......!

والحمدللّٰه رب العالمين

كـــــــــــــــــتبه

عبده المذنب أحمد رضا البريلوي عفي عنه بمحمد المصطفىٰ النبي الأمي

صلى اللّٰه تعالى عليه وسلم

محمدی سنی حنفی قادری ۱۳۰۱ھ

عبد المصطفیٰ احمد رضا خان

www.dawateislami.net

हामिये सुन्नत, माहिये बिदअ़त

जनाब मौलाना मौलवी शाह मुह़म्मद इरशाद हुसैन साहिब रामपुरी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه का फ़तवा

सुवाल :- क्या फ़रमाते हैं उ़लमाए दीन व मुफ़्तियाने शरए़ मतीन इस मस्अले में कि आज कल जो नोट राइज हैं इन की मालिय्यत से कम या ज़ियादा क़ीमत पर इन की ख़रीदो फ़रोख़्त जाइज़ है या नहीं ?

الجواب هو الملهم للصواب

तर्जमा : "बेशक अल्लाह عَزَّوَجَلَّ ही दुरुस्ती का इल्हाम फ़रमाता है"

मज़कूरा नोट की कम या ज़ियादा क़ीमत पर ख़रीदो फ़रोख़्त जाइज़ है, क्यूंकि गवर्नमेन्ट ने इसे माल क़रार दिया है और जिस चीज़ को क़ौम की इस्तिलाह़ (Terminology) में माल क़रार दे दिया जाए चाहे अस्ल में (Originally) इस की समनिय्यत और मालिय्यत साबित न हो लेकिन क़ौम के इसे समन (Currency) क़रार देने से इस में समनिय्यत और मालिय्यत साबित हो जाती है, नीज़ इसे इस की मालिय्यत से कम या ज़ियादा क़ीमत पर बेचना भी जाइज़ है। "**हिदाया**" में है कि इमामे आ'ज़म और इमाम अबू यूसुफ़ (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) के नज़दीक एक पैसे को दो मुअ़य्यन पैसों के इ़वज़ बेचना जाइज़ है, जब कि इमाम मुह़म्मद फ़रमाते हैं कि जाइज़ नहीं, क्यूंकि किसी चीज़ की समनिय्यत तमाम लोगों के इसे समन (Currency) क़रार देने से साबित होती है, लिहाज़ा येह इस्तिलाह़ (Terminology)

www.dawateislami.net

फ़क़त् बाएअ़ व मुश्तरी की इस्तिलाह़ से बातिल न होगी, और शैख़ैन येह दलील पेश फ़रमाते हैं कि बाएअ़ व मुश्तरी के ह़क़ में किसी चीज़ का समन होना फ़क़त् उन्ही की इस्तिलाह़ से साबित होता है, क्यूंकि उन दोनों पर किसी ग़ैर को कोई विलायत (Guardian Ship) ह़ासिल नहीं, लिहाज़ा उन दोनों की इस्तिलाह़ से उस चीज़ की समनिय्यत बातिल हो जाएगी और जब समनिय्यत बातिल होगी तो तअ़य्युन करने से वोह चीज़ मुअ़य्यन भी हो जाएगी। ("الهداية" في شرح "بداية المبتدي"، كتاب البيوع، باب الرّبا، ج٣، ص٦٣)

लिहाज़ा जब नोट में जो कि अस्ल में काग़ज़ का एक टुकड़ा है। समनिय्यत साबित हो गई तो कम व ज़ियादा क़ीमत पर इस की ख़रीदो फ़रोख़्त भी जाइज़ है।

"**रद्दुल मुह़तार**" के बाबुल ईना में है : "यहां तक कि अगर कोई काग़ज़ का एक टुकड़ा एक हज़ार के इवज़ बेचे तो येह बिला कराहत जाइज़ है।"

("رد المحتار"، كتاب الكفالة، مطلب: في بيع العينة، ج٧، ص٦٥٥)

والله أعلم وعلمه أتم

العبد المجيب محمد رياست علي عفي عنه

www.dawateislami.net

تصدیقات	علماء کرام
1......! الجواب صواب	محمد ارشاد حسین احمدی
2......!الجواب صواب	محمد حسن
3......!الجواب ھوالجواب	محمد نظر علی
4......!الجواب صحیح	محمد اعجاز حسین
5......!البتہ بیع وشراء مذکور جائز ہے فقط	العبد محمد عبد القادر عفی عنہ
6......!بلاشبہ اصطلاح میں قرار دیا جاتا ہے اور بیع وشراء مذکور جائز ہے فقط	العبد ابوالقاسم محمد مزمل عفی عنہ
7......!الجواب صواب	محمد عبد الجلیل بن محمد عبد الحق خان
8......!الجواب صحیح	حامد حسین عفی عنہ
9......!حکم کرنا مجیب کا نسبت صحت بیع مذکور کے صحیح اور درست ہے	العبد محمد عنایت اللہ عفی عنہ

www.dawateislami.net

ماخذ ومراجع

نمبر شمار	کتاب	مصنف / مؤلف	مطبوعہ
١	القرآن الكريم	كلام الله عزوجل	ضياء القرآن، كراچی
٢	صحيح البخاري	محمد بن إسماعيل البخاري عليه الرحمة ت ٢٥٦هـ	دار الكتب العلمية، بيروت
٣	صحيح مسلم	مسلم بن حجاج القشيري عليه الرحمة توفي ٢٦١هـ	دار ابن حزم، بيروت
٤	سنن الترمذي	محمد بن عيسى الترمذي عليه الرحمة متوفى ٢٧٩هـ	دار الفكر، بيروت
٥	سنن النسائي	أحمد بن شعيب النسائي عليه الرحمة متوفى ٣٠٣هـ	دار الجيل، بيروت
٦	سنن أبي داود	أبو داود سليمان بن أشعث عليه الرحمة توفي ٢٧٥هـ	دار إحياء التراث العربي، بيروت
٧	السنن الكبرى	أحمد بن الحسين البيهقي عليه الرحمة توفي ٤٥٨هـ	دار الكتب العلمية، بيروت
٨	المعجم الكبير	سليمان بن أحمد الطبراني عليه الرحمة توفي ٣٦٠هـ	دار إحياء التراث العربي، بيروت
٩	شعب الإيمان	أحمد بن الحسين البيهقي عليه الرحمة توفي ٤٥٨هـ	دار الكتب العلمية، بيروت
١٠	كنز العمال	علي المتقي الهندي عليه الرحمة المتوفى ٩٧٥هـ	دار الكتب العلمية، بيروت
١١	فيض القدير شرح الجامع الصغير	عبد الرؤوف المناوي عليه الرحمة المتوفى ١٠٣١هـ	دار الكتب العلمية، بيروت
١٢	ميزان الاعتدال	محمد بن أحمد الذهبي عليه الرحمة متوفى ٧٤٨هـ	دار الفكر، بيروت
١٣	رد المحتار	أمين ابن عابدين الشامي عليه الرحمة ت ١٢٥٢هـ	دار المعرفة، بيروت
١٤	تقريب التهذيب	شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني ت ٨٥٢هـ	دار الفكر، بيروت
١٥	فتح القدير للعاجز الفقير	محمد بن الهمام عليه الرحمة ت ٨٦١هـ	كوئٹہ
١٦	حاشية أفندي على هامش فتح القدير	سعد الله بن عيسى أفندي عليه الرحمة ت ٩٤٥هـ	كوئٹہ

www.dawateislami.net

١٧	الهداية في شرح بداية المبتدي	علي بن أبي بكر المرغيناني عليه الرحمة ت ٥٩٣هـ	دار إحياء التراث العربي، بيروت
١٨	البحر الرائق	زين الدين ابن نجيم عليه الرحمة المتوفّى ٩٧٠هـ	كوئٹه
١٩	النهر الفائق	سراج الدين عمر ابن نجيم عليه الرحمة ت ١٠٠٥هـ	ملتان
٢٠	تبيين الحقائق	عثمان بن علي الزيلعي عليه الرحمة المتوفّى ٧٤٣هـ	دار الكتب العلمية، بيروت
٢١	الفتاوى البزازية هامش الهندية	محمد بن محمد البزاز عليه الرحمة المتوفّى ٨٢٧هـ	كوئٹه
٢٢	فتاوى قارئ الهداية	سراج الدين عمر بن إسحاق الغزنوي ت ٧٧٣هـ	دار الفرقان، عمّان
٢٣	الكفاية مع فتح القدير	جلال الدين الخوارزمي عليه الرحمة المتوفّى ٨٠٠هـ	كوئٹه
٢٤	الفتاوى الهندية	جماعة علماء وعالمگیر عليه الرحمة ت ١١٦١هـ	كوئٹه
٢٥	البناية في شرح الهداية	العلّامة بدر الدين العيني عليه الرحمة ت ٨٥٥هـ	دار الفكر، بيروت
٢٦	نصب الراية	عبد الله بن يوسف الزيلعي عليه الرحمة ت ٧٦٢هـ	پشاور
٢٧	العناية هامش فتح القدير	محمد بن محمود البابرتي عليه الرحمة ت ٧٨٦هـ	كوئٹه
٢٨	بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع	علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني ت ٥٨٧هـ	دار إحياء التراث العربي، بيروت
٢٩	الفتاوى الخانية	حسن بن منصور أوزجندي عليه الرحمة ت ٥٩٢هـ	پشاور
٣٠	الفتاوى الرضويه (الجديدة)	إمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن ت ١٣٤٠هـ	رضا فاؤنڈیشن، لاهور
٣١	تاريخ بغداد أو مدينة السلام	أحمد بن علي البغدادي عليه الرحمة ت ٤٦٣هـ	دار الكتب العلمية، بيروت
٣٢	بهارِ شريعت	مولانا أمجد علي أعظمي عليه الرحمة ت ١٣٦٧هـ	ضياء القرآن پبلی کیشنز، لاهور
٣٣	سوانحِ إمام أحمد رضا	علامه بدر الدين أحمد قادري عليه الرحمة ت ١٩٨٤ء	مكتبه نوريه رضويه، سكهر
٣٤	فتاوى رشيديه	رشيد أحمد گنگوهي ت ١٣٢٣هـ	محمد علي كارخانه، كراچی

www.dawateislami.net

याद दाश्त

दौराने मुत़ालआ़ ज़रूरतन अन्डर लाइन कीजिये, इशारात लिख कर सफ़ह़ा नम्बर नोट फ़रमा लीजिये। اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ इल्म में तरक़्क़ी होगी।

उ़नवान	सफ़ह़ा	उ़नवान	सफ़ह़ा

www.dawateislami.net

याद दाश्त

दौराने मुत़ालआ़ ज़रूरतन अन्डर लाइन कीजिये, इशारात लिख कर सफ़ह़ा नम्बर नोट फ़रमा लीजिये। إِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ इल्म में तरक़्क़ी होगी।

उ़नवान	सफ़ह़ा	उ़नवान	सफ़ह़ा

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

सुन्नत की बहारें

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عزوجل तब्लीग़े कुरआनो सुन्नत की आ़लमगीर ग़ैर सियासी तहरीक दा'वते इस्लामी के महके महके मदनी माहोल में ब कसरत सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं, हर जुमा'रात मग़रिब की नमाज़ के बा'द आप के शहर में होने वाले दा'वते इस्लामी के हफ़्तावार सुन्नतों भरे इजतिमाअ़ में रिज़ाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात गुज़ारने की मदनी इल्तिजा है। आ़शिक़ाने रसूल के मदनी क़ाफ़िलों में ब निय्यते सवाब सुन्नतों की तरबिय्यत के लिये सफ़र और रोज़ाना फ़िक्रे मदीना के ज़रीए मदनी इन्आ़मात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह के इबतिदाई दस दिन के अन्दर अन्दर अपने यहां के ज़िम्मेदार को जम्अ़ करवाने का मा'मूल बना लीजिये। اِنْ شَآءَاللّٰه عزوجل इस की बरकत से पाबन्दे सुन्नत बनने, गुनाहों से नफ़रत करने और ईमान की हिफ़ाज़त के लिये कुढ़ने का ज़ेहन बनेगा।

हर इस्लामी भाई अपना येह ज़ेहन बनाए कि "मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश करनी है।" اِنْ شَآءَاللّٰه عزوجل अपनी इस्लाह़ की कोशिश के लिये "मदनी इन्आ़मात" पर अ़मल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश के लिये "मदनी क़ाफ़िलों" में सफ़र करना है। اِنْ شَآءَاللّٰه عزوجل

ISBN 978-969-631-068-6
0101059
MC 1286

मक्तबतुल मदीना (हिन्द) की मुख़्तलिफ़ शाख़ें

- देहली :- मक्तबतुल मदीना, उर्दू मार्केट, मटिया महल, जामेअ़ मस्जिद, देहली -6 011-23284560
- अहमदाबाद :- फ़ैज़ाने मदीना, त्रीकोनिया बग़ीचे के सामने, मिरज़ापुर, अहमदाबाद-1, गुजरात 9327168200
- मुम्बई :- फ़ैज़ाने मदीना, ग्राउन्ड फ़्लोर, 50 टन टन पुरा इस्टेट, खड़क, मुम्बई, महाराष्ट्र 09022177997
- हैदराबाद :- मक्तबतुल मदीना, मुग़ल पुरा, पानी की टंकी, हैदराबाद, तेलंगाना (040) 2 45 72 786

Web : www.dawateislami.net / E- mail : maktabadelhi@gmail.com